MAHS-05

सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार

Extension and communication for community development

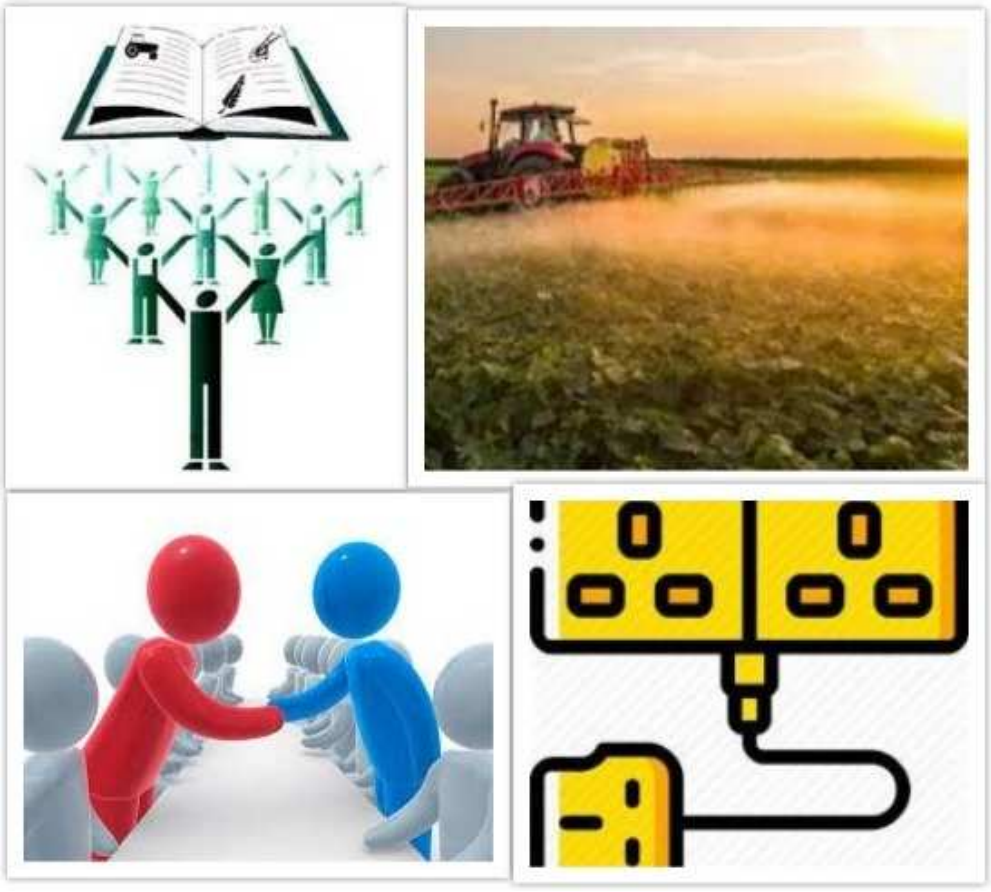

स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

MAHS-05

सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार

Extension and communication for community development

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

तीनपानी बाई पास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, हल्द्वानी-263139

फोन नं. 05946- 261122, 261123

टोल फ्री नं. 18001804025

फैक्स नं. 05946-264232, ई-मेल: info@uou.ac.in

http://uou.ac.in

अध्ययन बोर्ड			
प्रोफेसर आर0 सी0 मिश्र निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर रीता एस0 रघुवंशी अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर लता पाण्डे विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग डी0एस0बी0 कैम्पस कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	डा0 हिना के0 बिजली सह- प्राध्यापक, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन एवं विस्तार सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
डॉ0 प्रीति बोरा अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मोनिका द्विवेदी अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड		

विषय विशेषज्ञ समिति					
प्रोफेसर आर0 सी0 मिश्र निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 मनीषा गहलौत प्रोफेसर, वस्त्र एवं परिधान विभाग, गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	डॉ0 अपराजिता विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी	डॉ0 छवि आर्या सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग डी0एस0बी0 कैम्पस कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	डॉ0 लोतिका अमित सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी	डॉ0 प्रीति बोरा अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

पाठ्यक्रम संयोजक	पाठ्यक्रम संपादन
डॉ0 प्रीति बोरा अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मोनिका द्विवेदी अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई लेखन
डा० पूजा टम्टा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	1,6	श्रीमती मोनिका द्विवेदी अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	4,5	बी० ए० गृह विज्ञान HSC- 202 का रूपांतरण एवं संशोधन	7	डा० प्रभा बिष्ट सहायक प्राध्यापक एस. दी. एम. पी. जी.कॉलेज , डोईवाला, देहरादून इकाई संख्या : 2,3	डा० तारा कोरंगा Ex Teaching Personnel गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड इकाई संख्या : 8,9,10

ISBN-

समस्त लेखों/पाठों से सम्बन्धित किसी भी विवाद के लिए लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद के लिए जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कॉपीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय **प्रकाशन वर्ष: 2019**

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: एम0पी0डी0डी0, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139 (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

सामुदायिक विकास हेतु प्रसार एवं संचार
Extension and communication for community development
MAHS-05

खण्ड	इकाई	पृष्ठ संख्या
खण्ड 1 प्रसार शिक्षा एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया	इकाई 1: प्रसार शिक्षा की अवधारणा	2-19
	इकाई 2 : प्रसार शिक्षा की विशिष्टतायें	20- 41
	इकाई 3 : प्रसार शिक्षा शिक्षण एवं अधिगम	42-72
	इकाई 4 : प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ	73-86
खण्ड 2 प्रसार शिक्षा में संचार तकनीकें	इकाई 5: संचार	88-106
	इकाई 6 : संचार के मॉडल	107-131
	इकाई 7 : शिक्षण सामग्री	132-153
खण्ड 3 विकास संचार	इकाई 8: विकास के लिए संचार का परिचय	155-175
	इकाई 9 : सतत विकास	176 - 192
	इकाई 10 : लिंग और विकास	193-213

खण्ड 1

प्रसार शिक्षा एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया

इकाई 1: प्रसार शिक्षा की अवधारणा

1.1 परिचय
1.2 उद्देश्य
1.3 शिक्षा
1.4 प्रसार शिक्षा
  1.4.1 अर्थ एवं परिभाषाएं
  1.4.2 प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध
  1.4.3 प्रसार शिक्षा की आवश्यकता
  1.4.4 प्रसार शिक्षा की व्यापकता
1.5 प्रसार कार्यकर्ता
  1.5.1 प्रसार कार्यकर्ता के गुण
  1.5.2 प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका
1.6 प्रौढ़ शिक्षा
1.7 सतत शिक्षा (कंटीन्यूइंग एजुकेशन)
1.8 सामाजिक शिक्षा का अर्थ
1.9 सारांश
1.10 पारिभाषिक शब्दावली
1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची
1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 परिचय

किसी भी नये विचार, जानकारी तथा तकनीक का सामाजिक विकास के लिए लोगों तक प्रसार करना अति आवश्यक है, ताकि सामान्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। प्रसार शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसका सभी सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सभी विषयों से सम्बंधित ज्ञान को ये प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है। प्रसार शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा ये दोनों ही साथ-साथ चलते है।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई केअध्ययन के पश्चात आप निम्न बिन्दुओं को आसानी से समझ पायेंगे:

- प्रसार शब्द की उत्पत्ति कब, कहा और कैसे हुई ?
- प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं
- प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध;
- प्रसार शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
- प्रसार शिक्षा की व्यापकता
- प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका एवं गुण।
- प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता तथा सामाजिक शिक्षा

आइये सर्वप्रथम हम शिक्षा और शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानें।

1.3 शिक्षा

शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है।इसे निर्देश या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

1.3.1 शिक्षा के प्रकार

शिक्षा की प्रक्रिया को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:औपचारिक, अनौपचारिक तथागैर-औपचारिक।

1.3.1.1 औपचारिक शिक्षा (फॉर्मलएजुकेशन)

यह संस्थागत, कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत और अच्छी तरह से संरचितशिक्षा की प्रणाली है, जो स्कूली शिक्षासे शुरू होती है और उच्च शिक्षा तक जाती है। इसे स्कूलों या शिक्षा संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है, जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए स्थापित कियेजाते है।इसलिए इसे स्कूली शिक्षा, ट्यूशन आदि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

1.3.1.2 अनौपचारिक शिक्षा(इनफॉर्मल एजुकेशन)

यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों और पर्यावरण के संपर्क के माध्यम से,घर में, काम पर,दोस्तों से,रेडियो, टेलीविजन, कागजात और किताबों आदि के द्वारासीखता है।

1.3.1.3 गैर-औपचारिक शिक्षा (नॉन-फॉर्मल एजुकेशन)

यह एक सुव्यवस्थित शैक्षणिक गतिविधि है, जो की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर एक प्रकार की चयनित शिक्षा है, जो चयनित व्यक्तियों के समूह को प्रदान की जाती है, जिसमें वयस्क, युवा और बच्चे भी शामिल हैं। जैसे की महिलाओं के लिए गृह विज्ञान सेसम्बंधित, स्वास्थ्य, पोषण, शिशु देख-रेख, स्वच्छता, फल और सब्जीसंरक्षण जैसी गतिविधियाँतथा स्वयं-सहायता समूह पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल है।

प्रसार शिक्षा, प्रौढ़शिक्षा (एडल्ट एजुकेशन) तथा सतत शिक्षा (कंटीन्यूइंग एजुकेशन) ये तीनो ही गैर-औपचारिकशिक्षा केअलग-अलगरूप हैं।

आइए, इकाई की शुरुआत में हम प्रसार शिक्षा के बारे में जानें।

1.4 प्रसार शिक्षा

'प्रसार' (एक्सटेंशन) शब्द का उपयोग 1866 में इंग्लैंड में विश्वविद्यालय प्रसार की एक प्रणाली के साथ हुआ था जिसे पहले कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा और बाद में इंग्लैंड के अन्य शैक्षणिक संस्थानों और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया।

'प्रसार शिक्षा'(एक्सटेंशन एजुकेशन) शब्द का प्रयोग पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 1873 में विशेष शैक्षिक नवाचार (इनोवेशन) का वर्णन करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय प्रसार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त होने वाले शैक्षिक लाभों को सामान्य लोगों तक पहुँचाना था। प्रसार शिक्षान केवल कृषि पेबल्कि किसी भी तरह की विषय वस्तु पे कार्य करता है, जैसे की विज्ञान, स्वास्थ्य इत्यादि।

1.4.1 अर्थ एवं परिभाषाएं

'एक्सटेंशन' शब्द लैटिन रूट से लिया गया है जिसमें'एक्स'(ex)का मतलब 'आउट' और 'टेंसियो' (tensio) का मतलब 'स्ट्रेचिंग'(stretching) हैं। जिसका हिंदी अर्थ खींचना या प्रसार करना होता

है।अतःएक्सटेंशन शब्द का मतलब किसी चीज को खींचना या उसका विस्तार /प्रसार करना होता है।

एन्समिन्गर के अनुसार (1957) प्रसार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य उन लोगों के रवैये और प्रथाओं को बदलना है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं।

केल्सी और हे अर्ने के अनुसार(1966)यह शिक्षा की विद्यालयी प्रणाली से बाहर है, जिसमें प्रौढ़ और युवा लोग काम करके सीखते हैं।

एच. डब्ल्यू. बट के अनुसार (1961) प्रसार को हम ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए उपयोगी ज्ञान को बढ़ाने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

ओ.पी.दहामा के अनुसार (1973) प्रसार शिक्षा को एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है,जो ग्रामीणों को संशोधित तरीकों के बारे मेंविश्वासप्रदढंग से ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें अपनी विशिष्ट स्थानीय स्थितियों में निर्णय लेने में मदद करता है।

प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों की उन्नति और उनके व्यवहार अर्थात उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बदलने के लिए है।

प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों के बीच उपयोगी अनुसंधान निष्कर्षों और विचारों का प्रसार करना है। ताकि जिससे लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन आये।

आइये अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों को हल करें:

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न : सही उत्तर चुनिए।

1. प्रसार शिक्षा से मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों में शामिल हैं:

a. ज्ञान में परिवर्तन
b. दृष्टिकोण में परिवर्तन
c. कौशल में परिवर्तन
d. उपर्युक्त सभी सही हैं।

2. प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग पहली बार किस देश में किया गया था:

a. कैनाडा
b. अमेरीका
c. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (इंग्लैंड)
d. फ्रांस

3. प्रसार शिक्षा है:

a. एक कला
b. विज्ञान
c. कला और विज्ञान दोनों
d. इनमें से कोई नहीं

1.4.2 प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध

प्रसार शिक्षा एक प्रायोगिक व्यावहारिक विज्ञान है और इसलिए इसका संबंध अन्य व्यवहारिक विज्ञान के विषयों के साथ है।

1.6.1 प्रसार शिक्षा औरसमाजशास्त्र

प्रसार शिक्षा तथा समाज शास्त्र, दोनों ही समूहोंका अध्ययन करते है। समाज शास्त्र का तात्कालिक उद्देश्य समूहों की संरचना,कार्य प्रणाली और संगठन का अध्ययन करना है, जबकि प्रसार शिक्षाभीसमूहों में मानव के व्यवहार, उनके व्यक्तिगत जीवन और कैसे मानव मेंवांछनीय परिवर्तन लाया जा सकता है इसका अध्ययन करता है। यह बात बिलकुल स्पष्टहै किप्रसार शिक्षा और समाज शास्त्र दोनों ही एक दूसरे की सहायता के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते है।

प्रसार शिक्षा औरमानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)

इसमें कोई शंका नहीं है की सांस्कृतिकमानवशास्त्र केवलसमूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है।यह सबसे ज्यादा व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन यह भी सच है की बहुत सेमानवशास्त्र से सम्बंधितअध्ययन हमारा ध्यान बहुत सी ऐसी समस्याओं की तरफ आकर्षित करते है जिनका सामना प्रसार शिक्षा को करना पड़ता है।नैतिक आदर्श समाज के संबंध में तैयार किए जाते हैं,और कैसे ये आदर्श व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं,ये प्रसार शिक्षा के रुचि का एक क्षेत्र है।

प्रसार शिक्षा और मनोविज्ञान

मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान की कई शाखाएं है। सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की ही कई शाखाओं में से एक है। सामाजिक मनोविज्ञान, मानव व्यवहार को सामाजिक परिदृश्य में

समझने में योगदान करता है। प्रसार शिक्षा में साधन और तकनीकों का विकास करते समय या सामाजिक प्रणाली में नई खोजो का परिचय देते समय, सामाजिक मनोविज्ञान से प्राप्त ज्ञान बहुत मदद करता है। इसी तरह शैक्षिक मनोविज्ञान जो की मनोविज्ञान की ही एक और शाखा है, वह भी शिक्षाविदों द्वारा वयस्कों को सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है और इस प्रकार व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के उपायों को विकसित करता है। प्रसार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक शोध के साधनों और तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाता है।

प्रसार शिक्षाएवं अर्थशास्त्र

प्रसार शिक्षा और अर्थशास्त्र, ये दो विज्ञान एक विशेष समूह में प्रचलित आर्थिक स्थितियों या व्यक्ति के संदर्भ में साथ मिलकर काम करते हैं। अर्थशास्त्र की बहुत सी समस्याएँ प्रसार शिक्षा की समस्याएँ भी होती है। अर्थशास्त्र की समझ, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से साधनों और तकनीकों को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है।

प्रसार शिक्षाएवं शिक्षा शास्त्र

प्रसार शिक्षा दोनों लिंगों के वयस्कों और युवाओं के साथ संबंधित है। क्योंकि यह स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है, इसके पास शैक्षणिक पद्धति के इस्तेमाल के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। शिक्षण विधियों, श्रव्य दृश्य उपकरण ये सब शैक्षिक वैज्ञानिकों का योगदान हैं, जिनका उपयोग प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहाहै। कोई भीव्यक्ति जो लोगों में परिवर्तन लाना चाहता है,वह बिनाशिक्षण विधियों तथाश्रव्य दृश्य उपकरणों केसफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकारप्रसार शिक्षा, शिक्षाशास्त्र से जानकारियों को लेकर सार्थक तरीके से उनका उपयोग करता है।

प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान

गृह विज्ञान, घर का विज्ञान है, जिसका सम्बन्ध प्रसार शिक्षा के साथ भी है।प्रसार शिक्षा द्वारा परिवार के रहन -सहन में वांछनीय बदलाव लाया जा सकता है। प्रसार शिक्षा सभी प्रकार की संस्थाओं के साथ कार्य करता है और परिवार या घर भी एक संस्था है। गृह विज्ञान प्रसार भी प्रसार शिक्षा का ही एक क्षेत्र है जो गृह विज्ञान के अन्य विभागों द्वारा विकसित की गयी तकनीकों और शोध परिणामों कोव्यावहारिक रूप में लोगों तक पहुँचाता है। साथ ही साथ, यह प्राप्त जानकारी के विषय में लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी वैज्ञानिकों तक पहुँचाता है ताकि जरूरत के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकों में सुधार लाया जा सके।

प्रसार शिक्षा एवं संचार विज्ञान

संचार, प्रसार शिक्षा का एक साधन है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के प्रति जागरूकता और जानकारी देने में सहायता प्रदान करता है।नई - नई जानकारियों को प्रभावी तरीके से किस माध्यम के द्वारा लोगों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है, इसकी जानकारी हमें संचार विज्ञान से ही प्राप्त होती है। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य लोगों को उनकीआवश्यकता की चीजेसिखाना है जिसमें संचार की विभिन्न विधियाँ,संचार में मददगार सामग्रीएवं संचार कौशलआदि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

प्रसार शिक्षा एवं प्रबंधन

प्रबंधन एक ऐसा अध्ययन का विषय है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और निष्पादन के विषय में कार्य करता है। प्रसार शिक्षा में प्रबंधन विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के संबंध में योजना, मार्गदर्शन, निष्पादन, नियंत्रण, बजट आदि के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करता है।

1.4.3 प्रसार शिक्षा की आवश्यकता

आवश्यकता शब्द का तात्पर्य उस अन्तर से है जो व्यक्ति की वास्तविक स्थिति व उसके द्वारा वांछित/इच्छित स्थिति के मध्य होता है। वर्तमान समय में साधनों की सीमित उपलब्धता को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार करके ही हम समाप्त कर सकते है। अतःव्यक्तियों या ग्रामीणों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीके रोजाना प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जाती है, परन्तु नई–नईजानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार अनुसंधान केन्द्र जाना ग्रामीणों के लिए संभव नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक केवल नईतकनीकों को विकसित करने के लिए ही प्रशिक्षित होते है। परन्तु लोग इन वैज्ञानिक तरीकों को कैसे अपनाये और साथ ही साथ क्या बाधाएँ है जो इन वैज्ञानिक तरीकों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग में लाने में आ रही है, ये पता लगाना प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार संस्था का कार्य होता है। प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार संस्था न केवल लोगों के लिए शोध के निष्कर्षों की व्याख्या करते है बल्कि लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों तक पहुँचाते भी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रसार संस्था या प्रसार कार्यकर्ता लोगों और वैज्ञानिकों के मध्य पुल का कार्य करके उनके मध्य की दूरी को कम करते है। जिससे उनकी स्थिति और व्यवहार दोनों में ही परिवर्तन आता है।

1.4.4 प्रसार शिक्षा की व्यापकता

प्रसार की व्यापकता में विकास के प्रयासों की एक श्रृंखला शामिल है जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वंचित और जरूरतमंद लोगों को विकास के उच्च मानकों के लिए सक्षम बनाता है या बेहतर जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रसार शिक्षा विभिन्न पहलुओं, कार्यक्रमों, समस्याओं, और लोगों के विकास से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से भी सम्बंधित है। यह लोगों को सिखाता है, प्रशिक्षित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें परामर्श देकर उनकी सहायता करता है जिसमें वे अपने द्वारा महसूस की गई जरूरतों को संतुष्ट या पूरा करने के तरीकों और साधनों को स्वयं ढूँढ़ सके।यह लोगों को उनके विकास की समस्याओं को पहचानने में और खुद ही उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बना कर उनकी सहायता करता हैं।यह लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन पर जोर देता है और विकास के उच्च मानकों के लिए उनमें महत्वाकांक्षा पैदा करने की कोशिश करता है।यह मानकों और लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति काम करने के लिए लोगों में आवश्यक कौशल, इच्छा और दृढ़ संकल्प उत्पन्न करता है।

प्रसार कार्य केवल तभी आगे बढ़ेगा जब इससे संबंधित कारकों का विकास होगा और ये कारक निम्नलिखित है:

लोगों का व्यक्तिगत विकास

1.लोगों के कृषि उत्पादन में वृद्धि ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

2. ग्रामीण उद्योगसे संबंधित ज्ञान के लिए सुविधा।

3. अग्रिमतकनीक/विधियों के लिए सुविधा।

4. पशुपालन, कुक्कुट, बकरियों, सुअर पालन और खेती आदि जैसे सह-उद्योगों का विकास।

5. कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना।

6. ग्रामीण लोगों के लिए उचित शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना।

7. आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण लोगों में काम करने कीइच्छा पैदा करना।

लोगों के पर्यावरण का विकास

1. पारिवारिक शिक्षा की व्यवस्था।

2. प्रचलित सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन।

3. लोकतांत्रिक तरीकों का विकास।

4. सामुदायिक कार्यो के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

5. ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण प्रबंधन।

बुनियादी संस्थानों का विकास

1. इन संस्थानों के लिए आत्मविश्वास और सम्मान विकसित करना।

2. लोगों के बीच ज़िम्मेदारी महसूस करने के लिए।

3. अधिकतम संख्या में लोगोंके सहयोग को बढ़ाने के लिए।

1.5 प्रसार कार्यकर्ता

प्रसार कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जिस पर प्रसार प्रक्रियाओं से सम्बंधित सभी जिम्मेदारियाँ होती है। प्रसार कार्यकर्ता एक शिक्षक, नेता, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्ता को "परिवर्तन एजेंट" भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है।

प्रसार कार्यकर्ता के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करने व एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता बनने के लिए प्रसार कार्यकर्ता में कुछ गुण होने चाहिए। उनमें से कुछ गुण इस प्रकार हैं:

1.5.1 प्रसार कार्यकर्ता के गुण

1. विषय का ज्ञान

एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता को उस विषय का सम्पूर्ण सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए जिसके बारे में वह लोगों को जानकारी देने वाला है। उसे अपने विषय से सम्बंधित सभी नवीनतम तकनीकों/प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सके।

2. सहानुभूतिक रवैया (एम्पथिटिकल एटीटुयुड)

कोई भी प्रसार कार्यकर्ता समस्या का सर्वोतम समाधान तभी बता सकता है जब वह उस व्यक्ति की समस्या को सहानुभूतिपूर्वक तरीके से सुने औरस्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर रख के विचार करें।

3. आकर्षक व्यक्तित्व

एक प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाये। प्रसार कार्यकर्ता का व्यवहार जीवंत, विनम्र और लोगों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसके संपर्क में आ सकें।

4. अच्छा संगठनकर्ता

एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में ये योग्यता होनी चाहिए की वह एक अच्छी योजना बना सके और योजना के कार्यान्वयन के लिए लोगों व संसाधनों को संगठित व व्यवस्थित कर सके। पैसे, श्रम और लोगों के अन्य संसाधनों का उचित उपयोग तब ही संभव होता है जब ये सभी विभिन्न कारक ठीक से संगठित होते हैं।

5. दूरदर्शिता

प्रसार कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए, प्रसार कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि किस प्रकार की जानकारियों की लोगों को भविष्य में आवश्यकता पढ़ सकती है, इनकाकिस तरह का परिणाम होगा और लोगों पर इसका क्या असर होगा। उन्हें यह भी जानना चाहिए की दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए किस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. एक अच्छा प्रेरक

एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता लोगों को नयी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जिनसे वे अपने जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन लाकर उसे बेहतर बनाये।

7. उत्साह और ऊर्जा

प्रसार कार्यकर्ता को उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। उत्साह व ऊर्जा के बिना एक शरीर एक शव की तरह है, जो व्यक्ति खुद उत्साहित और ऊर्जावान नहीं है, वह दूसरों को उसके मार्ग का पालन करने के लिए नहीं समझा सकता है।

8. साहसी

अच्छे प्रसार कार्यकर्ता को साहसी होना चाहिए ताकि वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके।

9. लोगों को महसूस होने वाली स्थानीय जरूरतों का ज्ञान

एक प्रसार कार्यकर्ता को लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए साथ ही साथ उसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी पता होना चाहिए।

10. पहल

किसी भी प्रसार कार्यकर्ता को अपने आप बिना किसी देखरेख के काम करना पड़ सकता है, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए की वो बिना मार्गदर्शन और देख-रेख के भी कार्यकर सके।

11. अच्छा संचार कौशल

एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में एक कुशल संचारक भी होना चाहिए ताकि वह लोगों के सामने अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करें की लोग प्रभावित होकर कार्यकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी व ज्ञान को अपने व्यवहार में सम्मिलित कर ले।

12. मित्रतापूर्ण व्यवहार

प्रसार कार्यकर्ता का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए ताकि वह लोगों को आसानी से मित्र बना सके। लोगों के साथ मित्रता की भावना सहयोग और प्रसार कार्य को बढ़ावा देती है।

13. सहिष्णुता

प्रसार कार्यकर्ता को इस तरह से अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए जिससे उसे विपक्ष द्वारा कही गयी बातों से आसानी से चोट नहीं पहुचें। सहिष्णु लोगों पर क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

14. ईमानदारी

जहां भी व्यवहार और नीति का सवाल है, लोगों को ईमानदारी और सच्चाई का अभ्यास करना चाहिए। प्रसार कार्य एक व्यावहारिक कार्य है, जिसमें निश्चित नीति को अपनाया जाता है तथा जिसके माध्यम से समुदाय में नई प्रेरणा उत्पन्न होती है।

15. ग्रामीण सामाजिक मूल्यों का ज्ञान

किसी व्यक्ति को मनाने के लिए, उस व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना आवश्यक है।प्रसार कार्यकर्ता को लोगों को ऐसी शिक्षाको देनी चाहिये जिनसे लोगों के सामाजिक मूल्यों को ठेस न पहुचें।

16. दृढ़ निश्चय

प्रसार कार्यकर्ता में दृढ़ संकल्प होना चाहिए ताकि वह अपने रास्ते में आने वाली सभी तरह की बाधाओं के बावजूद अपना काम कर सकें। यदि वह दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो वह लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में असमर्थ होगा।

17. धार्मिक दृष्टिकोण

प्रसार कार्यकर्ता को उदार और धार्मिक विचारधारा का होना चाहिए ताकि वह उस विशिष्ट समाज में आसानी से सम्मान प्राप्त कर सकें जिसमें उसे काम करना है। प्रसार कार्यकर्ता को रूढ़िवादी और कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए।

1.5.2 प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका

ग्रामीणों के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने और उन्हें प्रेरित करने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।इसके लिए, प्रसार कार्यकर्ता को मनोवैज्ञानिक कारकों, प्रसार से संबंधित प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है।प्रसार कार्यकर्ता की कुछ प्रमुख भूमिकाएँ इस प्रकार है:

1. प्रेरणा और भावना पैदा करने के लिए

प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों कोकार्यक्रमों के विकास के लिए प्रेरित करते है ताकि वे स्वयं अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाये और नए कार्यक्रम बनाये और अपने उत्थान के लिए उन्हें लागू करें।

2. स्थानीय रूप से महसूस होने वाली आवश्यकताओं का ज्ञान

विकास कार्यक्रमोंको लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली स्थानीय जरूरतों पर आधारित होना चाहिए।जिसके लिएप्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए।

3. तत्कालीन जरूरतों को प्राथमिकता

प्रसार कार्यकर्ता को कार्यक्रम तैयार करने में, उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लोगों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करतीहो।

4. ग्रामीण लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए

ग्रामीण अभी भी विकास कार्यों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।इसलिए, उन्हें समझना या उन्हें समझाना महत्वपूर्ण है कि वे पारस्परिक सहयोग के माध्यम से अधिकांश काम कर सकते हैं।

5. आत्मनिर्भरता पर जोर

ब्रिटिश शासन से पहले लोग आत्मनिर्भर थे, भोजन, कपड़े और आवास जैसी उनकी जरूरतें गांवों में ही पूरी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और फिर भी वे खुद के लिए पर्याप्त कमाई करने में असमर्थ हैं।इसलिए, इस स्थिति में बदलाव लाने और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।

6. अनुसंधान केंद्र और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना

प्रसार कार्यकर्ता की अनुसंधान केंद्र और लोगोंके बीच एक करीबी समन्वय विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।ताकि लोगोंको वैज्ञानिक जानकारी दी जा सके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को संबोधित किया जा सके।

7. स्थानीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग

प्रसार कार्य और ग्रामीण उद्योगों जैसे कृषि और कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों को कुशलता से उपयोग करने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सकें।

8. बहुमुखीविकास के लिए योजना

प्रसार कार्यकर्ता को समाज केबहुमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

9. गांव का पुनर्निर्माण

प्रसार कार्यकर्ता द्वारागांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी इत्यादि के विकास के लिएकार्य किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों को गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गांवों में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन

प्रसार कार्यकर्ता को लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे समाज और देश के कल्याण के लिए अपनी स्वार्थीयता का त्याग कर सकें और देश के पुनर्निर्माण में भागीदार बन सकें।

आइये आगे बढ़ने से पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करे:

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : सही / गलत बताइए।

1. प्रसार शिक्षा का गृहविज्ञान के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है।

2. प्रसार शिक्षा तथा समाजशास्त्र दोनों ही समूहों का अध्ययन करते हैं।

3. एक अच्छे प्रसारकार्यकर्ता को विषय का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है।

4. स्थानीय संसाधनों को कुशलता से उपयोग करने में प्रसार कार्यकर्ता की कोई भूमिका नहीं है।

आइये आगे बढ़ते है और प्रौढ़ शिक्षातथा सतत शिक्षा के बारे में जानते है:

1.6 प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा (एडल्ट एजुकेशन)वयस्कों को पढ़ाने और शिक्षित करने के अभ्यास के लिए एक व्यापक शब्द है,जिसके अंतर्गत सतत शिक्षा (कंटीन्यूइंगएजुकेशन) तथा कार्यात्मक साक्षरता आते है।यह आजीवन सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।प्रौढ़ शिक्षावह प्रक्रिया है जिसमें वयस्क जो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने नियमित या पूर्णकालिक आधार पर स्कूली शिक्षा प्राप्त ना की हो, या स्कूल छोड़ दिया हो वे विभिन्न विषयों पर आयोजित क्रमिक (क्रोनोलॉजिकल) तथा शैक्षिक गतिविधियों जैसे की स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि और पशुपालन आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा काउद्देश्य निजी या सामुदायिक समस्याओं को पहचानने और हल करने के लिए ज्ञान, रवैये और कौशल में बदलाव लाना है। प्रौढ़ शिक्षा में पुरुषों

और महिलाओं के हितों, आवश्यकताओं, क्षमताओं और उनकी बदलती भूमिकाओं और जिम्मेदारी के अनुसार, उनके लिए आवश्यक सभी तरह के शैक्षिक अनुभव आते है। प्रौढ़ शिक्षा को विशेषज्ञता के कई अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता हैजैसे की: व्यावसायिक शिक्षा, व्यक्तिगत संवर्धन, औरकुछ वयस्कों के लिएसाक्षरता और अन्य कौशल में उपचारात्मक प्रशिक्षण। प्रौढ़ शिक्षा के लिए तकनीक और उपकरण भी सामान्य शिक्षा से बहुत अलग होते हैं, जो प्रौढ़ छात्रों की विभिन्न क्षमताओं, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को समझने के बाद, आइये अब हम विभिन्न लेखकों और संगठनों द्वारा दी गयीप्रौढ़ शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को देखें।

लिंडमैन के अनुसार (1961) प्रौढ़ शिक्षा, वहाँ पे शुरू होती है जहां व्यावसायिक शिक्षा समाप्त हो जाती है। प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को जिन्हें विशेषाधिकार नहीं मिला, सीखने का आखिरी मौकाप्रदान करती है। कुछ लोग सीखने के बुनियादी कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं ताकि वे सीखने, पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए नामांकन कर सकें।

रेड्डी के अनुसार (2000) प्रौढ़ शिक्षा सभी आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए अंशकालिक या पूर्णकालिक शिक्षा है या तो ये स्वयं के द्वारा आयोजित की जाती है या तो स्कूलों, शिक्षण केंद्रों, या अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है जो उन्हें या तो अपनी शिक्षा जारी रखने या पिछले वर्ष की प्रारंभिक या अपूर्ण शिक्षा को फिर से शुरू करने के द्वारा अपने सामान्य या पेशे वर ज्ञान, कौशल और क्षमताओंमें सुधार करने में सक्षम बनाती हैं।

आइए आगे बढ़ने से पहले सतत शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरताऔर सामाजिक शिक्षा के बारे में जानते है:

1.7 सतत शिक्षा (कंटीन्यूइंग एजुकेशन)

लेग्गे के अनुसार (1982) सतत शिक्षा को हम जरूरतपड़ने पर किसी तरह के पुनःप्रशिक्षण के संदर्भ में ले सकते है,उदाहरण के लिए, एक नई नौकरीमें। यह निश्चित रूप से पूर्व निर्धारित करता है कि कुछ शिक्षा पहले मिली है,शायद प्रारंभिक शिक्षा, जिसे पहले पूरा किया जाना है।

इस परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट है कि सतत शिक्षा एक निश्चित स्तर के स्कूली शिक्षा के बाद शुरू होती है।सतत शिक्षा में उन शिक्षण अवसरों को शामिल किया जाता है जो प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के बाद मिलती हैं।दूसरे शब्दों में, यह जीवन भर चलने वाली शिक्षा है। इसे प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए लंबे और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से दिया जाता है।

कार्यात्मक साक्षरता (फंक्शनली लिटरेसी)

कार्यात्मक रूप से साक्षर व्यक्ति वह है जो स्वतंत्र रूप से जीने के लिए पर्याप्त रूप से पढ़ और लिख सकता है।

यूनेस्को(1960) के अनुसार: वह व्यक्ति कार्यात्मक रूप से साक्षर होता जो अपने समूह या समुदाय के उन सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता हो जिनमें साक्षरता की जरूरत पड़ती है। साथ ही उसे अपने स्वयं के उपयोग करने के लिए पढ़ने, लिखने और गणना करने के लिए एवं समुदाय का विकासकरने के लिए सक्षम बनाने में आवश्यक है।

कार्यात्मक रूप से साक्षर होना उस स्थिति पर निर्भर करता है जहां साक्षरता का उपयोग करना होता है।यह विभिन्न समुदायों में भिन्न होता है।उदाहरण के लिए, एक कार्यात्मक रूप से साक्षर व्यक्ति वह हो सकता है जो वस्त्रों की सिलाई करने के लिये माप ले सके, माप रिकॉर्ड कर सके, गिन, पढ़, लिख सके।जो लोग साक्षर नहीं होते हैं वे पढ़ और लिख नहीं सकते हैं।

ऐसे लोगों को शिक्षित करना संभव है जो साक्षर नहीं हैं (पढ़ और लिख नहीं सकते)। उदाहरण के लिए, वयस्क पहले से ही बहुत ज्ञानी हैं, उनकी अधिकांश शिक्षा अनौपचारिक रूप से माता-पिता और अन्य से मिली थी परन्तु वे पढ़ने और लिखने के लिए स्कूल नहीं गए थे इसलिए वे अनपढ़ हैं, कार्यात्मक साक्षरताकी भूमिका ऐसे वयस्कों को अपने दैनिक साक्षरता कार्यों - बैंक में फॉर्म भरने, साइन पोस्ट / लेबल पढ़ने, समय देखने और कलैंडर पढ़ने और आगे बढ़ने के तरीके खोजने में सक्षम बनाने के लिए है।

1.8 सामाजिक शिक्षा का अर्थ

सामाजिक शिक्षा सामाजिक हस्तक्षेप का एक रूप है जो की रणनीतियों और शैक्षिक सामग्री से होता है ताकि लोगों का सामाजिक कल्याण और सामान्य रूप से लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और विशेष रूप से उन अधिकारहीन समूहों की समस्याओं को हल किया जा सके जो की तंत्र से बाहर है। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य अधिकारहीनता की समस्या को हल करना है और इसके अलावा सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित कराना हैं, संक्षेप में, इसका उद्देश्य समाजीकरण की प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना है।

सामाजिक शिक्षा के कार्य:सामाजिक शिक्षा का कार्यसंदर्भों, व्यवहारों और दृष्टिकोणों का अवलोकन करना है जिससे हम उन व्यक्तियों या समूहों की पहचान कर सके जो अधिकारहीनता की स्थिति में है, उन्हीं लोगों से संपर्क करके उनके जीवन, समस्याओं, संबंधों के बारे में जानकारी एकत्र

करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रत्येक मामले में कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है। ऐसीशैक्षिक रणनीति जो लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दे तथा जो लोग उसमें शामिल है उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाये, उचित रूप में विषयों और संस्थानों सामाजिक, स्कूल या काम के बीच मध्यस्थता करके उन्हें पहुंच प्रदान करें।

1.9 सारांश

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामाजिक शिक्षाएक विस्तृत श्रृंखला हैजिसमें कई क्षेत्रशामिल है, उनमें से प्रमुख हैं: प्रौढ़ शिक्षा, विशेष सामाजिक शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक, गैर-औपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा।जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा तक पहुंचएक बेहतर भविष्य का आनंद लेने के लिए सुविधा और योगदान देती है।औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त गैर-औपचारिक शिक्षा में आने वालेप्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा तथा कार्यात्मक साक्षरताजैसे कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे शिक्षा से वंचित व्यक्ति बिना किसी बाधा के नौकरी के साथ या अपने जीवनयापन के लिया, या अपने दैनिक जीवन को और अधिक सरल बनाने के लिएकिसी भी आयु में शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

1.16 पारिभाषिक शब्दावली

प्रसार शिक्षा : प्रसार शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जिसके माध्यम से लोगों की उन्नति में सहायता और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके अर्थात जिससे उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बदलाव लाया जा सके।

प्रसार कार्यकर्ता: प्रसार कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जिस पर प्रसार प्रक्रियाओं से सम्बंधित सभी जिम्मेदारियाँ होती है।

प्रौढ़ शिक्षा: यह एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग वयस्कों को पढ़ाने और शिक्षित करने के अभ्यास के लिए किया जाता है।

कार्यात्मक साक्षरता (फंक्शनली लिटरेसी) : कार्यात्मक रूप से साक्षर है'व्यक्ति वह है जोस्वतंत्र रूप से जीने के लिए पर्याप्त रूप से पढ़ और लिख सकता है।

सामाजिक शिक्षा: सामाजिक शिक्षा सामाजिक हस्तक्षेप का एक रूप है जो की रणनीतियों और शैक्षिक सामग्री से होता है ताकि लोगों का सामाजिक कल्याण किया जा सके और सामान्य रूप से लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके जो अधिकारहीन है और सामाजिक तंत्र से बाहर है।

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न : सही उत्तर चुनिए।

a. उपर्युक्त सभी सही हैं

b. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (इंग्लैंड)

c. कला और विज्ञान दोनों

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : सही अथवा गलत बताइए।

1. सही
2. सही
3. गलत
4. गलत

1.12 संदर्भग्रन्थसूची

- G.L. Ray, Extension Communication and Management, Kalyani Publishers.
- V. Reddy, Adult and Lifelong Education, APH Publishing Corporation, Darya Ganj, New Delhi
- http://uis.unesco.org/node/334638

1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.प्रसार शिक्षा का अर्थ समझाइए एवं प्रसार शिक्षा का अन्य व्यवहारिक विज्ञान के विषयों के साथ क्या सम्बन्ध है समझाइये?

2. एक अच्छेप्रसार कार्यकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए? इन गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

3. प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका है समझाइये?

4. सामाजिक शिक्षा से आप क्या समझते है? सामाजिक शिक्षा के क्या मुख्य कार्य है?

5. कार्यात्मक साक्षरता से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर समझाइये?

इकाई 2 : प्रसार शिक्षा की विशिष्टतायें

2.1 परिचय
2.2 उद्देश्य
2.3 प्रसार शिक्षा की अवधारणा एवं परिभाषायें
2.4 प्रसार शिक्षा मूलभूत गुण एवं विशेषतायें
2.5 अनऔपचारिक प्रसार शिक्षण
2.6 सतत् शिक्षण
2.7 प्रसार शिक्षण गैर संस्थान दर्शन
2.8 सारांश
2.9 पारिभाषिक शब्दावली
2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची
2.12 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 परिचय

प्रारम्भिक दौर में ग्रामीण नागरिकों का शहरों की ओर पलायन रोकने, कृषि, ग्रामीण उद्योग धन्धों, को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण संसाधनों के उपयोग से ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करके "ग्राम विकास - राष्ट्र विकास" की अवधारणा को साकार रूप देने के उददेश्य से प्रसार शिक्षा का आरम्भ वर्ष 1873 ई० में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया गया। ऐसा माना जाता है कि

सर्वप्रथम प्रसार शब्द बोरहीस द्वारा 1894 ई० में कृषकों तथा कृषि संबधी सूचना को प्रसारित करने के संदर्भ में उपयोग किया गया। डा० सीमैन मैप के अथक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1880 से 1910 के मध्य अमेरिका में प्रसार शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस अवधि में प्रसार शिक्षा का उपयोग कपास की खेती एवं इससे संबधित उद्योग धन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया गया।

प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेनशन का हिन्दी रूपान्तरण है। एक्सटेनशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टैनिसो से मिलकर बना है, एक्स का अर्थ होता है बाहर तथा टैनिसो का अर्थ है फैलाना

अथवा प्रसारित या विस्तृत करना। इस प्रकार प्रसार शिक्षा का अर्थ "किसी महत्वपूर्ण सूचना के अधिकाधिक विस्तारण" से माना जा सकता है

2.2 उद्देश्य

भारत में कई ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अज्ञानता, अंधविश्वास, निर्धनता, रूढिवादिता की बेड़ियों में जकड़े हुये हैं। यह मुख्यतया शिक्षा के अभाव में हुआ है। इन ग्रामीणों के जीवन स्तर को पर उठाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाना आज के समय की न केवल एक प्रमुख माँग है बल्कि एक चुनौती भी है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों एवं विकास के बीच एक सेतु की तरह कार्य करती है। प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिकता पर जोर देती है। प्रसार शिक्षा, उपाधि आधारित न होकर समस्या निवारण पर आधारित है। प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप प्रसार शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व को ग्रामीण जन समूह के ज्ञान संवर्धन, मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति, जैसे बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में समझ सकेगें।

2.3 प्रसार शिक्षा की अवधरणा एवं परिभाषाएँ

प्रसार शिक्षा परम्परागत एवं सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों में पूर्व निर्धारित, संगठित एवं औपचारिक पाठ्यक्रमों से परे युवाओं एवं प्रोढ़ को प्रदान की जाती है। प्रसार शिक्षा के मूल में ग्रामीण विकास की अवधारणा निहित है। यह औपचारिक विद्यालयों से बाहर की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा जिसे औपचारिकेत्तर शिक्षा भी कहा जाता है को भी समेकित करती है। इसका उददेश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से स्वयं की समस्याओं का समाधान करना है। स्वप्रेरित मनुष्य अपनी समस्याओं के निदान स्वंय खोजने का प्रयास करता है तथा अपने विवेक का प्रयोग कर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है जिससे समस्त समुदाय लाभान्वित होता है। प्रसार शिक्षा की अवधारणा को निम्न बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।

1. पारस्परिक सहयोग, सदभावना तथा जन कल्याण में रूचि।
2. ज्ञानार्जन की परिधि को और अधिक प्रसारित करना तथा इसे सभी के लिये उपलब्ध कराना।
3. ज्ञान प्राप्त करने के माध्यमों को संस्थागत बंधनों से मुक्त करना।
4. परिवार, समुदाय, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव।
5. प्रजातंत्र तथा सामाजिक न्याय व्यवस्था में विश्वास।

6. जन संस्थाओं, संस्कृति, सामाजिक सास्ंकृतिक धरोहरों की सुरक्षा।

7. व्यकित को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना।

8. स्वतः प्रेरणा तथा स्वावलम्बन।

9. स्थानीय साधनों तथा स्थानीय नेतृत्व में विकास।

10. वैज्ञानिक जानकारियों एवं तकनीकी पद्वतियों के प्रति जिज्ञासा तथा विश्वास।

प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र एवं संभावनाएं अपार हैं तथा व्यकितगत विकास एवं सामाजिक विकास में प्रसार शिक्षा का विशेष योगदान है। प्रसार शिक्षा को विशेषज्ञों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

डगलस इस्मिजर के अनुसार "प्रसार एक ऐसी शिक्षा है जिसका उददेश्य उन व्यकितयों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास (कार्य पद्धति) में परिवर्तन लाना है जिसके साथ कार्य किया जाना है।" इस प्रकार यह परिभाषा व्यक्ति अथवा समूह की अभिवृत्तियों एवं कार्य करने की पद्धति में सुधार लाने पर बल देती है।

वी०टी० कृष्णामाचारी के अनुसार "प्रसार अनवरत रूप से चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसकी संरचना ग्रामीणों की समस्याओं को पहचानने एवं उनके निदान हेतु विभिन्न विधियों का खोजने से संबधित है साथ ही इसका संबध ग्रामीणों को सकारात्मक दिशा में कार्य करने को प्रेरित करना भी है।

डा० रंजीत सिंह के अनुसार "प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर संबधित व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तथा स्वयं के प्रयासों से अपने रहन सहन के स्तर को ऊॅचा उठाता है।"

ओ० पी० धामा के अनुसार "प्रसार शिक्षा केा एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसके अन्त्रगत ग्रामीण लोगों को विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उन्नत पद्धतियों के विषय में सूचना प्रदान की जाती है तथा समुचित प्रकार से परामर्श देकर सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है।

एस० वी० सुपे के अनुसार "प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमा से बाहर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये दी जाती है।

प्रसार शिक्षा का व्यवहारिक अनुप्रयोग निम्न क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर किया जाता है।

- शिक्षा के क्षेत्र में।
- आयुष के क्षेत्र में।
- कानून व्यवस्था के क्षेत्र में।
- बैंक उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में।
- प्रशासनिक अनुप्रयोग।
- जन सेवा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ।

2.4 प्रसार शिक्षा मूलभूत गुण एवं विशेषतायें

प्रसार शिक्षा का मूलभूत गुण इसका पूर्णतः अनऔपचारिक होना है। प्रसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को किसी भी संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि में प्रवेश लेकर निर्धारित पाठ्यक्रम, किसी एक निश्चित समय पर पूर्ण किये जाने की आवश्यकता नहीं है, यह शिक्षा अत्यन्त लचीली है जो शिक्षणार्थियों की योग्यता, आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार स्वयं के स्वरूप में परिवर्तन करके शिक्षणार्थियों के व्यवहार एवं ज्ञान में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से ग्रामीण स्त्री -पुरूषों, विद्यालय छोड़ने वाले बालकों, किसानों, पशुपालकों, काश्तकारों, गृहणियों आदि को प्रदान की जाती है।

जैसा कि आपने अब तक समझा कि प्रसार शिक्षा पारम्परिक शिक्षा की परिधि से बाहर प्रौढों, युवाओं को आयु एवं समाज के बन्धन से उठकर शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रसार शिक्षा का स्वरूप लचीला होते हुये भी अत्यन्त गत्यात्मक है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के हर पहलू से जुडी हुयी है।प्रसार शिक्षा का प्रमुख गुण इसका पूर्णतः अनौपचारिक होना है। प्रसार शिक्षा में व्यक्ति को किसी भी संस्थान,विद्यालय,महाविद्यालय में प्रवेश लेकर निर्धारित पाठयक्रम एक दिये गये समय पर पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। यह शिक्षा अत्यन्त लचीली है जो शिक्षणार्थी की योग्यता, आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हुये शिक्षणार्थी को लाभ पहुँचाती है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिकता पर जोर देती है। प्रसार शिक्षा डिग्री (उपाधि) आधारित न होकर समस्या निवारण पर आधारित है।

प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें

1. प्रसार शिक्षा पूर्णतः व्यवहारिक शिक्षा है, जिसमें व्यक्ति की प्राकृतिक योग्यता के आधार पर करके सीखने (learning by doing) पर ध्यान दिया जाता है।

2. प्रसार शिक्षा किसी निर्धारित एवं सुव्यवस्थित पाठयक्रम पर आधारित नहीं है। यह शिक्षा शिक्षणार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दी जाती है।

3. प्रसार शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त लचीला है यह बिना अपना प्रभाव छोडे व्यक्ति की रूचि, आवश्यकता एवं समस्या के अनुकूल ढल सकती हैं।

4. प्रसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु "आयु सीमा" जैसी कोई बाध्यता नहीं हैं, प्रसार शिक्षा किसी भी आयु वर्ग को प्रदान की जा सकती है।

5. प्रसार शिक्षा उपाधि आधारित (degree oriented) नहीं है।

6. प्रसार शिक्षा प्रदान करने हेतु निश्चित स्थान, समय एवं निर्धारित नहीं है यहाँ तक कि इसका कोई निश्चित विषय भी नहीं है। प्रसार शिक्षा का उद्भव ही ग्रामीण समाज की समस्याओं से जुडा हुआ है तथा इसका अन्त इन समस्याओं के समाधान से तय होता है।

7. प्रसार शिक्षा, शिक्षणार्थीयों को उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराई जा सकती है।

8. इस शिक्षा में नियमितता कोई बाधा नहीं है।

9. इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षणार्थीयों की आयु, रूचि, अनुभव एवं योग्यता में पर्याप्त अन्तर होता है।

10. प्रसार कार्यकर्ताओं के द्वारा यह शिक्षा शिक्षणार्थीयों को उनके उपलब्ध समय पर दी जाती है।

11. प्रसार शिक्षा में शिक्षण समूह संमाग (homogenous) नहीं होता है, साथ ही इन शिक्षणार्थीयो के लक्ष्य में भी भिन्नता होती है।

12. यहाँ शिक्षण की प्रकृति भी क्षैतिज (horizontal) होती है। यह शिक्षा समस्या निदान पर बल देती है।

प्रसार शिक्षा के सिद्वान्त

प्रसार शिक्षा एक आधुनिक एवं उपयोगी शिक्षण विधि हैं, यह व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्प्रेरित करके तथा उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करके समस्या समाधान पर बल देती है। प्रसार शिक्षा प्रमुखतया निम्न सिद्वान्तों पर आधारित है।

1. मौलिक आवश्यकताओं तथा रूचि का सिद्धान्त

मनुष्य का जीवन तभी सफल एवं संतुष्ट हो पाता है जब उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है एवं उसकी समस्याओं का निदान हो जाता है। प्रसार कार्य ग्राम्य जीवन से संबधित है अतः ग्रामीणों के कार्य क्षेत्र के अन्रतगत कृषि कार्य, ग्रामीण उद्योग धंधे मुख्य रूप से आते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रसार कार्य का आरम्भ यहीं से होता है। प्रसार कार्यों की सफलता में मौलिक आवश्यकताओं तथा रूचि का सिद्धान्त बहुत महत्व रखता है क्यों कि जब व्यक्ति स्वयं आगे बढकर सीखने की रूचि प्रर्दशित करता है एवं अपनी अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा समस्याओं का निदान चाहता है, तभी प्रसार शिक्षक को प्रसार कार्य हेतु उचित परिवेश प्राप्त हो जाता है एवं प्रसार शिक्षा का उददेश्य फलीभूत होता है।

2. स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धान्त

यदि व्यकित की इच्छा के विपरीत अथवा असंगत ;जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल न होद्ध रूप में शिक्षा प्रदत्त की जाती है तो इस प्रकार की शिक्षा का प्रभाव दीर्घकालिक नहीं होता हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा के विपरीत कार्य किया जा रहा हो, वह प्रसार कार्यकर्ता तथा प्रसार कार्यक्रमों के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित नहीं करेगा तथा भविष्य में प्रसार कार्यो में प्रतिभाग से हर सम्भव दूरी बनाये रखेगा। प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्वान्त पर आधारित है, यह ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार का माहौल तैयार करती है कि ग्रामीण स्वयं अपनी इच्छा से सीखने को प्रेरित हो जाते हैं। प्रसार शिक्षा में लोगों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया जाता है क्यों कि जब व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता है तभी वह सीखने को तैयार होता है।

3. स्वयं सहायता का सिद्धान्त

जैसा कि एक कहावत है "ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।" प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धान्त पर आधारित हैं। प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य कार्य लोगों को उत्प्रेरित करके विकास एवं प्रगति की ओर ले जाना है, ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करे।

4. करके सीखने का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा केवल सैद्धान्तिक शिक्षा ही नहीं है अपितु पूर्णरूपेण व्यवहारिक शिक्षा है जिसमे ग्रामीण जनसमूह विधि प्रदर्शन तथा परिणाम प्रदर्शन का उपयोग करके सीखते हैं। उदाहरण के लिये ग्रामीण स्त्रीयों को शिशुओं के लिये पौष्टिक आहार संबधी सूचना देनी हो तो उन्हें मौखिक रूप से नहीं बल्कि उनके घर जाकर प्रदर्शन अर्थात उपलब्ध सामग्री से पौष्टिक आहार बना कर सीखाने होगें

तभी महिलायें इसे ग्रहण कर सकेंगी इसी प्रकार कृषि संबधी तकनीक एवं सूचनायें भी प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन विधि द्वारा सीखाने पर ही ग्रामीणों की रूचि एवं उत्साह बना रहेगा।

5. स्वावलम्बन का सिद्धान्त

एक स्वावलम्बी व्यकित अर्थोपार्जन कर अपनी एवं परिवार की आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाता है, केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यकित स्वयं तथा समाज के लिये एक संसाधन रूप में सिद्ध होता है जो कि प्रगतिशील समाज का सूचक है। प्रसार शिक्षा में व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाये जाना अति महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक है।

6. सहयोग का सिद्धान्त

प्रसार कार्यक्रम सहयोग के सिद्धान्त का अनुसरण करता है कोई भी प्रसार कार्य ग्रामीण समुदाय के सहयोग के अभाव में संभव नहीं है। प्रसार शिक्षा सीखने एवं सिखाने की दोहरी विधि है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही एक दूसरे से सीखकर समान लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं।

7. अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धान्त

भारतीय ग्रामीण परिवेश में वह जनसमूह जो एक लम्बे समय से उपेक्षा, तिरस्कार एवं निर्धनता का अभिशाप झेल रहा है उसके लिये किसी नये परिवर्तन को स्वीकार करना एक सहज नहीं है। नयी योजनाओ, तकनीकों तथा विचारों उनके लिये सुगम रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं। कई अवसरों पर ऐसे भोले-भाले ग्रामीण जो विकास के नाम पर प्रायः छल, धोखाधडी का शिकार हुये हों अपने कटु अनुभवों को भुला नहीं पाते और उनका मन मस्तिष्क सदैव शंकालु बना रहता है। नये एवं प्रगतिशील बदलाव के प्रति असहज ग्रामीण को प्रसार कार्यक्रमों के लिये तैयार करना एक प्रकार से असाध्य कार्य जान पडता है। ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व गाँव के मुखिया तथा गणमान्य व्यक्तियों से सम्पर्क कर अनुनय- विनय कर मनाना पडता है।

8. सतत् विकास का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा सतत् विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी कार्य करती है। जैसा कि पहले बताया गया है प्रसार एक आवश्यकता आधारित (need based) कार्यक्रम है, किसी भी क्षेत्र मे प्रसार कार्यो द्वारा विकास एवं प्रगति की धारा प्रवाहित हो इसके लिये यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र की समस्याओं से प्रसार कार्यकर्ता भली भांति परिचित हों, उस क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक,प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उसे गहरी समझ हो तभी प्रसार कार्यों का सफल क्रियान्वयन संभव हो

सकेगा। सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक प्रसार कार्यकर्ता को धैर्य रखते हुये ग्रामीणों के साथ मिलकर अथक प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

9. लचीलेपन का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त लचीला है अर्थात यह शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं रूचियों के अनुसार प्रदत्त की जा सकती है। प्रसार शिक्षा में समय के अनुसार परिवर्तित होने की अपार संभावनाएं होती हैं। शिक्षार्थी जिस परिवेश में रहता है वहीं पर उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर शिक्षा दी जाती है।

10. सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धान्त

भारत देश में जितनी भिन्नता विद्यमान है संभवतः उतनी कहीं नहीं। भारत में अनेकों प्रकार की भाषायें, धर्म, परम्परायें, संस्कृतियाँ, वेश भूषा, खान पान का निवास है, यह सभी कारक हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जो प्रसार कार्यक्रम किसी एक विशेष क्षेत्र में सफल सिद्ध हुये हैं वह दूसरे क्षेत्र में भी सफल हों। अतः प्रसार कार्यक्रम सास्कृतिक भिन्नता संबधी तथ्यों केा ध्यान में रखकर तैयार किये जाते हैं।

11. सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त

किसी भी समाज में समय के साथ परिवर्तन आने अवश्यंभावी है। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय समाज में शिक्षा, बौद्धिक स्तर, आर्थिक स्तर, मानसिक स्तर में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। प्रसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत लाभार्थीयों को प्रदत्त की जाती है। शिक्षण विधियों, विषय वस्तु,वांछित लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रसार शिक्षा में समसामयिक घटनाक्रमों, मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है।

12. जड़ मूल से आरम्भ करने का सिद्धान्त

प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण परिवर्तनों एवं नवीन विचारों केा सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं ऐसे में प्रसार कार्यों का क्रियान्वयन किसी नये क्षेत्र में कर पाना एक अत्यधिक जटिल कार्य हो जाता है तथा कार्यक्रमों को जड़ से आरम्भ किया जाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रसार शिक्षा में विकास कार्य के मूल अर्थात जड़ के रूप में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गयी है। प्रसार शिक्षा में विकास कार्यों का आरम्भ गाँवों से किया जाता है जैसा कि माना जाता है, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है अतः देश का विकास, गाँवों के विकास से ही सम्भव हो सकता है।

13. सहभागिता का सिद्धान्त

सहभागिता प्रसार कार्यों में विशेष भूमिका निभाती हैं, सहभागिता से प्रसार कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के मध्य विश्वास बढता है। सहभागिता के अभाव में प्रसार कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनायें जैसे आय अंतरण, रोजगार योजनायें, बाल विकास, जननी सुरक्षा, जन स्वास्थय एवं टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता एवं इसमें उत्तोरतर सुधार का कारण प्रसार कार्यकर्ताओं, प्रभागियों एवं संबधित संस्थाओं की परस्पर सहभागिता है।

14. सम्पूर्ण परिवार तक पहुँचने का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा का उददेश्य प्रसार शिक्षा प्राप्त कर रहे व्यक्ति का विकास मात्र नहीं है अपितु पूरे परिवार का विकास करना है। क्यों कि परिवार समाज की धुरी है। प्रसार शिक्षा को इस प्रकार से सृजित किया गया है कि संम्पूर्ण परिवार इससे लाभान्वित हो जाये। यह औपचारिक शिक्षा के एकदम विपरीत है जहाँ शिक्षा का लाभ केवल उस व्यक्ति को मिल पाता है जो उसे प्राप्त कर रहा हो। प्रसार कार्यक्रमों की सफलता के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण परिवार को लक्षित किया जाये।

15. नेतृत्व विकास का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा में नेतृत्व विकास के महत्व को दो प्रकार से समझा जा सकता है, पहला यह कि प्रसार कार्यक्रमों की सफलता में स्थानीय नेतृत्व का बहुत योगदान है ग्रामीण स्थानीय नेताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों को अपना संरक्षक मानते हैं अतः प्रसार कार्यों को आरम्भ करते समय इन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है। दूसरा यह कि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों में नेतृत्व का गुण उत्पन्न करता है जिससे ग्रामीण स्वयं जागरूक होकर अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं।

16. संतुष्टि का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा में संतुष्टि के सिद्धान्त पर बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति, जीवन में अपने लक्ष्यों की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से जब ग्रामीण जब प्रसार कार्यक्रमों एवं योजनाओं से उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो तभी उनकी प्रतिभागिता एवं रूचि बनी रहेगी। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रसार शिक्षण प्रभावशाली एवं परिणाम आधारित हो।

17. प्रजातांत्रिक पंहुच का सिद्धान्त

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र का अर्थ है, 'जनता के लिये तथा जनता के द्वारा'। प्रसार शिक्षा की विधियाँ, दर्शन एवं उददेश्य प्रजातंत्र आधारित है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन में ग्रामीणों को बुलाकर विचार विमर्श करके उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है एवं उनके समाधान पर हेतु अनेक विकल्प सुझाये जाते हैं। समस्त उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा चुने गये विकल्प को प्राथमिकता दी जाती है।

18. व्यवहारिकता का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, प्रसार शिक्षा पाठयक्रम में जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसकी वास्तविक जीवन में अत्यधिक प्रासंगिकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रसार शिक्षण में शिक्षण विधियों का क्रियान्वयन करते समय भी कौन सी शिक्षण विधि ग्रामीणों के लिये सर्वाधिक उपयोगी रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रदर्शन विधि के माध्यम से चीजों को करके सीखने पर बल दिया जाता है।

19. प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धान्त

प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की समस्त समस्याओं का निवारण कर दें यह आवश्यक नहीं है। ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों को गाँव में बुलाया जाता है यहाँ ग्रामीण प्रत्यक्ष रूप में विशेषज्ञों के साथ संवाद/संचार स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं के निवारण के लिये निर्धारित अनुसंधान केन्द्र अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र जाकर प्रशिक्षण अथवा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि विशेषज्ञों के अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान सूचनाओं, नवीन तकनीकों का ग्रामीणों की भाषा एवं बोली में अनुवाद किया जाता है।

20. तटस्थता का सिद्धान्त

जैसा कि पहले भी कहा गया है प्रसार शिक्षा में शिक्षार्थीयों का समूह संमाग नहीं होता है और भारतीय समाज उस सुन्दर गुलदस्ते के समान है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय, लिंग, समुदाय रूपी फूल सुशोभित है इस स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता को जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग, समुदाय से परे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रसार कार्यक्रम में सभी धर्मो एवम सम्प्रदायों को समान महत्व दिया जाता है। कार्यक्रम के नियोजन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिये स्थान नहीं होना चाहिये। संवेदनशील विषयों पर प्रसार कार्यकर्ता को निश्पक्ष एवं तटस्थ होकर कार्य करने की आवश्यकता होती है।

21. समानता का सिद्धान्त

समानता का सिद्धान्त ग्रामीणों में प्रसार कार्यों के प्रति एक आत्म विश्वास उत्पन्न करता है। समानता का भाव व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाता है। प्रसार शिक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ सभी धर्म, जाति, सम्प्रदायों एवं वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो। भारतीय परिवेश में प्रजातन्त्र की भावना का सम्मान करते हुये प्रसार शिक्षा समानता के सिद्धान्त पर कार्य करती है। समानता के अभाव में ग्रामीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

22. स्थानीय संसाधनों के सदुउपयोग का सिद्धान्त

किसी भी व्यक्ति के लिये संसाधन लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। जैसा कि आपको विदित है कि समस्त संसाधन मात्रा में सीमीत होते हैं एवं उपयोगी होते हैं। अतः प्रसार शिक्षा में अच्छे अवसरों के खोज में शहरों की ओर पलायन की अपेक्षा गाँव में ही उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की प्रचुरता है इन्हे पहचान कर उपयोग में लाने की आवश्यकता होती हैं प्रसार शिक्षा में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिये उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद उदाहरण- बुरांश का जूस, रिंगाल के उत्पाद, ऊनी वस्त्र, जडी बूटियाँ इत्यादि।

23. शिक्षण विधियों को समायोजित करने का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा मे शिक्षण विधियों के अनुप्रयोग पर बहुत बल दिया जाता है पर यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता द्वारा शिक्षण विधियों को अनावश्यक थोपा नहीं जाता है अपितु शिक्षार्थी की रूचि, स्तर, आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जाता है। एक सफल शिक्षण विधि सभी परिस्थितियों में समान रूप से सफल हो यह आवश्यक नहीं। कई बार प्रसार कार्यकर्ता को एक से अधिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना आवश्यक होता है, ऐसा अनेकों शोध कार्यों के परिणामों से भी सिद्ध हुआ है कि शिक्षणार्थीयों केा सिखाने के लिये संयुक्त रूप से एक से अधिक विधियों का उपयोग सहायक सिद्ध होता है।

23. मूल्यांकन का सिद्धान्त

प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन को महत्व दिया गया है। मूल्यांकन का सिद्धान्त इस तथ्य को समर्थित करता है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्रसार कार्यक्रमों में इच्छित लक्ष्य अनुरूप सफलता प्राप्त हुई अथवा नहीं। क्या कार्य समय पर पूर्ण हुआ अथवा नहीं? दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्यांकन भविष्य

की योजनाओं के लिये आधार प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन के आधार पर ही नई तकनीक, सूझ- बूझ, विचार एवं उपयोगों पर विचार किया जा सकता है

प्रसार शिक्षा के प्रमुख उददेश्य

प्रसार शिक्षा के प्रमुख उददेश्य निम्नवत् हैं:

1.ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास।

2. ग्रामीणों द्वारा प्राकृतिक एवं स्थानीय संसाधनों का बुद्धिमता पूर्वक उपयोग।

3.पारम्परिक कृषि एवं कृषि संबधी व्यवसायों (बागवानी, काश्तकारी, पशुपालन) में प्रशिक्षण प्रदान करना।

4. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करना।

5. ग्रामीणों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

6. ग्रामीण जनता के ज्ञान, कौशल, कार्यक्षमता एवं अभिवृत्तियों में सकारात्मक परिवर्तन करना।

7. ग्रामीण जनता मे नेतृत्व का गुण विकसित करना। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ऐसे अवसर उत्पन्न करना जिससे की ग्रामीण जनता को अपनी बुद्धि, योग्यता, कार्यक्षमता एवं नेतृत्व प्रर्दशन का सुअवसर प्राप्त हो सके।

8. नवीनतम तकनीक, ज्ञान, उपकरण, सूचना एवं संचार प्रणाली से ग्रामीणों को यथासमय परिचित कराना।

9. ऐसे जनसमूह जिन्होने किसी भी कारण औपचारिक विद्यालयी शिक्षा छोड दी (school dropouts) हो को मुख्यधारा से जोडकर उनके ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना।

11. प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों को जमीन से जोडना, कोई भी शोध कार्य तभी सफल है जब वह प्रत्यक्ष रूप में ग्रामीणों को लाभ पहुँचा सके। परम्परागत कृषकों का आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक से विश्वास जोडना।

12. कुटीर उद्योगों जैसे बढई लोहार, कुम्हार, जुलाहों, चर्म उद्योगों, दरी-कालीन, हस्तकला, स्थानीय कला, मूल्य संर्वधित खाद्य पदार्थों को प्रर्दशनी, सोशल मीडीया या आँनलाइन माध्यमों से प्रचार प्रसार एवं सशक्त विपणन करना।

13. ग्रामीण जनता को मूलभूत भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14. समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभव बनाना।

15. ग्रामीण जनता में आत्मविश्वास जगाना।

16. अमीरी - गरीबी, जात पात, छुआछूत, लिंग भेद, ऊँच-नीच की भावना को दूर कर सदभाव जगाना।

17. सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को लक्षित समूहों तक पहुँचाना।

18. जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबधी कार्यक्रमों का प्रसार करना।

19. सिंचाई, यातायात, बैंक, स्कूल, अस्पताल, पंचायत, सडक, बाजार आदि की व्यवस्था करना।

20. ग्रामीणों में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का विकास करना।

21. ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता, नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व विकसित करना।

22. स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना।

23. उच्चतर स्वास्थय एवं पोषण हेतु जानकारी प्रदान करना ताकि कुपोषण एवं पोषण जनित समस्त व्याधियों को दूर किया जा सके।

प्रसार शिक्षा का अन्य क्षेत्रों में भी व्यवहारिक अनुप्रयोग है ये क्षेत्र हैं शिक्षा, आयुष, कानून, जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बैंक, उद्योग, व्यापार एवं प्रशासनिक जन सेवा तथा पत्रकारिता प्रमुख हैं।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न : निम्न में सही अथवा गलत बताइये|

i. प्रसार शिक्षा का उददे्श्य लोगों को अपने ही प्रयासों से स्वयं की समस्याओं का समाधान करना है।
ii. प्रसार शिक्षा से व्यकितयों की अभिवृत्तियों तथा कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।
iii. प्रसार शिक्षा उपाधि आधारित (degree oriented)है।
iv. प्रसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु "आयु सीमा" जैसी कोई बाध्यता नहीं हैं।

2.5 अनऔपचारिक प्रसार शिक्षण

अनऔपचारिक प्रसार शिक्षण प्रायः उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो परम्परागत रूप में चली आ रही शिक्षण पद्वति में फिट नहीं बैठते हैं, अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार की शिक्षण विधि में नवीन एवं आकर्षक शिक्षण एवं अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाये जैसे कि श्रव्य -दृश्य सामग्री, चार्ट- पोस्टर, फोल्डर, प्रोजेक्टर, आडियो- वीडियो इत्यादि। यहाँ मुक्त वातावरण में अध्ध्यन किया जाता है। शिक्षणार्थी किसी भी समय प्रश्न पूछकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता प्रसार शिक्षक का मूल्यांकन भी फीड बैक माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं।

भारत जैसे विविधता पूर्ण एवं विशाल देश में अनऔपचारिक प्रसार शिक्षण का अपना एक विशेष महत्व है। निर्धन, निराश्रित एवं बेहद पिछडे समूहों की आर्थिक -सामाजिक स्थिति को संज्ञान में लेकर इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। जहाँ एक ओर औपचारिक शिक्षा सामाजिक उन्नति का प्रतीक है वहीं दूसरी ओर अनऔपचारिक प्रसार शिक्षण सामाजिक समानता और समरसता के लिये कटिबद्ध है।

अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा

प्रमुख शिक्षाविदों और समाजशास्त्रियों द्वारा अनऔपचारिक शिक्षा को निम्नवत परिभाषित किया गया है।

कूम्बस के अनुसार '' औपचारिक शिक्षा से परे संचालित की जाने वाली कोई भी व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियाँ औपचारिकेत्तर शिक्षा कहलाती है, चाहे वह अलग से दी जाती हो या विस्तृत रूप से। यह शिक्षा सीख, उददेश्य तथा चिन्हित शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर दी जाती है।''

कूंडू के अनुसार '' अनऔपचारिक शिक्षा व्यवस्थित होते हुये भी पूरी तरह से संस्थागत नहीं है। इस शिक्षा को मुख्य रूप से विद्यालय के बाहर दिया जाता है।

वार्ड तथा हैडली के अनुसार '' अनऔपचारिक शिक्षा आवश्यकता आधारित शिक्षा है। शिक्षार्थी की आवश्यकता को पहचानकर इसकी विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है।''

अनऔापचारिक शिक्षा की विशेषताएं

1. अनऔपचारिक शिक्षा सुनियोजित एवं व्यवस्थित है। इस समय भारत में इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, सूचना प्रसार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा विभिन्न

राज्यों के प्रत्राचार पाठयक्रम तथा उत्तराखंड में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सफल एवं लोकप्रिय अनऔपचारिक शिक्षा के केन्द्र हैं।

2. औपचारिक शिक्षा की भांति इसमें समयावधि, पाठयक्रम तथा योग्यता का निर्धारण नहीं किया जाता है। इसमे शिक्षार्थी अपनी रूचि के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

3. अनऔपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी की रूचि एवं परिस्थिति के अनुसार पाठयक्रम संचालित एवं समायोजित किये जाते हैं।

4. अनऔपचारिक शिक्षा व्यवस्था व्यवहारिक, प्रायोगिक, उपयोगी एवं सर्वाधिक गत्यात्मक है। इन पाठयक्रमों का सीधा संबध लोगों के दैनिक जीवन एवं रोजगार से होता है।

5. यह शिक्षा प्रणाली स्त्रियों, निर्धनों तथा निराश्रितों (जिनकी किन्हीं कारणो से शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं मिल पाये हैं) के लिये विशेष रूप से तैयार की गयी है।

6. इस शिक्षा प्रणाली में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है साथ ही पाठयक्रमों को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त शिथिलता प्रदान की जाती है।

7. अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन की विधि अत्यन्त सरल है यहाँ पर विद्यार्थी की अधिगम क्षमता के आधार पर कार्य /चुनौतियाँ दी जाती है जिससे विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं।

8. अनौपचारिक शिक्षा सतत रूप में आजीवन चलती रहती है, इस शिक्षा में अधिगम का कोई अन्त नही है।

9. इस प्रकार की शिक्षा में स्वेच्छा अर्थात विद्यार्थी की इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है। अतः किसी प्रकार का बंधन या दवाब नहीं होने के कारण शिक्षार्थी का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है।

2.6 सतत् शिक्षण

अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया किसी एक निश्चित आयु तक सीमीत नहीं है ना ही यह केवल कक्षाओं एवं शिक्षण संस्थाओं तक सीमीत है। अधिगम जीवन पर्यन्त तथा विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। प्रसार शिक्षा एक सतत् अथवा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा एक वृत के आकार में गतिमान है जिसका कोई अंतिम बिन्दु नहीं है। सतत् शिक्षण में व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिकी कारणों से नवीन ज्ञान, सूचना अथवा तकनीक की खोज में जीवन

पर्यन्त स्वैच्छिक एवं स्वप्रेरित रूप में शिक्षा प्राप्त जाती है। आधुनिक समय की नवीनतम तकनीक तथा संपे्रक्षण माध्यम जिनका हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू से प्रत्यक्ष संबध है, से ग्रामीणों को समयाव्रतगत परिचित कराना आवश्यक है तथा प्रसार शिक्षा के माध्यम से यह कार्य संभव हो सका है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में आने वाली समस्याओं के निवारण में प्रसार शिक्षा सहायता करती है। अतः प्रसार शिक्षा एक सतत् रूप में चलने वाली शिक्षा है। यह जीवन पर्यन्त चलती रहती है। सतत् शिक्षण में न केवल शिक्षार्थी का व्यकितगत स्तर पर विकास होता है अपितु सक्रिय सामाजिक प्रतिभाग भी सुनिश्चित होता है। आधुनिक समय में उभरती हुयी नवीन तकनीकों जैसे - इन्टरनैट, स्मार्ट फोन, आँन तथा आँफ लाइन रिर्सोसेज, आँन लाइन पाठयक्रमों तथा मोबाइल एप्लीकेशन्स के कारण आज सतत् शिक्षण एवं अधिगम और अधिक सहज, सुलभ एवं प्रासंगिक हो गया है।

2.7 प्रसार शिक्षण गैर संस्थान दर्शन

प्रसार शिक्षा दर्शन

प्रसार दर्शन का केन्द्र बिन्दु मानव है। इसका उददेश्य मानव का सर्वागींण विकास है। व्यक्ति के ज्ञान, कौशल दृष्टिकोण, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर, रहन सहन के स्तर तथ जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। जिस प्रकार समस्त वेद पुराणों एवं संस्कृतियों में मानव कल्याण की चर्चा की गई है तथा मानव की उन्नति को प्राथमिकता दी गई है उसी प्रकार प्रसार शिक्षा में मानव कल्याण के लिये ही कार्यक्रम बनाये जाते हैं। इसकी शिक्षण विधियाँ, दर्शन मानव के चहुमुखी विकास के लिये सर्मपित हैं। प्रसार दर्शन ग्रामीण समुदाय के विकास को भी लक्षित है ग्रामीणो में आत्म विश्वास जगाकर ही उन्हें उन्नति के पथ पर लाया जा सकता है। जब मनुष्य निजी चेष्टाओं तथा प्रयासो के द्वारा वांछित परिवर्तनों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है तो वह भविष्य के लिये आशावान हो जाता है। जन समुदाय में एक व्यक्ति विशेष के आत्म विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से समस्म समुदाय एवं कालांतर में पूरा राष्ट्र विकास के मार्ग की ओर बढता है।

प्रसार शिक्षा दर्शन मूलतः निम्न बिन्दुओं पर आधारित है।

1.मानवतावाद - मानव उत्थान, दी गर्यी चुनौतियों को पूर्ण कर नवीन गुणों एवं कौशलों का विकास आत्मोन्नति ताकि कुशल, योग्य, कर्मठ, ईमानदार एवं चरित्रवान नागरिक एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके।

2. यर्थाथवाद - प्रसार शिक्षा कल्पनाओं तथा उपकल्पनाओं से परे यर्थाथ एवं वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है। प्रसार शिक्षा में समस्त कार्यक्रम व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति पर आधारित होते हैं।

3. आर्दशवाद - जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में ज्ञान, तप, मनोबल, कृतज्ञता, सहिष्णुता, धर्म एवं कर्तव्यपरायणता इत्यादि आदर्शों पर बल दिया जाता है उसी प्रकार ये सभी गुण प्रसार शिक्षा हेतु भी आवश्यक हैं।

3. प्रयोगवादी दर्शन - प्रसार शिक्षा में प्रयोगधर्मिता पर बल दिया गया है। प्रसार शिक्षा में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही प्रदान नहीं किया जाता अपितु समस्या के समाधान हेतु ग्रामीणों को प्रयोगशाला में विकसित तकनीकी तथा विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष संवाद (दो तरफा शिक्षण पद्धति के माध्यम से) उपलब्ध कराया जाता है।

4. आवश्यकतावाद - प्रसार शिक्षा को सफल बनाने के लिये निर्धन, अभावग्रस्त जनसमूह की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रसार शिक्षा में आवश्यकतावाद पर बल दिया गया है।

5.व्यवहारमूलक - प्रसार कार्यक्रम ग्रामीणों की आवश्यकताओं एवं रूचियों के दृष्टिगत लचीला एवं परिवर्तनशील है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक है तथा आवश्यकतानुसार समायोजित की जा सकती हैं।

6. पुर्ननिर्माण में विश्वास - विपरीत परिस्थितियों (बाढ, आपदा, अग्नि इत्यादि) में सब कुछ समाप्त हो जाने पर भी पुनः शून्य से आरम्भ कर सम्मान से जीवन जी पाने की क्षमता का विकास करना, प्रसार शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है।

डा० रंजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को निम्नांकित विचारों पर आधारित माना है;

1. समाज में घर एक आधारभूत इकाई है।
2. प्रजातंत्र में व्यकित सर्वोपरि है।
3. परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह है।
4. मानव व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है।
5. प्रारम्भ में परिवर्तन को प्रतिरोध झेलना पढता है।
6. प्रसार दर्शन विज्ञान एवं तकनीकी में विश्वास करना भी सिखाता है।

7. प्रसार दर्शन सामाजिक न्याय के प्रति आस्था भी जगाता है।

प्रसार शिक्षा दर्शन पूर्णतः मानव विकास एवं उत्थान पर आधारित है। प्रसार शिक्षा में व्यक्ति को एक ईकाई मानकर महत्व दिया जाता है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता तथा राष्ट्र की उत्तोरत्तर उन्नति के लिये सर्मपित है। प्रसार शिक्षा का दर्शन अत्यन्त विस्तृत, लाभकारी ,व्यवस्थित तथा गहन है। प्रसार शिक्षा दर्शन प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रान्त राष्ट्र एवं सम्पूर्ण विश्व के उत्थान एवं जीवन दर्शन से जुडा है। प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव सेवा है। प्रत्येक मानव को उसके मूलभूत आवश्यकताओं, अधिकारों, से कदापि वंचित न रखा जाये , यह प्रसार दर्शन में निहित है। जैसा कि आपने समझा कि प्रसार दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रसार तथा दर्शन, प्रसार शब्द से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं दर्शन का तात्पर्य अस्तित्व, ज्ञान, आचरण एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने से है। परम्पराओं एवं रूढियों से बंधे ग्रामीणों के व्यवहार, विचार, आचरण तथा कार्यशैली में परिवर्तन लाना आसान कार्य नहीं है परन्तु प्रसार कार्यकर्ता प्रसार दर्शन का उपयोग कर ग्रामीण जन समूहों के स्वभाव में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर परिवर्तन का तात्पर्य, नवीनतम सूचनाओं एवं तकनीकी के अनुप्रयोग से ग्रामीणों के व्यवहार एवं कार्यशैली में दीर्घकालीन परिवर्तन लाना है। प्रसार शिक्षा में वांछित परिवर्तन निम्नवत् प्रकार से परिलक्षित होता है।

1.मनोवृति में परिवर्तन

2. व्यवहार में परिवर्तन

3. कार्य संपादन शैली में परिवर्तन

प्रसार शिक्षा का दर्शन विशेषतायें

1. प्रसार शिक्षा अनवरतृ रूप से चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है।
2. प्रसार शिक्षा लोगों के ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा कौशल में परिवर्तन लाना।
3. समस्याओं का आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार समाधान।
4. प्रसार करके सीखने एवं देखकर विश्वास करने के सिद्वान्त पर आधारित है।
5. प्रसार शिक्षा में मानव एवं उसके अस्तित्व को विशेष स्थान प्राप्त है। समस्त कार्यक्रम मानव की आवश्यकतानुसार ही आधारित होते हैं।
6. प्रसार शिक्षा में स्थानीय संस्कृति, रीती रिवाज, परम्पराओं एवं मान्यताओं के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जात है।
7. प्रसार शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव की दोहरी पद्वति है।

8. प्रसार शिक्षा एक सामुदायिक कार्यक्रम है, जो जन सहयोग के अभाव में संभव नहीं है।

9. प्रसार दर्शन यर्थाथवादी है, इसमें व्यक्ति, परिवार, स्थानीय नेतृत्व, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का विकास समेकित हैं।

10. प्रसार शिक्षा समुदाय प्रधान शिक्षा है।

11. प्रसार शिक्षा स्वयं सेवा पर आधारित है।

12. प्रसार शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सूचनायें, तकनीक तथा सतत विकास पर जोर देती है।

13. प्रसार शिक्षा का स्वरूप लचीला, परिवर्तनशील एवं अत्यन्त गत्यात्मक है।

14. प्रसार शिक्षा में प्रायः ऐसी स्थिति आती है कि प्रारम्भ में परिवर्तनों को ग्रामीण जनसमूह द्वारा नकारा जाता है एवं उनका पूर्ण सहयोग एवं प्रतिभाग, प्रसार कार्यकर्ताओं केा प्राप्त नहीं हो पाता है, परन्तु समय के साथ परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : निम्न को संक्षेप में परिभाषित कीजिए|

i. कूंडू के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा
ii. सतत शिक्षण
iii. प्रसार शिक्षा दर्शन

2.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने प्रसार शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, विशेषतायें एवं महत्व को समझा। प्रसार शिक्षा का अर्थ ग्रामीण जनता अथवा (प्रत्येक वह व्यकित जो औपचारिक शिक्षा से वंचित है) को ज्ञान प्रदान करना, उनकी विचार शक्ति का विकास करना तथा एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक एवं स्वतन्त्र रूप से समस्या के निराकरण हेतु सोच विचार को प्रेरित करता है। प्रसार शिक्षा का उददेश्य व्यकित एवं समाज के विकास को सकारात्मक सोच प्रदान करना है। इसी लक्ष्य के दृष्टिगत भारत में सर्वप्रथम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रसार शिक्षा (स्नातकोत्तर स्तर) तक वर्ष 1955 - 1956 से पढाया जाने लगा। इसके पश्चात देश के सभी प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों तथा गृह विज्ञान पाठयक्रमों में प्रसार शिक्षा को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाने लगा। कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुददों के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान इत्यादि में भी प्रसार शिक्षा का विशेष योगदान है। उदाहरण के लिये कुपोषण उन्मूलन, टीकाकरण, जनस्वास्थ्य, पोलियो उन्मूलन, सडक सुरक्षा, बेटी

बचाओ -बेटी पढाओं इत्यादि। प्रसार शिक्षा सामान्य रूप में सहज, सरल एवं सभी लोगों के लिये सुलभ है इस प्रकार की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा शिक्षार्थी के सम्मुख नहीं आती है। यदि कहा जाये कि प्रसार शिक्षा द्वारा सदाचार, सहभागिता एवं सामाजिक समरसता को बल मिलता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

2.9 पारिभाषिक शब्दावली

- **प्रसार:** प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेनशन का हिन्दी रूपान्तरण है। एक्सटेनशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टैनिसो से मिलकर बना है, एक्स का अर्थ होता है बाहर तथा टैनिसो का अर्थ है फैलाना अथवा प्रसारित या विस्तृत करना। इस प्रकार प्रसार शिक्षा का अर्थ "किसी महत्वपूर्ण सूचना के अधिकाधिक विस्तारण" से माना जा सकता है

- **अनऔपचारिक शिक्षण**: एक ऐसी शिक्षण पद्वति जिसमे परम्परागत शिक्षण पद्वति से हटकर शिक्षार्थी की आवश्यकता, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रसार शिक्षा का स्वरूप अनऔपचारिक कहा जा सकता हैं क्यों कि यह समय परिस्थिति, आयु स्थान, निर्धारित पाठयक्रम इत्यादि की औपचारिकताओं से मुक्त है।

- **सतत् शिक्षण**: सतत शिक्षण का अर्थ कभी समाप्त न होने वाली शिक्षा से है तथा इसका संबध जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से है। प्रसार शिक्षा को अनवरत अथवा सतत् रूप में चलने वाली शिक्षा माना गया है।

- **गैर संस्थान दर्शन**: परम्परागत संस्थान से हटकर प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को प्रदान की जाती है, इसके लिये कक्षा, ब्लैक बोंड, पुस्तक, कापी, पेन्सिल, फर्नीचर जैसी मूलभूत आवश्यकतायें अनिवार्य नहीं हैं। प्रसार शिक्षा आवश्यकतावाद, प्रयोगवाद, मानवतावाद, आर्दशवाद, परिणामवाद, यर्थाथवाद, मानवतावाद एवं पुनर्निर्माणवाद जैसे दर्शन पर आधारित है जो इसके गैर संस्थान दर्शन को परिलक्षित करता है।

2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न : निम्न में सही अथवा गलत बताइये|

i. सही
ii. गलत
iii. गलत
iv. सही

अभ्यास प्रश्न 2

i. बिंदु 1.5 देखिए
ii. बिंदु 1.6 देखिए
iii. बिंदु 1.7 देखिए

2.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Education and Communication for Development, Second Edition (2017) Dhama, O.P. and Bhatnagar, O.P. ISBN- 81-204-0030-5, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi.
- प्रसार शिक्षा, डा० वृन्दा सिंह, ISBN- 978-81-7056-570-3,द्वितीय संस्करण,पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- प्रसार शिक्षा, डा० एस० एल० त्रिपाठी, ISBN-978-81-7555-221-0,यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- प्रसार विज्ञान डा० श्रीमती सुनीता मिश्रा, ISBN-81-7555-180-1, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- Dimensions of Extension Education, Mohapatra, P.B. 2016, ISBN-9789381450987, New India Publishing Agency, 2016
- Textbook of Home Science Extension Education, Shekhar, S. Ahlawat, A. ISBN- 9789351242062, Daya Publishing House.
- Extension Education and Communication, Dubey, V.K. 2008, ISBN 9788122404951, New Age International Pvt. Ltd. Publisher
- प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, डा० जे० पी० सिंह, 2016, ISBN 9788122404951, एस० आर० साइन्टिफिक पब्लिकेशन।

2.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रसार शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा एवं मूलभूत गुणों की चर्चा के विषय में विस्तार पूर्वक लिखें?

2. प्रसार शिक्षा के संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षण के महत्व का समझाइये?

3. प्रसार शिक्षा के सिद्धान्तों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए?

इकाई 3 : प्रसार शिक्षा शिक्षण एवं अधिगम

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 शिक्षण एवं अधिगम के चरण एवं सिद्धान्त
3.4 प्रभावशाली प्रसार शिक्षण एवम अधिगम के मापदंड
3.5 प्रसार शिक्षा विधि एवं अभिप्रेरण
3.6 अभिप्रेरण के प्रकार
3.7 प्रसार शिक्षा के चरण
3.8 सारांश
3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.10 पारिभाषिक शब्दावली
3.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची
3.12 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि किस प्रकार प्रसार शिक्षा परम्परागत एवं सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों के पूर्व निर्धारित एवं औपचारिक पाठयक्रम, से परे युवाओं एवं प्रौढों को प्रदत्त की जाती है। प्रसार शिक्षा के मूल में ग्रामीण विकास की अवधारणा निहित है। प्रसार शिक्षा औपचारिक विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वयं अपने प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करना है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा को समेकित किया गया है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता को आवश्यक ज्ञान प्रदान कर उनकी विचार शक्ति को एक वैज्ञानिक दिशा प्रदान करती है। प्रस्तुत इकाई में आप प्रसार शिक्षा की मूलभूत विशेषतायें एवं गुण, प्रसार शिक्षा में शिक्षण एवं अधिगम का स्वरूप, प्रसार शिक्षा विधियों तथा प्रसार शिक्षा में अभिप्रेरणा की महत्ता तथा इनके व्यवहारिक पहलुओं से परिचित होंगे।

3.2 उद्देश्य

बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रसार शिक्षा की भूमिका और भी अधिक प्रबल हो उठी है। आज कृषि, स्वास्थय, पोषण शिक्षा एवं संचार क्षेत्रों में नित नवीन सूचनाओं, तकनीकों एवं नवाचार को आम

जनता जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है,तक पहुँचाने का कार्य प्रसार शिक्षा द्वारा ही संभव है। भारत में यह विडम्बना ही कही जायेगी कि जहाँ एक ओर स्वतन्त्रता के पश्चात, भारतवंशियों ने चिकित्सा, तकनीकी, कला, शिक्षा, खेल इत्यादि क्षेत्रों में एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है वहीं दूसरी ओर भारत अभी भी विश्व के सर्वाधिक कुपोषित, अशिक्षित, निर्धन एवं वंचित जनसमूहों का आश्रय भी है। इसी सामाजिक असमानता को दूर करने में प्रसार शिक्षा का विशेष योगदान है। विगत वर्षों के शोध कार्यों से प्रमाणित होता है कि प्रसार शिक्षा इस असमानता को दूर करने एवं विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हुयी है। प्रस्तुत इकाई के अध्ध्ययन के बाद आप जान पायेंगे कि प्रसार शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार ,ग्रामीण उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग, अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में संर्वधन कर अपने जीवन स्तर को श्रेष्ठतम बनाने में करते हैं।

3.3 शिक्षण एवं अधिगम के चरण एवं सिद्धान्त

शिक्षण अधिगम विधियों अर्थात नवीन सूचनाओं एवं ज्ञान को दिशा निर्देशित करता है फलतः अधिगम में व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करता है। शिक्षण विधियाँ अधिगम या सीखने के लिये वातावरण तैयार करता है, यहाँ पर वातावरण सृजित करने का अर्थ अवसर प्रदान करने, अधिगम गतिविधियाँ आयोजित करने तथा विषय सामग्री प्रदान करने से है। शिक्षक द्वारा सृजित वातावरण औपचारिक एवं अनऔपचारिक हो सकता है। प्रस्तुत इकाई में हम अनौपचारिक वातावरण के विषय में चर्चा करेंगें। शिक्षणार्थीयों के अधिगम (सीखने) का स्तर शिक्षक द्वारा अपनाई गयी शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है।

शिक्षण विधियों के प्रकार

1. प्रशिक्षु प्रधान विधि: इसके अंतर्गत निम्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

- पुस्तकालय का उपयोग
- प्रयोगशाला का उपयोग
- प्रश्नावली का उपयोग
- सर्वे विधि का उपयोग
- फील्ड यात्रायें
- केस स्टडी / परियोजना विधि

2. **प्रशिक्षक प्रधान विधि**: इसके अंतर्गत निम्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

- व्याख्यान विधि
- परामर्श
- केस स्टडी
- प्रदर्शन विधि परिणाम

3. सहयोग विधि: इसके अंतर्गत निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है।

- इंटर्नशिप
- समूह व्याख्यान
- सेमिनार
- सिम्पोजियम
- पैनल
- प्रश्नोत्तर प्रणाली

4. **कार्यकारी विधि**: इस विधि में निर्देशों के माध्यम से व्यक्ति कौशल विकास किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की योग्यता को जागृत किया जाता है।

शिक्षण सिद्धान्त

शिक्षण विधियों को अपनाने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें

1. शिक्षक द्वारा पाठयक्रम का उददेश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये, साथ ही विद्यार्थियों को भी पाठ्यक्रम का समर्थन करना चाहिये। विद्यार्थियों के साथ प्रथम भेंट में ही शिक्षक को प्रयास करना चाहिये कि वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित विषय वस्तु का परिचय छात्रों से करा दे तथा स्वयं विद्यार्थीयों से भी उनकी पाठ्यक्रम के प्रति अपनी अपेक्षायें स्पष्ट कर दे।

2. विद्यार्थीयों को सीखने की उत्सुकता होनी चाहिये।

3. शिक्षक को छात्रों के प्रति मित्रतापूर्वक एवं अनौपचारिक व्यवहार का प्रर्दशन करना चाहिये।

4. शिक्षक को छात्रों की समस्या का स्वयं निवारण करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

5. वे सभी भौतिक परिस्थितियों जिनमें शिक्षण कार्य संपन्न किया जाना है अनुकूल होनी चाहिये।

6. शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभागिता निश्चित करनी चाहिये तथा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का उत्तरदायित्व तय करने पर अधिगम प्रक्रिया और अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है।

7. शिक्षक को छात्र द्वारा उपार्जित अधिगम अनुभव का ठोस एवं सकारात्मक उपयोग करना चाहिये।

8. प्रत्येक कक्षा से पूर्व शिक्षक के पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिये तथा शिक्षण सह सामग्री तैयार रखनी चाहिये एवं छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये।

9. शिक्षक को स्वयं भी शिक्षण कार्य के प्रति उत्साही होना चाहिये।

10. शिक्षक को यथासंभव विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिये।

11. एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिये सर्वप्रथम स्वयं एक उत्सुक विद्यार्थी होना चाहिये तथा समय समय पर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहनी चाहिये।

एक श्रेष्ठ शिक्षक के गुण एवं विशेषतायें

1. एक शिक्षक को पहले स्वयं को एक विद्यार्थी मानना चाहिये तथा अपने विषय में यथासंभव विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये अपने विषय की हर नवीनतम जानकारी से उसे अवगत होना चाहिये।

2. एक शिक्षक तभी सफल हो सकेगा जब उसे अपने कार्य में गहन रूचि हो तथा विद्यार्थियों के सम्मुख अपने प्रत्येक प्रस्तुतीकरण में उसकी यह अभिरूचि परिलक्षित होनी चाहिये।

3. शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से एक प्रकार का जुडाव अनुभव करना चाहिये तभी वह उनकी समस्याओं का निवारण कर पाने में सक्षम हो सकेगा।

4. शिक्षक को प्रत्येक छात्र के लिये निष्पक्ष होना चाहिये।

5. शिक्षक को संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिये।

6. शिक्षक की भाषा विन्रम तथा उच्चारण, भाव, आवाज स्पष्ट होनी चाहिये।

7. शिक्षक को विद्यार्थियों की कार्यक्षमता को उभारने तथा उन्हें सदैव प्रोत्साहित करने पर बल देना चाहिये।

8. प्रसार शिक्षक को आधुनिक शिक्षण विधियों जैसे: स्लाइड प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आदि का ज्ञान होना चाहिये तथा समय समय पर अपने ज्ञान का संर्वधन करते रहना चाहिये। शिक्षक को अपने कार्यक्षेत्र में एक उत्साही अनुसंधान कर्ता होना चाहिये।

9. शिक्षक को व्यवसायिक योग्यता के विकास हेतु तथा नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु सेमिनार, गोष्ठियों में भाग लेना चाहिये।

शिक्षण विधियाँ:

एक आर्दश वातावारण में शिक्षण विधियाँ वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी/ग्रामीणों के मध्य ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो जाता है। प्रसार कायकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली माध्यम से आरंभ करता है जिससे शिक्षणार्थियों के बीच सीखने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है।

प्रसार कार्यकर्ता निम्न परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है:

- लोगों का अपनी ओर ध्यान आर्कषित करता है और उनमें रूचि उत्पन्न करता है, जिससे वे सीखने को तैयार हो जाते हैं
- सीखने के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं।
- लोगों की सोच एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है।
- ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता का अनुसरण करते हैं।
- किसी नवीन ज्ञान को सीखने के बाद उसके उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त संतुष्टि ग्रामीणों को और अधिक सीखने को प्रेरित करती है।

एक प्रसार शिक्षक को निम्न बातों का ज्ञान होना चाहिये:

1. उसके पास कौन सी शिक्षण विधियाँ उपलब्ध हैं?

2. क्या उसे शिक्षण विधियों के प्रयोग की जानकारी है?

3. यह शिक्षण विधि किन किन के लिये उपयोगी है?

अधिगम के सिद्धान्त

सीखना अथवा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नवीन ज्ञान अथवा अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थी के प्रयास अथवा अनुभवों के अभाव में अपूर्ण हैं। अधिगम प्रक्रिया में मनुष्य की समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ - दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, तथा त्वचा सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इन सभी ज्ञानेन्द्रियों का अधिगम (सीखने की) प्रक्रिया में समान योगदान है।

- यदि किसी शिक्षणार्थी की निवर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि किसी नवीन व्यवहार को अंगीकृत करने से हो तो अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया सहज एवं सुसाध्य मानी जाती है।
- अधिगम बोधगम्य होना चाहिये, विद्यार्थीयों को यह आभास होना चाहिये कि वह इस नवीन आचरण को क्यों अपना रहा है। इस आचरण से उसे क्या लाभ होगा एवं उसके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं।
- दो या दो से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया को सहज एवं सुलभ बना देता है। अतः शिक्षणकर्ता द्वारा शिंक्षण विधि इस प्रकार डिजाईन की जानी चाहिये कि इनमें अधिकाधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग हो सके। अधिगम की दृष्टि से, विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रतिधारण क्षमता निम्नवत् है:

शिक्षण विधियाँ एवं उनकी प्रतिधारण क्षमता

क्रमांक	अधिगम हेतु अनुप्रयोगिक शिक्षण विधि	प्रतिधारण क्षमता (प्रतिशत में)
1.	पढने पर	10
2.	सुनने पर	20
3.	देखने पर	30
4.	सुनने एवं देखने पर	50
5.	विषय पर चर्चा करने पर	70
6.	करके देखने पर	90

अत: ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि जितनी अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग किया जायेगा, अधिगम क्षमता उतनी ही अधिक विकसित होगी।

- शिक्षणार्थीयों द्वारा सक्रिय प्रतिभाग द्वारा प्राप्त अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अतः प्रसार शिक्षक को चाहिये कि वे सक्रिय प्रतिभागिता हेतु कक्षा में लक्ष्य निर्धारित करे।
- अधिगमकर्ता द्वारा सीखे गये व्यवहार की पुनरावृत्ति, प्रतिधारण क्षमता को बढा देता है, अतः यह आवश्यक है कि सीखी गयी अथवा नवीन धारित सूचनाओं का एक निश्चित अन्तराल पर दोहराव किया जाये।
- अधिगम तब और अधिक सुगम हो जाता है जब सिखायी गयी विषय वस्तु वास्तविक जीवन जैसी अथवा उससे मेल खाती हो। दूसरे शब्दों में प्रसार शिक्षक द्वारा सिखायी गतिविधियाँ एवं विषय वस्तु का सीधा संबध शिक्षणार्थी की जीवन की परिस्थितियों से हो, ऐसे में प्रदर्शन विधि, वीडियो, चार्ट पोस्टर, फार्म विजिट इत्यादि विशेषज्ञों से भेंट विशेष उपयोगी है।
- अधिगम तब और अधिक सरल हो जाता है जब शिक्षार्थी नवीन सूचना, ज्ञान ग्रहण करने को तत्पर हो, प्रसार कार्यकर्ता को चाहिये कि वह नवीन ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने से पूर्व शिक्षणार्थीं का उत्साह वर्धन करे।
- शिक्षणार्थी को उनके नवीन व्यवहार एवं ज्ञान की प्रगति संबधी आख्या दी जाये तथा उन्हें इस बात के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये कि वो नयी सूचना को अपनी भाषा में समझकर उन बिन्दुओं को लिखे अथवा मौखिक रूप से अधिग्रहित करे जिनकी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता उन्हें भविष्य में प्रतीत होगी।
- शिक्षक द्वारा दिया गया प्रोत्साहन तथा पुरूस्कार भी अधिगम को सुगम्य तथा एक सुखद अनुभव में परिवर्तित कर देते हैं।
- शिक्षणार्थीयों तथा लाभार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन भी अधिगम को प्रेरित करता है। स्वमूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं कमियों का विश्लेष्ण स्वयं निर्भीक होकर कर सकता है।
- प्रसार कार्यकर्ता अथवा प्रसार शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि सभी शिक्षणार्थी की अधिगम क्षमता एक समान नहीं होती है अर्थात अध्ययन / अध्यापन करते समय विषय सामग्री तथा शिक्षण प्रक्रिया विधि में विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- अधिगमकर्ता के उत्तरदायित्वों में वृद्धि,अधिगम में भी वृद्धि करेगी।

अधिगम प्रक्रिया

अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रयासों एवं अनुभवों के माध्यम से अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अतः प्रसार शिक्षक को अपनी कक्षा अर्थात शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षार्थी को ऐसे पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिये जहाँ उसे अधिकाधिक अनुभव प्राप्त हो सके।

अधिगम के नियम

सर्वप्रथम एडवर्ड थोर्नडीक (1932) ने अधिगम के प्रारम्भिक तीन नियम प्रतिपादित किये, ये निम्नवत हैं:

1. तत्परता का नियम

अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाला व्यक्ति किसी भी नवीन ज्ञान एवं सूचना हेतु तभी तत्पर होगा, जब उसे यह आभास होगा कि उसके समस्त उददेश्यों की प्राप्ति इस नवीन ज्ञान द्वारा हो सकेगी। अतः इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रसार शिक्षक सर्वप्रथम अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं एवं इससे अपेक्षित व्यवहार का विश्लेषण करे तथा इसके अनुसार अपना पाठयक्रम तथा शिक्षण विधियों को तैयार करें। प्रसार शिक्षा प्रदान करते समय प्रसार शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि अधिगमकर्ता इस नवीन ज्ञान, विचार इत्यादि से संतुष्ट है कि नहीं।

2. अभ्यास का नियम

यह नियम अधिगमकर्ता द्वारा किये गये अभ्यास अर्थात पुनरावृति पर बल देता है। नवीन धारित सूचना का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में अधिकाधिक अथवा एक निश्चित अन्तराल बाद अवश्य किया जाना चाहिये। बारम्बार किया गया अभ्यास व्यक्ति की आदत में परिवर्तित हो जाता है जो कि व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक पहल का प्रतीक है।

3. प्रभाव का नियम

अधिगम प्रक्रिया यदि सुखद एवं आनन्द दायक हो तो अधिगमकर्ता नवीन सूचनाओं को शीघ्रता से अधिग्रहीत करता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि अधिगमकर्ता को उसकी व्यक्तिगत चुनौतियों से उपर उठकर नये कौशल सीखने को प्रेरित किया जाये। जहाँ जहाँ उसे कठिनाई हो वहाँ उसकी तुरन्त सहायता की जानी चाहिये। इससे शिक्षार्थी न केवल स्वयं प्रेरित होगा बल्कि अपने समुदाय के अन्य लोगों कों भी सीखने के लिये प्रेरित करेगा।

उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त एक और नियम अधिगम के संबध में प्रचलित है।

4. सम्बन्ध का नियम

अधिगम के संबध मे यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी, सीखी गयी वस्तुओं, नवीन सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण करें। जिसमें शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नवीन धारित सूचनाओं के मध्य संबध (प्रत्यक्षीकरण) निम्नवत स्थापित किया जा सकता है।

- कारण एवं प्रभाव
- ज्ञात एवं अज्ञात
- नवीन एवं प्राचीन
- विशिष्ट सामान्य

संपूर्ण अधिगम के लिये यह आवश्यक है कि सीखी गयी सूचनाओं का शिक्षार्थी से कहीं न कहीं संबध अवश्य होना चाहिये, तभी अधिगम की प्रासंगिकता सिद्ध हो सकेगी।

अधिगम के प्रकार

1. प्रयास एवं त्रुटि

अधिगम एक धीमी एवं सतत रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयास एवं त्रुटि विधि में व्यक्ति बारम्बार अपने प्रयासों एवं अनुभवों से सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति का सामना सफलता एवं असफलता दोनों से ही हो सकता है। जहाँ एक ओर सफलता व्यक्ति का आत्मविश्वास बढाती है वहीं दूसरी ओर असफलता समय की कसौटी पर व्यक्ति की योग्यता को निखार कर उसे और अधिक योग्य और सक्षम बनाती है।

2. अवलोकन

अवलोकन अथवा निरीक्षण को अधिगम की सहज एवं सरल विधि कहा जा सकता है। किसी भी प्राप्त नवीन सूचना को मात्र सैद्धान्तिक रूप से ही प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति को अधिगम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रसार कार्यकर्ता यदि एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखायी जाने वाली विषय वस्तु का साक्षात अवलोकन लाभार्थी को करा दे तो अधिगम सरल हो जाता है।

3. अन्तःकरण

अधिगम अथवा सीख के विषय में कहा गया है यदि आप सीखने के इच्छुक नहीं हैं तो आप को कोई सिखा नहीं सकता और यदि आप सीखने के प्रति दृढ संकल्पित हैं तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सीखने की इच्छा आपके अन्तःकरण में होनी चाहिये तभी आप सच्चे अर्थों में सीख पायेगें।

4. अनुसरण

अनुसरण एक नैर्सगिक प्रक्रिया है, हम सभी जाने अनजाने अपने आस पास के परिवेश में उपस्थित व्यकितयों तथा घटनाओं से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसे ही अनुसरण कहा जाता है। अनुसरण का अधिगम में बहुत महत्व है। अनुसरण के प्रकार नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक आर्दश प्रसार कार्यकर्ता सकारात्मक अनुसरण उदाहरण के लिये अपने क्षेत्र में विशिष्टता एवं उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अनुसरण कर सीखने को ग्रामीणों को प्रेरित करता है।

अधिगम अथवा सीखने की प्रक्रिया को निम्न कारक प्रभावित करते हैं:

1. सीखने का प्रयोजन
2. सीखने की क्षमता
3. आकांक्षा का स्तर
4. सीखने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति

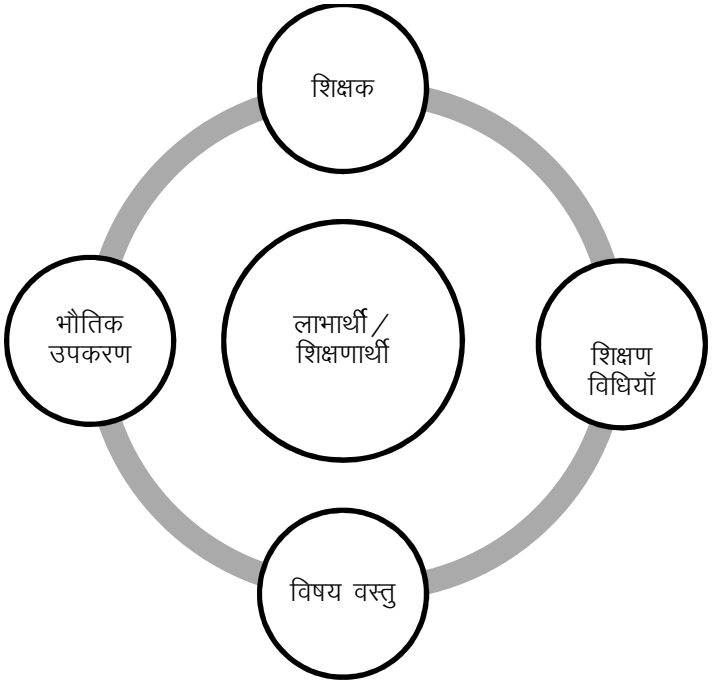

चित्र: अधिगम के घटक

अभ्यास प्रश्न 1.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) शिक्षक को स्वयं भी .....के प्रति उत्साही होना चाहिये।

b) एक प्रसार कार्यकर्ता लोगों की .....एवं .....में परिवर्तन लाने का कार्य करता है
c) .....वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नवीन ज्ञान अथवा अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है।
d) सर्वप्रथम .....ने अधिगम के प्रारम्भिक तीन नियम प्रतिपादित किये।

3.4 प्रभावशाली शिक्षण एवं एवं अधिगम के मापदंड

शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिये आवश्यक है, विशेषकर वह वर्ग जो गरीबी, सांस्कृतिक, पारम्परिक, सामाजिक तथा भाषायी भिन्नताओं के कारणवश समाज की मुख्यधारा से जुड नहीं पाया है तथा शिक्षा तक अपनी पहुँच नहीं बना सका है। ग्रामीण परिवेश में एक प्रसार शिक्षक को प्रायः ऐसे वर्ग से सामना करना ही पड़ता है ऐसे में शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशाली बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। एक प्रभावशाली शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्न बिन्दुओं का होना आवश्यक है।

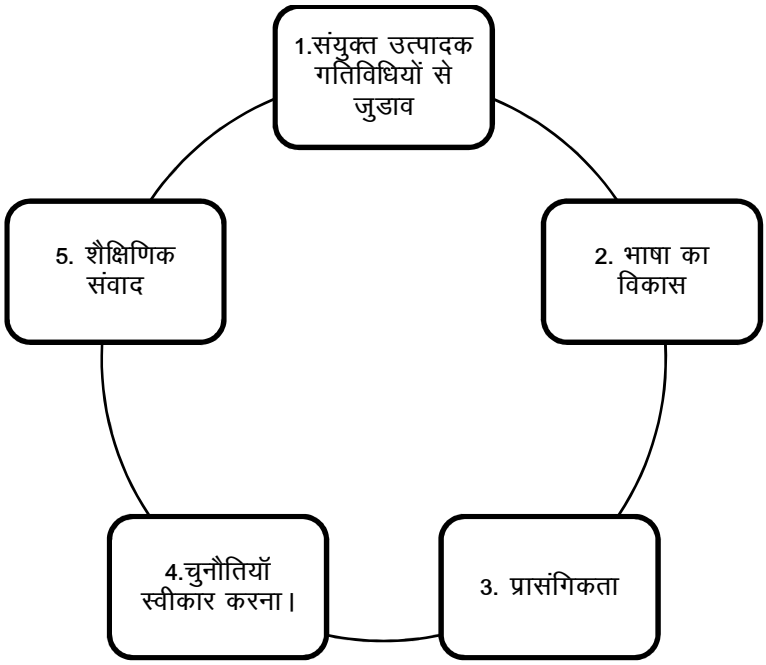

प्रभावशाली शिक्षण एवं एवं अधिगम के मापदंड

1. संयुक्त उत्पादक - परिणाम उन्मुख गतिविधियों से जुड़ाव

शोध अध्ययनों के अनुसार यदि किसी एक समान लक्ष्य के लिये विषय विशेषज्ञ तथा नवीन शिक्षणार्थी द्वारा मिलजुल कर प्रयास किया जाता है तो इस स्थिति में सर्वाधिक अधिगम प्राप्त किया जा सकता है दूसरे शब्दों में यह सीखने की आर्दश स्थिति है । संयुक्त गतिविधियाँ परिणाम उन्मुख होती हैं तथा इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक के साथ जो संवाद उत्पन्न होता है उससे नवीन धारित ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में मूर्त रूप मिलता है। संयुक्त गतिविधियाँ उन परिस्थितियों में विशेष रूप से सहायक हैं जहाँ शिक्षणकर्ता तथा अधिगमकर्ता की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारम्परिक पृष्ठभूमि में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है।

शिक्षण तथा अधिगम में संयुक्त उत्पादक -परिणाम उन्मुख गतिविधियों से जुडाव के सूचकः

- शिक्षक द्वारा ऐसी गतिविधियों को डिजाईन करना जो विद्यार्थीयों की प्रतिभागिता के अभाव में पूर्ण न हो सके।
- शिक्षक गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु समय तथा संयुक्त परिणाम उन्मुख गतिधियों से उत्पन्न मांगों को पूर्ण करता है।
- शिक्षक कक्षा में आसन व्यवस्था को इस प्रकार तैयार करता है कि कक्षा में विद्यार्थी व्यकितगत तथा सामूहिक रूप में सुविधापूर्वक संप्रेक्षण कर सकें।
- शिक्षक द्वारा स्वयं भी उन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया जा सके।
- शिक्षक द्वारा यह आवश्यक है कि परस्पर आपसी संवाद को बढाने के लिये कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के असमांग समूह को (विद्यार्थियों की भावना को आहत किये बिना) कई उपसमूहों जैसे मित्रता, अकादमिक योग्यता, भाषा, रूचि, प्रोजेक्ट के आधार पर विभक्त करें।
- शिक्षक विद्यार्थियों को मिलजुल कर उन्हें विभिन्न छोटे- बडे समूहों में कार्य करना सिखायें।
- शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनो के लिये तकनीकी संसाधनों तक पहुँच सुगम बनायी जानी चाहिये ताकि शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त संसाधनों का समयान्तर्गत तथा संयुक्त रूप में प्रयोग किया जा सके।
- शिक्षक द्वारा विद्यार्थीयों के मध्य सहयोग की भावना का अनुवीक्षण एवं सर्मथन सकारात्मक रूप में किया जाना चाहिये।

2. भाषा विकास

किसी भी शैक्षिणिक एवं प्रसार गतिविधि का प्रमुख उददेश्य उपलब्ध पाठयक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी की भाषायी क्षमता का विकास करना है। प्रसार केन्द्र की सफलता एक विशिष्ट सीमा तक इस पर निर्भर करती है क्यों कि ज्ञान, वैचारिक शक्ति, तार्किक शक्ति भाषायी विकास के अभाव में

संभव नहीं है। चाहे वह प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली सामाजिक भाषा हो या औपचारिक अथवा विषयगत भाषा, शिक्षक तथा अधिगमकर्ता की सफलता का आधार है, जो प्रश्न पूछने, उत्तर देने तथा तर्क शक्ति के रूप में परिलक्षित होता है। कक्षा में फलदायी संवादो तथा विद्यार्थियों को पढने-लिखने की अ़च्छी आदतों को विकसित कर, शिक्षक अधिगमकर्ता के भाषायी ज्ञान का अवलोकन कर उसे उचित मार्गदर्शन दे सकता है।

शिक्षण अधिगम में भाषायी विकास के सूचकः

i. शिक्षक को विद्यार्थी के मध्य होने वाली वार्ता को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिये।
ii. विद्यार्थी के मध्य संवाद का प्रतिउत्तर एवं सकारात्मक फीडबैक अवश्य देना चाहिये तथा संवाद के मध्य ही भाषागत संसोधन तथा शब्दावली संर्वधन हेतु उचित दिशा निर्देशन दिया जाना चाहिये।
iii. विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक भाषा के विकास को उदाहरणों, प्रश्नों, संसोधनों तथा प्रसंशा इत्यादि के माध्यम से बढावा देना चाहिये।
iv. प्रसन्नचित्त वातावरण में दृष्टि सम्पर्क, फोकस समूह इत्यादि के माध्यम से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित किये जाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये।
v. एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को संवाद के पर्याप्त अवसर दिये जाने चाहिये।
vi. विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा तथा शैक्षणिक भाषा दोनों के विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

3. प्रासंगिकता

यदि शिक्षक द्वारा पढाये गये विषय का विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों मे व्यवहारिक अनुप्रयोग करता है तो इससे पढायी गयी विषय वस्तु की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। सामान्यतया विद्यालयों, प्रसार संस्थानों द्वारा प्रमुख रूप से सिद्धान्तों एवं विचारों को सारगर्भित रूप में सिखाया जाता है , प्रासंगिकता वह माध्यम है जिससे विद्यार्थी इन सिद्धान्तों एवं विचारों को अपने निर्वतमान ज्ञान से जोड़ता है तथा कक्षा के भीतर सीखी गयी सूचनाओं को बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करता है।

शिक्षण अधिगम में भाषायी विकास के सूचक

i. कक्षा में गतिविधियों का आरम्भ उन विषयों से करना चाहिये, जिनसे विद्यार्थी अपनी घरेलू, सामुदायिक तथा विद्यालयी परिस्थितियों के संदर्भ में परिचित हो। इससे विद्यार्थी, शिक्षक तथा उनके द्वारा सिखाये गयी विषय वस्तु से एक संबध अनुभव कर सके।

ii. शिक्षणार्थी के समुदाय एवं स्थानीय मानदंडो के अनुरूप गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिये।
iii. शिक्षणार्थीयों, अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों से बातचीत तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं दस्तावेजों को समुदाय के मध्य पढकर समझाना तथा स्थानीय मानदंडों संबधी सूचनायें एवं ज्ञान प्राप्त करना।
iv. सामुदायिक अधिगम गतिविधियों को शिक्षणार्थी के साथ संयुक्त रूप से संचालित करना।
v. कक्षा तथा संबधित शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षणार्थी के परिवार माता पिता एवं अन्य सदस्यों को भी प्रतिभाग के अवसर प्रदान करना।
vi. शैक्षणिक गतिविधियों को विद्यार्थीयों की अभिरूचि के अनुसार विविधतायुक्त एवं रूचिपूर्ण बनाना।

4. चुनौतिया स्वीकार करना

साधारण परिस्थितियों में तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन कर लेता है परन्तु विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार असफलताओं को अपनी प्रेरणा एवं नवीन अवसर के रूप में लिया जाये यह जानना (विशेषकर ग्रामीण समुदाय के लिये जो विकास की मुख्यधारा से जुड नहीं पाया है) अति आवश्यक है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों के लिये तैयार करती है।

चुनौतियाँ स्वीकार करने की क्षमता विकसित करना

i. शिक्षक को छात्रों के कार्य प्रर्दशन को बेहतर बनाने के लिये प्रत्येक बार चुनौतीपूर्ण मानक प्रस्तुत करने चाहिये।
ii. शैक्षणिक गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना कि विद्यार्थियों का समस्या को समझने का स्तर बढ जाये।
iii. पिछली उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों को इससे एक स्तर आगे की नयी चुनौतियों को समझने एवं स्वीकार करने में सहायता प्रदान करनी चाहिये।
iv. विद्यार्थीयों को स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्रदान करना चाहिये।

5. शैक्षणिक संवाद

सोचने विचार करने की क्षमता, निर्माण करने की क्षमता तथा अभिव्यकित एवं विचारों का आदान प्रदान संवाद द्वारा ही संभव है। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर रूप में अथवा विचारों के आदान प्रदान के रूप में परिलक्षित होते हैं। आर्दश परिस्थितियों में शिक्षक विद्यार्थी को भली भांति सुनता है एवं

शिक्षणार्थीयों द्वारा दिये गये उत्तर का अनुमान लगाकर अन्य विद्यार्थियों के मध्य इस उत्तर का समायोजन करता है। शिक्षण एवं अधिगम में संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिधारण क्षमता तथा शिक्षण के प्रति उनका पहलू भी ज्ञात होता है।

शैक्षणिक संवाद परिलक्षित होता है जब;

i. शिक्षक कक्षा को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के छोटे से समूह के मध्य नियमित एवं बारम्बार संप्रेक्षण हो सके।
ii. विद्यार्थियों के साथ स्पष्ट एवं निर्देशित संवाद के लिये शिक्षक के पास एक निर्धारित लक्ष्य होता है।
iii. शैक्षणिक संवाद में किसी भी समय विद्यार्थीयों की प्रतिभागिता शिक्षक की प्रतिभागिता से संख्यात्मक रूप से अधिक होती है।
iv. लिखित संदर्भों तथा संबधित संसाधनों के प्रयोग से विद्यार्थियों के विचारों, निर्णयों एवं तर्कों को सर्मथन दिया जाता है।
v. शैक्षणिक संवाद में कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का आवश्यकीय रूप से का सहभाग होता है।
vi. शिक्षक विद्यार्थीयों के समझ के स्तर को समझने के लिये विद्यार्थी की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनता है।
vii. प्रश्नों, तर्कों, प्रशंसा तथा प्रोत्साहन के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढावा देना तथा उन्हें इस प्रकार तैयार करना कि उनके व्यकितत्व में संवाद क्षमता परिलक्षित हो।

प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण

प्रसार शिक्षा का प्रमुख ध्येय ग्रामीण जनसमूहों के ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा कार्य पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। भारतीय जनसंख्या का एक बडा भाग अभी भी मूलभूत सुविधाओं एवं विकास से कोसों दूर है। जिसका प्रमुख कारण अशिक्षा है, ऐसे जनसमूहों के व्यवहार एवं अभ्यास में परिवर्तन लाना एक टेढी खीर है। परन्तु प्रसार शिक्षा एवं प्रसार कार्यकताओं के अभिप्रेरण से यह संभव हो सका है। प्रसार शिक्षा प्राप्त लाभार्थी अपने सामाजिक स्तर में परिवर्तन देखकर प्रेरित होते हैं और यही उनके व्यवहार, अभिवृत्तियों एवं सोच में परिवर्तन लाता है।

प्रसार शिक्षा सामग्री विशेषज्ञों की देखरेख एवं उनके सहयोग से तैयार की जाती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, सेवानिवृत अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों का इसमें सहयोग लिया जाता है। वर्तमान में कई संस्थान जैसे- कृषि विज्ञान केन्द्र, युवा क्लब, कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय तथा अनेकों गैर सरकारी संस्थानों में एक विशिष्ट शाखा प्रसार शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी परियोजनाओं,

साक्षरता कार्यक्रम, जन स्वास्थय एवं कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ- बेटी पढाओ, मिशन इन्द्रधनुषद्ध के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के लिये एक विशिष्ट शाखा सर्मपित है।

प्रसार विशेषज्ञों द्वारा प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण अनेकों प्रकार से किया गया है।

1. शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर।
2. स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर।
3. कार्य के आधार पर।
4. सीखने के उददेश्य के आधार पर।
5. नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर।
6. प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर।
7. अधिगमकर्ता की क्षमता के आधार पर
8. प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर।
9. प्रसार शिक्षा विधियों के संयुक्त प्रयोग के आधार पर।

<table>
<tr><th colspan="3">1) <u>शिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर</u></th></tr>
<tr><th>व्यक्तिगत सम्पर्क</th><th>समूह सम्पर्क</th><th>विराट जन सम्पर्क</th></tr>
<tr><td>घर पर जाकर</td><td>प्रदर्शन - विधि प्रदर्शन, परिणाम</td><td>मुद्रित सामग्रियाँ, समाचार प़त्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, बुलेटिन, पैम्पलेटस, परिपत्र,सरकुलर प़त्र, फलैश कार्ड</td></tr>
<tr><td>खेत पर जाकर</td><td>खेतों पर भ्रमण</td><td rowspan="4">शिविर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, चार्ट पोस्टर, मेला, प्रोजेक्टर, इन्टरनैट, सैटेलाइट</td></tr>
<tr><td>टेलीफोन पर वार्ता</td><td>भ्रमण</td></tr>
<tr><td>कार्यालय जाकर</td><td rowspan="2">वार्ता सभायें- पैनल, फोरम,समूह साक्षात्कार, सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td>व्यकितगत प़त्र</td></tr>
</table>

2) स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर			
मौखिक		**लिखित**	**दृश्य**
प्रत्यक्ष	**अप्रत्यक्ष**	अखबार	प्रर्दशनी
कक्ष शिक्षण	रेडियो	पत्र पत्रिकायें	छायाचित्र
सभायें, सम्मेलन	टेपरिकार्डर	किताबें	पोस्टर
गोष्ठियाँ, अधिवेशन	टेलीफोन	परिपत्र	चार्ट
व्याख्यान		सरकुलर पत्र	फलैश कार्ड
घर, खेत, कार्यस्थल पर भेंट		सूचना पत्र	पपेट शो
सामूहिक चर्चा		चार्ट /पोस्टर	नाटक, फिल्म,स्लाइड शो

3) कार्य के आधार पर		
बोलकर	**दिखाकर**	**प्रदर्शन करके**
खेत तथा घर पर भेंट	चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, बुलेटिन, पैम्मलेटस,	विधि प्रर्दशन
आडियो सुनकर	मुद्रित सामग्रियाँ	परिणाम प्रर्दशन
सभा, सम्मेलन	फोटोग्राफ्स, पपेट शो	व्यवहारिक प्रशिक्षण
अधिवेशन, कार्यशाला, गोष्ठियाँ	स्लाइड प्रोजेक्टर	कार्य के दौरान प्रशिक्षण

व्याख्यान	टेलीविजन	विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण
टेप रिकार्डर	भ्रमण, फिल्म शो, नाटक	

4) सीखने के उददेश्य के आधार पर वर्गीकरण		
ज्ञान	**कौशल**	**मनोवृत्ति**
भ्रमण	विधि प्रदर्शन	विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान
व्याख्यान	परिणाम प्रदर्शन	श्रव्य-दृश्य साधनों से प्रर्दशन
व्यैकितक अध्धयन	पर्यवेक्षण	प्रर्दशन
कृषि विज्ञान केन्द्र पर जाकर सीखना	घर तथा खेत में भेंट	कार्यशाला
मुद्रित सामग्रियों से अध्ययन		सेमिनार
व्यकितगत तथा समूह सम्पर्क		सिम्पोजियम

5) नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण			
जानकारी (सूचना)	**मूल्यांकन**	**निर्णय**	**क्रिया**
मुद्रित सामग्रियाँ	मुद्रित सामग्रियाँ	खेत तथा घर पर भेंट	परिणाम प्रदर्शन
व्यकितगत सम्पर्क	श्रव्य दृश्य साधन	कृषि विज्ञान केन्द्र पर जाकर सम्पर्क	व्यकितगत भेंट
जन सम्पर्क	प्रशिक्षण कार्यक्रम	व्यकितगत सम्पर्क	
परिपत्र	अभ्यास		
श्रव्य दृश्य सामग्री	प्रदर्शन विधि तथा परिणाम		
समूह सम्पर्क	सभायें		

6) प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर

मूल्यांकन
संतुष्टि
क्रिया
विश्वास
आकांक्षा
अभिरूचि

7) अधिगमकर्ता की क्षमता के आधार पर		
शीघ्र ग्रहण करने वाले	**विलम्ब से ग्रहण करने वाले**	**अतिकालिक ग्रहणकर्ता**
टेलीविजन देखकर	व्यकितगत सम्पर्क	स्थानीय नेता
रेडियो सुनकर	परिणाम प्रदर्शन	मित्र, सम्बन्धी या पड़ौसी को देखकर
सामूहिक जन संपर्क	भ्रमण	भ्रमण
प्रदर्शन विधि व परिणाम	खेत तथा घर पर भेंट	परिणाम प्रदर्शन
सभा, सम्मेलन	श्रव्य - दृश्य साधनों का प्रयोग	
कार्यशाला		

8) प्रसार शिक्षण चरणों के आधार पर						
ध्यानाकर्षण	अभिरूचि	आकांक्षा	विश्वास	क्रिया	संतुष्टि	मूल्यांकन
पोस्टर	विधि व परिणाम प्रदर्शन	प्रदर्शनी	परिणाम प्रर्दशन	परिणाम प्रदर्शन	व्यकितगत सम्पर्क	व्यकितगत सम्पर्क
चार्ट	मुद्रित	सभायें	विधि	विधि	कार्यक्षेत्र	समूह

	सामग्री		प्रदर्शन	प्रदर्शन	भ्रमण	चर्चा
फलैश कार्ड	नाटक	फिल्म शो	सचित्र प्रदर्शन	अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श	सफल उदाहरण	परिणाम विश्लेषण
मुद्रित सामग्री	पपेट शो	सेमिनार	अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श	वार्तालाप	समाचार	विशेषज्ञों से परामर्श
प्रदर्शित सामग्री	सिनेमा	कर्यशाला	वार्तालाप	व्यकितगत भेंट	परिणाम प्रदर्शन	घर तथा खेत पर भेंट
मेला	सामूहिक चर्चा	व्याख्यान	व्यकिगत भैंट	.....	.....	....
प्रदर्शनी	माडल	परिणाम प्रर्दशन	.....	.....	.....	....
लाऊड स्पीकर	चार्ट,फोल्डर	.....	.....	.....	....	....
सभाएं एवं गोष्ठियाँ	भ्रमण	.....	.....	.....	.....	.....

9) <u>प्रसार शिक्षण विधियों का संयुक्त प्रयोग</u>	
उददेश्य	**संयुक्त रूप से प्रयुक्त प्रक्षेपण सामग्री**

ज्ञान अभिवृत्ति तथा कार्यकुशलता में परिवर्तन लाने हेतु	1.विधि एवं परिणाम प्रदर्शन 2. व्यक्तिगत प्रदर्शन 3.समूह सम्पर्क 4. विराट जन सम्पर्क 5.श्रव्य दृश्य सामग्री
नवीन ज्ञान, विचार, तथ्य,सूचनाओं का प्रसार एवं संचार	1.व्यकितगत सम्पर्क 2. समूह सम्पर्क 3.सभा सम्मेलन एवं सेमिनार 4. समूह चर्चा 5. स्थानीय नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार
उन्नत विधियों एवं तकनीकों का प्रचार एवं प्रसार	1. विधि एवं परिणाम प्रदर्शन 2.सम्पर्क विधियाँ 3. प्रशिक्षण शिविर 4. जन संचार माध्यम
उन्नत विधियों एवं तकनीकों की ग्राहयता	1. सभी प्रकार के सम्पर्क 2. विधि प्रदर्शन 3.सभा सम्मेलन कार्यशाला, अधिवेशन 4.लाभान्वित व्यक्तियांे ं का व्याख्यान 5.जन संचार माध्यम 6. मित्रों तथा संबधियों का अनुभव 7. नाटक, कठपुतलियों का खेल

3.5 प्रसार शिक्षा विधि एवं अभिप्रेरण

प्रसार शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वैछिक शिक्षण सिद्धान्त का पालन करती है। स्वयं की सहायता हेतु स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करने के निमित कोई व्यक्ति तभी जिज्ञासु या प्रयत्नशील होता है, जब कोई प्रेरक शक्ति उसे प्रभावित करती है। वास्तव में मनुष्य की समस्त क्रियायें अभिप्रेरण द्वारा ही संचालित होती हैं। अभिप्रेरणा, आवश्यकता, अन्रतनाद तथा प्रोत्साहन जैसे तत्वों से प्रभावित होती है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्वचेतन को जगाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरण कहा जाता है। अभिप्रेरण से तात्पर्य एक इच्छाशक्ति अथवा कई इच्छाशक्तियों के संयोग से है जो कि उददे्श्य की प्राप्ति हेतु कार्य करती हैं। अभिप्रेरणा सदैव लक्ष्य प्रधान होती है एवं इसकी प्रवृति व्यक्ति के व्यवहार को संतुष्टि प्रदान करती है। आवश्यकतायें अभिप्रेरणा के लिये आधार का निर्माण करती हैं। जैविक आवश्यकतायें, इच्छायें, भावनायें, संवेग, संवेदनायें, सामाजिक अभिप्रेरक तथा मानव स्वभाव व आदतें अभिप्रेरणा को जगाने वाली आवश्यकतायें कही जा सकती हैं।

प्रसार एवं अभिप्रेरण

किसी भी प्रसार कार्य की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि स्वयं प्रसार कार्यकर्ता एवं ग्रामीण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रेरित हों। स्वतन्त्रता पूर्व भारत में इस प्रकार के विकास कार्यो का अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर पाने का कारण प्रसार कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों में उत्साह एवं प्रेरणा का अभाव होना पाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये एक शोध अध्ध्यन में कृषकों के मध्य अभिप्रेरण के निम्न प्रतिमान प्रदर्शित हुये उनमें प्रमुख हैं - कृषकों के बच्चों के लिये बेहतर भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा, खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करना, नवीन विचारों एवं अभियानों का अन्वेषण, व्यक्ति विशेष की योग्यताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर स्वउपलब्धि प्राप्त करना, ऋण मुक्ति, गाँव में सर्वोत्तम कृषक बनकर सम्मान प्राप्त करना, वृद्धजनों की सुरक्षा, समुदाय के भीतर स्वंय का पुष्टिकरण कर संबद्धता प्राप्त करना, समुदाय के भीतर शक्ति ग्रहण करना।

ग्रामीण एवं अभिप्रेरण

प्रसार कार्यों में प्रोत्साहन एवं इसका ग्रामीणों के अभिप्रेरण पर पड़ने वाले प्रभाव की यदि चर्चा करें तो आप पायेंगे कि प्रसार कार्यों में पारितोष किसी वस्तु, धनराशि, प्रतीक चिन्ह, सम्मान, स्वीकृति के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रकार का प्रोत्साहन ग्रामीणों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं दोनों को समान प्रकार से प्रेरित करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों में पारितोष का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये;

i. पारितोष केवल ग्रामीणों के प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना चाहिये।
ii. प्रतिद्वन्दियों की योग्यता, आयु, प्रशिक्षण, अनुभव इत्यादि में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिये। अन्यथा पारितोष विवरण न्यायोचित नहीं होगा।
iii. पुरूस्कार का प्रयोग शिक्षणार्थीयों की उन्नति हेतु होना चाहिये तथा यह अधिगम अनुभव के प्रतिफल के रूप में होना चाहिये।
iv. पुरूस्कार प्रदान किये जाने के मानक सुनियोजित, सुप्रचारित एवं समस्त प्रतिभागियों द्वारा भली भांति समझ लिये जाने चाहिये।
v. पुरूस्कार का स्वरूप व्यक्तिगत संसाधनों से निर्मित होना चाहिये ना कि भौतिक संसाधनों से। पुरूस्कार इस प्रकार प्ररदान किया जाना चाहिये कि यह व्यक्ति में पुनः उपलब्धि, सहयोग एवं नेतृत्व की भावना का संचार कर सके।
vi. केवल प्रतिभागियों या इसके समूह के द्वारा किये गये प्रयासों, उपलब्धियों को पुरूस्कार प्रदान किया जाना चाहिये। पुरूस्कार व्यवस्था तब अप्रभावी समझी जाती है, जब इसमें किसी बाहरी समूह द्वारा किसी कार्य विशेष के लिये सहायता प्रदान की गयी हो।
vii. यथासंभव पुरूस्कार समूहों में प्रदान किये जाने चाहिये ताकि आपसी प्रतिद्वंदिता, अंह, बैर के स्थान पर सहयोग एवं सद्भावना विकसित हो सके।
viii. समर्थ एवं निश्पक्ष निर्णायकों द्वारा पुरूस्कार की पात्रता निर्धारित की जानी चाहिये, तथा इसका आधार व्यक्ति अथवा समूह को भविष्य में पुनः प्रोत्साहन, अभिप्रेरण प्रदान करने वाले घटक के रूप में होना चाहिये।
ix. समूह में सभी को पुरूस्कार प्राप्त किये जाने के संबध में अभिप्रेरित किया जाना चाहिये, एक ही व्यक्ति द्वारा अधिकाधिक पुरूस्कार प्राप्त किया जाना व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक तो है परन्तु सामाजिक उन्नति का नहीं।
x. जहाँ तक संभव हो पुरूस्कार उद्घोषणा के उपरान्त समय पर ही वितरित कर देना चाहिये।
xi. पुरूस्कार वितरण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा करवाना चाहिये जिसने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हों, इससे पुरूस्कार प्राप्त करने वाले एवं अन्य प्रतिभागियों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी।
xii. पुरूस्कार वितरण व्यवस्था का भी समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार इसे अद्यत्न और परिवर्तित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण एवं अभिप्रेरण हेतु मूलभूत तत्व

प्रसार शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक ग्रामीणों को प्रेरित करने का प्रश्न है एक प्रसार कार्यकर्ता को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिये;

1. अभिप्रेरण स्वयं गामीण द्वारा एक व्यक्तिगत ईकाई के रूप में

एक ग्रामीण व्यक्ति किसी ग्रामीण सामाजिक तंत्र में एक व्यक्तिगत इकाई है। उसका स्वयं का एक अस्तित्व है। एक ग्रामीण व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आनुवांशिक तथा वातावरणीय गुणों तथा लक्षणों का प्रतिफल है। एक इकाई के रूप में किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को प्रसार शिक्षा एवं कार्यक्रमों में सकारात्मक प्रतिभाग हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

2. अभिप्रेरण ग्रामीणों द्वारा एक समूह/समुदाय के रूप में

ग्रामीणों को एक समूह रूप में भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। कई वातावरणीय घटक ग्रामीणों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जिनमें प्रमुख हैं कम उपज, पशुधन हानि, निम्न शैक्षिक स्तर, रहन सहन की निम्न गुणवत्ता, निम्नतम अथवा स्वास्थय सेवाओं का पूर्ण अभाव, आंशिक बेरोजगारी, कर्ज इत्यादि। इन सभी से बाहर उबरकर आने हेतु ग्रामीणों को अभिप्रेरित किया जा सकता है।

3. अभिप्रेरण मानवकृत युक्तियों द्वारा

भारतीय ग्रामीण परिवेश, सदियों से धर्म, भारतीय इतिहास, प्राकृतिक आपदाओं, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य की उपेक्षा के कारणवश भ्रमित अनुभव करता आ रहा है, अतः प्रसार कार्यों में प्रतिभाग एवं इसकी उपयोगिता से उन्हें अवगत कराना एक कठिन कार्य है। ग्रामीण समाज में दीर्घ कालीन, स्थायी एवं भौतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रामीणों की भौतिक स्थिति में न परिवर्तन लाने से पूर्व उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। यद्यपि वह नवीन परिवर्तनों के सापेक्ष स्वयं को सहज नहीं पाता है। परन्तु मानव स्वभाव के अनुकूल कोई भी ग्रामीण सदैव अपनी उन्नति एवं उत्थान चाहता है। इस स्थिति में ग्रामीणों को एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, प्रसार कार्यकर्ता न केवल पथप्रदर्शक का कार्य करता है अपितु नवीन कौशलों के अधिग्रहण से जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से भी उसे परिचित कराता है।

प्रसार कार्यकर्ता एवं अभिप्रेरण

जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया है कि प्रसार कार्यक्रम की सफलता ग्रामीणों तथा प्रसार कार्यकर्ता दोनों पर समान रूप से निर्भर करती है। हमनें ऊपर ग्रामीणों को अभिप्रेरित करने के संबध में पढा, इस अवतरण में आप जानेंगे कि प्रसार शिक्षा की सफलता के लिये स्वयं प्रसार कार्यकर्ता का अभिप्रेरित होना क्यों आवश्यक है।

एक प्रसार कार्यकर्ता का अपने संगठन एवं कार्य के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा जब उसके कार्य में परिलक्षित होती है तो वह स्वयं ग्रामीणों के लिये एक अभिप्रेरण का कार्य करता है। प्रसार संगठनों में निम्न सूचकों की उपस्थिति प्रदर्शित करती है कि प्रसार कार्यकर्ताओं में प्रेरणादायी कारक उपस्थित हैं।

1. योग्य प्रसारकार्यकर्ता का चुनाव एवं प्रशिक्षण।
2. समुचित प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरणा युक्त वातावरण।
3. प्रसार कार्यकर्ताओं के मध्य समुचित नीति संहिता का विकास।
4. प्रसार कार्यक्रमों के उद्देश्य से प्रसार कार्यकर्ता का भली भांति परिचित होना।
5. संगठन में समय समय पर प्रभावशाली पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।
6. उच्च नैतिक गुणों का विकास।

अभिप्रेरण तकनीक

एस० वी० रेड्डी (1975) के अनुसार अभिप्रेरण तकनीक निम्नवत् है:

- आवश्यकता आधारित उपागम।
- प्राप्त कर सकने योग्य आकांक्षाओं के निर्धारण हेतु प्रशिक्षण।
- प्रतिभागिता
- श्रव्य दृश्यसामग्रियों का उपयोग ;आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वीडीयो ,कान्फ्रेन्स, ईमेल इत्यादि।

3.6 अभिप्रेरण के प्रकार

अभिप्रेरण मनुष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आर्थिक सामाजिक व परिस्थितिजन्य कारणों से अवसरों से वंचित समूहों जिनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, का मनोबल बढाया जाना अति आवश्यक है। ताकि वो अपने समस्त संकोच त्यागकर अनऔपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सके, यहाँ पर व्यक्ति को एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता पढती है जो किसी न किसी रूप एवं प्रकार में उसे कार्य करनें की प्रेरणा देती है। अभिप्रेरकों को निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है।

जन्मजात अभिप्रेरक

जन्मजात अभिप्रेरक जन्म से ही उपस्थित रहते हैं। इसका संबध आनुवांशिकी तथा जन्मपूर्ण वातावरण से है। मनुष्य का स्वभाव, इच्छायें, प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व एक विशेष सीमा तक इस प्रकार के अभिप्रेरकों से निर्धारित होती हैं। जन्मजात अभिप्रेरकों का अधिगम में विशेष योगदान है।

उपार्जित अभिप्रेरक

जैसा कि पूर्व में वर्णित है, जन्मपूर्व वातावरण तथा आनुवांशिकी जन्मजात अभिप्रेरकों के लिये उत्तरदायी है वहीं जन्म पश्चात वातावरण जिसमें परिवार, विद्यालय, समाज, संबधित व्यक्तियों का प्रभाव सम्मिलित है व्यक्ति द्वारा उपार्जित अभिप्रेरकों से प्रत्यक्ष रूप से संबधित होते हैं। उपार्जित अभिप्रेरकों को पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1. व्यक्तिगतः जिसमें व्यक्ति की रूचियाँ, आदतें, व्यवहार, क्रिया-प्रतिक्रिया, दृष्टिकोण इत्यादि सम्मिलित हैं।

2. सामाजिकः इस प्रकार के अभिप्रेरकों में सामुदायिकता, समाजीकरण, स्वाग्रह, समूह के प्रति वफादारी, अनुशासन जैसे अभिप्रेरक सम्मिलित है। समुदायों, विशेषकर ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा इन अभिप्रेरक तत्वों से संबधित होती है, अतः इनका अपना एक विशेष महत्व है।

प्रसार कार्यकर्ता को अभिप्रेरण तत्वों का यदि पूर्वाभास हो तो उसके लिये प्रसार शिक्षण सहज हो जाता है। अभिप्रेरण कई बार असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव कर दता है। व्यक्ति की मौलिक रचनात्मकता एवं योग्यता को निखारने में भी अभिप्रेरण तत्वों का विशेष योगदान है।

3.7 प्रसार शिक्षा के चरण

प्रसार शिक्षा के चरणों को AIDCKASE के रूप में जाना जाता है।

चित्रः प्रसार शिक्षा के चरण

1. **A...ttention**	ध्यानाकर्षण
2. **I...ntersest**	अभिरूचि
3. **D...esire**	आकांक्षा
4. **C...onviction**	विश्वास
5. **K...nowledge**	ज्ञान
6. **A..ction**	क्रिया
7. **S...atisfaction**	संतुष्टि
8. **E...valuation**	मूल्यॉकन

- **ध्यानाकर्षण**: यह प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, किसी भी नवीन सूचना (तकनीक) के संबध में अभियोजित समूह का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिये - मनरेगा, डायरेक्ट कैश अन्तरण इत्यादि के संबध में आधार कार्ड की उपयोगिता इस योजना से ग्रामीण तभी जुडेंगे, जब उनकी अभिरूचि एवं आकाँक्षायें इस ओर होंगी। किसी नवीन सूचना का प्रतिफल अथवा परिणाम ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है।

- **अभिरूचि**: अभिरूचि या रूचि जागृत होना प्रसार शिक्षा का द्वितीय चरण है। जब किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाये कि नवीन तकनीक अथवा सूचना उसके लाभ की है तथा यह उसके ज्ञान, कौशल एवं सन्तुष्टि में वृद्धि करेगी तो वह व्यक्ति उसके बारे में उत्सुकता से जानने को तत्पर हो जाता है। इस प्रकार से उसमें स्वतः ही रूचि उत्पन्न हो जाती है। प्रसार कार्यकर्ता के लिये यह एक सुनहरा अवसर है जब वह उस विषय वस्तु के विषय में पूर्ण रूप से शिक्षणार्थी को बता सकता है।
- **आकांक्षा:** यह प्रसार शिक्षा का तीसरा एवं अति महत्वपूर्ण चरण है। जिसका आशय है कि व्यक्ति अपने सभी पूर्वाग्रहों को त्यागकर परिवर्तन के लिये अभिप्रेरित हो जाये, इस स्तर पर यह आवश्यक है कि व्यक्ति को नवीन सूचना के विषय में खुलकर बताया जाये। प्रर्दशन,

फार्म, भेंट, व्यक्तिगत सम्पर्क, विषय संबधी साहित्य अथवा किसी भी प्रकार के उपलब्ध संसाधनों से लक्षित समूहों का परिचय अवश्य कराया जाना चाहिये। अभिरूचि का आकांक्षा में परिवर्तन एक प्रकार से प्रसार शिक्षक की आधी सफलता मानी जा सकती है क्यों कि आकांक्षा एक आन्तरिक प्रेरक शक्ति है।

- **विश्वास**: यह प्रसार शिक्षा की वह महत्वपूर्ण अवस्था है जब प्रसार कार्यकर्ता प्रबल प्रोत्साहन द्वारा ग्रामीणों में उन्हीं की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नई तकनीक विचार अथवा कार्यपद्धति की उपयोगिता के विषय में ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करता है। इसी अवस्था में ग्रामीण नये विचार से संबधित आवश्यक ज्ञान एवं पर्याप्त सूचना प्राप्त कर चुके होते हैं साथ ही उन्हें यह भी अनुभव हो जाता है कि नवीन विचार एवं तकनीक किस प्रकार कार्य करेगी एवं उसके क्या क्या संभावित लाभ एवं अनुप्रयोग हैं। कार्य क्षेत्र जहाँ पर वास्तविक कार्य हो रहा हो उदाहरण के लिये कृषि के संबध में उन्नत बीज, जैविक खाद इत्यादि का अनुप्रयोग एवं इस संबध में विशेषज्ञों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क, आवश्यक एवं मूलभूत प्रशिक्षण इस स्तर के आवश्यक बिन्दु है।
- **ज्ञान**: किसी भी नवीन विषय के प्रति विश्वास व्यक्ति का प्रोत्साहित करता है कि व्यक्ति उस विषय के प्रति अधिकाधिक सूचना प्राप्त करे। सूचना एवं नवीन जानकारी के लिये ग्रामीण एक विशिष्ट सीमा तक प्रसार कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह वह समय है जब प्रसार कार्यकर्ता का दायित्व बढ जाता है। प्रसार कार्यकर्ता इस समय अधिकाधिक जानकारी (ज्ञान) संबधित व्यक्तियों को प्रदान करता है ताकि वे कार्य सम्पादन में जुट जायें।
- **क्रिया**: प्रसार शिक्षा के इस चरण का सीधा संबध शिक्षण एवं अधिगम के दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग से है। कोई भी शोध कार्य, परियोजना, कार्यक्रम तभी सफल है जब लक्षित व्यक्ति उसे अपने व्यवहार में लाता है, ऐसा इस चरण के द्वारा ही संभव है। जैसा कि पहले इंगित किया गया है प्रसार शिक्षा का स्वरूप अनऔपचारिक एवं व्यवहारिक है, व्यवहारिक शिक्षण की लक्ष्यपूर्ति तभी होती है जब इसमें बताई गई बातों को क्रियात्मकता मिले। जब प्रसार शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नवीन जानकारियों एवं सूचनाओं का ग्रामीण जनता अनुसरण करती है तभी प्रसार कार्यक्रम सफल माना जाता है।
- **संतुष्टि**: प्रसार शिक्षण द्वारा दीर्घकालीन परिवर्तन हेतु आवश्यक है कि ग्रामीणों केा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो तथा उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके। वांछित लक्ष्य का तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति, समस्या का निदान, कार्य क्षमता में वृद्धि इत्यादि सम्मिलित हैं जिनकी पूर्ति होने पर व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है।

- **मूल्यांकन:** अन्य सभी शिक्षण विधियों की भांति प्रसार शिक्षा में भी मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षणार्थी दोनों के लिये ही लाभप्रद है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी कमियों को जानकर, सकारात्मक रूप से स्वयं में दीर्घकालीन सुधार ला सकता है। साथ ही मूल्यांकन यह भी बताता है कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं? मूल्यांकन एक विशलेषणात्मक अध्धयन है।

प्रसार शिक्षा प्रदान करते समय ग्रामीणों का बौद्धिक - शैक्षिक स्तर, उनकी सामाजिक स्थिति, प्रसार माध्यमों की उपलब्धता, यातायात सुविधा जैसे बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे के..... हैं।
b) मनुष्य की समस्त क्रियायें ..... द्वारा ही संचालित होती हैं।
c) ग्रामीणों का ..... करने के लिए उन्हें पारितोष दिया जा सकता है।
d) प्रसार कार्यक्रम की सफलता ..... दोनों पर समान रूप से निर्भर करती है।

3.8 सारांश

प्रसार शब्द का अर्थ हैं फैलाना अथवा प्रसारित करना। सूचना एवं तकनीक के इस युग में नित नवीन विकसित होती हुयी तकनीक एवं इसके लाभ से ग्रामीणों को परिचित कराना, सही अर्थो में प्रसार शिक्षा के कारण ही संभव हो सका है। प्रसार एक कार्यक्रम है क्यों कि इसे एक कार्यक्रम की भांति नियोजित करके चलाया जाता है। भारत में प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों एवं अंचलो केा ध्यान में रखकर डिजाइन की गयी है। भारत गाँवों का देश है, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। इसी भावना के केन्द्र में निहित है प्रसार शिक्षा जिसका प्रमुख उददेश्य ग्रामीणों के मध्य अशिक्षा, अन्धविश्वास, दरिद्रता दूर कर उसके स्थान पर शिक्षा, समृद्धि तार्किकता, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। प्रसार शिक्षा का उदृभव ग्रामीण विकास के दृष्टिगत ही हुआ है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों में नयी तकनीक, शोध, अनुसंधान, उत्पादन प्रक्रिया को संर्वधित करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सर्वाधिक सुगम एवं सहज माध्यम मे उपलब्ध कराता है। प्रसार प्रक्रिया का कभी अन्त नहीं होता है नदी की धारा की भांति यह अविरल हैं। प्रसार शिक्षा अधिगम की अत्यन्त उपयोगी विधा है जो ज्ञान,सूचना जानकारी, कार्य करने के कौशल /कार्य विधि तथा मनोवृति में परिवर्तन लाकर मानव व्यवहार को सकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। प्रसार शिक्षा ने ग्रामीणों

को स्वयं में कुछ कर दिखाने की प्रतिभा विकसित की है। विगत कुछ वर्षों से जहाँ ग्रामीण समुदाय पलायन का दंश झेल रहा था वहीं आज प्रसार शिक्षा के प्रभाव से कई शहरी नागरिक रोजगार के बेहतर अवसर सृजन करने तथा ग्रामीण समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये गाँवों की ओर प्रस्थान कर रहें हैं जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिये एक शुभ संकेत है।

3.9 पारिभाषिक शब्दावली

- **प्रसार:** प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेनशन का हिन्दी रूपान्तरण है। एक्सटेनशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टैनिसो से मिलकर बना है, एक्स का अर्थ होता है बाहर तथा टैनिसो का अर्थ है फैलाना अथवा प्रसारित या विस्तृत करना। इस प्रकार प्रसार शिक्षा का अर्थ "किसी महत्वपूर्ण सूचना के अधिकाधिक विस्तारण" से माना जा सकता है

- **अभिप्रेरण:** अभिप्रेरण से तात्पर्य एक इच्छाशक्ति अथवा कई इच्छाशक्तियों के संयोग से है जो कि उददे्श्य की प्राप्ति हेतु कार्य करती हैं अभिप्रेरण सदैव लक्ष्य प्रधान होता है।

- **प्रसार शिक्षण**: प्रसार शिक्षा में शिक्षण वह माध्यम है जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के मध्य ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है, जिससे कि ग्रामीण एवं प्रसार कार्यकर्ता के बीच सकारात्मक संचार संभव हो जाता है तथा ग्रामीणों के बीच सीखने की जिज्ञासा प्रबल हो उठती है।

- **अधिगम**: अधिगम (सीखना) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब कोई व्यकित अपने स्वयं के प्रयासों एवं अनुभवों से अपने व्यवहार एवं क्रिया विधि में वांछित एवं सकारात्मक परिवर्तन पाता है।

3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) शिक्षण कार्य
b) सोच , मनोवृत्ति
c) सीखना अथवा अधिगम

d) एडवर्ड थोर्नडीक (1932)

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a) पूरक
b) अभिप्रेरण
c) प्रोत्साहन
d) ग्रामीणों तथा प्रसार कार्यकर्ता

3.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Education and Communication for Development, Second Edition (2017) Dhama, O.P. and Bhatnagar, O.P. ISBN- 81-204-0030-5, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi.
- Throndike E. (1932), The Fundamental of Learning, AMS Press Inc. ISBN - 0404-06429-9
- प्रसार शिक्षा, डा० वृन्दा सिंह, ISBN- 978-81-7056-570-3 द्वितीय संस्करण,पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- प्रसार शिक्षा, डा० एस० एल० त्रिपाठी, ISBN-978-81-7555-221-0 यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- प्रसार विज्ञान डा० श्रीमती सुनीता मिश्रा, ISBN-81-7555-180-1 यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- Center for Research and Education, Diversity and Excellence (CREDE), University of California, www.-bcf.usc.edu.

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रसार शिक्षा के चरणों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए?
2. प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए?
3. प्रभावशाली शिक्षण एवं अधिगम हेतु मापदंडों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए?

इकाई 4 : प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण
  4.3.1 प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण
  4.3.2 स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण
  4.3.3 कार्य के आधार पर वर्गीकरण
  4.3.4 प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर वर्गीकरण
  4.3.5 नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण
  4.3.6 ग्रहणकर्ता की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण
  4.3.7 प्रसार शिक्षण पद्धतियों के संयुक्त प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण
4.4 प्रसार शिक्षण पद्धतियों को प्रभावित करने वाले तत्व
4.5 सारांश
4.6 पारिभाषिक शब्दावली
4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.9 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स (ETM) अथवा प्रसार शिक्षण विधियों को उन उपकरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उपयोग उन स्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है जिसमें प्रशिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच सार्थक संचार हो सकता है। प्रसार शिक्षण विधियाँ वे उपकरण और तकनीकें हैं जिनका उपयोग उन परिस्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है जिसमें

ग्रामीण लोगों और प्रसार कार्यकर्ताओं के मध्य संचार हो सकता है। ये ग्रामीण लोगों को इस तरह की तकनीकों पर अपना ध्यान आकर्षित करके नए ज्ञान और कौशल प्रदान करने के तरीके हैं, जिससे उनकी रुचि जागृत होती है और उन्हें नए अभ्यास का सफल अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन तरीकों की उचित समझ और एक विशेष प्रकार के काम के लिए उनका चयन आवश्यक है। अत: एक कुशल प्रसार कार्यकर्ता वही है जिसे भलीभाँति ज्ञात हो कि किस पद्धति का प्रयोग किस समय किया जाना है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक प्रसार शिक्षण विधियों का उद्देश्य शिक्षार्थियों के भीतर रुचि और उत्साह जगाना है ताकि वे स्थायी जीवन जीने के लिए अपने कौशल और ज्ञान को एक हद तक विकसित कर सकें।

प्रसार शिक्षण विधियां कई प्रकार की होती हैं,ये केवल व्याख्यान या प्रस्तुतियां नहीं हैं जो शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा के भीतर की जाती हैं। प्रसार शिक्षण विधियों में व्यक्तिगत संपर्क विधियां (जैसे खेत और घर के दौरे, कार्यालय कॉल, टेलीफोन कॉल और व्यक्तिगत पत्र आदि) समूह संपर्क विधियां (प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन बैठकें, नेता प्रशिक्षण बैठकें, व्याख्याता बैठकें, सम्मेलन, चर्चा बैठकें, पर्यटन, स्कूल और विविध बैठकें) तथा जन संपर्क विधियाँ (रेडियो, टेलीविजन, नोटिस, बुलेटिन, पोस्टर, पत्र, पत्रक, विज्ञापन, कहानियां और प्रदर्शन) आती हैं।

4.2 उद्देश्य

प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनसमूहों के ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा कार्य पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। प्रस्तुत इकाई को पूर्ण करने के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- प्रसार शिक्षण पद्धतियों को समझने में।
- प्रसार शिक्षण पद्धतियों के वर्गीकरण को समझने में।
- प्रसार शिक्षण पद्धतियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे।

4.3 प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण

भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी मूलभूत सुविधाओं एवं विकास से कोसों दूर है। जिसका प्रमुख कारण अशिक्षा है, ऐसे जनसमूहों के व्यवहार एवं अभ्यास में परिवर्तन लाना एक टेढी खीर है। परन्तु प्रसार शिक्षा एवं प्रसार कार्यकताओं के अभिप्रेरण से यह संभव हो सका है। प्रसार

शिक्षा प्राप्त लाभार्थी अपने सामाजिक स्तर में परिवर्तन देखकर प्रेरित होते हैं और यही उनके व्यवहार, अभिवृत्तियों एवं सोच में परिवर्तन लाता है।

प्रसार शिक्षा सामग्री विशेषज्ञों की देखरेख एवं उनके सहयोग से तैयार की जाती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, सेवानिवृत अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों का इसमें सहयोग लिया जाता है। वर्तमान में कई संस्थान जैसे- कृषि विज्ञान केन्द्र, युवा क्लब, कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय तथा अनेकों गैर सरकारी संस्थानों में एक विशिष्ट शाखा प्रसार शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी परियोजनाओं, साक्षरता कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य एवं कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ- बेटी पढाओ, मिशन इन्द्रधनुषद्ध के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के लिये एक विशिष्ट शाखा है। प्रसार विशेषज्ञों द्वारा प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण अनेकों प्रकार से किया गया है। जैसे ;

1. प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण
2. स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण
3. कार्य के आधार पर वर्गीकरण
4. नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण
5. ग्रहणकर्ता की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण
6. प्रसार शिक्षण पद्धतियों के संयुक्त प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण
7. प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर वर्गीकरण

आइये अब इन सभी विधियों को विस्तार से समझें,

4.3.1 प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण

प्रसार विधियों को वर्गीकृत करने का एक तरीका उनके उपयोग और संपर्क की प्रकृति के अनुसार है। दूसरे शब्दों में, कहें तो यह कि प्रसार कार्यकर्ता लोगों से किस प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करता है जैसे : व्यक्तिगत रूप से, समूहों में या व्यापक जन संपर्क। अत: संपर्क की प्रकृति के आधार पर, उन्हें व्यक्तिगत, समूह और व्यापक जन-संपर्क विधियों में विभाजित किया जाता है।

व्यक्तिगत-संपर्क विधियाँ: इस श्रेणी के अंतर्गत प्रसार विधियाँ ग्रामीण लोगों और प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच आमने-सामने या व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क के अवसर प्रदान करती हैं। ये तरीके नए कौशल सिखाने और किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच सद्भाव पैदा करने में बहुत प्रभावी हैं।

समूह-संपर्क विधियाँ: इस श्रेणी के अंतर्गत, ग्रामीण लोगों या किसानों से एक समूह में संपर्क किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 20 से 25 व्यक्ति होते हैं। ये समूह आम तौर पर एक सामान्य हित

के आसपास बनते हैं। इन विधियों में लोगों के साथ आमने-सामने संपर्क भी शामिल है तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श, तकनीकी सुझावों पर चर्चा और अंत में कार्रवाई करने हेतु विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है।

व्यापक जन संपर्क विधियाँ: एक प्रसार कार्यकर्ता को एक नई जानकारी प्रसारित करने और उसका उपयोग करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना पड़ता है। यह बड़े पैमाने पर संपर्क विधियों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। नई कृषि तकनीक से लोगों को जल्दी अवगत कराने के लिए ये तरीके अधिक उपयोगी हैं।

<table>
<tr><th colspan="3">प्रयोग के आधार पर</th></tr>
<tr><th>व्यक्तिगत सम्पर्क</th><th>समूह सम्पर्क</th><th>व्यापक जन सम्पर्क</th></tr>
<tr><td>घर पर जाकर</td><td>प्रदर्शन - विधि प्रदर्शन, परिणाम</td><td>मुद्रित सामग्रियाँ, समाचार प़त्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, बुलेटिन, पैम्पलेटस, परिपत्र,सरकुलर प़त्र, फलैश कार्ड</td></tr>
<tr><td>खेत पर जाकर</td><td>खेतों पर भ्रमण</td><td rowspan="7">शिविर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, चार्ट पोस्टर, मेला, प्रोजेक्टर, इन्टरनैट, सैटेलाइट</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>टेलीफोन पर वार्ता</td><td>प्रशिक्षण कार्यक्रम, भ्रमण</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कार्यालय जाकर</td><td rowspan="3">परिणाम प्रदर्शन, वार्ता सभायें- पैनल, फोरम,समूह साक्षात्कार, सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>व्यकितगत प़त्र</td></tr>
</table>

4.3.2 स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

प्रसार-शिक्षण विधियों को उनके रूपों के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे लिखित, मौखिक और दृश्य। इन 3 श्रेणियों में से प्रत्येक के तहत कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ तालिका में दी गई हैं।

स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर

मौखिक		लिखित	दृश्य
प्रत्यक्ष	**अप्रत्यक्ष**	अखबार	प्रर्दशनी
कक्ष शिक्षण	रेडियो	पत्र पत्रिकायें	छायाचित्र
सभायें, सम्मेलन	टेपरिकार्डर	किताबें	पोस्टर
गोष्ठियाँ, अधिवेशन	टेलीफोन	परिपत्र	चार्ट
व्याख्यान		सरकुलर पत्र	फलैश कार्ड
घर, खेत, कार्यस्थल पर भेंट		सूचना पत्र	पपेट शो
सामूहिक चर्चा		चार्ट /पोस्टर	नाटक, फिल्म,स्लाइड शो

4.3.3 कार्य के आधार पर वर्गीकरण

प्रसार विधियों का वर्गीकरण कार्य के आधार पर भी किया जा सकता है जिसका अर्थ यह है कि प्रसार कार्यकर्ता ने अपनी बात को लोगों तक किस प्रकार पहुंचाया, उदाहरणार्थ: उसने अपनी बात मुँह से बोलकर की या उन्हें सामने दिखाकर अथवा किसी प्रकार से प्रदर्शित करके। इस प्रकार कार्य के आधार पर इन विधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

कार्य के आधार पर		
बोलकर	**दिखाकर**	**प्रदर्शन करके**
खेत तथा घर पर भेंट	चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, बुलेटिन, पैम्मलेटस,	विधि प्रर्दशन
आडियो सुनकर	मुद्रित सामग्रियाँ	परिणाम प्रर्दशन
सभा, सम्मेलन	फोटोग्राफ्स, पपेट शो	व्यवहारिक प्रशिक्षण
अधिवेशन, कार्यशाला, गोष्ठियाँ	स्लाइड प्रोजेक्टर	कार्य के दौरान प्रशिक्षण

व्याख्यान	टेलीविजन	विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण
टेप रिकार्डर	भ्रमण, फिल्म शो, नाटक	

अभ्यास प्रश्न 1.

प्रश्न: निम्न में सही या गलत बताइये।

a) समूह-संपर्क विधियों के अंतर्गत, ग्रामीण लोगों या किसानों से एक समूह में संपर्क किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 100 से 200 व्यक्ति होते हैं।

b) व्यापक जन संपर्क विधियों में एक प्रसार कार्यकर्ता को एक नई जानकारी प्रसारित करने और उसका उपयोग करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना पड़ता है।

c) प्रसार शिक्षा एवं प्रसार कार्यकताओं द्वारा जनसमूहों के व्यवहार एवं अभ्यास में परिवर्तन लाना भी संभव है।

4.3.4 प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर वर्गीकरण

प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जो कई चरणों से होकर गुजरती है। एक कुशल कार्यकर्ता का यही कार्य है कि वो यह निश्चित करे कि किस चरण में किस विधि का प्रयोग करना सर्वोत्तम रहेगा जिससे कि सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी। प्रसार शिक्षा के इन्हीं चरणों के आधार पर हम प्रसार विधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं;

प्रसार शिक्षण चरणों के आधार पर						
ध्यानाकर्षण	अभिरूचि	आकांक्षा	विश्वास	क्रिया	संतुष्टि	मूल्यांकन
पोस्टर	विधि व परिणाम प्रदर्शन	प्रदर्शनी	परिणाम प्रर्दशन	परिणाम प्रदर्शन	व्यकितगत सम्पर्क	व्यकितगत सम्पर्क
चार्ट	मुद्रित सामग्री	सभायें	विधि प्रदर्शन	विधि प्रदर्शन	कार्यक्षेत्र भ्रमण	समूह चर्चा

फलैश कार्ड	नाटक	फिल्म शो	सचित्र प्रदर्शन	अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श	सफल उदाहरण	परिणाम विश्लेषण
मुद्रित सामग्री	पपेट शो	सेमिनार	अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श	वार्तालाप	समाचार	विशेषज्ञों से परामर्श
प्रदर्शित सामग्री	सिनेमा	कर्यशाला	वार्तालाप	व्यकितगत भेंट	परिणाम प्रदर्शन	घर तथा खेत पर भेंट
मेला	सामूहिक चर्चा	व्याख्यान	व्यकिगत भैंट	.....	.....	....
प्रदर्शनी	माडल	परिणाम प्रर्दशन	.....	.....	.....	....
लाऊड स्पीकर	चार्ट,फोल्डर	.....	.....	.....	....	....
सभाएं एवं गोष्ठियाँ	भ्रमण	.....	.....	.....	.....	.....

4.3.5 नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण

नवाचार निर्णय प्रक्रिया व्यक्ति द्वारा किसी भी नवाचार अथवा नई तकनीक के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने से आरम्भ होती है, जिसका वह व्यक्ति मूल्यांकन करता है कि उस नवाचार के लाभ तथा हानियाँ क्या क्या हैं तत्पश्चात वह कोई निर्णय लेता है तथा आगे की कार्यवाही में लग जाता है। इस प्रकार इन्हीं सबके आधार पर प्रसार विधियों निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है;

नवाचार निर्णय प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण			
जानकारी (सूचना)	**मूल्यांकन**	**निर्णय**	**क्रिया**
मुद्रित सामग्रियाँ	मुद्रित सामग्रियाँ	खेत तथा घर पर भेंट	परिणाम प्रदर्शन
व्यकितगत सम्पर्क	श्रव्य दृश्य साधन	कृषि विज्ञान केन्द्र पर जाकर सम्पर्क	व्यकितगत भेंट
जन सम्पर्क	प्रशिक्षण कार्यक्रम	व्यकितगत सम्पर्क	
परिपत्र	अभ्यास		
श्रव्य दृश्य सामग्री	प्रदर्शन विधि तथा परिणाम		
समूह सम्पर्क	सभायें		

4.3.6 ग्रहणकर्ता की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण

ग्रहणकर्ता की श्रेणी से तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों के मध्य प्रसार कार्य किया जा रहा है उनकी ग्रहण करने की क्षमता क्या है ? क्या वे शीघ्रता से सीख लेते हैं या फिर कुछ समय लेते हैं या फिर बहुत अधिक समय लेते हैं। ग्रहण करने की क्षमता से उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर, सीखने की योग्यता तथा सीखा हुआ ग्रहण करने की क्षमता का पता चलता है अत: प्रसार कार्यकर्ता इन्हीं सबको आधार बनाकर उचित विधि का चयन कर सकता है।

अधिगमकर्ता की क्षमता के आधार पर		
शीघ्र ग्रहण करने वाले	**विलम्ब से ग्रहण करने वाले**	**अतिकालिक ग्रहणकर्ता**
टेलीविजन देखकर	व्यकितगत सम्पर्क	स्थानीय नेता
रेडियो सुनकर	परिणाम प्रदर्शन	मित्र, सम्बन्धी या पड़ौसी को देखकर

सामूहिक जन संपर्क	भ्रमण	भ्रमण
प्रदर्शन विधि व परिणाम	खेत तथा घर पर भेंट	परिणाम प्रदर्शन
सभा, सम्मेलन	श्रव्य - दृश्य साधनों का प्रयोग	
कार्यशाला		

4.3.7 प्रसार शिक्षण पद्धतियों के संयुक्त प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण

इसके अंतर्गत किसी एक विधि का प्रयोग न करके दो या दो से अधिक विधियों के संयोजन का प्रयोग करके किसी भी प्रसार कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नीचे तालिका में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है;

प्रसार शिक्षण विधियों का संयुक्त प्रयोग

उददेश्य	**संयुक्त रूप से प्रयुक्त प्रक्षेपण सामग्री**
दृष्टिकोण, जानकारी तथा कार्यकुशलता में परिवर्तन लाने हेतु	1.विधि एवं परिणाम प्रदर्शन 2. व्यक्तिगत प्रदर्शन 3.समूह सम्पर्क 4. विराट जन सम्पर्क 5.श्रव्य दृश्य सामग्री
नवीन ज्ञान, विचार, तथ्य,सूचनाओं का प्रसार एवं संचार	1.व्यकितगत सम्पर्क 2. समूह सम्पर्क 3.सभा सम्मेलन एवं सेमिनार 4. समूह चर्चा 5. स्थानीय नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार
उन्नत विधियों एवं तकनीकों का प्रचार एवं प्रसार	1. विधि एवं परिणाम प्रदर्शन 2.सम्पर्क विधियाँ 3. प्रशिक्षण शिविर 4. जन संचार माध्यम

उन्नत विधियों एवं तकनीकों का प्रचार प्रसार	1. सभी प्रकार के सम्पर्क 2. विधि प्रदर्शन 3.सभा सम्मेलन कार्यशाला, अधिवेशन 4. व्याख्यान 5.जन संचार माध्यम 6. मित्रों तथा संबधियों का अनुभव 7. नाटक, कठपुतलियों का खेल

4.4 प्रसार शिक्षण पद्धतियों को प्रभावित करने वाले तत्व

प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है किन्तु सभी स्थितियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रसार विधियों के चयन और उपयोग के लिए एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात एक ही विधि का चयन करके कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। एक प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, अधिक से अधिक बार सिखाया जाए और प्रति संपर्क लागत भी कम आये। सबसे प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे उचित विधियों का चयन करें; चयनित विधियों का एक उपयुक्त संयोजन बनायें और उन्हें उचित क्रम में उपयोग करें, ताकि विभिन्न तरीकों से विधियों की पुनरावृत्ति हो। प्रसार शिक्षण पद्धतियों के चयन में एक प्रसार कार्यकर्ता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आइये अब हम उन कारकों के बारे में पढ़ें जो इन विधियों के चयन को प्रभावित करते हैं;

1. **श्रोता**

यह जरूरी है कि प्रशिक्षकों को उन दर्शकों के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए जिनके साथ वे बातचीत करने जा रहे हैं। इसके अलावा, दर्शकों के आकार को उनकी शैक्षणिक योग्यता के स्तर के साथ जोड़ा जाता है जो प्रसार शिक्षण विधियों की पसंद को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जब प्रतिभागियों की संख्या तीस से अधिक हो तो समूह चर्चा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं की जा सकती है, इसी प्रकार विधि प्रदर्शन का उपयोग अपेक्षाकृत कम दर्शकों के लिए किया जा सकता है, जबकि व्याख्यान बैठकों का उपयोग बड़ी संख्या में दर्शकों के लिए किया जा सकता है। अत: प्रसार कार्यकर्ता को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि दर्शक अथवा दर्शकों को समूह किस प्रकार का है।इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं;

a. दर्शकों के शैक्षिक स्तर के आधार पर

अनपढ़ों के लिए - व्यक्तिगत दौरे

शिक्षितों के लिए - लिखित सामग्री

b. दर्शकों का आकार

30 से कम के लिए - व्याख्यान, समूह चर्चा।

30 से अधिक के लिए - बड़े पैमाने पर तरीके।

2. शिक्षण उद्देश्य

उपयुक्त तरीकों की पहचान के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, प्रशिक्षक के साथ-साथ शिक्षार्थियों के दिमाग में पूरी प्रक्रिया के उद्देश्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए। इस संबंध में, कुछ विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता है जैसे: क्या आप सोच या ज्ञान या दृष्टिकोण या भावना या कार्य या कौशल में बदलाव के बारे में सोचना चाहते हैं? यदि आप बड़ी संख्या में लोगों को केवल सूचित या प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको जन संचार के साधनों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप अधिकतम सुधार करने के लिए अपेक्षाकृत कम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क विधियों का सहारा लें। यदि आप दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं या किसी आम सहमति पर पहुंचना चाहते हैं, तो समूह चर्चा या ग्राम नेताओं के माध्यम से काम करें। यदि आप एक कौशल सिखाना चाहते हैं, तो विधि प्रदर्शन का उपयोग करें।

a. जागरूकता लाने के लिए - बड़े पैमाने पर तरीके।
b. रवैया बदलने के लिए - समूह चर्चा।
c. कौशल प्रदान करने के लिए – प्रदर्शन विधि।

इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य विधियों के चयन को प्रभावित करता है।

3. विषय

जहां नया अभ्यास सरल या परिचित है (अर्थात, पहले से ही अनुसरण किए जा रहे हों) उस परिस्थिति में समाचार लेख, रेडियो या परिपत्र पत्र प्रभावी होंगे, जबकि जटिल या अपरिचित तकनीकों के लिए आमने-सामने संपर्क, लिखित सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता होगी। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं;

a. एक अनुशंसित अभ्यास के मूल्य को साबित करने के लिए - परिणाम प्रदर्शन।
b. एक नए कौशल, या एक पुराने एक बेहतर तरीके से सिखाने के लिए - विधि प्रदर्शन।
c. सरल प्रौद्योगिकी का प्रसार करना - समाचार लेख।
d. एक जटिल तकनीक सिखाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ आमने सामने संपर्क विधि।

4. विस्तार संगठन के विकास का चरण

प्रसार के प्रारंभिक चरणों में, किसानों का विश्वास हासिल करने के लिए परिणाम प्रदर्शन आवश्यक होगा। लेकिन अगर प्रसार कार्य पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है और किसानों को प्रसार सेवाओं में विश्वास है, तो परिणाम प्रदर्शन आवश्यक नहीं हो सकते हैं और ग्राम नेताओं द्वारा गोद लेने के स्थानीय चित्र ही पर्याप्त होंगे।

5. संचार माध्यमों की उपलब्धता

कुछ संचार माध्यमों (यानी समाचार पत्र, टेलीफोन, रेडियो आदि) की उपलब्धता का भी सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि इन विधियों का वह किस हद तक उपयोग किया जा सकता है।

6. विधि की सापेक्ष लागत

विधि की सापेक्ष लागत (अर्थात, परिवर्तित प्रथाओं के संबंध में विस्तार शिक्षण पर खर्च की गई राशि) भी उनके चयन और उपयोग में एक महत्वपूर्ण विचार है।

7. विस्तार विधियों के साथ एक्सटेंशन पेशेवरों की परिचितता

एक प्रसार कार्यकर्ता की परिचितता, और कौशल के उपयोग में, कई एक्सटेंशन विधियाँ उनकी पसंद और विधियों के उपयोग को भी प्रभावित करेंगी।

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a. लोगों का रवैया बदलने के लिए..... विधि का प्रयोग किया जाता है।
b. एक नए कौशल को अथवा पुराने को ही बेहतर तरीके से सिखाने के लिए..... विधि का प्रयोग किया जाता है।
c. जब दर्शकों की संख्या 30 से कम हो तब ..... की जाती है।
d. सबसे प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे उचित.....का चयन करें।

4.5 सारांश

प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के विकास और विकास के लिए नेतृत्व करना ; ज्ञान प्रदान करना और लोगों को अधिक उत्पादक और कुशलता से काम करने में सक्षम बनाना; बाहरी दुनिया से परिचित होने और बातचीत के बेहतर अवसर प्रदान करने में व्यक्तियों की मदद करना; लोगों के लिए कौशल और प्रतिभा विकसित करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए नए अवसर खोलना; लोगों को समाज के आत्मनिर्भर और उत्पादक नागरिक बनाना और व्यक्तियों के बीच

बेहतर, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को बढ़ावा देना है। प्रसार शिक्षण विधियों के तीन प्राथमिक क्षेत्र हैं व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ, समूह संपर्क विधियाँ और जन संपर्क विधियाँ हैं। इन विधियों का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और अन्य छोटे या बड़े समूहों में ज्ञान और सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इन विधियों में, विज्ञापन, बुलेटिन, नोटिस, पोस्टर, पत्रक आदि भी हैं जिनका उपयोग जनता को जानकारी के प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रसार शिक्षण विधियों का चयन निम्नलिखित क्षेत्रों पर आधारित है, ये हैं - श्रोता, विषय वस्तु का वर्गीकरण, वांछित परिवर्तन, सीखने के सिद्धांत, विधियों के प्राथमिक कार्य, आवश्यकता और समय के कारक और विधि की उपलब्धता। जब कोई प्रसार शिक्षण विधियों का चयन कर रहा होता है, तो शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि, उनकी आवश्यकताओं और स्थितिजन्य कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति मौखिक तकनीकों के बजाय लिखित तकनीकों के उपयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो लिखित शिक्षण-अधिगम पद्धति का अधिक उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार इस इकाई में आपने यह सीखा कि प्रसार शिक्षण विधियों का चयन किस प्रकार किया जाता है तथा यह चयन किस प्रकार से कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

4.6 पारिभाषिक शब्दावली

- **प्रसार शिक्षण विधियाँ** : ये वो उपकरण हैं जिनका उपयोग उन स्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है जिसमें प्रशिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच सार्थक संचार हो सकता है।
- **व्यक्तिगत-संपर्क विधियाँ:** ग्रामीण लोगों और प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच आमने-सामने या व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क।
- **समूह-संपर्क विधियाँ:** इस श्रेणी के अंतर्गत, ग्रामीण लोगों या किसानों से एक समूह में संपर्क किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 20 से 25 व्यक्ति होते हैं।
- **व्यापक जन संपर्क विधियाँ**: बड़ी संख्या में लोगों के मध्य एक नई जानकारी प्रसारित करने और उसका उपयोग करने हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली विधि।

4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1.

प्रश्न : निम्न में सही अथवा गलत बताइये।

a. गलत

b. सही

c. सही

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

a. समूह चर्चा

b. विधि प्रदर्शन

c. व्याख्यान, समूह चर्चा।

d. विधियों

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- घामा , ओ0 पी0 (1997) प्रसार और ग्रामीण विकासराम प्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल
- घामा ओ0 पी0 भटनागर, औ0पी0 (1985) विकास हेतु प्रसार एवं प्रचार ओक्सफोड और आई0बी0एच0 प्रकासन कम्पनी, नई दिल्ली, द्वतीय प्रकाशन
- एटिलेस, जे0एच0औ ड्यूबेंच, जी0ई0(जून2014) परिवार और उपभोक्ता विज्ञान और विविध दुनिया में सहकारी प्रसार जनरल ऑफ एक्सटेशन 52(3). www.joe.org
- श्रीनाथ के0 (20 नवम्बर 2002) प्रसार शिक्षा संकल्पना और द्रृष्टिकोण विनर स्कूल ऑन एडवांस इन हारवेस्ट टेक्नोलॉजी, कोचीन।
- बाबू, एस0 ग्लेन्डनींग, सी0जे0 और ओकीरी के0 ए0 (दिसम्बर 2010) रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इण्डिया आई0 एफ0पी0आर0आई0चर्चा पत्र 01048
- साह, ए0के0 (2002) प्रसारशिक्षा भारतीय युवायोंकी आकांक्षाओं को तीसरे आयाम की जरूरत कमल राज, जरनल ऑफ सोशियल सांइस 6(3):309-214 (2002)
- http://ecoursesonline.iasri.res.in

4.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण को विस्तार से समझाइये।

2. प्रसार शिक्षण विधियों के चयन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं?

खण्ड 2
प्रसार शिक्षा में संचार तकनीकें

इकाई 5: संचार

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 संचार
  5.3.1 संचार की अवधारणा
  5.3.2 संचार का अर्थ एवं परिभाषा
  5.3.3 संचार का क्षेत्र तथा कार्य
  5.3.4 संचार के प्रकार
  5.3.5 संचार प्रक्रिया तथा संचार प्रक्रिया के तत्व
5.4 नवाचार
  5.4.1 परिभाषा
  5.4.2 नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक
  5.4.3 नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया
  5.4.4 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण
5.5 सारांश
5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.7 पारिभाषिक शब्दावली
5.8 सन्दर्भ ग्रंथों की सूची
5.9 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप संचार का अर्थ, कार्य, समस्याएं, प्रक्रिया, तत्व तथा प्रकारों के सम्बन्ध में चर्चा करेंगें। संचार समाज के मध्य संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें स्त्रोत से ग्राही के मध्य किसी सूचना का हस्तांतरण किया जाता है। उदाहरणार्थ इस सूचना हस्तांतरण द्वारा किसानों के विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यह इकाई आपको विचारों तथा जानकारी के आदान प्रदान में संचार की अवधारणा को समझने में मदद करेंगी। इसमें आप नवाचार के बारे में भी पढेंगे जिसका अर्थ है नई पद्धति अथवा नया आविष्कार। आप नवाचार के विभिन्न तत्वों तथा नवाचार ग्रहण करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। किसी व्यक्ति की किसी नवाचार को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर हम उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं इसके सम्बन्ध में भी इस इकाई में बताया गया है।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के पश्चात आप :

- प्रभावी संचार का अर्थ समझेगें।
- एक प्रभावी संचार के मध्य आने वाली रूकावटों की पहचान कर सकेंगें।
- वैयक्तिक तथा जनसंचार प्रक्रियाओं में अन्तर को समझ सकेंगें।
- प्रसार कार्य में संचार प्रक्रिया के निहितार्थ को समझेगें।
- नवाचार तथा उसके तत्वों को जानेंगे।
- अभिग्रहणकर्ताओं के वर्गीकरण को समझेंगे।

5.3 संचार

5.3.1 संचार की अवधारणा

संचार (Communication) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्यूनिस (Communis) से हुई है जिसका तात्पर्य है to make Common या सर्वसामान्य बनाना। संचार का तात्पर्य अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर, उन्हें सर्वसामान्य बनाकर दूसरों के साथ साझा करने से है।

5.3.2 संचार का अर्थ एवं परिभाषा

संचार शब्द बहुत बड़ा है और इसके कई अर्थ हैं। दहामा के अनुसार " Communication is an act by which a person shares the knowledge, feelings, ideas, information etc.in ways that each gains a common understandings

संचार प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण हैं:

- **विचार :** पहला, प्रेषक के मस्तिष्क किसी जानकारी का होना यह एक विचार, अवधारणा, जानकारी या अनुभूति हो सकती है।
- **संकेतीकरण(Encoding)** : अगला, ग्राही को शब्दों या संकेतों द्वारा किसी संदेश को भेजना।
- **संकेतवाचन (Decoding) :** अन्तिम, ग्राही द्वार संदेश के शब्दों या संकेंतों को एक अवधारणा में परिवर्तित करके एक व्यक्ति द्वारा समझने योग्य बनाना।

लीगैन्स के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों या भावनाओं को इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक ही प्रकार से स्वीकार करते हैं।

संचार प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के विचारों के प्रभावित करना है।

संचार प्रक्रिया प्रसार , प्रशिक्षण या जानकारी को आगे बढाने के लिए आधारभूत इकाई है। कोई सीखने की प्रक्रिया अर्थात सामाजिक परिवर्तनों या नये आविष्कारों का प्रसार कृषि कार्यों मे हुए सुधारों के संचार के बिना स्पष्ट नहीं हेा सकता। किसी भी प्रसार तंत्र का अंतिम उद्देश्य किसी भी जानकारी को प्रभावपूर्ण तरीके से उपभोक्ता तक पहुचाना होता है। कृषि प्रसार कार्यों में संचार प्रक्रिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि एक प्रसार कार्यकर्ता तथा किसान के मध्य उचित संचार नहीं होगा तो प्रसार इकाई द्वारा विकासित जानकारी, ज्ञान, समझ या कौशल किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। किसी भी नये कृषि के आविष्कार को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ता के मध्य प्रभावी संचार होना अति आवश्यक है। लिटिल (1980) के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या संगठनों के मध्य किसी जानकारी पूर्व सहमति वाले प्रतीकों के माध्यम से का आदान प्रदान होता है। संचार प्रक्रिया किसी जानकारी को प्रवाहित करने के लिए प्रयोग होने वाली एक द्वीपक्षीय प्रक्रिया है। एक संचार प्रक्रिया की कई विशेषताएं होती है जिन्हें समझने के पश्चात ही कोई प्रसार कार्यकर्ता इस प्रक्रिया के प्रयोग द्रवारा किसी जानकारी को प्रभावी रूप से उपयोगकर्ता तक पहुॅचा सकता है। ये विशेषताएं निम्न हैं:-

1) स्पष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्य ।

2) एक प्रभावी संचार प्रक्रिया हेतु प्रसार कार्यकर्ता द्वारा कई प्रदर्शन विधियों को मिलाकर प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रक्रिया एकल रूप से इतनी प्रभावी नहीं होती कि उद्देश्य को पूरा कर सकें।

5.3.3 संचार के क्षेत्र तथा कार्य

भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दहामा के अनुसार – "the researches shows that on an average a person spends about 70% of his active time on communicating verbally- listening, speaking, reading and writing." इसमें भी वैयक्तिक संचार सर्वाधिक सफल है क्योंकि संचार संदेश के साथ में व्यक्ति के मनोभाव भी प्रकट होते हैं जो दूसरा व्यक्ति सजीव एवं प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है। संचार का क्षेत्र बहुत वृहत है। प्रात: उठने से लेकर रात को सोने तक हम सभी किसी न किसी प्रकार से इस प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं।

संचार के कार्य

संचार विभिन्न जानकारियों, व्यवहार, विचार आदि को दूसरों के साथ साझा करने की एक उत्तम कोशिश है। संचार के बहुत सारे कार्य हैं जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नवत हैं;

1) जानकारी का कार्य : जानकारी संचार के सभी कार्यों का आधार है। स्वयं को वातावरण के अनुकूल करना या वातावरण को स्वयं के लिये अनुकूल बनाना इन सभी का आधार तत्व जानकारी ही है। अत: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियों का आदान प्रदान ही सभी संचार प्रक्रियाओं को कायम रखता है। विभिन्न जानकारियों का संचार कृषि विश्वविद्यालयों के शोध निष्कर्षों के संग्रहण, प्रसंस्करण या प्रसार द्वारा कार्यकर्ता तक तथा अन्तत: किसानों तक पहुॅचाने से होता है।

2) प्रेरक कार्य : यह कर्मचारियों या किसानों का रवैया परिवर्तित करने की क्षमता है। प्रेरक के तीन भाग हैं : स्त्रोत विश्वसनीयता, भावनात्मक अनुरोध तथा सामाजिक एवं अहम की आवश्यकताएं। सामान्यतया प्रेरक किसी भी वातावरण में तभी प्रभावी रूप से कार्य कर पायेगा जब जानकारी प्राप्त करने का स्त्रोत विश्वसनीय हो।

3) आदेशात्मक कार्य: जो व्यक्ति पद के क्रम में श्रेष्ठ हैं (परिवार, व्यापार या अन्य किसी स्थान पर) वे या तो कोई जानकारी देने के लिए या फिर क्या करना है और कैसे करना है जैसे प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए अपने अधीनस्थ से संचार की पहल करते हैं। कोई भी जानकारी उच्च अधिकारियों से नीचे अधीनस्थों की ओर प्रवाहित होती है जिससे उक्त गतिविधि का कार्यान्वयन किया जा सके। संचार को आदेशात्मक या शिक्षाप्रद कार्य औपचारिक संगठनों में औपचारिक संगठनों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है।

4) एकीकरण : पारस्परिक स्तर पर संचार के प्रमुख कार्य स्व: एकीकरण करना है।

5) शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य : शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया के संज्ञानात्मक, प्रभावपूर्ण और मन:प्रेरक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचार अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

6) मनोरंजन: मनोरंजन के उद्देश्य से संचार का हर जगह प्रयोग हो रहा है, जैसे लोक संचार ''मीडिया''।

7) निर्णय लेना : व्यक्ति के रवैये, व्यवहार तथा प्रथाओं में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु संचार जागरूकता पैदा करके मदद करता है।

8) भावनात्मक कार्य : संचार विचारों, भावनाओं परिस्थितियों को अत्यन्त धार्मिक तरीके से प्रस्तुत करता है।

5.3.4 संचार के प्रकार

प्रसार के एक शैक्षिक प्रयास के रूप मे संचार का प्रयोग ग्रामीण समुदाय मे सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसकी कई विधियाँ हैं जैसे खेत और घर भ्रमण से प्रदर्शन तक, क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, टेलीविजन आदि। संचार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है;

वैयक्तिक संचार (Interpersonal Communication) : इस प्रकार के संचार में दो व्यक्तियों के मध्य संचार प्रक्रिया होती है। संदेश प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। प्रतिक्रिया तुरन्त तथा प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है। इस पद्धति में प्रसार कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की पहचान अलग रखता है। इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जब संपर्क करने वाले व्यक्त्यिों की संख्या कम होती है, वो प्रेषक के आस पास उपस्थित होते हैं तथा संचार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ खेत या घर भ्रमण, किसानों को फोन आदि।

सामूहिक संचार(Group Communication) : इस पद्धति में प्रसार काग्रकर्ता व्यक्तिगत रूप से किसी से सम्पर्क नहीं करता अपितु व्यक्त्यिों के समूहों से सम्पर्क करता है। इसका अर्थ है विचारों, जानकारी या सूचना तथा कौशलों का दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के साथ आदान प्रदान करना। उदाहरणार्थ परिणाम प्रदर्शन विधि प्रदर्शन, समूह बैठक आदि ।

जन संचार (Mass Communication) : जन संचार, प्रोद्योगिकी के क्षेत्र मे महत्पूर्ण प्रगति को संदर्भित करता है जिसके द्वारा श्रोताओं की एक बड़ी संख्या के मध्य संदेश भेजा जा सकता है जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। इस पद्धति में प्रसार कार्यकर्ता लोगों की विशाल और विषम जनसंख्या के

साथ संचार करता है तथा व्यक्तिगत रूप से वह किसी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। इस पद्धति का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जहाँ बहुत कम समय में विशाल जन समूह के मध्य किसी सूचना या संदेश का प्रसार करना होता है। समूह बैठकों में करीब 100 लोगों का समूह हो सकता है, अभियान और प्रदर्शनी मे यह संख्या 1000 तक हो सकती है तथा समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविजन में यही संख्या 10000 तक पहुँच सकती है। इसमें कुछ मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए बने हुए स्त्रोत को बडी संख्या के दर्शकों के कार्य करने हेतु सक्षम बनाता है। इस पद्धति में प्रतिक्रिया सीमित तथा देर से प्राप्त होती है। जनसंचार पद्धति एक बड़ी जनसंख्या के मध्य तीव्रता से सूचना पहुँचाने का उचित माध्यम है। इसके अन्तर्गत कृषि प्रकाशन, जन बैठक, अभियान, प्रदर्शनी,अखबार,रेडियों आदि आते हैं।

5.3.5 संचार प्रक्रिया तथा संचार प्रक्रिया के तत्व

संचार प्रक्रिया

संचार का लक्ष्य सूचना देना तथा उस सूचना की समझ एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति दूसरे या समूह तक पहुॅचाना है। इस संचार प्रक्रिया को तीन मूलभूत घटकों मे विभाजित किया गया है। एक प्रेषक जो किसी माध्यम की सहायता से ग्राही या श्रोताओं तक संदेश को प्रसारित करता है। प्रेषक पहले एक विचार विकसित करता है जिससे एक संदेश निर्मित करता है जिसे वह श्रोताओं तक पहुँचाता है जो उसका अर्थ निकालकर समझते हैं। किसी संदेश को विकसित करना संकेतीकरण (Encoding) कहलाता है। संदेश की व्याख्या करना संकेत वाचन (Decoding) कहलाता है। मानव संचार एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। खेती की आधुनिक तकनीकों की दिशा में किसानों के मूल्यों और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी संचार प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है। संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता किसानों तक जानकारी पहुँचाने में सक्षम होते हैं तथा वह उनकी समस्याएं भी समझ सकते हैं।

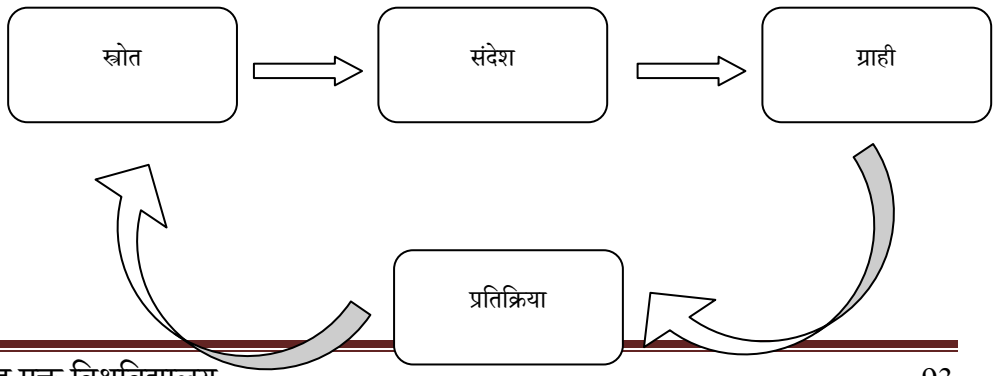

चित्र संख्या 4.1 संचार प्रक्रिया

संचार प्रक्रिया के तत्व

- **कम्यूनिकेटर या प्रेषक** : प्रेषक को एन्कोडर या कूट लेखक के रूप मे जाना जाता है, जो सूचना/संदेश भेजता है तथ यह निर्णय भी लेता है कि कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा। यह सब प्रेषक के विभाग में चलता है। प्रेषक खुद से ही सवाल पूछता है कि मै किन शब्दों का प्रयोग करूँगा ? किन संकेतों या चित्रों का प्रयोग करूँगा ।
- **संदेश :** यह सभी तकनीकी जानकारी सामग्री है जो प्रेषक विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित करता है और श्रोताओं को भेजता है।
- **माध्यम :** माध्यम वह है जो चुने हुए संदेश का श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। संचार माध्यम एक माध्यम है जिसके द्वार किसी संदेश या सूचना का प्रसार प्रेषक से एक या अधिक ग्राही या श्रोताओं तक किया जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन,इंटरनेट, रेडियों, फिल्मशो तथा प्रदर्शन आदि ।
- **संदेश का वर्णन** : यह संदेश व्यक्त करने मे या व्यक्त करने के लिए आवश्यक तकनीक या तरीके या प्रदर्शन से सम्बन्धित है। यही एक तरीका है जिसमे संदेश में आवश्यक परिवर्तन कर उसे श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संदेश या सूचना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।
- **श्रोता/ग्राही :** श्रोता भावी उत्तरदायी होते हैं अर्थात किसान जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभान्वित होते हैं। श्रोता/ग्राही या संकेतवाचक संदेश का अर्थ निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राही प्रेषक को प्रतिक्रिया देने के लिए भी जिम्मेदार होता है। एक शब्द मे कहें तो किसी भी संदेश की व्याख्या करना ही उसका मुख्य कार्य है।
- **फीडबैक या प्रतिक्रिया** : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही निर्धारित करता है कि संकेतवाचक या ग्राही को वांछित अर्थ समझ आया या नहीं और यह भी कि संचार प्रक्रिया सफल हुई या नहीं।

5.3.6 समस्याएं एवं अवरोधक

संचार में कार्यों एवं कार्यवाही के कई क्रम हैं जिससे इसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मानव व्यवहार की जटिलता के कारण यह संचार प्रक्रिया में कई समस्याएं तथा अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोधक एक प्रभावी संचारप्रक्रिया को धीमा कर देते हैं जिससे संचार प्रक्रिया या तो असफल थे जाती है या उससे वह परिणाम नहीं मिलतें जो मिलने चाहिए थे। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं:

1) आगे बढ़ने वाली जानकारी सम्बन्धी समस्या : संचार प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व यदि स्त्रोत के पास ग्राही से सम्बन्धित सही जानकारी न हो तो वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं यदि स्त्रोत के पास ग्राही से सम्बन्धित गलत जानकारियाँ होंगी तो संचार प्रक्रिया शुरू होन से पूर्व ही असफल हो जाएगी।

2) हैट्रोफिली : यह वह स्थिति है जो स्त्रोत और ग्राही के असमानता को बताती है ये असमानता कई क्षेत्रों मे हो सकती है जैसे शिक्षा, धारणाओं तथा सामजिकता आदि ।

3) बाधाएं जैसे शोर : कोइ भी बाधा या विकृति जो संचार प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर उसके प्रभाव को कम करते हैं।

4) ध्यान देने की चेतावनी : उदाहरणार्थ भूख, दण्ड प्यास, चिंता या वित्त जैसे कारक प्रतिभागियों का ध्यान संचार प्रक्रिया में कम हो सकता है।

5) भौतिक तथा उत्पादक सामग्री की कमी: एक किसान के पास किसी विचार या आविष्कार को कार्यान्वित करनेके लिए पर्याप्त पूंजी अथवा श्रमिकों का अभाव भी हो सकता है।

6) संज्ञानात्मक मतभेद : यह ज्ञान की अभिवृत्ति है। इसका तात्पर्य उस ज्ञान से है जो व्यक्ति की दिलचस्पी, अभिवृत्ति तथा विश्वासों के साथ होने वाली विसंगति रखता है। किसान कई बार उस तकनीक या नये आविष्कार को भी नहीं अपनाते हैं जो उनके फायदे की होती है।

7) सांस्कृतिक : सांस्कृतिक भिन्नता संचार प्रक्रिया में एक गंभीर बाधक है। इस सम्पूर्ण गतिविधि के विस्तरित क्षेत्र के भीतर (1) संचार प्रणालियों को सांस्कृतिक मूल्यों से किस प्रकार सम्बन्धित किया गया है (2) हमारे संचार प्रणालियों के वर्तमान उपयोग से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी की विशिष्ट नैतिक समस्याएं तथा (3) सांस्कृतिक सीमाओं के ज्यादा होने से संचार में आने वाली समस्याएं आती है। कुछ आविष्कार देश के कुछ भाग या किसी समूह में सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार कर दिये जाते हैं।

8) मनोवैज्ञानिक सम्बन्धी : ये भाषा में भिन्नता सम्बन्धी समस्या भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये भावनात्मक विशेषताओं और मनुष्य की मानसिक सीमाओं के कारक होने वाली बाधाएं भी हो सकती है।

9) भौतिक समस्याएं : भौतिक बाधाएं अक्सर पर्यावरण की प्रकृति के कारण होती है। इन भौतिक समस्याओं का एक उदाहरण प्राकृतिक बाधा है जो तब उत्पन्न होता है जब कर्मचारी अलग अलग भवनाओं अलग अलग स्थानो पर स्थित है। स्टाफ की कमी भी एक अन्य कारक है। पृष्ठभूमि शोर, खराब प्रकाश या एक वातावरण जो बहुत गर्म या बहुत ठंडा है जैसी अव्यवस्था लोगों के मनोबल और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है, जो अन्तत: संचार प्रक्रिया के प्रभाव को कम करती है।

10) सूचना का चुनाव: जब अच्छी फसल उत्पादन से संबन्धित जानकारी का पैकेज (जैसे अच्छी किस्म के बीज, उचित दूरी, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग आदि) किसानों तक पहुॅचाया जाता है तो किसानों को यह स्वतंत्रता हेाती है कि वो इस पैकेज के किसी भी भाग को अनदेखा कर सकते हैं तथा केवल उसी भाग को चुन सकते हैं जो जानकारी उन्हें चाहिए।

11) सूचना अधिभार तथा सूचना थकान : सूचना अधिभार का अर्थ है अधिकता में जानकारी होना जिसे ग्राही प्रापत करता है तथा उसे प्रकिग्रा में लाता है अर्थात सूचना को समझता है तथा उसकी व्याख्या करता है। एक ही बार में अधिकता में जानकारी से भ्रम तथा सूचना थकान की स्थिति आ जाती है। इस सबसे समझने में कमी, खराब प्रदर्शन या सम्पूर्ण जानकारी को अस्वीकार करने की स्थिति हो जाती है।

12) गलत संदेश सामग्री : अगर स्त्रोत या संचारकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी ग्राही द्वारा गलत साबित हो गयी तो वह विश्वसनीयता खो देगा।

13) फीडबैक(प्रतिपुष्टि) अवरोध : फीडबैक एक प्रतिक्रिया है जो कि एक दर्शक से प्राप्त होती है। यह दर्शक एक किसान या किसानों का समूह या फिर कोई अन्य ग्राही हो सकता है। पारस्परिक संचार प्रक्रिया में मौखिक या गैर मौखिक प्रतिक्रिया हर व्यक्ति को लगातार नियन्त्रित करती है तथा संदेश सामग्री को संशोधित करती है। यदि कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो गलतफहमी पैदा हो सकती है तथा संचार प्रक्रिया गडबडा सकती है।

14) सोच अवरोधक : किसी संस्था के कर्मचारियों के मध्य सोच सम्बन्धी अवरोधक आने की समस्या रहती है। खराब प्रबन्धन कर्मचारियों से परामर्श का अभाव तथा व्यकितत्व विरोध आदि कुछ कारक है जिससे लोगों में संचार अवरोधित हो सकता है या वे संचार प्रक्रिया को अस्वीकार कर देते है।

ग्राही सम्बंधित अवरोधक :

1) **श्रोताओं का ध्यान :** यदि दर्शक ध्यान केन्द्रित करने में असमर्थ हैं तो यह एक शक्तिशाली रूकावट या अवरोध है जो संदेश को वांछित गतव्यतक पहुँचने से रोकता है।
2) **सहयोग,भागीदारी तथा शामिल होने की समस्या :** संचारक या प्रेषक तथा ग्राही दोनों को यह देखते रहना चाहिये कि श्रोता या ग्राही प्रक्रिया के दौरान उचित प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं।
3) **समरूपता की समस्या :** समरूप दर्शकों के मध्य सफल संचार की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार एक प्रेषक अपने श्रोताओं के सम्बन्ध में जितना जानता हो वह उनपर उतना ही अधिक प्रभाव छोडेगा।
4) **प्रेषक की प्रति दर्शकों की मनोवृत्ति** : संचार की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण कारक है यह है दर्शकों का प्रेषक के प्रति नजरिया। यह प्रेषक का कार्य है कि वो उनके दृष्टिकोण को संदेश के अनुकूल बनाये।

प्रेषक से सम्बंधित बाधाएं :

1) **प्रभावी वातावरण :** उस स्थान पर उपस्थित भौतिक सुविधाएं , दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान, दूसरों की उपलब्धियों को मान, सामान्य रूप से स्वीकार्यता और संबंध आदि सभी वातावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक हैं।
2) **अव्यवस्थित प्रयास** : संचार प्रयास को कुछ निश्चित रूप या तरीकों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए जिससे संदेश के उद्देश्य स्पष्ट हो सके और उसी क्रम में उसका संचार किया जा सके।
3) **शुद्धता के मानक :** विभिन्न मानक प्रतीक तो है जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं इसमें सही शब्दों या प्रतीकों ,सही तर्क, सही सामग्री या तथ्यों का उपयोग शामिल है।
4) **सामाजिक जिम्मेदायिों के मानक :** यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई व्यक्ति सम्पर्क करता है तो वह ग्राही तथा समाज की प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेता है।
5) **सांस्कृतिक मूल्य तथा सामाजिक आयोजन** : प्रभावी संचार के लिए संचारक को अपने श्रेाताओं के सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए।
6) **गलत प्रतीक :** प्रतीकों का प्रयोग हस्तांतरित किये जा रहे विचार को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा श्रोताओं द्वार समझा जा सकता है। प्रतीक किसी व्यक्ति के लिए तभी उपयोगी होते हैं जब व्यक्ति को खुद से पता हेा कि किस स्थान पर प्रयुक्त किये गये हैं उदाहरणार्थ लाल प्लस का चिन्ह चिकित्सा से सम्बन्धित है तथा नीला प्लस का चिन्ह पशु चिकित्सा के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

7) संचार प्रक्रिया की गलत धारणा : प्रेषक द्वारा की गई एक सामान्य गलती पूरे या किसी एक भाग के साथ भेदभाव को दिखात है। ग्रामीण विकास के सफल संचार कार्यकर्ता एक इकाई नहीं है। इसके लिए इकाइयों की श्रंखला की आवश्यकता होती है। संचार प्रक्रिया के सम्बन्ध में सोच उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

संदेश के संचरण से सम्बन्धित अवरोधक

1) माध्यम का गलत संचालन : यदि एक बैठक, रेडियों कार्यक्रम या किसी अन्य माध्यम को सही तकनीक से प्रयोग न किया जाय तो इस माध्यम की संदेश प्रसारित करने की क्षमता खराब हो जाती है।

2) गलत माध्यम का चयन : किसी एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने में सभी माध्यम समान रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। एक प्रेषक के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त माध्यम चुनने के असफल होने से संदेश की व्याख्या उस प्राकर से करने में बाधा हेागी जैसे श्रोताओं द्वारा वांछित है।

3) **भौतिक व्यवधान :** भौति कव्यवधानों से बचने में विफलता अक्सर दर्शकों को सफल संदेश भेजने में बाधा डालती है।

4) **समानान्तर में अपर्याप्त माध्यमों का प्रयोग :** यदि प्रेषक द्वारा समानान्तर में या एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा हो तो इस प्रकार से संदेश अधिकप्रभावी ढंग से पहुँचता है यदि माध्यमों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए।

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों को भरिये।

a) संचार शब्द की उत्पत्ति .....शब्द से हुई है।

b) संचार प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण हैं....., ... तथा ..... ।

c) प्रेरक किसी भी वातावरण में तभी प्रभावी रूप से कार्य कर पायेगा जब ..... विश्वसनीय हो।

d) ..... संचार में दो व्यीक्तियों के मध्य संचार प्रक्रिया होती है।

प्रश्न 2 . संचार प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझाइये ?

5.4 नवाचार (Innovation)

5.4.1 परिभाषा

समाज के विकास हेतु नवाचार तथा उसका विस्तारण अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से ही लोगों के सोच विचार तथा रीति रिवाजों आदि में परिवर्तन लाया जा सकता है और यदि सोच परिवर्तित हो गयी तो व्यक्ति द्वारा संपादित कार्यों में स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए **बारनेट** ने नवाचार को सामाजिक परिवर्तन का आधार कहा है क्योंकि जब तक कोई नई पद्धति या नया विचार समाज में नहीं विस्तारित होगा तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिशर ने कहा है " पूर्व स्थिति अथवा रहन सहन के तरीकों में भिन्नता कों ही संक्षेप में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

5.4.2 नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक

नवाचार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं ये कारक अलग अलग तरीके से समाज में अपना प्रभाव डालते हैं।

एवरेट एम रोजर्स (1931-2004) ने किसी भी नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया को प्रभावित होने वाले पांच कारकों की पहचान की जो अंततः इसकी सफलता की डिग्री को तय करते हैं। इन विभिन्न कारकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

a) प्रौद्योगिक कारक

मनुष्य के जीवन में परिवर्तनों का एक मुख्य कारण प्रौद्योगिकीकरण है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी प्रौद्योगिकीकरण के कारण कई अच्छे परिवर्तन हुए हैं। जैसे यदि हम घर का कार्य कर रही महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि जो काम करने में कई घंटे लग जाते थे प्रौद्योगिकीकरण के कारण वह कार्य मशीनों से कुछ मिनटों में हो जाता है उदाहरणार्थ : कपड़े धोने के लिए मशीन का प्रयोग, पीसने के लिए मिक्सी का प्रयोग, गैस चूल्हा, वैक्यूम क्लीनर आदि। इसी प्रकार यदि हम कृषि कार्यों में आये सुधारों को देखते हैं तो उसका कारण भी प्रौद्योगिकीकरण ही है जिसने उन्नत किस्म के बीज तथा अत्याधुनिक मशीनें देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता तो की ही है साथ ही साथ समय तथा श्रम की बचत भी की है। इसके अतिरिक्त परिवहन एवं संचार में जो सुधार हुए हैं उनके पीछे भी प्रौद्योगिकीकरण का बहुत योगदान है। पुराने समय में लोगों को कई मीलों की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी किन्तु आज हमारे पास किसी छोटी से छोटी या किसी अधिक दूरी को तय करने के लिए भी कई साधन हैं जैसे कार, बस, ट्रेन , आदि। इसी प्रकार आज प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम मोबाईल फोन से मीलों दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं तथा उसे वीडियो कॉल की

सहायता से देख भी सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी ने लोगों को नवाचार अपनाने को प्रेरित किया है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं;

i. अनुकूलता

अनुकूलता से यह मापा जाता है कि क्या नवाचार मानदंडों, मूल्यों और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं या धार्मिक विश्वासों के अनुरूप है या नहीं जो समाज में बहुत मान्य हैं। नवाचार के उत्पाद की उपभोक्ताओं की मौजूदा पृष्ठभूमि, व्यवहार और जीवन शैली के तरीकों से अनुकूलता भी जनता द्वारा इसको अपनाए जाने के प्रतिशत को प्रभावित करती है। किसी उत्पाद की अनुकूलता यह मापती है कि यह जरूरतों, मूल्य प्रणालियों और मानदंडों, जीवन शैली, संस्कृति आदि से कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है। अनुकूलता का स्तर जितना अधिक होगा प्रसार उतना ही तीव्र गति से होगा और यदि अनुकूलता का स्तर कम है तो उसका प्रसार भी धीमी गति से होगा। इसके साथ ही साथ कोई भी नवाचार बहुत अधिक तीव्र गति से फैलेगा जब वह उपभोक्ताओं को उनके मूल्यों, मानदंडों, जीवन शैली, संस्कृतियों आदि को बदलने को बाध्य नहीं करेगा।

ii. जटिलता

कोई भी नवाचार यदि समझने तथा उपयोग में लाने में जटिल होगा तो उसका प्रसार बहुत आसानी से नहीं होगा जबकि यदि नवाचार समझने तथा उपयोग में लाने में आसान होगा तो वह नवाचार आसानी से फैल जाएगा। जब हम जटिलता की बात करते हैं तो उस समय तकनीकी जटिलता का नाम सर्वप्रथम आता है जोकि प्रसार में बाधा के उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के लोग तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हैं तथा तकनीकी जटिलताओं का अच्छे से सामना करते हैं।

iii) परीक्षण करने की क्षमता

किसी भी नवाचार का परीक्षण करने की क्षमता उस नवाचार को अपनाए जाने की क्षमता का निर्धारण करती है। परीक्षण क्षमता जितनी अधिक होगी, प्रसार की दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे लोगों को नवाचार को आज़माने, उसे आंकने और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने का अवसर मिलता है। उपभोक्ता अभिनव पेशकश की कोशिश कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर इसे स्वीकार / अस्वीकार करके खरीद प्रतिबद्धता पर निर्णय ले सकते हैं।

b) सांस्कृतिक कारक

हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है जिससे उस समाज का उद्भव हुआ होता है। प्रत्येक समाज की किसी नये विचार या नई पद्धति के प्रति अलग अलग प्रतिक्रया होती है कुछ बहुत आसानी से सब कुछ अपना लेते हैं तथा कुछ उसका विरोध करते हैं।

सांस्कृतिक भिन्नता संचार प्रक्रिया में एक गंभीर बाधक है। इस सम्पूर्ण गतिविधि के विस्तरित क्षेत्र के भीतर (1) संचार प्रणालियों को सांस्कृतिक मूल्यों से किस प्रकार सम्बन्धित किया गया है (2) हमारे संचार प्रणालियों के वर्तमान उपयोग से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी की विशिष्ट नैतिक समस्याएं तथा (3) सांस्कृतिक सीमाओं के ज्यादा होने से संचार में आने वाली समस्याएं आती है। कुछ नवाचार देश के कुछ भाग या किसी समूह में सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार कर दिये जाते हैं जबकि किसी समाज द्वारा बहुत शीघ्रता से स्वीकार कर लिए जाते हैं।

c) आर्थिक कारक

किसी भी नवाचार को अपनाने में आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि किसी भी नयी तकनीक अथवा नवाचार को अपनाने हेतु व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन का होना बहुत आवश्यक है अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी नवाचार के फायदे को जानने के बाद भी उसे नहीं अपना पायेगा। उदाहरणार्थ : आप कपड़े धोने का काम हाथ से कर रहे हों और तभी आपको पता चले कि इस काम के लिए अब बाजार में वाशिंग मशीन उपलब्ध हैं तो यदि आपके पास धन की उपलब्धता हो तो आप उसे खरीद सकते हैं अन्यथा आप ये तो जानते हैं कि वाशिंग मशीन खरीदना फायदेमंद है उससे आपका समय एवं मेहनत दोनों की बचत होती है किन्तु क्योंकि आपके पास उसे खरीदने हेतु धन नहीं है अत: आप उसे नहीं खरीद पाएंगे।

d) सापेक्ष लाभ

एक नवीनता को तभी अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाएगा जब वह उस समय उपस्थित वैकल्पिक समाधान से बेहतर होगा जिसे बदलना है। सापेक्ष लाभ को आर्थिक रूप से मापा जा सकता है (नई तकनीक पुरानी से सस्ती है अथवा या यदि महंगी है तो पुरानी तकनीक से अधिक शक्तिशाली है) अथवा यह एक सुविधा कारक भी हो सकता है (ईमेल प्राप्त करना पत्र लिखने और पोस्ट पर जाने से तेज है) या स्थिति पहलू ("मुझे अच्छा दिखने के लिए इस उत्पाद की आवश्यकता है") हो सकता है।

5.4.3 नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया

बील और बोहेन के अग्रणी काम ने एक पाँच-चरण प्रक्रिया की पहचान की, जिनसे होकर ही कोई व्यक्ति किसी नवाचार को ग्रहण करता है। इनमें से प्रत्येक चरण के लिए नवाचार से सम्बंधित स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। यह जानकारी या तो समुदाय के बाहर के बाहरी प्रभावों से या समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों के माध्यम से आती है। प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग दरों से इन चरणों को पार करता है, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार अभिग्रहण करने में लगे समय में भी भिन्नता होती है। नवाचार प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

1. **जागरूकता या अभिज्ञा(awareness)**

इसका अर्थ है, व्यक्तिगत रूप से पता चलना कि कोई नवाचार हुआ है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास नवाचार से सम्बंधित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, यह एक बहुत ही निष्क्रिय अवस्था है। जागरूकता सामान्यतया समुदाय के बाहर के स्रोतों और सूचना के अन्य स्रोतों द्वारा आती है।

2. अभिरुचि (interest)

इसमें व्यक्ति नवाचार से सम्बंधित अधिक से अधिक जानकारी चाहता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि नवाचार उनकी मदद कर सकता है। वे सक्रिय रूप से नई जानकारी एकत्रित करने में जुट जाते हैं। व्यक्ति समुदाय के बाहर और भीतर दोनों स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करने में लग जाता है।

3. मूल्यांकन (evaluation)

इस चरण में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करके नवाचार की मानसिक रूप से जांच करता है तथा यह निर्धारित करने की कोशिश करता कि क्या यह वास्तव में नवाचार उसके काम को प्रभावित करेगा और यह कैसे उसके कार्यों को आसान या बेहतर बना देगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है और पहला ऐसा चरण है जहां बाहरी संपर्कों के स्थान पर समुदाय की आवाजें (अर्थात सहकर्मी, दोस्त या पड़ोसी) किसी व्यक्ति पर अधिक प्रभाव डालती हैं।

4. परीक्षण (trial)

इस चरण में व्यक्ति वास्तव में नवाचार का परीक्षण यह देखने के लिए करता है कि वास्तविकता अपेक्षाओं से मेल खाती है या नहीं। इस स्तर पर जानकारी प्रदान करने वाले हर स्रोत का उपयोग किया जाता है, हालांकि करीबी सामुदायिक संबंध अभी भी सबसे जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

5. अभिग्रहण (Adoption)

यह नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति नवाचार को पसंद करता है और इसे पूरे दिल से अपनाता है। यह प्रासंगिक उपयोग के सभी क्षेत्रों में लागू होता है और व्यक्ति अक्सर समुदाय में नवाचार का एक मजबूत समर्थक बन जाता है। इस स्तर पर समुदाय से आने वाली आवाज़ें अथवा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं।

5.4.4 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण

नवाचार अभिग्रहण में लगने वाले समय के आधार पर अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है;

प्रवर्तक(innovators) - प्रवर्तक किसी भी नवाचार को अपनाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। प्रवर्तक जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, कम उम्र के होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, समाज के उच्च वर्ग के होते हैं तथा आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। जोखिम लेने की असीम क्षमता के कारण ये वर्ग किसी भी नये विचार या खोज या नवाचार कों बहुत शीघ्रता से अपना लेते हैं जिसमें ये कई बार विफल भी होते हैं किन्तु आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण ये इस नुकसान की आसानी से भरपायी कर लेते हैं।

प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता(early adopters) - यह किसी भी नवाचार को अपनाने वाले व्यक्तियों की दूसरी सबसे तेज़ श्रेणी है। इन व्यक्तियों के पास नवाचार अपनाने वाली अन्य श्रेणियों की अपेक्षा सबसे अधिक नेतृत्व क्षमता होती है। इस श्रेणी के व्यक्ति सामान्यतया उम्र में छोटे होते हैं, उच्च सामाजिक स्थिति रखते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत, उच्च शिक्षित तथा नवाचार कों देर से अपनाने वालों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं।

विलम्बकारी ग्रहणकर्ता (late adopters) - इस श्रेणी के व्यक्ति किसी भी नवाचार को तब अपनाते हैं जब समाज का बहुत अधिक हिस्सा उस नवाचार को अपना चुका होता है। ये व्यक्ति किसी भी नवाचार पर बहुत अधिक संदेह करते हैं और समाज के अधिकांश लोगों ने नवाचार को अपनाने के पश्चात ही उसे अपनाते हैं। विलम्बकारी ग्रहणकर्ता सामान्यतया एक नवाचार के बारे में संशय में रहते हैं, औसत सामाजिक स्थिति से नीचे होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तथा बहुत अधिक सामाजिक नहीं होते हैं।

अतिकालिक अभिग्रहणकर्ता या लैगार्ड्स - इस श्रेणी के व्यक्ति किसी नवाचार को अपनाने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति कम नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति उम्र में बड़े होते हैं। ये सामान्यतया "परंपराओं" पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है तथा ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : निम्न की एक पंक्ति में व्याख्या कीजिए।

1. नवाचार
2. लैगार्ड्स
3. प्रवर्तक

5.5 सारांश

संचार एक गतिशील, निरंतर हेाने वाली अपरिवर्तनीय तथा प्रासंगिक प्रक्रिया है, अन्य तत्वों के अस्तित्व और कार्य प्रणाली को स्वीकार किये बिना इस प्रक्रिया के किसी भी तत्व में भाग लेना संभव नहीं है। संचार की प्रभावशीलता को मापने में महत्वपूर्ण कारक व्यक्ति की सामान्य समझ है। अतः प्रभावी संचार तभी होता है जब श्रोता या ग्राही संदेश की वही व्याख्या करता है जो सोचकर प्रेषक ने संदेश भेजा होता है। किसी संगठन मे संचार कार्यों के अन्तर्गत सूचना देना, राजी करना तथा प्रोत्साहित करना आदि आते हैं। सूचना देने के अन्तर्गत दर्शकों या श्रोताओं को आंकड़े तथा जानकारी प्रदान करना आता है जिससे वे एक समझदारी पूर्ण निर्णय ले सकें। संचार लोगों मे स्वैच्छिक परिवर्तन लाने का एक उपकरण है तथा इसका लक्ष्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। संचार की सफलता इस पर निर्भर करती है कि प्रेषक द्वार भेजे गये संदेश को ग्राही कितनी अच्छी तरह से समझ पाता है। ग्राही को प्रभावित करने में असफल रहने के दो कारण हो सकते हैं प्रथम है क्षमता न होना या दूसरा गलत धारणा बनाना। इसके अतिरिक्त इस इकाई में आपको उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गीकरणों को समझाया गया है। प्रशिक्षण के समय प्रसार कार्यकर्ता को यह महसूस हो जाएगा कि कई परिस्थितियों में किसी एक शिक्षण विधि के स्थान पर दो या अधिक विधियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाना लाभप्रद रहता है। मुख्य बिन्दुओं को संक्षिप्त में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

(अ) प्रसार शिक्षा की विधियों को एक उपकरण के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है जो एक प्रसार कार्यकर्ता तथा कृषि समुदाय के मध्य किसी भी नई जानकारी या तकनीक को स्वतंत्र रूप से संचरित करता है।

(ब) संचार विधि किसी उद्देश्य की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। माध्यमों का चुनाव या संचार विधि को प्रसार शिक्षण पद्धति भी कहा जाता है जो लक्षित दर्शकों या श्रोताओं की संख्या, उनके स्थान, तथा संचार के लिए उपलबध समय पर निर्भर करती है। लक्षित दर्शकों की संख्या के आधार पर विभिन्न विधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) व्यक्तिगत विधियाँ (2) समूह विधियाँ (3) जनसमूह विधियाँ।

व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग इस तथ्य को साबित करने के लिए किया जाता है कि ‘‘सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है’’ । समूह विधियों मे एक समूह के व्यक्तियों की प्रतिक्रिया, उनके कार्यों में आने वाले परिवर्तनों तथा कोई निर्णय लेने से पहले दूसरे के विचारों को सुनने की क्षमता आदि को देखा जाता है। बड़ी संख्या में लेागों तक पहुँचने के लिए जन समूह विधियों का प्रयोग किया जाता है।

5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. रिक्त स्थानों को भरिये।

a) लैटिन
b) विचार, संकेतीकरण, संकेतवाचन
c) स्त्रोत
d) वैयक्तिक संचार

प्रश्न 2. बिंदु 5.3.3 देखिये।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : निम्न की एक पंक्ति में व्याख्या कीजिए ।

1. बिंदु 5.4.4 देखिये।
2. बिंदु 5.4.4 देखिये।
3. बिंदु 5.4.4 देखिये।

5.7 पारिभाषिक शब्दावली

- **संचार** : संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों या भावनाओं को इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक ही प्रकार से स्वीकार करते हैं।

- **डिकोडिंग या संकेतवाचन (Decoding) :** यह संकेतीकरण (Encoding) का रिसीवर या ग्राही द्वारा प्राप्त संस्करण है। यह किसी शाब्दिक, मौखिक या दृश्य संदेश का अनुवाद है जिससे उस संदेश की व्याख्या की जा सके।
- **प्रभाव (Effect) :** यह किसी संचार प्रक्रिया का अपेक्षित परिणाम है। संदेश का उद्देश्य वह परिणाम है जिसमें किसान कम से कम नये विचार या नई तकनीक को लागू करने का प्रयास करते हैं।
- **प्रतिक्रिया (Feedback)** : यह श्रोता या ग्राही की प्रतिक्रिया है। इस स्तर पर प्रेषक ग्राही प्रेषक बन जाता है।

5.8 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Clevenger, I. (1991). Can one not Communicate? A conflict of models? Communication studies 42: 355
2. Dahama, O. P. and Bhatnagar, O. P. (1987). Education and Communication for development,Second edition Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
3. Dubey, V.K. and Bishnoi, I. (2008). Extension Education and Communication . I Ed. New Age International (P) Limited Publishers., New Delhi.
4. FAO, Corporate Document Repository. Produced by Economic and Social Development Department.
5. Ibitoye, J. S. and N. E. Mundi (2004) Essentials of Agricultural Extension, Rowis Publishers Ankpa,
6. Khandai, H; Yadav, K and Mathur, A. (2011). Extension Education. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002, pp-304.
7. Kumar, B. and Hansra, B.S. (2000). Extension Education for Human Resource Development. Concept Publishing Company, New Delhi.
8. Little, S. P. (1980). Communication in Business, 2nd ed., Longman Group Ltd, London
9. Obibuaku, L. O. (1983). Agricultural Extension as a Strategy for Agricultural Transformation, University of Nigeria Press, Nsukka
10. Ray, G.L. (2006). Extension Communication and Management. Sixth edition. Kalyani publishers , Rajinder Nagar, Ludhiana.
11. Reddy,A.A. (2006). Extension Education. Shree Lakshmi Press Bapatla Guntur Dist. Andra Pradesh.
12. Yadla, V.L. and Jasrai, S. (2000). Home Science Reference Book for UGC National Eligibility Test JRF/ Lecturership. Kalyani Publishers, New Delhi.

5.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. संचार प्रक्रिया को विस्तार से समझाइये। संचार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

2. नवाचार से आप क्या समझते हैं? नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक बताइये।

इकाई 6 : संचार के मॉडल

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 संचार के मॉडल से अभिप्राय
6.4 संचार के विभिन्न मॉडल
  6.4.1 अरस्तू का मॉडल
  6.4.2 लॉसवेल फार्मूला
  6.4.3 शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप
  6.4.4 बरलो का SMCR प्रारूप
  6.4.5 लीगन का मॉडल
  6.4.6 ओस्गुड और श्रेम का परिपत्र (सर्कुलर) मॉडल
6.5 एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताए
6.6 संचार उत्पन्न होने वाली बाधाएं और बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतिया
6.7 सारांश
6.8 पारिभाषिक शब्दावली
6.9 अभ्यास प्रश्नो के उत्तर
6.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.11 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

संचार एक मनुष्य के जीवन की अनिवार्य क्रियाओ में से एक है। संचार तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति अपने विचारों तथा जानकारियों को(जैसा उसने सोचा था उसी ढंग से दूसरे व्यक्ति तक)सफलतापूर्वक पंहुचा दे और यह तभी सम्भव है जब संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित होगी।

संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व होते हैं और साथ ही साथ कई बाधाए भी होती है। अंत: इन बाधाओं को दूर करने के लिए संचार के इन तत्वों को ध्यान में रखने तथा इनके मध्य के सम्बन्धो को जानने की आवश्यकता है जो की संचार के विभन्न मॉडलो के अधयन्न से ही सम्भव है ताकि संचार पूर्ण हो सके और संचार से वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- संचार के विभिन्न मॉडलों को समझ पायेगे;
- एक अच्छे संचारक की विशेषताओं के बारे में जान पायेगे;
- संचार की प्रक्रिया में मौजूद विभिन्न बाधाओं की पहचान कर पायेगे; तथा
- प्रभावी संचार के लिए क्या–क्या रणनीतिया हो सकती है ये जान पायेगे।

आइये सर्वप्रथम ये जाने की संचार के मॉडल से क्या अभिप्राय है।

6.3 संचार के मॉडल से अभिप्राय

मॉडल एक तर्क की प्रणाली है जो किसी स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करता है। एक मॉडल में लेखक द्वारा तत्वों को तार्किक रूप से इस तरीके से प्रस्तुत जाता है जिससे की तत्वों के मध्य के संबंधो को आसानी से समझा जा सके। संचार मॉडल, संचार की व्यवस्थित प्रक्रिया को दर्शाता है जो यह समझने में सहायता करता है कि संचार कैसे किया जा सकता है। संचार मॉडल कुछ खास परिस्थियो के अंतर्गन संचार के प्रभावो की भविष्यवाणी और तत्वों को मापने के साधन तथा प्रक्रिया के विषय में संकेत भी देते है।

संचार के कुछ मॉडल निम्नलिखित के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं:

6.4 संचार के विभिन्न मॉडल

6.4.1 अरस्तू का मॉडल (384-322 B.C.)

संचार का पहला बुनियादी मॉडल अरस्तू द्वारा प्रदान किया गया था। इस मॉडल में संचार के पांच तत्व(एलिमेन्ट),अर्थात् वक्ता(स्पीकर), संदेश/भाषण, श्रोतागण/प्राप्तकर्ता, प्रभाव और अवसर मौजूद हैं। इन पांचो तत्वों में से प्रत्येक तत्व का संवाद में उपस्थित होना अति आवश्यक है।

अरस्तू के अनुसार, संचार की प्रक्रिया में पांच तत्व(एलिमेन्ट)सम्मिलित होते है:

1.वक्ता: वह व्यक्ति जो संवाद का प्रारम्भ करता है।

2.संदेश: वक्ता द्वारा बोली गयी बात।

3.प्राप्तकर्ता/श्रोतागण: वह व्यक्ति जो वक्ता द्वारा कही गयी बात को सुनता है।

4. प्रभाव

5.अवसर

अरस्तू के अनुसार संचार का मुख्य उद्देष्य श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना होता है। इसके लिए वक्ता विभिन्न अवसरों के अनुसार अपने संदेश बनाता है और उन्हें श्रोताओं तक पहुंचाता है जिससे की उन पर प्रभाव डाला जा सके।

अरस्तू के अनुसार सार्वजनिक भाषण देने कि प्रक्रिया में वक्ता अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए किसी भी वक्ता को अपनी बात रखने से पहले श्रोताओ की रुचि एवं जरूरतों का विश्लेषण कर लेना चाहिये। वक्ता द्वारा कहे गए शब्द ऐसे होने चाहियें जो दर्शकों के मन तथा उनके विचारो को प्रभावित कर दे।

इसे निम्नलिखित रेखा चित्र (चित्र 1: अरस्तू का मॉडल) के माध्यम से समझा जा सकता है :-

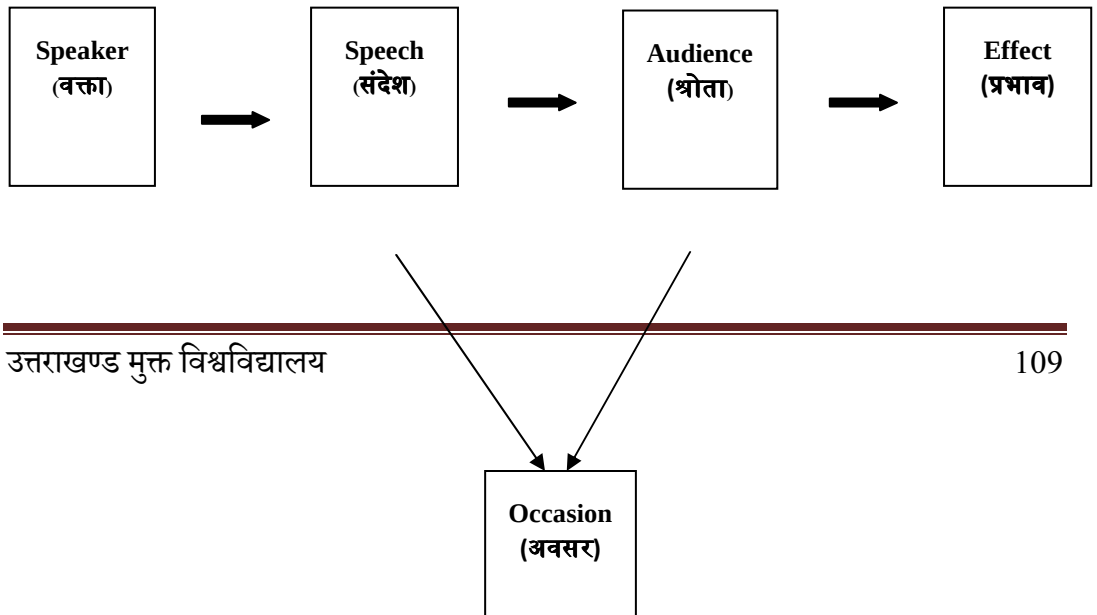

6.4.2 लॉसवेल फार्मूला (1948)

हेराल्ड डी. लॉसवेल अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री एवं संचार सिद्धांतकार थे। लॉसवेल मुख्य रूप से जन संचार(मास कम्युनिकेशन) और मत प्रचार से संबंधित थे। इसीलिए इन्होंने ने सन् 1948 में संचार का एक शाब्दिक मॉडल प्रस्तुत किया यह मॉडल प्रश्नों के रूप में था। लॉसवेल के अनुसार- संचार की किसी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका निम्न पांच प्रश्नों के उत्तरों को तलाश करना है। जो इस प्रकार है:

1. कौन (Who)
2. क्या कहा (Says what)
3. किस माध्यम से (In which channel),
4. किसमे (To whom) और

चित्र 1: अरस्तू का मॉडल

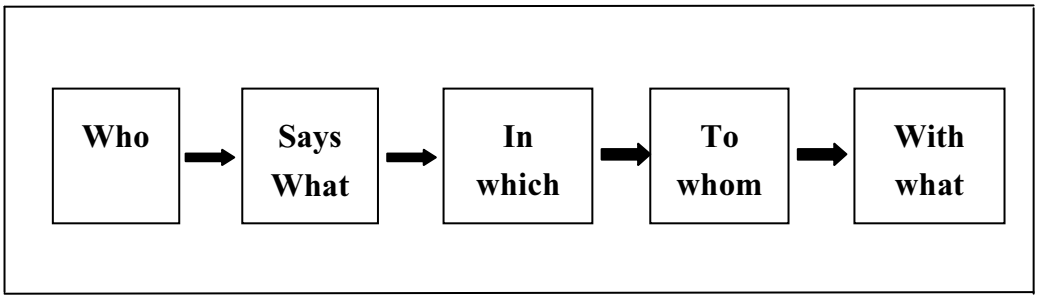

इसे निम्नलिखित रेखा चित्र (चित्र 2: लॉसवेल फार्मूला) के माध्यम से समझा जा सकता है ;

Communicator Message Channel Receiver Effect

कौन क्या कहा किस माध्यम से किससे किस प्रभाव से

चित्र 2: लॉसवेल फार्मूला

इन पांच प्रश्नों के उत्तरो से जहां संचार प्रक्रिया को समझने में आसानी होती है, वहीं इन प्रश्नों से संचार शोध के पांच क्षेत्र भी विकसित होते हैं, जो निम्नांकित हैं:

1. कौन(Who): प्रेषक –संदेश भेजने वाला व्यक्ति
2. क्या(What): संदेश
3. चैनल(Channel): संचार माध्यम
4. किसको(Whom): प्राप्तिकर्ता/श्रोता
5. प्रभाव(Effect): परिणाम- लॉसवेल की विशेष रूप से जनसंख्या पर जन संचार के परिणामों को जानने में दिलचस्पी थी। इसलिए "प्रभाव" की अवधारणा उनके प्रमुख योगदानों में से एक है, की कैसे कोई संदेश प्राप्तकर्ता या श्रोताओं को प्रभावित करता है।

हेराल्ड डी. लॉसवेल ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में प्रचार की प्रकृति, तरीका और प्रचारकों की भूमिका विषय पर अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि आम जनता के विचारों, व्यवहारों व क्रिया-कलापों को परिवर्तित या प्रभावित करने में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी आधार पर लॉसवेल ने अरस्तु के संचार प्रारूप के दोषों को दूर कर अपना शाब्दिक संचार फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसमें अवसर के स्थान पर उन्होंने संचार माध्यम का उल्लेख किया। लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप का निर्माण बहुवादी समाज को केंद्र में रखकर किया, जहां भारी संख्या में संचार माध्यम और विविध प्रकार के श्रोता मौजूद थे। हेराल्ड डी. लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप में फीडबैक को प्रभाव के रूप में बताया है तथा संचार प्रक्रिया के सभी तत्त्वों को अपने मॉडल में सम्मिलित किया है।

लॉसवेल फार्मूले की सीमाएं: स्कूल ऑफसोशियोलॉजी, शिकागो के सदस्य रह चुके हेराल्ड डी.लॉसवेल के फार्मूले को संचार प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। इसके बावजूद संचार विशेषज्ञों ने इस मॉडल में निम्नलिखित कमियाँ बताई हैं :

1. लॉसवेल का फार्मूला एकरेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण यह एक सीधी रेखा में कार्य करता है।
2. इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है।
3. इस मॉडल में संचार की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
4. संचार को जिन पांच भागों में विभाजित किया गया है, वे सभी आपस में अंत:सम्बन्धित हैं।

इस मॉडल में संचार के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यवधान को नजर अंदाज किया गया है।

6.4.3 शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप (1949)

संचार के गणितीय मॉडल को क्लाउड ई. शैनन और वारेन वीवर ने (1949) में अमेरिका में मिल कर दिया था। यह मॉडल मुख्यतः टेलीफोन द्वारा संदेश भेजने की कार्य प्रणाली पर आधारित है। शैनन एक गणितज्ञ व इलेक्ट्रानिक इंजीनियर थे। उन की गहन रूचि संचार शोध के क्षेत्र में थी। क्लाउड ई. शैनन ने प्रथम बार टेलीफोन द्वारा संचार की प्रक्रिया को मॉडल के रूप में (1948) में विश्व के समक्ष रखा था। सन् 1949 में शैनन ने अपने साथी वारेन वीवर के साथ मिलकर "संचार के गणितीय सिद्धांत" नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में शैनन और वीवर ने पहले के संचार प्रारूपो को संशोधित कर के प्रस्तुत किया। इस तरह से, शैनन और वीवर के द्वारा संगठित रूप से प्रकाशित पुस्तिक "संचार के गणितीय प्रारूप" में मुख्यत: छह तत्वों का उल्लेख किया गया है।
जो कि इस प्रकार हैं:

i. सूचना स्रोत
ii. सूचना प्रेषक
iii. संचार मार्ग
iv. शोर
v. प्रापक
vi. गन्तव्य स्थल

इसे निम्नलिखित रेखाचित्र (चित्र 3: शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप) के माध्यम से समझा जा सकता है

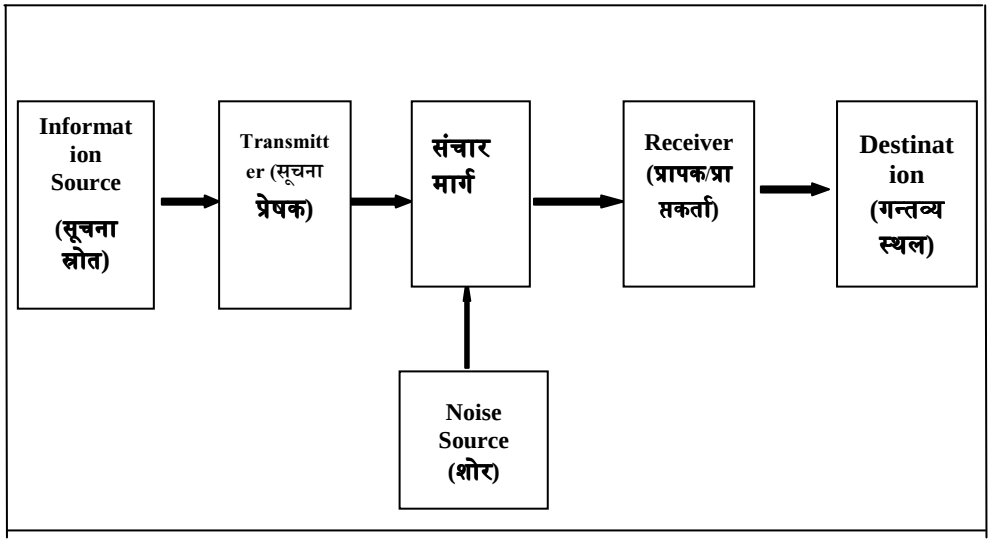

चित्र 3: शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप

उक्त मॉडल में संचार का आरम्भ सूचना स्रोत से होता है जो संदेश को उत्पन्न करता है। सूचना प्रेषक के उक्त मॉडल में संचार का आरम्भ सूचना स्रोत से होता है जो संदेश को उत्पन्न करता है। संचारक, सूचना प्रेषक के रूप में कार्य करने वाले वाचिक यंत्र (टेलीफोन) के माध्यम से अपने संदेश को सम्प्रेषित करता है। संचार मार्ग में संदेश का प्रवाह प्रापक के सुनने तक होता है, जिससे संदेश अपने गन्तव्य स्थल तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में शोर एक प्रकार का व्यवधान है, जो संचार के प्रभाव को विकृत या कमजोर करने का कार्य करता है। शैनन और वीवर के गणितीय संचार प्रारूप को अभियांत्रिक व सूचना सिद्धांत प्रारूप भी कहते हैं।

सूचना और शोर: किसी भी सूचना का स्रोत, व्यक्ति या संस्थान (संचारक) होते हैं, जो प्रतिदिन भारी संख्या में सूचनाओं को संकलित करने तथा समाज (प्रापक) के लिए महत्व सूचनाओं को सम्प्रेषित करने का कार्य करते हैं। सूचना सम्प्रेषण प्रक्रिया के दौरान संचार मार्ग में किसी न किसी कारण से शोर उत्पन्न होता है, जिससे सूचना विकृत व प्रभावित होती है। सूचना सम्प्रेषण प्रक्रिया में

शोर की अवधारणा को सर्वप्रथम शैनन-वीवर ने प्रस्तुत किया। इन के गणितीय संचार प्रारूप की सबसे बड़ी विशेषता भी शोर ही है। शोर से तात्पर्य संचार मार्ग में आने वाले व्यवधान से है, जिसके प्रभाव के कारण संदेश अपने वास्तविक अर्थों में प्रापक तक नहीं पहुंचता है।

यदि सूचना प्रेषक द्वारा सम्प्रेषित सूचना संकेत संचार मार्ग से होते हुए अपने वास्तविक रूप में प्रापक तक पहुंच जाती है तो माना जाता है कि संचार मार्ग में कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। सामान्यत: सम्प्रेषित सूचना संकेत के साथ कोई न कोई शोर अवश्य ही जुड़ जाता है। शोर जितना अधिक होता है, व्यवधान भी उसी अनुपात में उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, शोर के कम होने की स्थिति में व्यवधान भी कम होता है तथा संचार प्रक्रिया बेहतर रूप में सम्पन्न होती है। शैनन और वीवर ने शोर के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधान को कम करने के लिए शब्द-बहुलता के सिद्धांत पर जोर दिया है, जिसका तात्पर्य है- किसी संदेश को बार-बार बोलना या दुहराना। दूसरे शब्दों में, जिस सूचना या संदेश के विकृत होने की संभावना होती है, लोग उसे बार-बार बोलते या दुहराते हैं। यदि संचारक एक ही वाक्य को बार-बार बोलता है या दुहराता है तो उसका संदेश अपने वास्तविक अर्थो में प्रापक तक पहुंचता है।

शैनन-वीवर के गणितीय संचार प्रारूप का उल्लेख निम्न प्रकार से भी किया गया है -

1. सूचना स्रोत के पास एक संदेश होता है।
2. सूचना प्रेषक की मदद से सूचना स्रोत संदेश को सम्प्रेषित करता है।
3. सूचना प्रेषक संदेश को संकेत में परिवर्तित करता है।
4. परिवर्तित संकेत को संचार मार्ग से हो कर गुजरना पड़ता है।
5. संचार मार्ग में शोर के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे सम्प्रेषित संकेत प्रभावित होता है।
6. प्रापक संचार मार्ग में सम्प्रेषित संकेत को ग्रहण करता है।

कमियां: शैनन और वीवर का गणितीय संचार प्रारूप मुख्यत: दो प्रश्नों पर आधारित है। पहला, संचार मार्ग में सम्प्रेषित सूचना को किस प्रकार उसके वास्तविक रूप में प्रापक तक पहुंचाया जाए तथा दूसरा, संचार मार्ग में शोर के कारण सूचना कितना विकृत होती है। उन्होंने इस प्रक्रिया में कहीं

भी फीडबैक का उल्लेख नहीं किया है। इसी कमी के कारण शैनन और वीवर के गणितीय संचार प्रारूप को एक-तरफा कहा जाता है।

6.4.4 बरलो का SMCR मॉडल (1960)

डेविड के. बरलो ने सन् (1960) में अपना संचार मॉडल प्रस्तुत किया, जो संदेश के भावनात्मक पहलू पर आधारित है।

चित्र 4: बरलो का SMCR मॉडल

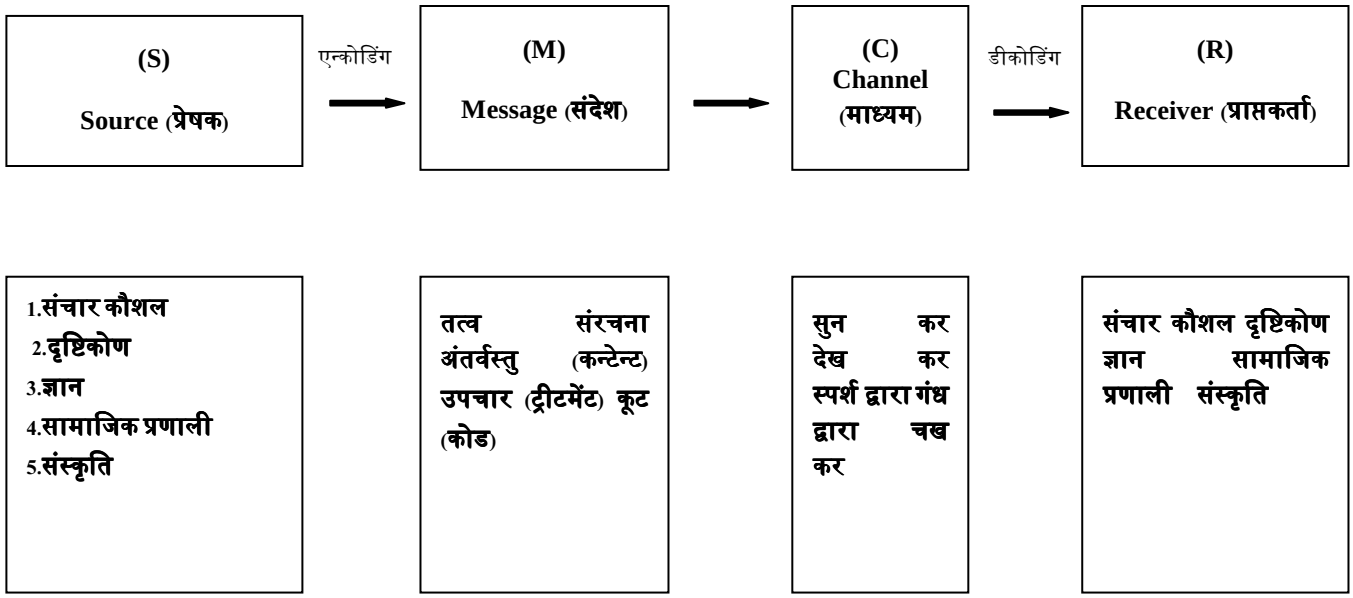

बरलो के मॉडल में S-M-C-R का अर्थ है :

S : **Source** (प्रेषक)
M : **Message** (संदेश)
C : **Channel** (माध्यम)
R : **Receiver** (प्राप्तकर्ता)

1. **प्रेषक** (**Source**)

प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेज कर संचार की प्रक्रिया का आरंभ करता है। इसके प्रभाव को जानने के लिए व्यक्ति के गुणों को जानना जरूरी है। इसका विश्लेषण प्रेषक के संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाजिक व्यवस्था व संस्कृति के आधार पर किया जा सकता है।

i. **संचार कौशल (कम्युनिकेशन स्किल्स):**संवाद करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत गुण/कौशलो की आवश्कता होती है और अगर वह व्यक्ति अपने उन कौशलो का उपयोग संचार की प्रक्रिया में करता है तो उसे उस व्यक्ति का संचार कौशल कहते है। उदहारण के लिए व्यक्ति के पढ़ने, लिखने बोलने और सुनने की क्षमता आदि उसका संचार कौशल है।
ii. **रवैया (ऐटिटुड):** किसी भी प्रेषक का अपने दर्शकों,विषय और स्वयं के प्रति रवैया, संवाद की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
iii. **ज्ञान (नॉलेज):** प्रेषक को उस विषय के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसके विषय में वो बोलने वाला हो। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक विषय के सम्बन्ध में जो भी बताते है उन्हें उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होती है।
iv. **सामाजिक प्रणाली (सोशल सिस्टम):** सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत समाज के विभिन्न पहलु आते है जैसे की: सामाजिक मूल्य, विश्वास, संस्कृति, धर्म और समाज की सामान्य समझ।
v. **संस्कृति (कल्चर):** संस्कृति भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है।

- **एन्कोडिंग:** जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में परिवर्तित करता है, तो एक संदेश की रचना होती है। संदेश की रचना करने की इस प्रक्रिया को एन्कोडिंग कहते है।

2. संदेश:

i. **तत्व (एलिमेंट):** तत्व में बहुत सी चीजे आती है जैसे की भाषा, हाव-भाव, शारीरिक हाव–भाव इत्यादि। इसलिए ये सभी किसी भी संदेश के तत्व होते हैं।

ii. **संरचना (स्ट्रक्चर):** किस तरह से हम विभिन्न भागों में संदेश को व्यवस्थित करते हैं इस प्रक्रिया को संदेश की संरचना करना कहते है।

iii. **अंतर्वस्तु (कन्टेन्ट):** किसी भी संदेश की शुरुआत से अंत तक में जो भी बात या तथ्य सम्मिलित होते है, उसे उस संदेश की अंतर्वस्तु (कन्टेन्ट) कहते है। उदाहरण के लिए शुरुआत से अंत तक जो भी शिक्षक कक्षा में बोलता है वह संदेश की अंतर्वस्तु/(कन्टेन्ट) कहलाता है।

iv. **उपचार (ट्रीटमेंट):** यह संदेश की पैकिंग को संदर्भित करता है। किस तरीके से कोई भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है या जिस तरीके से संदेश पारित किया जाता है या उसे वितरित किया जाता है। इसे संदेश का उपचार(ट्रीटमेंट)कहते है।

v. **कूट (कोड):** संदेश के कूट से अर्थ है की किस तरह से संदेश को भेजा जा रहा है और किस तरीके से संदेश को भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे-भाषा की दृष्टि से हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि तथा चित्रात्मक दृष्टि से फिल्म, फोटोग्राफ इत्यादि के रूप में हम किसी भी संदेश को भेज सकते है।

3. **माध्यम (चैनल):** माध्यम के द्वारा ही हम सूचना को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुँचाते है। निम्नलिखित पांच इंद्रियां इस प्रकार हैं, जिनका उपयोग करके हम सूचना प्राप्त करते हैं:

हम जो भी संचार करते हैं, वह इन चैनलों के माध्यम से ही सफल हो पाता है।

i. **सुन कर:** हम संदेश प्राप्त करने के लिए कानों का उपयोग करते है।

ii. **देख कर:** किसी भी चित्र (पोस्टर)को देख कर हमें उस चित्र में दर्शाया गया संदेश मिल जाता है।

iii. **स्पर्श द्वारा:** किसी भी वस्तु को छू कर हमें आभास हो जाता है की वह वस्तु कठोर है या मुलायम।

iv. **गंध द्वारा:** कोई भी गंध संवाद के लिए एक माध्यम हो सकती है। उदाहरण के लिए जली हुई गंध से ये संदेश मिलता है कि कोई वस्तु जल रही है तथा गंध से हम यह भी पता लगा सकते हैं की खाने में क्या बनाया जा रहा है।

v. **चख कर:** जीभ भी संचार का एक माध्यम है, जिसके द्वारा भोजन को चख कर भी संचार सम्भव है।

- **डिकोडिंग:** जब संदेश प्राप्तकर्ता (रिसीवर) के पास पहुँचता है वह पहले उसे समझने की कोशिश करता है की वास्तव में प्रेषक (सेन्डर) क्या सुनना चाहता है और इसके बाद ही प्राप्तकर्ता उसी के अनुसार जवाब देता है। इस पूरी प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते है।

4. **प्राप्तकर्ता:** प्रेषक (सेन्डर) और प्राप्तकर्ता (रिसीवर) दोनों का स्तर एक सामान होना चाहिए। इससे यह तात्पर्य है की प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और संस्कृति में जितनी समानता होगी उनके मध्य का संचार भी उतना ही सफल होगा।

6.4.5 लीगन का मॉडल (1963)

लीगन्स ने सन् (1963) में संचार को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, इंप्रेशन का आदान-प्रदान इस तरीके से करते है कि प्रत्येक को अर्थ, आशय और संदेश के उपयोग की स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। इस प्रकार लीगन्स द्वारा दिए गए संचार मॉडल में निम्नलिखित तत्व हैं:

- **वक्ता**
- **संदेश या कन्टेन्ट**
- **संचार के माध्यम**
- **संदेश का उपचार (ट्रीटमेंट)**
- **दर्शक**
- **दर्शकों की प्रतिक्रिया/फ़ीडबैक**

इस मॉडल में संदेश के ट्रीटमेंट/उपचार तथा दर्शकों की प्रतिक्रिया (फीडबैक) पर अधिक जोर दिया गया है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा श्रोताओ के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है।

मॉडल निम्नलिखित (**Error! Reference source not found.**) है:

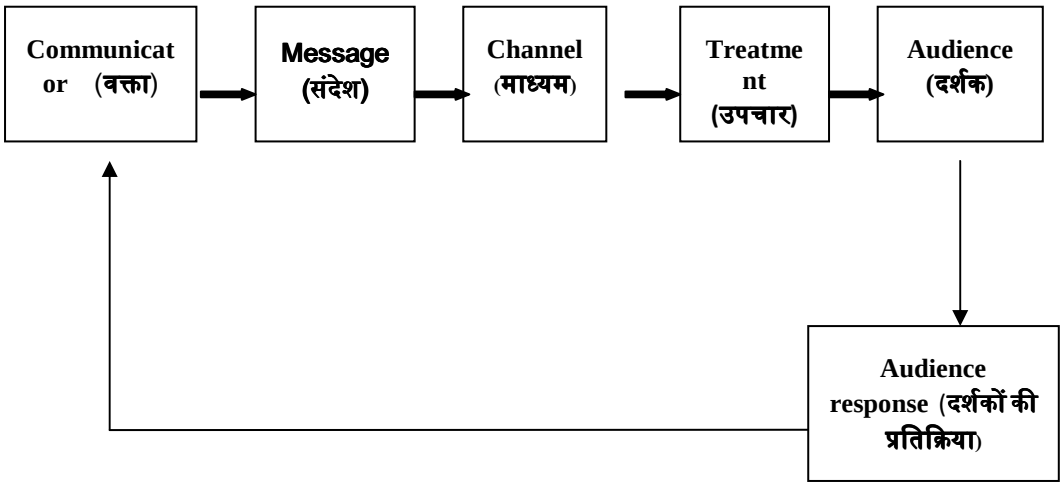

6.4.6 ओस्गुड और श्रेम का परिपत्र (सर्कुलर) मॉडल

ऊपर बताये गए सभी मॉडल संचार को एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करते है, जिसके अंतर्गत प्रेषक और श्रोता (रिसीवर) की भूमिका स्पष्ट रूप से विशिष्ट हैं। लेकिन ओस्गुड और श्रेम ने कहा कि संचार प्रक्रिया को एक रेखीय प्रक्रिया समझना भ्रामक है क्योंकि संचार प्रक्रिया की ना कोई शुरुआत होती है और ना कोई अन्त। यह एक अन्तहीन प्रक्रिया है। इस मॉडल में संचार की परिपत्र प्रकृति पर जोर दिया गया है। संचार के इस मॉडल में ये बताया गया है की संचार की प्रक्रिया में प्रतिभागियों के मध्य स्रोत/एनकोडर और रिसीवर/डिकोडर की भूमिकाओं की अदला-बदली होती रहती है।

जब भी हम अपने आस-पास की दुनिया से कोई भी जानकारी या तथ्य प्राप्त करते हैं, यहां तक की, हमारे सामने जो भी हो रहा है। उदहारण के लिए: देखने जैसे बहुत ही आसान कार्य में भी हम व्याख्यान (इंटरप्रिटेशन) की सक्रिय प्रक्रिया में व्यस्त होते है, हम किसी भी सूचना को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेते है किन्तु सक्रिय रूप से उस सूचना को समझने का प्रयत्न भी करते हैं।

मॉडल निम्नलिखित (चित्र 5: ओस्गुड और श्रेम परिपत्र (सिर्कुलर) मॉडल) है;

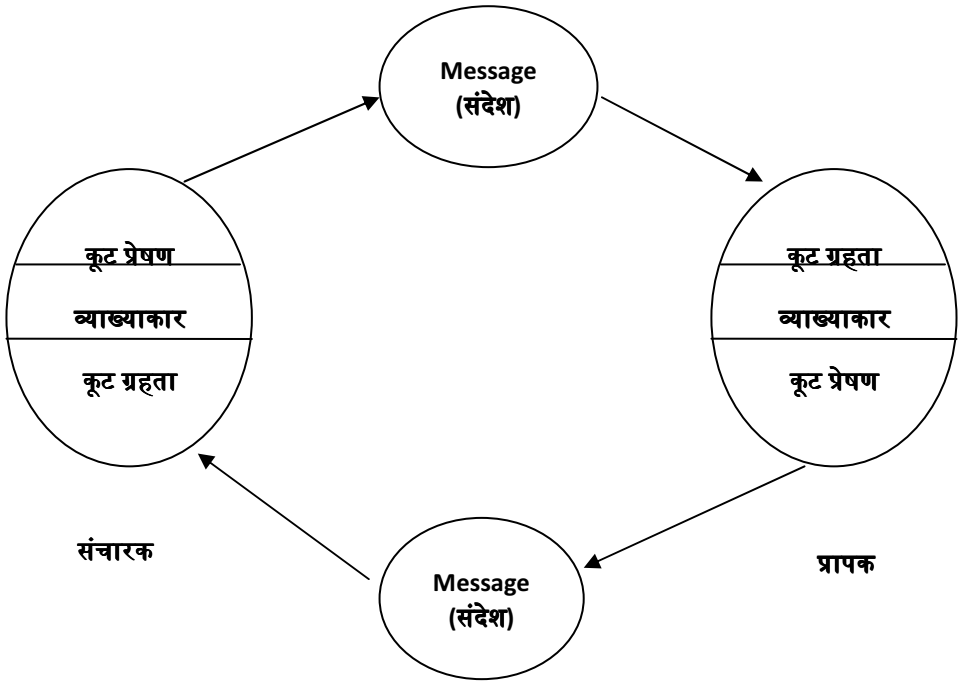

आगे बढ़ने से पूर्व आइए कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें।

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिए:

1. शोर को एक तत्व की तरह..... संचार के किस मॉडल में सम्मिलित किया गया है।
2. संचार का SMCR मॉडल..... किसके द्वारा दिया गया है।
3. ओसोगुड और श्रेम ने संचार का..... मॉडल दिया है।

अब हम एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओ के विषय में जानेगे।

6.5 एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं

एक अच्छे संचारक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताए इस प्रकार है:

6.5.1 एक अच्छा श्रोता

एक अच्छा श्रोता होना एक सफल संचारक की पहचान है। चीजों को केवल सुनने के बजाये, उन्हें ध्यान देकर सुनना, उससे जानकारी लेना, उनका प्रसंस्करण करना, उसके संदर्भ और अर्थ को समझना और तर्कसंगत, बुद्धिमान प्रतिक्रियाएं देने के लिए एक संचारक को एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरुरी है। सही ढंग से सुनने में असमर्थता या अनिच्छा से गलतफहमी और संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

6.5.2 एक अच्छा संचारक अपने दर्शकों को जानता है

एक अच्छे संचारक को पता होना चाहिए की उसके श्रोता कौन है और वे कहा से आ रहे है। उसे अपने श्रोताओ के अनुसार ही उनके लिए संदेश की रचना करनी चाहिए। संचारक को ये प्रयास करना चाहिए की वो हमेशा अपने दर्शकों के लिए उचित भाषा, स्वर, ऊर्जा और जुनून के साथ बोलें। श्रोता से प्राप्त संकेतों पर ध्यान दें। श्रोताओ के आँखों से संपर्क करें और इस बात का ध्यान रखे की श्रोता सहमति में सिर हिला रहा है की नहीं जिससे ये पता चलता रहे की श्रोता को संदेश समझ में आ रहा है या नहीं।

6.5.3 एक अच्छा संचारक हमेशा तैयार रहता है

एक अच्छे संचारक को संचार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और पहले से ही जो संदेश देना हो उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। कुछ भी अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। संचारक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए की वो जोर-जोर से कई बार अभ्यास कर ले ताकि संचारक को जो भी संदेश श्रोताओ तक पहुचना है वो उसका अभ्यस्त हो जाए और वह अनुमोदित समय के भीतर संदेस को श्रोताओ तक पंहुचा दे।

6.5.4 एक अच्छा संगठनकर्ता

अच्छे संचारक अपने विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से अपने श्रोताओ तक पहुचाना सुनिश्चित करते है ताकि श्रोताओ तक उनका संदेश संगठित व व्यवस्थित रूप में पहुचे। अच्छे संचारक अपने कथनो या संदेशो को संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित करते है जिससे श्रोताओ को संदेश को समझने में

आसानी होती है। इस तरह श्रोताओं के लिए संचारक द्वारा कही दिए गए संदेश का पालन करना बहुत मुश्किल नहीं होता है।

6.5.5 एक अच्छा संचारक जानकारीपूर्ण और प्रतिभाशाली होता है

विषय के बारे में अच्छी तरह से बोलने के लिए अपने विषय के बारे में पता होना आवश्यक होता है। कोई भी श्रोता उस व्यक्ति को सुनना नहीं चाहता जिसे वास्तव में उस विषय की कोई भी जानकारी न हो जिसके बारे वो बात कर रहा हो। लेकिन वह संचारक जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, उसे एक विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है। लोग उससे जुड़ते है और उसे सुनते है, क्योंकि वह एक प्रकार की अधिकार और ज्ञान की भावना के साथ बोलता है।

6.5.6 एक अच्छा संचारक आत्मविश्वास के साथ बोलता है

एक अच्छा संचारक अपने विषय को अच्छी तरह से जानने के साथ ही उसके विषय में विश्वास के साथ बात करता हैं और जब संचारक विश्वास के साथ बात करता है तो उसके श्रोता उसे अच्छी प्रतिक्रिया देते है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न : सही/गलत बताइए।

a. सही ढंग से सुनने में असमर्थता या अनिच्छा से संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
b. एक अच्छे संचारक के लिए विषय की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।
c. जब संचारक विश्वास के साथ बात करता है तो उसके श्रोता उसे अच्छी प्रतिक्रिया देते है।

6.6 संचार में उत्पन्न होने वाली बाधाएं और बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ

बाधा शब्द का अर्थ अवरोध होता है, बाधा एक समस्या है जो संदेश के संचरण मार्ग में आती है और संदेश के संचरण की प्रक्रिया में पूरी तरह से या आंशिक रूप से अवरोध उत्पन्न करती है।

विभिन्न प्रकार की बाधाएं इस प्रकार हैं:

6.6.1 भौतिक या पर्यावरण से उत्पन्न होने वाले अवरोध

a. **शोर -** बाहरी कारकों द्वारा की गई आवाज़, जैसे यातायात, संगीत की तेज़ आवाज, ट्रेन और हवाई जहाज, या लोगों की भीड़ हमारे संचार को प्रभावित करती है।

b. **समय और दूरी -** समय तब भौतिक बाधा बन जाता है जब लोगों को अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय क्षेत्रों में संवाद करना पड़ता है। लोगों के बीच की शारीरिक दूरी भी उनके बीच बातचीत करने में समस्याएं पैदा कर सकती है तथा दूरी की वजहे से भी लोग मौखिक रूप से या आमने सामने से संचार नहीं कर पाते है।

c. **संचार प्रणाली में दोष** – यांत्रिक और संचार उपकरणों में दोष भी संचार में भौतिक बाधाए उत्पन्न करते है। जैसे की दोषपूर्ण फैक्स मशीन या टाइपराइटर। इसी तरह,एक ख़राब टेलीफोन लाइन संदेश के गैर-प्रसारण का कारण बन सकती है।

d. **गलत माध्यम का चयन** – अगर संचारक/प्रेषक उस माध्यम का चयन करता है जिससे प्राप्तकर्ता/रिसीवर परिचित नहीं है तो इससे भी संचार की प्रक्रिया में बाधा उतपन्न होती है ।

e. **शारीरिक दोष -** जैसे तुतलाना, सुनने में परेशानी, अस्पष्ट बोली आदि।

भौतिक या पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ

भौतिक कारणों या पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है। जैसे की लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के उपयोग द्वारा भीड़ भरे स्थानों में शोर और दूरी से उत्पन्न बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यातायात संकेत और यातायात पुलिसकर्मियों के अमौखिक (नॉन-वर्बल) इशारे सड़कों पर भौतिक अवरोधों को दूर करते हैं। समय और दूरी के कारण संचार में होने वाले अंतर को तकनीकी प्रगति से दूर करने में मदद मिली है। तकनीकी उपकरणों के विफल हो जाने पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करना संभव है। साथ ही पूर्तिकर योजना (बैक-अप प्लान) किसी भी परेशानी हल करने में मदद करता है।

6.6.2 भाषा या अर्थ-संबंधी बाधाएं

भाषा संचार का मुख्य माध्यम है और शब्द इसके औजार हैं। भाषा भी संचार में बाधा बन सकती है, जैसे की अर्थ-संबंधी (अर्थ), वाक्यविन्यास (व्याकरण), ध्वन्यात्मक (उच्चारण, आवाज़ का उतार-चढ़ाव, पिच/स्वरमान आदि) और भाषाई (अलग-अलग भाषाओं में) इस प्रकार, भाषा द्वारा भी बाधाएं कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती हैं:

a) **शब्दजाल (जारगन) या अपरिचित शब्दावली -** कुछ ऐसे विशेष शब्द या तकनीकी शब्द होते है जो किसी निश्चित समूह या कार्य क्षेत्र से जैसे की डॉक्टरों, वकील, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कॉलेज के छात्रों से संबंधित होते हैं। वे उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके अपने स्वयं के, विशेष शब्दगण होते हैं, जिन्हें उनके समूह के बाहर किसी के द्वारा नहीं समझा जा सकता है।

b) **भाषा में अंतर -** जब लोग एक दूसरे की भाषा नहीं जानते है तब अपरिचित भाषा संचार में एक बाधा बन जाती है। इस बाधा को हम संचार में एक ऐसी भाषा का उपयोग करके दूर कर सकते है जिसे संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों ही समझते हो। जैसे कक्षा में विषयवस्तु का अनुवाद करके भी हम इस बाधा को दूर कर सकते है।

c) कभी-कभी, एक ही शब्द का अलग-अलग संदर्भों में उपयोग किया जाता है, जिनका अर्थ पूरी तरह से अलग होता हैं। उदहारण के लिए जैसे: हार्ड (Hard) शब्द अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है: हार्ड चेयर, हार्ड वर्क, हार्ड टाइम - ये सब एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग-अलग हैं।

d) वे शब्द जिनका उच्चारण करने से एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है लेकिन इसका मतलब बहुत अलग होता हैं। यह भी संचार में एक तरह की बाधा पैदा करते है। उदाहरण के लिए जैसे:

गृह (Gr̥ah) = House

ग्रह (Grah) = Planet

मात्र (Maatr) = Only

मातृ (Maatṛ) = Mother

भाषा या अर्थ-संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतिया:

भाषा या अर्थ-संबंधी बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है यदि प्रेषक (सेन्डर) और प्राप्तकर्ता (रिसीवर) संचार के लिए एक ऐसी भाषा का चुनाव करते हैं जिस भाषा को दोनों ही बहुत अच्छी तरह से समझते हो। एक अनुवादक या व्याख्याकार की सहायता से भी भाषा सम्बंधित बाधा पर काबू पाने में मदद मिलती है। अपने श्रोतागण की भाषा (टारगेट लैंग्वेज)के संपर्क में आने तथा भाषा कौशल के अधिग्रहण के लिए प्रशिक्षण लेने से भी भाषा एवं अर्थ सम्बंधित बाधा पर काबू पाने में मदद मिलती है। सावधानीपूर्वक अध्ययन और भाषा के सही उपयोग से भाषा अवरोधों से बचा जा सकता है। भाषा का उपयोग करते समय भाषा में स्पष्टता मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। किसी खास व्यवसाय या समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष शब्दो या अभिव्यक्ति (जारगन वर्ड्स) जिन्हें समझने में दूसरों को मुश्किल होती हो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए।

6.6.3 मनोवैज्ञानिक बाधाएं

संचार एक मानसिक गतिविधि है और इसका मुख्य उद्देश्य समझ पैदा करना है। लेकिन मानव मस्तिष्क जटिल होता है और संचार के परिणामस्वरुप समझ उत्पन्न हो ऐसा जरुरी नहीं है। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक कारण है जो संचार में बाधा पैदा कर सकते है।

a) **भावनाएं-** भावनाए संचार में उत्पन्न होने वाली सबसे आम मनोवैज्ञानिक बाधाओं में से एक है। भावनाओं को प्राप्त संचार संदेश से जोड़ा जा सकता है अथवा यह भी हो सकता है की ये पहले से ही प्रेषक या प्राप्तकर्ता के दिमाग में संचार प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही हो। दोनों ही मामलों में, यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है। सकारात्मक भावनाए, जैसे खुशी और मस्ती, या नकारात्मक भावनाए जैसे भय, क्रोध, अविश्वास आदि। दोनों सकारात्मक और नकारात्मक भावनाए बाधा के रूप में कार्य करती हैं, अगर इन पे कोई रोक न लगायी जाए।

b) **पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा (प्रेज्यूडिस)-** यह व्यक्ति द्वारा बनाई गयी एक राय होती है जिसके लिए उसके पास कोई तर्कसंगत आधार या वैध कारण नहीं होता है। यह किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या उसके पक्ष में हो सकती है, लेकिन यह सार्थक संचार के लिए एक बाधा बन जाती है। पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा (प्रेज्यूडिस) अनभिज्ञता और सूचना की कमी पर आधारित होती हैं, उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों या लोगों के समूह के बारे में पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा।

c) **स्व-छवि या विभिन्न धारणाएं-** प्रत्येक व्यक्ति की उसके अपने मन में खुद की एक छवि होती है, जो वो स्वयं के बारे में सोचता/सोचती है। यह उनकी खुद की धारणा होती है, किसी भी व्यक्ति की स्व-छवि उसकी आनुवंशिकता, उसके पर्यावरण और उसके अनुभवों का उत्पाद होती है, और इस तरह हर व्यक्ति की स्व-छवि अद्वितीय और दूसरों से अलग होती है। स्व-छवि संचार में एक बाधा भी पैदा कर सकती है क्योंकि हम उस संचार को स्वीकार करते हैं जो हमारी स्व-छवि के अनुरूप होता है। हम उस संचार से बचते है या अस्वीकार करते हैं, जो हमारी स्वयं की छवि के अनुरूप नहीं होता है।

d) **बंद/सुप्त दिमाग :** एक बंद/ सुप्त दिमाग वह होता है जो किसी विषय पर, किसी विचार या राय को स्वीकार करने से इनकार करता है, क्योंकि यह उनके विचारो से अलग होते है। इस तरह के लोग एक विषय पर अपनी राय बना लेते हैं, और फिर वे अपने से भिन्न मत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनने से इनकार करते हैं। एक बंद दिमाग कुछ अतीत के अनुभव या सिर्फ आदत का नतीजा हो सकते है। इस मनोवैज्ञानिक बाधा को दूर करना बहुत कठिन होता है।

e) **स्थिति (स्टेटस)-** इस शब्द का अर्थ श्रेणी या पद से सम्बंधित है। यह आर्थिक, सामाजिक या व्यावसायिक स्थिति हो सकती है। किसी भी संगठन में पदक्रम, पद में अंतर पैदा करता है और यह एक सामान्य स्थिति है। इस प्रकार, स्थिति खुद ही बाधाओं का कारण नहीं है; बल्कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति के प्रति जरुरत से ज्यादा सचेत हो जाता है, चाहे वह उच्च या निम्न हो, तब स्थिति एक बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापार संगठन में, एक वरिष्ठ कार्यकारी जो अपनी वरिष्ठता के बारे में अनावश्यक रूप से जरुरत से ज्यादा सचेत है, वह अपने जूनियर के साथ ठीक से संवाद नहीं करेगा, और उसे आवश्यक जानकारी नहीं देगा। इसी तरह, अगर एक जूनियर अपनी जूनियर स्थिति के प्रति जरुरत से

ज्यादा जागरूक है, तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारिओ के साथ संवाद करने से कतराएगा, तब भी जब संवाद जरूरी हो।

f) **लापरवाही और अधीरता:** कभी-कभी प्राप्तकर्ता (रिसीवर) प्रेषक के संदेश पर ध्यान नहीं देता है, या वह संदेश को पूरी तरह से और ठीक से सुनने के लिए बहुत अधीर हो जाता है। प्राय: मौखिक संचार में इस प्रकार की बाधाएं आम होती हैं।

मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए रणनीतियाँ

1. लचीलापन और खुले दिमाग वाला रवैया अपनाना चाहिए।
2. अलग-अलग प्रकार के वातावरण और विभिन्न प्रकार दृष्टिकोणों के संपर्क में आने से दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद मिलती है।
3. सहानुभूति के साथ सुनने से दूसरों की धारणाओं को अपनाने में मदद मिलती है।

6.6.4 अंतर-सांस्कृतिक बाधाएं

एक देश के भीतर सांस्कृतिक विविधता होती है और विभिन्न देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक अंतर होता है, ये दोनों ही संचार में बाधाएं है और इन बाधाओं का मुख्य कारण यह है कि लोग अपनी- अपनी संस्कृतियों के अभ्यस्त हैं और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक अनुकूलता के अनुसार काम करने, संचार, भोजन, ड्रेसिंग इत्यादि की कुछ आदतों का विकास कर लिया हैं। उन्हें ऐसे लोगों से बात करना मुश्किल लगता है जो दूसरी संस्कृति से आते हैं, और जिनकी आदतें अलग होती हैं। किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए भारत में दोनों हाथ जोड़ नमस्कार किया जाता है जो एक अरब देश या जापान काफी भिन्न तरीके से किया जाता है। एक अलग संस्कृति के भोजन और पहनावे की आदतें किसी व्यक्ति को असुविधाजनक स्थिति में डाल सकती हैं। स्थान और समय की अवधारणाए भी अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग होती हैं; उदाहरण के लिए, भारतीयों को एक दूसरे के करीब बैठने और कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों में जगह साझा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि, एक यूरोपीय इस तरह के दखल या हस्तक्षेप करने वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह, जो लोग ऐसी संस्कृति से आते हैं, जहां समय बहुत ही मूल्यवान होता है, वे लोग उन लोगों के साथ अधीर रवैया अपनाते है जो ऐसी संस्कृति से आते हैं, जहां सब कुछ धीमे, अनौपचारिक तरीके से किया जाता है।

निम्नलिखित चीजों में भिन्नता के कारण संचार में निम्न सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है:

a) सांस्कृतिक विविधता
b) समय
c) स्थान
d) भोजन
e) शिष्टाचार
f) निर्णय लेना

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अवरोधों को दूर करना कठिन है, क्योंकि उन्हें पहचानना एक मुश्किल कार्य है, एक लचीले और खुले दिमाग वाले रवैये को अपनाने से भी इन बाधाओ से बचा या इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। संचार का मुख्य उद्देश्य है - लोगों के बीच समझ के पुलों का निर्माण करना है।

अंतर-सांस्कृतिक बाधाओ को दूर करने के उपाय

अंतर-सांस्कृतिक अवरोधों के साथ काम करते समय प्रेषक को इन बिंदुओ पर ध्यान देना चाहिए-

a) ऐसी भाषा का उपयोग करें जो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और सही हो।
b) अपने विचारो को सरल और सटीक तरीके से प्रस्तुत करें।
c) संचार के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित

इकाई के अंत में अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न : सही अथवा गलत बताइए।

a. समय और दूरी का अंतर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार की प्रक्रिया में भौतिक बाधा उत्पन्न करता है।
b. पक्षपातपूर्ण पूर्वधारणा संचार में उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधाओं में नहीं आती है।
c. अलग-अलग प्रकार के वातावरण और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों के संपर्क में आने से संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है।

d. भोजन, शिष्टाचार और सांस्कृतिक विविधता में अंतर के कारण संचार में अंतर-सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती है।

6.7 सारांश

इस इकाई के उपरान्त आप जान गए होगे की मानव विकास के लिए संचार बहुत ही आवश्यक है,लेकिन साथ ही संचार एक जटिल प्रक्रिया भी है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हर दिन कुछ न कुछ वार्तालाप/संचार करता ही है पर ये बता पाना मुशकिल कार्य है की उनके मध्य का ये संचार कितना सफल रहा। संचार की प्रक्रिया में कुछ तत्वों का होना आवश्यक है परन्तु अगर वे तत्व सुव्यवस्थित नहीं होंगे तो संचार की प्रक्रिया का सफल हो पाना असंभव है। संचार के कई विद्वानों ने संचार के कई मॉडल दिए है जो संचार की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में दर्शाते है परन्तु संचार के ज्यादातर मॉडलो में कुछ न कुछ कमिया भी है जिससे संचार में कई प्रकार की बाधाए उत्पन्न होती है। इन बाधाओ को आधुनिक तकनीको या उपकरणों का उपयोग करके कुछ मात्रा में कम या दूर किया जा सकता है। कुछ बाधाए ऐसी भी होती है जिन्हें व्यक्ति स्वयं ही अपने हाव-भावों, विचारो, समझ, दृष्टीकोण इत्यादि में सकारात्मक परिवर्तन और व्यापकता लाके दूर कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताए होती है, परन्तु व्यक्ति में कुछ विशेषताए ऐसी भी होती है जो उसे एक अच्छा वक्ता या सफल संचारक बनती है। ऐसे व्यक्तियों को अन्य लोग सुनना पसंद करते है तथा वे अच्छे संचारक की कही गयी बातो को प्रभावी ढंग से चरितार्थ करके भी दिखलाते है।

6.8 पारिभाषिक शब्दावली

- **वक्ता:** वह व्यक्ति जो संवाद का प्रारम्भ करता है।
- **संदेश:** वक्ता द्वारा बोली गयी बात।
- **प्राप्तकर्ता/श्रोतागण:**वह व्यक्ति जो वक्ता द्वारा कही गयी बात को सुनता है।
- **शोर:** संचार मार्ग में आने वाले व्यवधान जिसके प्रभाव के कारण संदेश अपने वास्तविक अर्थों में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है।
- **एन्कोडिंग:** संदेश की रचना करने की प्रक्रिया को एन्कोडिंग कहते है।
- **शब्दजाल (जारगन) या अपरिचित शब्दावली -** ऐसे विशेष शब्द या तकनीकी शब्द जो किसी निश्चित समूह या कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं।

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिए।

a) शैनन और वीवर

b) बरलो

c) परिपत्र (सर्कुलर) मॉडल

अभ्यास प्रश्न 2

सही/गलत बताइए।

a) सही

b) गलत

c) सही

अभ्यास प्रश्न 3

सही अथवा गलत बताइए।

a) सही

b) गलत

c) गलत

d) सही

6.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. G.L. Ray, Extension Communication and Management, Kalyani Publishers.
2. O.P. Dhama, & O.P. Bhatnagar, Education and Communication for Development. 2nd edition. Oxford & IBH Publishing Co.Pvt.Ltd, New Delhi.
3. D.K. Berlo, The Process of Communication, Holt, Rinehart Winstone Inc., New York.
4. V.K. Dubey & I. Bishnoi, Extension Education and Communication. New Age International Pvt. Ltd.Publishers.

6.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. संचार के प्रमुख चार मॉडलों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिये।
2. एक अच्छे संचारक में क्या-क्या विशेषताए होती है विस्तृत रूप से समझाए।
3. संचार में उत्पन्न होने वाली भाषा एवं अर्थ सम्बन्धी बाधाओ के विषय में विस्तारपूर्वक समझाइये।

इकाई 7 : शिक्षण सामग्री

7.1 परिचय
7.2 उद्देश्य
7.3 शिक्षण सामग्री
7.3.1 अर्थ
7.3.2 वर्गीकरण
7.3.2 वर्गीकरण
7.3.2.1 प्रोजेक्शन के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण
7.3.2.2 क्रमिक विकास के आधार पर शिक्षण सामग्री सामग्री का वर्गीकरण
7.3.2.3 ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण
7.3.3 प्रोजेक्टेड तथा गैर-प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री का महत्व
7.4 सारांश
7.5 पारिभाषिक शब्दावली
7.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
7.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
7.8 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

सभी शैक्षिक निर्देशन अध्ययन व सीखने की स्थिति में संचार को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास करते हैं जिससे लोगों तक आसानी से जानकारी पहुंचायी जा सके। प्रसार शिक्षण विधियाँ या संचार माध्यम ऐसे उपकरण है जो प्रसार कार्यकर्ता की ग्रामीण लोगों तक विचार व कौशल स्थनान्तरित करने में सहायता करते हैं। इन उपकरणों को शिक्षण सामग्री या प्रसार सामग्री कहा जाता है। कई ग्रामीण लोग निरक्षर होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग दर्शकों को देखने, सुनने व सीखने में सक्षम बनाता हैं। तेजी से सीखने, जानने तथा याद रखने के लिये एवं ज्यादा सीखने के लिये इन सामग्रियों का उपयोग हेाता है। प्रशिक्षण सत्रों में रेडियो, टेलीविजन और वीडियों को संयुक्त रूप से दिखाया जा सकता है। इसलिये शिक्षण सामग्री का उपयोग सूचनाओं को संप्रेषित करने में प्रभावशाली होता है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंत में आप निम्न में सक्षम हो जायेंगे;

- शिक्षण सामग्री को वर्गीकृत करने में।
- अनुमानित व गैर अनुमानित (अप्रक्षेप) सामग्री में परिचित होने में (प्रक्षेप)।
- प्रसार प्रशिक्षण के लिये रेडियो, टेलीविजन व वीडियो के उपयोग का महत्व समझाने में।

7.3 शिक्षण सामग्री

प्रशिक्षण के दौरान उपयोग होने वाली कोई भी सामग्री, शिक्षार्थियों को सुनने व देखने दोनों ज्ञानेन्द्रियों की भागीदारी के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों तक आसानी से पहुंचने में सहायता करती है। दर्शकों को वास्तविकता पास से दिखाने के लिये शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे वे प्रदान की जा रही जानकारी को अच्छे से समझ सकें। इस प्रयोजन के लिए हम प्रदर्शन, चित्र , फोटो, ब्लैकबोर्ड, स्लाइड व टेलीविजन का उपयोग करते हैं।

7.3.1 अर्थ

शिक्षण सामग्री शिक्षण उपकरण हैं जिनका उपयोग ध्वनि व दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुँचाने के लिये किया जाता है। ये सामग्रियाँ, कान व आँख जैसे संवेदी अंगों को उत्तेजित करने में मदद करती हैं और दर्शकों में संदेश की त्वरित समझ पैदा करते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने के लिये किया जाता है जिससे संदेश अधिक स्पष्ट रूप से दर्शकों के मध्य प्रकट हो सकें। ओलेटन व ओनाजी (1987) के अनुसार शिक्षण सामग्री वे सामग्रियाँ हैं जिनके द्वारा दर्शकों को निर्देशों की कल्पना करने तथा उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिये ज्ञान, कौशल प्रदान किया जाता है जिससे वो अपने व्यवहार तथा जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

किंडर (2003) के अनुसार निर्देश या शैक्षणिक सामग्री ऐसे उपकरणों के रूप में परिभाषित किये जाते हैं जिनके द्वारा अनुभवों को ज्यादा प्रभावी व गतिशील बनाया जा सकता है।

बार्थ (2005) के अनुसार यह हॉर्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, उपकरणों एवं सामग्रियों का व्यवस्थित उपयोग है। आग्यूमिलेड (2005) ने इन्हें उपकरणों के रूप में परिभाषित किया जो हार्डवेयर (उपकरण) व साफ्टवेयर (उपभोग्य सामाग्रियों) को शामिल करता है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री (प्रसार सामग्री) शिक्षण/ संचार को और अधिक प्रभावी बनने हेतु प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले निर्देशात्मक उपकरण है।

शिक्षण सामग्री शब्द का उपयोग आमतौर पर गलत किया जाता है। शिक्षण सामग्री मुख्य रूप से दो प्रकार की सामग्रियों से बनती हैं : श्रृव्य-दृश्य। श्रृव्य-दृश्य दो शब्दों का संयोजन है। श्रृव्य जिसे हम सुन सकते हैं एवं दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों का संयोजन भी हो सकता है। सामान्य श्रृव्य सामग्री के अंतर्गत बोले गये शब्द, विभिन्न ध्वनियाँ एवं संगीत आदि आते हैं। जबकि दृश्य सामग्रियों में पोस्टर, चित्र, कार्टून्स, ग्राफिक्स, मानचित्र व त्रिआयामी मांडल आदि आते हैं। जब हम एक गतिशील पिच्चर, प्रोजेक्टर या ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो हम सामग्री पेश करने के साधनों के बारे में बात कर रहे होते हैं सामग्री की नहीं। ये सामग्रियाँ लक्षित समूह या दर्शकों को परिवर्तनों के लिए तथा अधिक से अधिक जानकारी अवशोषित करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सामग्रियाँ प्रसार कार्यकर्ता को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, सरल व संक्षेप में प्रस्तुत करने में सहायता करती हैं। शिक्षण सामग्रियों को उन स्थानों पर बहुत महत्व दिया जाता है जहाँ पर दर्शक अनपढ़ तथा रूढ़ीवादी होते हैं।

7.3.2 वर्गीकरण

शिक्षण सामग्रियों को सीखने के प्रकार, उद्देश्य व कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें या तो अकेले या अन्य सामग्रियों के साथ संयोजित कर उपयोग में लाया जाता है। प्रशिक्षक को श्रृव्य-दृश्य सामग्री के बारे में अवगत होना चाहिए और वे उन्हें उपयोग में लाने में कुशल होने चाहिये।

7.3.2.1 प्रोजेक्शन के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण

शिक्षण सामग्रीयों को दो प्रमुख श्रेणियों के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है: (1) अनुमानित (प्रोजेक्टेड) व (2) गैर अनुमानित शिक्षण सामग्री (गैर अनुमानित शिक्षण सामग्री)

1.प्रोजेक्टेड अनुदेशात्मक सामग्री: ये निर्देशात्मक सामग्री हैं जिन्हें संचालित करने के लिये बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती हैं उदाहरण:ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म, स्ट्रिप प्रोजेक्टर। यदि उपकरण का चयन उपयुक्त हो तथा उन्हें कुशलतापूर्वक प्रयोग में लाया जाए तो ये बहुत प्रभावी होते हैं।

2.नॉन प्रोजेक्टेड अनुदेशात्मक सामग्री: ये उन अनुदेशात्मक सामाग्रियों को संदर्भित करता है जिन्हें बिना बिजली की सहायता से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वो सभी सामग्रियाँ आती हैं जिनके प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है जैसे: फिल्प चार्ट, ग्राफ फ्लैनल बोर्ड, चॉक बोर्ड, चित्र, मॉडल या वास्तविक वस्तुएं आदि।

7.3.2.2 क्रमिक विकास के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण

i. प्रथम पीढ़ी के माध्यम - हस्तनिर्मित चार्ट, ग्राफ, प्रदर्शन, मॉडल, हस्तलिखित सामग्री आदि।
ii. द्वितीय पीढ़ी के माध्यम - मुद्रित पाठ्य, मुद्रित ग्राफिक्स, कार्यपुस्तिका आदि।
iii. तीसरी पीढ़ी के माध्यम - फोटो, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्में, रिकार्डिंग, रेडियो, टेलीलेक्चर आदि।
iv. चौथी पीढ़ी के माध्यम - टेलीविजन, प्रोग्रामिंग निर्देश, भाषा प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, कम्प्यूटर।

7.3.2.3 ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण

इस वर्गीकरण के अनुसार, सभी शिक्षण सामाग्रियाँ तीन प्रकार की होती हैं;

i. दृश्य सामग्री
ii. श्रृव्य सामग्री
iii. श्रृव्य-दृश्य सामग्री

इन सामग्रियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है;

दृश्य सामग्री एक निर्देशात्मक या संचार उपकरण है जिसमें संदेश देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जाता। श्रृव्य सामग्री एक अनुदेशात्मक उपकरण है जिसमें संदेश सुना जा सकता है परन्तु देखा नहीं जा सकता है। एक श्रृव्य-दृश्य सामग्री एक अनुदेसात्मक/निर्देशात्मक उपकरण हैं जिसमें संदेश सुना और देखा दोनों जा सकता है। श्रृव्य दृश्य सामग्री को तालिका 6.1 में दिखाए गए अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

तालिका 7.1 - शिक्षण सामग्री का वर्गीरण

श्रृव्य सामग्री	दृश्य सामग्री			श्रृव्य-दृश्य सामग्री
	नॉन प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट	अन्य	
1. रेडियो	a. मॉडल नमूना	a. स्लाइड	a. प्रदर्शनी	1. सिनेमा (मोशन पिच्चर)
2.रिकार्डिंग	b. फ्लैनल	b.फिल्म	b. प्रदर्शन	2. विडियो

	ग्राफ	स्ट्रिप		
i. टेप	c. फलैश कार्ड	c.मौन चलचित्र या चलित चलचित्र	c. साहित्य	3. टेलीविजन
ii. डिस्क	d. फोटोग्राफ	d. अपारदर्शी प्रोजेक्टर		4. ड्रामा व कठपुतली शो
iii. तार	e. चित्र	e.ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से अनुमानित चित्र		5. लोक गीत व लोकनृत्य
3. सार्वजनिक भाषण व ध्वनि टिप्पणियॉं	f. चार्ट			
4. टेलीफोन	g. पोस्टर			
	h. चॉक बोर्ड			
	i. बुलेटिन बोर्ड			

शिक्षण सामग्री को एक अन्य तरीके से भी वर्गीकृत किया जा सकता है यह है प्रदर्शन तथा प्रस्तुति। प्रदर्शन के अंतर्गत वह सामग्रियाँ आती हैं जिनको देखकर दर्शक संदेश प्राप्त करते हैं उदाहरणार्थ : पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल, प्रदर्शनी आदि ।इन्हें चर्चा से पहले ही दर्शकों को दिखा दिया जाता है जिससे उन्हें विषय के सम्बन्ध में पूर्वाभास हो सके। कभी कभी इन्हें चर्चा के साथ भी दिखाया जा सकता है।

प्रस्तुति के अंतर्गत सामग्री को दर्शकों के समक्ष उसी समय प्रस्तुत किया जाता है जब उस विषय पर चर्चा भी की जा रही होती है जिससे दर्शकों को एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो । उदाहरण फलैश कार्ड, चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स आदि।

A. श्रृव्य सामग्री: श्रृव्य (सुनने) की भावना के माध्यम से शिक्षार्क्षियों तक पहुँचने में मदद करने के लिये श्रृव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये शिक्षण सामग्रियाँ, शिक्षार्थियों को सुनने की प्रक्रिया द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं। इनमें से उदाहरण स्वरूप रेडियो व रिकार्ड प्लेयर हैं जिनमें कृषि विज्ञान सम्बन्धित विषयों पर रेडियो प्रसारण हो सकता है व शैक्षणिक कार्यक्रम रिकार्ड किये जा सकते हैं।

रेडियो: एक शक्तिशाली संचार उपकरण है जो जनसंचार का एक त्वरित माध्यम है। संचार क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के बावजूद, रेडियो अभी भी सबसे व्यापक, सुलभ, सस्ता व लचीला जन सम्पर्क माध्यम है। कई कारणों से ये जनता तक पहुँचने का सबसे मूल्यावान संचार उपकरण हो सकता है। रेडियो कार्यक्रम बहुत तत्कालिक है क्योंकि नई परिस्थितियेां के अनुसार रेडियो कार्यक्रम जल्दी बदला जा सकता है। इसे कम से कम खर्च एवं समय पर बड़ी से बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाया जा सकता है। उदारहण के तौर पर छोटे व पोर्टेबल रेडियो जो कि ग्रामीण किसानों के लिये काफी सस्ते हैं लगभग हर ग्रामीण व्यक्ति के पास आसानी से देखे जा सकते हैं। कोई भी सूचना इसके द्वारा देश भर में तुरन्त सभी घरों तक पहुंचायी जा सकती है। यह मानव आवाज को ऊर्जा प्रदान करता है तथा साक्षरता सम्बन्धी अवरोधकों को दूर करता है जिनका आमतौर पर प्रिंट मीडिया को सामना करना पड़ता है। रेडियो संचार का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली व कुछ परिस्थितियों में ग्रामीण लोगों के साथ संचार करने का एकमात्र तरीका है। प्रसार कार्यकर्ता नये तरीकों व तकनीकों के बारे में जानकारी का संचार करने के लिये रेडियो का प्रयोग करते हैं। फसल कीटों, रोगों, मौसम, बाजार समाचार आदि के बारे में जानकारी संचारित करने के लिये आमतौर पर वार्ता, समूह चर्चा, लोकगीत, संवाद व नाटक का उपयोग किया जाता है जो रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित किये जाते हैं। स्थानीय स्तर पर संगठित प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय समस्याओं व कृषि गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिये रेडियो का सफल प्रयोग करते हैं।

किसी नई तकनीक को अपनाने सम्बन्धी जागरूकता फैलाने में रेडियो सबसे ज्यादा प्रभावी है। यह स्वास्थ्य, खेती, व्यापार, कृषि, तथा प्रतिदिन की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं द्वारा एक सच्चा स्थानीय जन संचार माध्यम बन सकता है। अखिल भारतीय रेडियो (ए0आई0आर0) सभी प्रमुख भाषाओं व स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होता है।

गुण:

1. तत्काल
2. यथार्थवादी
3. समय व स्थान में पहुँच
4. भावनात्मक प्रभाव
5. प्रमाणिकता
6. सस्ता
7. पोर्टेबल

दोष:

1. एक माध्यम के रूप में अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होती है।

2. एक पक्षीय संचार के रूप में।

3. एक असुविधाजनक एक समय की घटना के रूप में।

4. ऐसी सामग्री के रूप में जिसे आप दोबारा व पहले नहीं सुन सकते।

स्थानीय रेडियो/सामुदायिक रेडियो: अभी कुछ समय से सामुदायिक रेडियो प्रसारण का उपयोग लोकप्रिय हो रहा है यह कुछ मीडिया जैसे सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक प्रसारण के माध्यम से संचार विकास के तीसरे स्तर के रूप मे कार्य करता है। विकास के प्रभावी संचार के माध्यम के रूप में रेडियो की लोकप्रियता के कारण ऑल इण्डिया रेडियो ने स्थानीय रेडियो स्टेशन की अवधारणा के प्रयोग से प्रसारण के नये चरण में प्रवेश किया। इसके कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति व आकांक्षाओं केा प्रतिविम्बित करने वाले होते हैं। सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में लोगों को उनके संगठन व विकास संगठनों की सूचना प्रसारित करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार रेडियो लोगों की आवाज तथा विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक बन जाता है।

रिकार्डिंग: टेप रिकार्डिंग श्रव्य सामग्रियों में से एक है। किसी जानकारी तथा निर्देश को प्राप्त करने के लिये एक टेप रिकार्डर का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। एक टेप रिकार्डर, पुनः उपयोग के लिये टेप पर ध्वनि संग्रह करने का एक उपकरण है। यह अक्सर किसानों के साथ वार्तालाप, साक्षात्कार व चर्चा को रिकार्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे बाद में रेडियो के लिए या अन्य कहीं प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेप पर गाना चलाने या चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है। रिकार्ड किये गये निर्देश अथवा सूचना को भविष्य में फिर से दिखाया जा सकता है। टेप में रिकार्ड किये गये कार्यक्रम किसी समूह के लिये या एक व्यक्ति के लिये हो सकते हैं। ध्वनि 3 तरीकों से दर्ज की जा सकती हैं। डिस्क रिकार्डिंग यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा की जाती है, टेप रिकार्डिंग या तार रिकार्डिंग एक चुम्बकीय प्रक्रिया है तथा फिल्म रिकार्डिंग एक प्रकाशीय प्रक्रिया है। रेडियो के अलावा रिकार्ड प्लेयर व टेप रिकार्डर मुख्यत काम में आने वाली श्रव्य सामग्रियाँ हैं। श्रृव्य कैसेट तकनीक सस्ती तथा आसान पहुँच वाली होती है। यह प्रयोग में आसान होती हैं। रिकार्डिंग के द्वारा (1) भाषण को संग्रहित किया जा सकता है तथा उसका सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है। (2) उत्पादकों के लिये एक विवरण या निर्देश दिया जा सकता है तथा (3) श्रेाता की पहचान की जा सकती है तथा मौखिक रूप से प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

B. दृश्य सामग्री: शिक्षण हेतु उपयोग की जाने वाले ऐसी सामग्रियाँ जो देखने के माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों तक पहुचने में मदद करती हैं उन्हें दृश्य सामग्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। दृश्य सामग्री ऐसी शिक्षण सामग्री है जो दर्शकों को दृष्टि के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करती है। ये प्रसार प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं विशेषकर क्योंकि वे शिक्षार्थियों द्वारा तथ्यों को बनाये रखते हैं। ये एक चीनी कहावत की सच्चचाई का उदाहरण देते हैं जो इस प्रकार है:

मै जो सुनता हूँ, मै भूल जाता हूँ।

मैं जो देखता हूँ, मुझे याद है।

मै जो करता हूँ, मै समझता हूँ।

दृश्य सामग्री दृष्टि के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षण के उपकरण है। ये समर्थन करने वाली सामग्रियाँ है तथा ये अकेले कोई प्रक्रिया नहीं सिखा सकती हैं। उनहें केवल एक उपकरण माना जाना चाहिए जो बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। ओलाटून्जी (2005) ने दृश्य सामग्रियों को दो वर्गों वास्तविक वस्तुओं और प्रतिनिधित्वकारी दृश्य सामग्री में वर्गीकृत किया है।

1. वास्तविक वस्तुएं :इसमें वास्तविक वस्तुएं शामिल हैं जैसे कुदाल, पशुचारा, उर्वरक, कृषि मशीनरी, पौधे, पशु आदि।
2. प्रतिनिधि दृश्य सामग्री:ये शिक्षण सामग्री है जो वास्तविक वस्तुओं के नमूनों के प्रतीक हैं इसमे चित्र, फोटो, चार्ट व आलेख शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्रियाँ

1. नान प्रोजेक्टेड या गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्रियाँ

- पोस्टर: पोस्टर एक महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री है। एक अच्छा पोस्टर लोगों के बीच जागरूकता व रूचि पैदा करता है। यह लोगों को प्रेरित करता है और प्रक्रिया की ओर ले जाता है। इसके तीन भाग होते हैं। सामान्यतया सबसे पहले उद्देश्य या दृष्टिकोण की घोषणा की जाती है। दूसरा स्थिति निर्धारित करता है और तीसरा कार्यवाही की सिफारिश करता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये एक पोस्टर बड़ा होना चाहिए और एक समय में केवल एक ही संवाद करना चाहिये। इसमें स्पष्टता होनी चाहिये और शब्दों को स्पष्ट व ताकतवार होना चाहिये। पोस्टर का आकार 50×75 सेमी0 से कम नहीं होना चाहिये। तकनीकी जानकारी पेश करने के लिये पोस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पोस्टर को किसी विषय के निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं से तैयार

किया जाना चाहिये जैसे कि सटीक विषय, लिखना, सम्पादित करना, जानकारी की पूर्ण सामग्री, सटीक विषय को संशोधित करना, फोटो के बडे प्रिंट बनाने की व्यवस्था करना आदि। आजकल कम्प्यूटर डिजाइनिंग का पेास्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है जो काफी आकर्षित होते हैं व लक्षित समूह का ध्यान खीचते हैं।

1.पिक्चर (चित्र): यह एक नजर में स्पष्ट रूप से संदेश प्रसारित करने वाला होना चाहिये।

2.शब्दों में अनुशीर्षक (कैप्सन): यह यथा सम्भव छोटा होना चाहिए। एक पेास्टर मे पॉच शब्दों का कैप्शन सबसे अच्छा होता है। कैप्शन खड़ा नहीं लिखा जाना चाहिये क्योंकि यह पढ़ने में कठिनाई पैदा करता है।

3.रंग: चमकीले व आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए परन्तु कई रंगों का उपयोग न करें।

4. स्थान: पर्याप्त स्थान प्रदान करें।

5. ले आउट: यह अच्छी तरह सन्तुलित होना चाहिये ताकि दर्शक इसे आसानी से कैप्शन व चित्रों के माध्यम से देख सकें।

6. जॉच:दूसरों को पेास्टर दिखाएं यदि किसी गलत धारणा या अस्पष्टता का पता चले तो इसे तुरन्त हटा देना चाहिये।

गुण: पोस्टर में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्थायी रिकार्ड, पुनः प्रयोग के लायक तथा बनाने में आसान होते हैं।

चित्र, मानचित्र, चार्ट तथा आलेख: चित्र, मानचित्र, चार्ट तथा आलेख दृश्य सामग्री हैं जिनके जानकारी संक्षेप में होती है जिसे अधिक या कम सार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के दृश्य व्यापक और सार्थक तरीके से बड़ी मात्रा में जानकारी पेश करने के लिये बहुत सुविधाजनक है। उदाहारण के लिये एक आरेख, एक वस्तु या विचार का एक रेखा चित्रण है। एक नक्शा एक क्षेत्र का एक जानकारीपूर्ण आरेख है। एक चार्ट तालिका के रूप में जानकारी है और एक आलेख कारकों के बीच का आरेखीय सम्बन्ध बताता है। ये विशेष रूप से शिक्षण में सहायता करते हैं मुख्यतः किसी उन्नत तरीके पर चरणबद्ध तरीके से प्रकाश डालने हेतु जैसे: इसे कैसे करना है? प्रसार कार्यकर्ता के लिये चार्ट कागज की बडी शीट पर सम्बन्धित सामग्री के विभिन्न प्रकार पेश करने का एक ग्राफिक माध्यम है। चार्ट, प्रतीकों, शब्द, चित्र, संख्यात्मक व चित्रों का संयोजन है जो एक साथ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं या सम्बन्धों के सारांश को स्पष्ट रूप से पेश करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार, चार्ट जटिल विचारों को आसानी से बताता है। चार्ट एकल शीट या एक श्रंखला के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं।

- चार्ट के प्रकार: चार्ट निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

पुल चार्ट: इसमें लिखित संदेश होते हैं तो मोटे कार्डबोर्ड या प्लाईवुड की पट्टियों से छिपे हुए होते हैं। छिपे हुए संदेश को दर्शकों को प्रस्तुति के समय दिखाया जा सकता है।

स्ट्रीप टीस चार्ट: पुल चार्ट की तरह स्ट्रीप टीस चार्ट का संदेश भी एक पट्टी के पीछे छुपा होता है। इसमे चार्ट की जानकारी पतले कागज की पट्टी से ढकी होती है। पट्टी के पीछे मोम, टेप या अन्य चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। पिन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक पूरी कहानी को एक तस्वीर के रूप में या लिखित रूप में दर्शाया जाता है तथा कागज की पट्टियों के पीछे रखा जाता है। और फिर हम कागज के पट्टियों को हटाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं।

फ्लोचार्ट: ये चित्र संगठनात्मक या प्रशासनिक सम्बन्ध दिखाने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं। ये एक संगठन की संरचना भी दिखाते हैं इसमें लाइनों के साथ जुडे डब्बे स्तर व लाइनें अधिकार को दिखाती हैं।

बार ग्राफ: इनका उपयोग अलग अलग समय पर या अलग अलग परिस्थितियों में मात्रा की तुलना करने के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये लगातार तीन वर्षों में परीक्षण भूखण्डों पर फसल की पैदावार में वृद्धि करने वाले उर्वरकों का प्रभाव एक 'बार चार्ट' में दिखाया जा सकता है।

समय चार्ट: उदाहरणार्थ: रेलवे की समय सारणी।

नौकरी चार्ट: उदाहरणार्थ : एक ग्राम सेवक की ड्यूटी सारणी।

ट्री चार्ट : इसे प्रवाह चार्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें किसी पेड़ या एक घास के आकार द्वारा किसी विकास को दिखाने को दिखाया जाता है। विभाजन और उपविभाजन को एक पेड़ के तने ,शाखाओं एवं उपशाखाओं के द्वारा या नदियों एवं उपनदियों द्वारा दिखाया जाता है।

ओवर ले चार्ट: कई सचित्र शीट के रूप में होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा जाता है। हर एक शीट के चित्र पूरी पिक्चर के भाग होते हैं। इसमें दर्शकों को न केवल अलग अलग हिस्सों को देखने में मदद मिलती है बल्कि वे विभिन्न हिस्सों की कुल परिप्रेक्ष्य से तुलना भी कर सकते हैं। जब अन्तिम शीट रखी जाती है तो परिणाम भी सामने आ जाता है।

पाई चार्ट (पाई ग्राफ) : ये गोलों के रूप में होते हैं और इन्हें यह दिखाने के लिये उपयोग में लाया जाता है किस प्रकार कई हिस्सों से मिलकर सम्पूर्ण आकार बनता है। जैसे: एक पाई चार्ट का उपयोग देश द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों का सापेक्ष अनुपात दिखाने के लिये किया जा सकता है।

लाइन चार्ट (लाइन ग्राफ) : यह प्रवृत्तियों व रिश्तों को दिखाने में विशेष रूप से उपयोगी है। एक एकल निरन्तर रेखा विकास या विस्तार को प्रदर्शित करती है। एक साथ कई रेखाएं कृषि उत्पाद की मात्रा व बाजार मूल्य के बीच सम्बन्ध को दिखाती हैं।

सचित्र ग्राफ: इसमें दर्शकों को एक स्पष्ट चित्र देने तथा आपस में सम्बन्ध बताने के लिये ग्राफिक संदेश, कार्टून और अन्य प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है।

फ्लिप चार्ट: चित्र, रेखा चित्र व चार्ट की एक अल्बम की तरह है। इसमें पतली लकड़ी या मोटी हार्डबोड की दो सिरों के बीच किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के चित्रों की श्रंखला होती है जो शब्दों के साथ या शब्दों के बिना हो सकती है। बाहर से लगे दो कवर खोले और वापस बंद किये जा सकते हैं जिससे फ्लिप चार्ट दर्शकों के सामने खड़ा करके रखा जा सके। अलग अलग चरण अलग अलग शीट पर दिखाये जाते हैं जो साथ में जोड़ दिए जाते हैं जिससे प्रत्येक शीट का प्रयोग चर्चा के समय किया जा सके। प्रत्येक चित्र प्रसार कार्यकर्ता के भाषण में एक बिन्दु को दिखाता है और वह अगले बिन्दु पर जाने से पहले पिछले बिन्दुओं की पूरी व्याख्या करता है। इससे दर्शकों को लगातार लिखे हुए नोट्स को देखे बिना ही समझने और याद रखने में सहायता मिलती है। इसका उपयोग फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने के लिये या एक कौशल प्रदर्शन करने के लिये किया जा सकता है। जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करना, एक पोल्ट्री हाउस बनाना, मछली के तालाब का विकास करना आदि। इन्हें भारी कागजों या अन्य लचीली सामग्री पर तैयार किया जाता है। ये 11×17 इंच से 30×40 इंच के आकारों में हो सकते हैं। फ्लिप चार्ट बनाते निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये : अक्षरों को बड़ा होना चाहिये, चित्र सरल होने चाहिये, प्रत्येक शीट पर जानकारी सीमित होनी चाहिये। अगर चित्र नहीं बना सकते हैं तो पोस्टरों व पत्रिकाओं से चित्रों को काटकर भी चिपकाया जा सकता है।

गुण: फ्लिप चार्ट, क्रमिक रूप से तैयार, परिकल्पित करके तथा उपयोग में लाये जा सकते हैं। फ्लिप चार्ट पर लगाई गई सामग्री को फिर से प्रयोग किया जा सकता है और उसकी समीक्षा की जा सकती है। क्लिप चार्ट स्टैण्ड सस्ते होते हैं, तैयार करने व बदलने में आसान होता है,स्थानान्तरण एवं स्थापित करने में आसान होते हैं तथा किसी प्रक्रिया के हर चरण को दिखाते हैं। वे बाहरी उपयोग के लिये उपयुक्त होते हैं तथा इन्हें बनाने के लिये विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है।

दोष: फ्लिप चार्ट एक छोटे क्षेत्र के लिए ही प्रयोग किये जाते हैं। समय खत्म होने पर शीट्स को फाड़ दिया जाता है।

● फ्लैनेल ग्राफ: फ्लैनेल ग्राफ या खद्दर ग्राफ एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। यह समूह विधियों जैसे व्याख्यान अथवा अनौपचारिक बातचीत के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। यह फ्लैनेल बोर्ड पर इस्तेमाल की गई ग्राफिक सामग्री है। फ्लैनेल ग्राफ एक सिद्धान्त पर काम करता है कि एक खुरदुरा कपड़ा किसी दूसरे कपड़े से चिपकता है। फ्लैनेल या सफेद पेपर का एक टुकडा जिसकी सतह खुरदुरी हो वह दूसरे फ्लैनल के टुकड़े पर से चिपकेगा और इस प्रकार फ्लैनेल बोर्ड बन जाता है। अगर आप किसी चित्र, फोटो या आरेख आदि के पीछे फ्लैनेल लगाकर उसे फ्लैनेल बोर्ड पर लगाते हैं तो यह चिपक जाता है। यह उपकरण फ्लैनेल ग्राफ कहलाता है। फ्लैनेल ग्राफ को कहानी या स्पष्टीकरण निर्माण के लिये बहुत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। कुछ मायनों मे यह नाटक की तरह ही होता है। इसकी पृष्ठभूमि या कहानी होती है। इसके कुछ हिस्सों को अभिनेता के बारे में बताने मे स्थानान्तरित किया जा सकता है। एक नाटक की तरह इसकी कहानी आपके आँखों के सामने आती है। आप कहानी को देख तथा सुन सकते हैं। गतिशील भागों की क्रियाएं आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। वाल चार्ट में लोग पहले ही कहानी का परिणाम जान लेते हैं परन्तु फ्लैनेल चार्ट अन्त तक लोगों को बांधे रखता है। वैकल्पिक परिणामों को दिखाने के लिये कटिंग अलग अलग स्थानों पर रखी जा सकती हैं।

फ्लैनेल ग्राफ का एक आधुनिक विकल्प चुम्बकीय बोर्ड है। इसमें चुम्बकीय पट्टियाँ होती हैं जो धातु बोर्ड पर मजबूती से चिपकी रहती हैं। फ्लैनेल ग्राफ इधर उधर ले जाने के लिए अनुपयोगी है वहीं चुम्बकीय बोर्ड को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

गुण: रहस्य बनाता है। प्रस्तुति के दौरान वांछित रूप में स्थिति बदल सकता है। उपयोग के बाद पैक करने में आसान है।

दोष: चार्टबोर्ड खो सकता है फट सकता है।

● फ्लैश कार्ड: छोटे फ्लैश कार्ड का आकार लगभग 30 से 40 सेमी0 होता है। उनका उपयोग एक नये विचार के के प्रदर्शन के लिये किया जाता है जैसे : घुएं वाले चूल्हें का लाभ, संकर मक्का की खेती, खाद बनाने का तरीका आदि। दर्शकों को पहले विषय से सम्बंधित चित्रों को तार्किक अनुक्रम में इन कार्डों के द्वारा दिखाया जाता है।उन्हें देखने के बाद ग्रामीण आसानी से कहानी को समझ सकते हैं।

● मॉडल: यह एक व्यक्ति में जागरूकता की भावना उत्पन्न करता है। नये क्षेत्र, उपकरण, खाद के गड्ढे तथा स्वच्छता उपकरण आदि के मॉडल तैयार होते हैं जो उन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध

होते हैं जो वास्तविक रूप में उन्हें देखने की स्थिति में नहीं हेाते । उनका उपयोग एक निश्चित अभ्यास अपनाने के लिये, रूचि पैदा करने व समझ को बढ़ाने के लिये किया जाता है।

- बुलेटिन बोर्ड:ये घोषणाओं, लघु अवधि की घटनाओं व स्थानीय गतिविधियों की तस्वीरें प्रदर्शित करने के काम आती है। इसमे जानकारी को सरल भाषा में लिखा होना चाहिए।

- फोटो:यह बहुत सरल दृश्य सामग्री है। तस्वीरें वास्तविक दृश्य रिकार्डिग होती हैं। उन्हें फ्रेम में लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। अच्छी तस्वीरें क्रिया भी दिखाती हैं और भावनाओं को भी कैद करती हैं। ये सामान्य बैठकों मे बुलेटिन बोर्ड में प्रदर्शित हेाती हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग उन्हें देख सकते हैं। उन्हें स्पष्ट तथा बोल्ड होना चाहिये और उचित कैप्शन का संयोजन हेाना चाहिये।

- चॉर्क बोर्ड/ब्लैक बोर्ड/स्पष्ट बोर्ड:चॉक बोर्ड सबसे सरल, सस्ती, सुविधाजनक और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दृश्य सामग्री है। यह व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व समूह बैठकों आदि में उपयोग के लिये उपयुक्त है। आजकल चॉक बोर्ड की जगह व्हाइट (सफेद) बोर्ड ने ले ली है। ठीक से प्रयोग किये जाने पर ये बोर्ड एक प्रभावी दृश्य सामग्री है। ये चॉक व मार्करों के द्वारा लेखन व रेखांचित्र प्रदान करते हैं। ये पोर्डटेबल रूप में भी उपलब्ध हैं। उनका उपयोग आमतौर पर स्कूलों, कालेजों व बैठकों में किया जाता है। ये एक बिन्दु पर प्रकाश डालने के लिये चित्रों, शब्दों व प्रतीकों के संयोजन का प्रयोग करते हैं। समूह शिक्षण विधियों में काले बोर्ड सबसे अधिक उपयोगी होते हैं।आधुनिक सफ़ेद बोर्ड मे सफेद बोर्ड मार्कर जो विभिन्न रंगों मे आटे हैं प्रयोग किये जाते हैं। बोर्ड मार्कर को मिटाना आसान होता है क्योंकि इसमें धूल नहीं होती, जैसा कि सामान्यतया ब्लैक बोर्ड में होता है। इनका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है:''वार्तालाप का सारांश करने में, चित्र/आरेख बनाने में, दर्शकों के लिये दिशा लिखने में, लेक्चर को बिन्दु रूप में विकसित करने में तथा सवालों के जवाब देने में।

गुण: बदलना आसान, दो तरफा संचार, सस्ता, चरणबद्ध निर्देश के लिये अच्छा , सरल, प्रत्यक्ष , बहुमुखी।

दोष: अस्थायी, विवरण दिखाने में असमर्थ, समय लेने वाला, दर्शकों के साथ सम्पर्क में कमी।

अभ्यास प्रश्न 1

1. दो गैर प्रोजेक्टेड (नॉन प्रोजेक्टेड) सामग्रियों को परिभाषित कीजिए।

2. फ्लैनल ग्राफ से आप क्या समझते हैं?

2. प्रोजेक्टेड या प्रक्षेपित सामग्रियाँ

- फिल्म स्ट्रिप्स: ये किसी चित्र, आरेख फोटों या शब्दों की एक श्रंृखला होती है और अलग अलग फ्रेम में होने के स्थान पर 35 मिमी0 की एक पट्टी पर छपे होते हैं। ऐसी स्ट्रिप को 100 लोगों या दर्शकों को दिखाया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप्स का उपयोग करने का अतिरिक्त लाभ यह है कि मिसी महत्वपूर्ण या दिलचस्प बिन्दु पर चर्चा करने के दौरान फिल्म को कभी भी रोका जा सकता है। वे दो प्रकार के हो सकते हैं - एक फ्रेम तथा डबल फ्रेम । एक स्ट्रिप मे फ्रेम की संख्या 30-60 तक होती है।

- स्लाइड: स्लाइडस विशेष फिल्मों पर ली गई तस्वीर है ताकि प्रसंस्करण के बाद उन्हें प्रोजेक्टर में रखा जा सके व लोगों के समूह के लिए एक दीवार/स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। एक स्लाइड को व्यक्गित माउंट (फ्रेम) में एक पारदर्शी तस्वीर के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। छवि को देखने के लिए चित्र को एक स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से पेश किया जाता हे जो छवि को एक स्क्रीन पर फोकस में लाता है। स्लाइड वार्ता को स्पष्ट करने और लोगों की ठोस गतिविधियों व विकास के पहलुओं को प्रदर्शित करने में सहायक है। विभिन्न स्थितियों तथा किसी काम को करने के तरीकों को दिखाने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें बेहतर कृषि पद्धतियों खेती इत्यादि पर एक सचित्र वार्ता के लिए एक श्रृंखला के रूप में दिखाया जा सकता है। स्लाइड को डालने का सही तरीका यह है कि इसे नीचे की ओर उल्टा करके डाला जाये।

- दृश्य प्रक्षेपण उपकरण: सभी दृश्य प्रोजक्शन उपकरणों के लिए बिजली की जरूरत होती है। निम्न 5 प्रकार के नवीन उपकरण हैं;

1. फिल्मस्ट्रिप प्रोजेक्टर: उपकरण जो एक समय में 35 मिमी0 की फिल्म एक फ्रेम में प्रक्षेपित करता है।

2. मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर: वह उपकरण जो तेजी से फिल्म की एक पट्टी पर चित्रों को एक श्रृंखला के रूप में पेश करता है जिससे यह वस्तुओं को गतिशीलता प्रदान करता है।

3. स्लाइड प्रोजेक्टर: उपकरण जो एक छोटी पारदर्शी स्लाइड में निहित छवि को प्रक्षेपित कर दिखाता है सामान्यतया इस स्लाइड की माप पर 35 मिमी0 होती है।

4. ओवहहैड प्रोजेक्टर: उपकरण जो पारदर्शी स्लाइड(10"×10") पर मौजूद चित्र को प्रक्षेपित कर दिखाता है। प्रत्येक स्लाइड को हाथ से प्रोजक्टर पर रखा जाना चाहिए। शब्द ''ओवरहेड'' उपकरण के डिजाइन के कारण दिया गया है क्योंकि ये छवि को स्लाइड के ऊपर उपस्थित दपर्ण में प्रक्षेपित करता है जो उसे दर्शक के सामने की दीवार पर प्रतिबिंबित करता है जहाँ उसे दर्शक देख सकते हैं। यह कक्षाओं (गैर औपचारिक कक्षाओं) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये विकसित किया गया है। अन्य मीडिया की तुलना में इसका लाभ यह है कि इसको अंधेरे कमरे की जरूरत नहीं होती है।

5. अपारदर्शी प्रोजेक्टर (ओपेक प्रोजेक्टर): इसको एपिडिआस्कॉप के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उपकरण है जो उस अपारदर्शी सामग्री की छवि को प्रक्षेपित करेगा जो फ्लैट हो, तीन आयामी हो और इसके लैंस के नीचे रखा हो। प्रक्षेपित की जाने वाली सामग्री का आकार लगभग 25 सेमी0 × 25 सेमी0 होना चाहिए।

C. श्रृव्य-दृश्य सामग्री: इन सामग्रियों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: "देखने और सुनने दोनों भावनाओं की सम्मिलित सहभागिता से शिक्षार्थियों की निर्देशात्मक उद्देश्यों तक पहुँचने में सहायता करना"। ये निर्देशात्मक सामग्रियाँ हैं जो श्रोताओं को आकर्षक लगती हैं क्योंकि इनमें वे एक ही समय में देख तथा सुन सकते हैं। ये प्रसार कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। सबसे अधिक प्रयोग किये जाने वाली सामग्रियों में वीडियो, टेप, टेलीविजन तथा प्रगतिशील चित्र शामिल हैं। श्रृव्य-दृश्य सामग्रियों के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं:

- कठपुतलियाँ: इन्हें गैर प्रक्षेपित श्रृव्य एवं दृश्य सामग्री के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय गॉवों में पुरानी व लोकप्रिय कलाओं मे से एक कठपुतली है। कठपुतली एक शैक्षिक व मनोरंजन सामग्री है जिसमे प्रदर्शनकारियों के द्वारा कठपुतलियों को निर्मित किया जाता है और ये ही इसके पात्र होते हैं। कठपुतली एक बनावटी गुड़िया होती है जिसे एक पात्र के रूप में माना जाता है। वांछित प्रभाव लाने के लिये एक अच्छे कलाकार को कठपुतली को नाटकीयकरण के साथ प्रयोग करना होता है। कठपुतली शो का प्रयोग संदेश को प्रभावी ढंग से ग्रामीण लोगों तक पहुँचाने के लिए जाता है। कठपुतली शो को आकर्षक कार्यक्रम बनाने हेतु एक छोटी कहानी, संक्षिप्त दृश्य व त्वरित संवाद आवश्यक है। ऐसे शो स्वास्थ्य, साक्षरता, कृषि अथवा घर बनाने के तरीकों पर आधारित हो सकते हैं।

- सांस्कृतिक कार्यक्रम: लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि लोक-गीत एवं नाटक का प्रयोग, विकास कार्यक्रमों के संदेश के संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।

एक विषय या कहानी का नाट्यकरण दर्शकों के बीच रूचि उत्पन्न करता है। स्थानीय रूचि व महत्व के विषयों से सम्बन्धित लोक गीत व नृत्य पर जब मंचन होता है तो वह लोगों तक तीव्रता से पहुँचता है क्योंकि गाँव के लोगों के लिये लोकगीत तथा नृत्य एक बहुत बडा आकर्षण है। यदि वे ऐसे कार्यों का आयेाजन करते हैं जिसमें ग्रामीण भी सहयोग करते है तो प्रसार कार्यकर्ता लोगों के ज्यादा करीब जा पाते हैं। कृषि या पशुचिकित्सा कॉलेज के प्रसार विभाग के छात्रों द्वारा शिक्षकों की मदद से स्थानीय बोलियों में विकास कार्यक्रमों व प्रथाओं से जुड़े गीतों को तबला व हारमोनियम की सहायता से बताया जा सकता है यह ग्रामीणों को जानकारी देने का अच्छा तरीका है।

- टेलीविजन व विडियो: यह एक इलैक्ट्रानिक श्रृव्य-दृश्य माध्यम है जो संयोजित ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है। टेलीविजन व वीडियो ऐसी सामग्री है जो समस्त शिक्षण सामग्रियों में महत्वपूर्ण हैं और प्रसार एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किये जाते हैं। वीडियो व प्रसारण टेलीविजन का एक अच्छा गुण है क्योकिं ये देखने में बहुत ही वास्तविक लगते हैं यहाँ तक कि जब अभिनेता केवल अभिनय कर रहे हों। ये देखने योग्य, आकर्षक व रूचिकर होते हैं। वीडियो का प्रयोग लोगों को सम्बंधित कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने के लिए भी किया जा सकता है। विडियो तथा टेलीविजन बहुत उपयोगी उपकरण है जो शिक्षित या अशिक्षित सभी लोगों के लिए उपयोगी होता है।

टेलीविजन का शैक्षिक मूल्य

i. टेलीविजन वास्तविकता को घर व प्रशिक्षण में ला सकता है। टेलीविजन एक प्रभावी संचार है क्योंकि यह अच्छे प्रदर्शन व श्रृव्य-दृश्य सामग्री को शिक्षण सत्र में ला सकता है।
ii. टेलीविजन सीखने वाले के समय तथा प्रयास को बचा सकता है।
iii. टेलीविजन शिक्षाप्रद व मनोरंजक होता है।

शिक्षण सामग्री का कार्य: शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री निम्नलिखित कार्य करते हैं:

i. वे शिक्षण को समृद्ध बनाते हैं अर्थात इसे अधिक सार्थक व प्रभावी बनाते हैं।
ii. वे ध्यान केन्द्रित करते हैं इसलिये ध्यान आकर्षित करने, ध्यान बनाये रखने तथा शिक्षार्थियों को व्यवस्थित रखने के लिये मुख्य बिन्दु प्रदान करते हैं। यह दर्शकों की रूचि बनाये रखते हैं।
iii. ये सीखने के क्षेत्र का विस्तार करते हैं।
iv. ये मौखिक अवधारणाओं को एक साथ बांधते हैं। जैसे: वे शिक्षक या प्रसार कार्यकताओं द्वारा बातों में वास्तविकता व स्पष्टीकरण लाते हैं।

v. वे अवधारणाओं व मुद्दों केा स्पष्ट करते हैं। वे सम्भवतः गलतफहमियों को दूर करते हैं और अन्तर्दृष्टि को गहरा करते हैं।
vi. वे सूचना का एक स्त्रोत तथा प्राधिकारी प्रदान करते हैं।
vii. वे रूचि को प्रोत्साहित करते हैं अर्थात प्रेरक उपकरणों द्वारा व्यक्ति में सीखने की प्रबलता या पैदा करते हैं।
viii. ये सिखाते हैं और सीखने को समेकित करते हैं।
ix. बोलने वाले शब्द को संयोजित करने में मदद करते हैं।
x. विषय को समझने वाले व ठोस रूप में पेश करने में मदद करता है।
xi. व्यवहार बदलने में मदद करता है।

शिक्षण सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिये सामान्य दिशा निर्देश: एक शिक्षक /प्रसार एजेंट सावधानी से उपयुक्त सामग्री का चयन करता है, कुशलतापूर्वक उन्हें संभालता है और अपने दर्शकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। कृषि प्रसार शिक्षा के शिक्षण में शिक्षण सामग्री के चयन व उपयोग की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिये;

1.प्रासंगिकता: ये विषय व उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक होना चाहिये। उदाहरणार्थ: ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी एक बड़ी समस्या है और फसलों के लिये उपलब्ध नहीं है वहाँ धान की खेती का विषय उपयुक्त नहीं है।

2.दर्शकों का आकार (संख्या): यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सभी दर्शकों के लिये सामग्री का आकार उपयुक्त है तथा क्या सामग्री की संख्या सभी दर्शकों में वितरित की जा सकती है।

3.क्रियान्वित करने में कुशलता: सुनिश्चित करें कि उपयेाग करने से पहले आप किसी भी सामग्री के संचालन की उचित जानकारी रखते हैं। उदाहरण के लिये प्रोजेक्टर के इस्तेमाल से पूर्व आपको उसके संचालन हेतु पूर्व जानकारी लेना आवश्यक है।

4.सामग्री की सुरक्षा: उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

5.अप-टू-डेट सामग्री: अप्रचलित या पुरानी सामग्री का उपयोग ना करें।

6.पोर्टेबिलिटी: ऐसी सामग्री का उपयोग करें जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सके।

7.विश्वसनीयता: भरोसेमन्द सामग्री का उपयोग करें जो खराब होकर शिक्षक को निराश ना करे।

8.स्वीकार्यता: सुनिश्चित करें कि आगामी सामग्री दर्शकों के मध्य स्वीकार्य हो।

9.रंगों का चयन: अनुदेशात्मक सामग्री पर चमकीले रंगों का उपयेाग करें। गलत रंगों का उपयोग ना करें।

10.समय: सही समय पर सही सामग्री का उपयोग करें तथा सत्र के बाद उसे हटा दें।

11.विभिन्न प्रकार: केवल एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग न करें। सामग्री के संयोजन को एक ही सामग्री के उपयोग की अपेक्षा प्राथमिकता देनी चाहिये।

7.3.3 प्रोजेक्टेड तथा गैर-प्रोजेक्टेड सामग्री का महत्व

शिक्षण विधि, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। उपयुक्त तरीका ना होने के कारण कभी कभी एक अच्छा शिक्षण भी विफल हो जाता है। इस युग में न केवल शिक्षण के नये तरीकों का विकास किया गया है बल्कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास से शिक्षण के तरीकों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है जैसे: कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सहायता निर्देश, प्रोजेक्टर स्लाइड तथा मल्टीमिडिया शिक्षण की प्रभावशीलता। सीखने की प्रक्रिया केवल शिक्षक पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों व शिक्षण सामग्रियों पर भी निर्भर करती हैं। सामान्यतया श्रृव्य-दृश्य उपकरण विभिन्न शिक्षण व सीखने की प्रक्रियाओं को रोचक, उत्तेजक, प्रबल एवं प्रभावी बनाते हैं। अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार के लिये प्रशिक्षक को शिक्षण सामग्री प्रदान करना आवश्यक है। इन शिक्षण उपकरणों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिये उपयोग में लाया जाता है और इस प्रकार यह आसान व दिलचस्प बन जाता है। अल्बर्ट ड्यूरेट ने कहा है कि आप जो देखते है वह जो आपने सुना है उससे ज्यादा विश्वसनीय लगता है परन्तु अगर आप सुनें और देखें भी तो वह आपको वह ज्यादा समझ आयेगा और स्थाई रहेगा।

प्रक्षेपित श्रृव्य-दृश्य सामग्रियाँ जैसे वृत्तचित्र फिल्में, वीडियों टेक्नोलॉजी वह हैं जिसमें फिल्म का उत्पादन व फिल्म प्रक्षेपण दोनों शामिल हैं। जबकि गैर प्रोजेक्टेड (प्रक्षेपित) श्रृव्य दृश्य सामग्री में नाटक व कठपुतली शो शामिल हैं। ये तकनीक दर्शकों को नाटकीय अनुभव प्रदान करती हैं तथा व्यापक सामाजिक विषयों तथा प्रसार कार्यक्रमों में संवाद हेतु अधिक उपयोग में लाई जाती हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

a. स्लाइड व फिल्म स्ट्रिप्स को ..... के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

b. ..... की सटीक दृश्य रिकार्डिग होती है।

c. ..... 2"×2" के आकार में होती है।

d. पोस्टर का ..... विचार होना चाहिये।

e. ..... का उपयोग मात्राओं की तुलना अलग अलग समय या अलग अलग परिस्थितियों मे करने के लिये किया जाता है।

f. ..... एक अनुदेशात्मक उपकरण है जिसमे संदेश देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता है।

g. ..... में सुधार करने के लिये श्रृव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 2. विजुअल (श्रृव्य-दृश्य) सामग्री के गुणों को बतायें।

7.4 सारांश

यदि एक प्रसार कार्य मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार निष्पादित होता है जिसमें प्रभावी तरीकों व तकनीकों का उपयेाग किया जाता है ऐसा संचार संदेश शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिये कम तनावपूर्ण होता है। अगर एक प्रसारकार्यकर्ता के पास कई शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध हों तो उनका चयन प्रसारकार्यकर्ता पर निर्भर करता है और उपयुक्तता के आधार पर इनका चयन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसार सामग्री को प्रसार कार्यकर्ता के व्यक्तिगत सम्पर्क में प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। उपयोग में निपुणता उनकी प्रभावशीलता निर्धारित करती है। प्रसार सामग्री के गुण व दोष सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। श्रृव्य दृश्य शिक्षण सामग्री संचार को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उपयोग में लाने के लिये प्रसार कार्यकर्ता के उपकरण हैं। जब उनका उपयोग उचित तरीके से किया जाता है तो वे प्रसार कार्यकर्ता के संदेश के अर्थ को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। प्रसार सामग्री को प्रस्तुति दृश्य, प्रदर्शन दृश्य, प्रोजेक्टेड दृश्य, श्रृव्य सामग्री तथा श्रृव्य दृश्य सामग्री में वर्गीकृत किया जाता है। उपर्युक्त सामग्रियों के कुछ गुण तथा कुछ दोष हैं जो उनकी वरीयताओं को निर्धारित करते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता उन्हें या तो पूरी तरह या संयोजन में उपयोग में लाता है।

7.5 पारिभाषिक शब्दावली

- ऑडियो (श्रृव्य सामग्री): ये निर्देशात्मक उपकरण हैं जिन्हें सुन सकते हैं।
- शिक्षण सामग्री: ये निर्देशात्मक उपकरण है जिन्हें सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है।
- बुकलेट: जब पृष्ठों की संख्या 20 से अधिक हो जाती है तो इसे बुकलेट कहा जाता है।
- बुलेटिन: बुलेटिन के लिये पृष्ठों की संख्या 12 से 20 के बीच होती है। बुलेटिन एक विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किये गये विषयों के बारे में जानकारी का एक लिखित भाग है।

- प्रसार शिक्षण विधियाँ: ये नये विचारों को स्थानान्तरित करने में प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उपकरण हैं।
- फोल्डर: यह मुद्रित जानकारी की एक मुडी हुई शीट है। फोल्डर में फोल्ड की संख्या कुछ भी हो सकती है।
- लीफलेट: यह मुद्रित विषय की एक शीट है। इसका उपयोग एक विशिष्ट विषय पर जानकारी देने के लिये किया जाता है।
- पुस्तिका: एक पुस्तिका में 3-12 पृष्ठ होते हैं और यह विस्तृत रूप में होते हैं।

7.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न 1. बिंदु 6.3.2.3 देखें।

प्रश्न 2. बिंदु 6.3.2.3 में फ्लैनल ग्राफ के सम्बन्ध में देखें।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरिये।

a. प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री
b. तस्वीरों
c. स्लाइड
d. एक
e. बार चार्ट
f. दृश्य सामग्री
g. शिक्षण

प्रश्न 2. बिंदु 6.3.2.3 में श्रृव्य-दृश्य सामग्री की विशेषताएँ देखिये।

7.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Barth, J. L. (2005). Media and Methods. Institute of Education, ABU, Zaria, pp. 28 – 29.

2. Dahama, O. P. and Bhatnagar, O. P. (1987). Education and Communication for development,Second edition Oxford and IBH Publishing Co, New Delhi.
3. Dubey V.K. and Bishnoi, I. (2009). Extension Education and Communication. New Age International Publishers.
4. Govind, S., Tamilselvi ,G. and Meenambigai, J. (2013). Extension Education and Rural Development. Agrobios (India) Jodhpur.
5. Khandai, H; Yadav, K and Mathur,A. 2011.Extension Education. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002.
6. Kinder, S. J. (2003). A video – Visual Materials and Techniques. American book company. New York.
7. Liaquat Hussain, Razia Sultana, Ziauddin, Jamal Nazir and Abdur Rehman.(2009). Comparative efficiency of the projected and non-projected teaching aids at the secondary level. Gomal University Journal of Research, 25-1: 51-57.
8. Ogumilade, M. (2005). Non-book materials: Agenda for teachers and libraries. 4th (ed) Melbourne Press. Olaitan, S. O. and Onazi, O. C. (1987). Agricultural Education in the Tropic: Methodology for Teaching Agriculture. London: Macmillan Publishers.
9. Olatunji, S. O. (2005)1. Effective Teaching and Extension of Agriculture in the tropics. Zero point International Publishers, Kaduna, pp. 125 – 126.
10. Olatunji, S. O. (2005)2. Effective Teaching and Extension of Agriculture in the tropics. Zero point International Publishers, Kaduna, pp. 127 – 130.
11. Ray, G.L. 2006. Extension Communication and Management. Sixth edition. Kalyani publishers , Rajinder Nagar, Ludhiana.
12. Reddy, A. A. 2006. Extension Education. Shree Lakshmi Press Bapatla Guntur Dist. Andra Pradesh.
13. Supe, S.V. (2011). Integrated Extension Education, Agrotech Publishing Academy, Udaipur.
14. Wittich, E.T. and Schuller, Z (2007). Fundamental of Teaching with Audio Visual Technology. Macmillan, New York.

15. Yadla, V.L. and Jasrai, S.(2000). Home Science Reference Book for UGC National Eligibility Test JRF/ Lecturership. Kalyani Publishers, New Delhi.

7.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं? प्रोजेक्शन के आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है?
2. निम्न को विस्तार से समझाइये:
   a) प्रोजेक्टेड या प्रक्षेपित सामग्रियाँ
   b) फ्लैनेल ग्राफ
   c) पोस्टर

खण्ड 3
विकास संचार

इकाई 8: विकास के लिए संचार का परिचय

8.1 परिचय
8.2 उद्देश्य
8.3 विकास संचार: परिभाषा और अर्थ
8.3.1 एक विकास संचारक की भूमिका
8.3.2 विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए विकास संचार
8.4 विकास के मुख्य क्षेत्र
8.5 विकास अभियान
8.6 संचार का अर्थ और प्रकृति
8.7 संचार विधियों का विस्तृत वर्णन
8.7.1 संचार विधियों का वर्गीकरण
8.8 सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
8.8.1 PRA की तकनीक
8.9 सारांश
8.10 पारिभाषिक शब्दावली
8.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
8.13 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 परिचय

पिछली इकाई में आपने सीखा कि प्रभावी संचार एक दुहरी प्रक्रिया है। हमने समझा कि 'संचार' शब्द से मीडिया के विभिन्न रूपों जैसे मुद्रित सामग्री, रेडियो, और टेलीविज़न इत्यादि के उपयोग की जानकारी मिलाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संचार का उपयोग एक सशक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, संचार का उपयोग विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। लोगों को सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के अवसरों और चुनौतियों का सफलतापूर्वक जवाब देने के लिए ज्ञान और जानकारी आवश्यक है। लेकिन उपयोगी होने के लिए, ज्ञान और जानकारी को प्रभावी ढंग से लोगों को सूचित किया जाना चाहिए। विकासशील देशों के लाखों लोग आज भी नई

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दोनों से बहुत दूर हैं इसके साथ ही साथ ग्रामीण गरीब भी उस नई सूचना और ज्ञान से दूर हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विकास संचार से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को समझ पाएंगे जो इस प्रकार हैं;

• विकास संचार का अर्थ

• विभिन्न मीडिया का उपयोग करते हुए विकास संचार

• विकास के मुख्य क्षेत्र

• अर्थ और संचार की प्रकृति

• प्रसार में प्रयोग आने वाली विभिन्न संचार विधियाँ

• सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का अर्थ

• PRA की विभिन्न तकनीकें

8.3 विकास संचार: परिभाषा और अर्थ

'विकास संचार' में दो शब्द हैं- 'विकास' और 'संचार'। अब तक आप यह जान ही गए हैं कि संचार का क्या अर्थ है। आपने यह भी जान लिया है कि संचार एक संदेश है जिसे अनुभव या समझ साझा किया जाता है। जब हम विकास के संदर्भ में संचार की बात करते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के संचार जैसे पारस्परिक, सामूहिक और जन संचार का उल्लेख करते हैं। आइये अब 'विकास' शब्द को समझने का प्रयास करें।

विकास का अर्थ बदलाव से है। यह और बेहतर होने या बदलने के बारे में है अथवा यह सुधार या प्रगति के लिए सामाजिक अथवा आर्थिक बदलाव के बारे में हो सकता है। जब हम विकास संचार की बात करते हैं, तो यह ऐसे संचार के बारे में है जिसका उपयोग विकास के लिए किया जा सकता है। विकास संचार का अर्थ कुछ बदलने या सुधारने के लिए संचार का उपयोग करने से है।

यह भी कह सकते हैं कि विकास संचार, मानव संचार की कला और विज्ञान है जिसका उपयोग किसी देश को तेजी से विकास की ओर ले जाने तथा वहाँ के लोगों को गरीबी से आर्थिक विकास की ओर ले जाने के लिए किया जाता है।

अन्य परिभाषा में विकास संचार सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए संचार के उपयोग को संदर्भित करता है। विकास संचार अनुकूल वातावरण स्थापित करता है, जोखिम और अवसरों का आकलन करता है और स्थायी विकास के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन बनाने के लिए सूचना आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। विकास संचार तकनीकों में सूचना प्रसार और शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक विपणन, सामाजिक गतिशीलता, मीडिया समर्थन, सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार, और सामुदायिक भागीदारी आदि शामिल हैं।

इसके अंतर्गत लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के संदेशों का उपयोग किया जाता है। ये संदेश लोगों के व्यवहार को बदलने या उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए संचार के उपयोग के रूप में विकास संचार को परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग विकास से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम बनाते हैं, उन्हें विकास संचारक कहा जाता है। विकास संचार का पहला उदाहरण कनाडा में फार्म रेडियो फ़ोरम था। 1941 से 1965 तक किसान रेडियो कार्यक्रमों को सुनने के लिए साप्ताह में एक बार मिलते थे जिसके बाद वे मुद्रित सामग्री के प्रयोग से चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न तैयार करते थे। सबसे पहले इसके द्वारा महामंदी पर प्रतिक्रिया दी गयी और द्वितीय विश्व युद्ध में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा की गयी। बाद में मंचों से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटा गया। वयस्क शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के इस मॉडल को बाद में भारत और फिर घाना में अपनाया गया था।

8.3.1 एक विकास संचारक की भूमिका

विकास संचारक सामान्य लोगों को विकास की प्रक्रिया को समझाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे की लोग इस प्रक्रिया को स्वीकार करें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक विकास संचारक को;

- विकास और संचार की प्रक्रिया को समझना होगा
- उसे व्यावसायिक तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए और दर्शकों को समझाने वाला होना चाहिए;
- विकास संदेश तैयार करना और लाखों लोगों को इस तरह से वितरित करना कि वे उसे प्राप्त करें, समझें, स्वीकार करें और स्वयं पर लागू करें।

यदि विकास संचारक इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो वे लोगों को इतना सक्षम बना देंगे कि वे स्वयं की पहचान समाज और राष्ट्र के हिस्से के रूप में करें।

8.3.2 विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए विकास संचार

भारत में विकास संचार का इतिहास 1940 के दशक में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होने वाले ग्रामीण रेडियो प्रसारणों से पता लगाया जा सकता है। क्या आपने कभी रेडियो पर ग्रामीण कार्यक्रम सुना है? यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आपने शायद सुना होगा। इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले लोग किसी क्षेत्रीय भाषा या बोली में बोलते हैं जो उस क्षेत्र के लोग बोलते हैं। ये कार्यक्रम खेती और संबंधित विषयों के बारे में हो सकते हैं। कार्यक्रम में विशेषज्ञों, अधिकारियों और किसानों के साथ साक्षात्कार किये जाते हैं, लोक गीत और मौसम की जानकारी दी जाती है, बाजार दर, उन्नत बीजों की उपलब्धता आदि के बारे में बात की जा सकती है। 1950 के दशक के दौरान सरकार ने पूरे देश में विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किए।

वास्तव में, जब दूरदर्शन 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ, तो यह केवल कृषि पर होने वाले कार्यक्रमों पर केंद्रित था। आप में से कई लोगों ने दूरदर्शन पर कृषि दर्शन 'कार्यक्रम देखा होगा। बाद में 1975 में जब भारत ने टेलीविज़न कार्यक्रमों के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसे SITE (सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट) के रूप में जाना जाता है , के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा , राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के 2400 गांवों में शिक्षा और विकास पर कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए। जहां तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, आजादी के बाद जब सरकार द्वारा नियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं, तो यह समाचार पत्र ही थे जिन्होंने विकास विषयों को बहुत महत्व दिया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों पर लिखा कि कैसे लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि प्रिंट मीडिया ने विकास संचार में योगदान दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - रेडियो और टेलीविजन विशेष रूप से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने अपने प्रसारण के मुख्य भाग के रूप में विकास पर संदेश फैलाया है।

यदि प्रिंट मीडिया ने विकास संचार में योगदान दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो और टेलीविजन विशेष रूप से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने अपने प्रसारणों द्वारा विकास संदेश फैलाने में मुख्य भूमिका निभायी है। हालांकि विकास संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी माध्यमों में पारंपरिक मीडिया उन लोगों के सबसे करीब हैं, जिन्हें विकास के संदेशों की आवश्यकता है जैसे किसान और श्रमिक। मीडिया के ऐसे रूप अधिक सहभागी और प्रभावी हैं। आपने निर्माण श्रमिकों को सड़क पर अस्थायी रूप से स्थापित अपने टेंट के सामने खुली आग पर दाल और चावल का भोजन पकाते हुए देखा होगा। उन्हें संतुलित पोषण, स्वच्छता और स्वच्छ पानी की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसे मुद्दों पर संदेश कैसे संप्रेषित होते हैं?

भारत के विभिन्न हिस्सों में, स्वयंसेवकों के समूह विकास संचार के लिए एक माध्यम के रूप में स्ट्रीट थिएटर का उपयोग करते हैं। यह विनोदी स्किट्स और नाटकों के माध्यम से किया जाता है जिसके माध्यम से साक्षरता, स्वच्छता आदि के महत्व को समझाया जाता है। स्किट दर्शकों के जीवन से ही तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उन्हें "संतुलित पोषण" के बारे में बताया जाना है। इसका मतलब है कि उनके मुख्य आहार दाल चावल में हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी शामिल करनी होंगी जिससे उनमें रात के अंधेपन (night blindness) की बीमारी से बचाया जा सके जोकि निर्माण श्रमिकों में होने वाली आम बीमारी है। इसी प्रकार महिला निर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जा सकता है। किसी भी विषय अथवा जानकारी का प्रभावी रूप से संचार करने में आने वाली समस्याएँ विकास संचारकों के लिए हमेशा चिंता का विषय रही हैं। कम लागत पर लोगों को नए कौशल कैसे सिखाए जा सकते हैं? स्वास्थ्य सम्बन्धी संवेदनशील मुद्दों से निपटने का एक अच्छा तरीका क्या होगा? किसी नए जटिल शोध को कैसे सरल बनाया जाए ताकि आम लोग इसे समझ सकें और उक्त शोध का फायदा ले सकें? इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कॉमिक्स का उपयोग भी किया गया| झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण संचारकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि उन्हें विकास संचार में कॉमिक्स का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

कई राज्यों में कॉमिक्स के माध्यम से एचआईवी / एड्स जैसे संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों पर जानकारी का संचार किया गया है। हालाँकि, हमे यह समझना चाहिए कि विभिन्न मीडिया का उपयोग करते हुए विकास संचार केवल निम्नलिखित की सक्रिय भागीदारी के साथ ही संभव है: (i) विकास एजेंसियां जैसे कृषि विभाग। (ii) स्वैच्छिक संगठन (iii) नागरिक (iv) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)

जब भी हम विकास के बारे में बात करते हैं तो हम स्वैच्छिक समूहों, संबंधित नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों के योगदान को नजर अंदाज नहीं कर सकते। दरअसल ये समूह विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार की मदद करते हैं। हालाँकि केंद्र और राज्य दोनों के पास विभिन्न मुद्दों पर लोगों तक पहुंचने के लिए विभिन्न विभाग हैं। गैर-सरकारी संगठन विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं और उचित संदेश देते हैं।

अभ्यास प्रश्न 1.

1. 'विकास संचार' शब्द को परिभाषित कीजिए।

2. विकास संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले मीडिया के विभिन्न रूपों की सूची बनाइये।

3. तीन समूहों के नाम बताइये जो विकास संचार गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

8.4 विकास के मुख्य क्षेत्र

आपको पता होना चाहिए कि विकास का मूल उद्देश्य लोगों की पसंद को बढ़ाना और लोगों को लंबे, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन का आनंद लेने के लिए माहौल बनाना है। आइए हम विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें।

कृषि	मत्स्य
संचार	सिंचाई
पर्यावरण	पारिस्थितिकी
पशुपालन	खाद्य सुरक्षा
रोजगार	लोक निर्माण
आय सृजन गतिविधियाँ	शिक्षा
स्वास्थ्य और स्वच्छता	परिवार कल्याण

यदि आप विकास संचार में शामिल हैं, तो आपको लोगों को सूचित करने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रासंगिक जानकारी की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से उस विशेषज्ञता की तलाश कर सकते हैं:

कृषि विद्यालय और महाविद्यालय	राज्य कृषि विभाग राज्य	बागवानी विभाग
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों	राज्य मत्स्य विभाग	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकार द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म	कृषि भवन और मॉडल फार्म
सामुदायिक विकास ब्लॉक	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	पशुपालन विभाग

सरकारी वित्तीय और बैंकिंग एजेंसियां	स्थानीय गैर सरकारी संगठन	सेरीकल्चर फार्म

8.5 विकास अभियान

आप 'चुनाव अभियान' शब्द से तो परिचित ही हैं। ' चुनाव के दौरान हम संचार का उपयोग लोगों के मतदान के तरीके को बदलने के लिए करते हैं - एक पार्टी से दूसरी पार्टी में या एक उम्मीदवार से दूसरे में। इसके लिए, हम सार्वजनिक बैठकों, प्रिंट सामग्री, रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन आदि का उपयोग करते हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और परिणामों की घोषणा के साथ अभियान समाप्त होने से पहले अभियान समाप्त हो जाता है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि किसी विशेष व्यक्ति या समूह के लोग किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी को वोट देते हैं। इसी तरह विकास संचार के लिए हम प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन का उपयोग कर सकते हैं। कभी-कभी वे एक निश्चित अवधि के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होते हैं। जैसे पोलियो टीकाकरण जो महीने के किसी एक रविवार को ही होता है। विकास विषयों पर साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अभियान भी होते हैं जैसे: सर्व शिक्षा अभियान।

यह स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और सम्बंधित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है। विकास संचार में रुचि रखने वाले लोगों को अपने दर्शकों यानी पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को समझना चाहिए। उन्हें अपने दर्शकों की जरूरतों को भी जानना चाहिए ताकि जो भी माध्यम उपयोग किया जाए, वह संदेश से सम्बंधित हो। फिर संदेशों को सबसे आकर्षक तरीके से प्रेषित किया जाना चाहिए। विकास संचार की आवश्यकता तब से जारी है जब भारत की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार से संचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूचनाओं के प्रसार के लिए संचार के नए रूप जैसे सार्वजनिक सूचना अभियान गांवों में आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न 2.

1. विकास के किसी भी पांच मुख्य क्षेत्रों की सूची बनाएं।

2. विकास अभियानों के तीन उदाहरण दें जो हाल ही में मीडिया के किसी भी रूप में आपके सामने आए हैं।

8.6 संचार का अर्थ और प्रकृति

सूचना का आदान-प्रदान या सूचना अथवा विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाना ही संचार कहलाता है। मैक फारलैंड के अनुसार, संचार "मनुष्य के बीच सार्थक बातचीत की एक प्रक्रिया है। विशेष रूप से, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थों को समझा जाता है और मनुष्य एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। "

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया है। संचार का उद्देश्य सूचना को समझना है। इस प्रक्रिया में जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहना चाहता है दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए अन्यथा संचार का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।

एक संगठन संचार में सभी चैनलों और नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न मीडिया के माध्यम से विभिन्न लोगों और विभागों के बीच सूचना और समझ के प्रवाह को सुगम बनाया जाता है। सूचना का यह प्रवाह प्रबंधकीय प्रभावशीलता और सामान्य रूप से निर्णय लेने तथा मानव संसाधन प्रबंधक के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे विभिन्न विभागों, कर्मचारियों ,श्रमिकों और ट्रेड यूनियन नेताओं के प्रबंधकों के संपर्क में रहना पड़ता है।

इस प्रकार संचार लोगों की गलतफहमी को दूर करने, विचारों और अभिव्यक्ति की स्पष्टता बनाकर उन्हें बेहतर समझने में मदद करता है। यह लोगों को शिक्षित भी करता है। संचार लिखित या मौखिक, औपचारिक या अनौपचारिक, ऊपर या नीचे, क्षैतिज या विकर्ण, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक अथवा अंतर्विभागीय या अंतर-संगठनात्मक हो सकता है।

8.7 प्रसार में संचार विधियाँ

संचार विधियाँ वे उपकरण और तकनीकें हैं जिनका उपयोग उन स्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है जिनमें संचार ग्रामीण लोगों और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच हो सकता है। वे ग्रामीण लोगों के प्रति नए ज्ञान और कौशल का विस्तार करते हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उनकी रुचि जगाते हैं और उन्हें नए अभ्यास का सफल अनुभव कराते हैं। इन तरीकों की उचित समझ और किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए उनका चयन आवश्यक है।

8.7.1 संचार विधियों का वर्गीकरण

संचार विधियों को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है:

1. व्यक्तिगत विधियाँ

2. समूह विधियाँ

3. व्यापक विधियाँ

1. व्यक्तिगत विधियाँ:

a) **खेत और घर का दौरा:** खेत और घर का दौरा एक प्रत्यक्ष, आमने-सामने संपर्क एजेंट द्वारा किसान या गृहिणी के साथ उनके खेत या घर पर विस्तार कार्य के लिए होता है।

b) **व्यक्तिगत-संपर्क विधि:** प्रसार विधि की यह श्रेणी ग्रामीण लोगों और प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच आमने-सामने या व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क के अवसर प्रदान करती है। यह नए कौशल सिखाने तथा किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच सद्भाव पैदा करने में बहुत प्रभावी है।

उद्देश्य

1. किसानों और गृहणियों से परिचित होना और उनका विश्वास हासिल करना।

2. खेत और घर से संबंधित मामलों पर प्रथम सूचना प्राप्त करना या देना।

3. विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए सलाह और सहायता करना तथा कौशल सिखाना।

c) किसान कॉल

किसान कॉल एक किसान या गृहिणी द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के कार्य स्थल पर सूचना और सहायता प्राप्त करने के लिए की गई कॉल है।

उद्देश्य

1. खेत और घर से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना।

2. किसान और गृहिणी को समस्या की उचित पहचान के लिए नमूने लाने में सक्षम बनाना।

3. आदानों और अन्य सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए।

4. प्रसार कार्यकर्ता हेतु अनुस्मारक के रूप में कार्य करने के लिए।

d) निजी पत्र

व्यक्तिगत पत्र, प्रसार कार्यकर्ता द्वारा विशेष रूप से किसान या गृहिणी को प्रसार कार्य के संबंध में लिखा जाता है। इसे व्यक्तिगत संपर्क का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

उद्देश्य

1. खेत और घर की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए।

2. महत्वपूर्ण विस्तार गतिविधियों पर जानकारी भेजने या सहयोग लेने के लिए।

e) अनुकूलक या मिनी किट परीक्षण

अनुकूलक या मिनी-किट परीक्षण का उपयोग किसी नये अनुसंधान की किसानों के परिस्थिति के लिए अनुकूलता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे खेत पर भागीदारी विकास प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसमें तकनीक के बारे में किसान की पसंद और राय सबसे महत्वपूर्ण है।

यह पहला चरण है जिससे किसी भी नई तकनीक को गुजारा जाता है जिसके बाद उस तकनीक को परिणाम या विधि प्रदर्शन के लिए ले जाया जाता है, या बड़े पैमाने पर उस तकनीक को अपनाने के लिए कहा जाता है। मिनी-किट्स को कुछ राज्यों में गरीब किसानों की सहायता के लिए या संकट के समय में वितरित किया जाता है, ताकि कृषि उत्पादकता को बनाए रखा जा सके।

उद्देश्य

1. किसी नई तकनीक का किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाधाओं और क्षमताओं के तहत परीक्षण करना।

2. मौजूदा तकनीक की तुलना में नई तकनीक के लाभों का पता लगाने के लिए।

3. प्रसार कार्यकर्ताओं, अनुसंधान श्रमिकों और किसानों का विश्वास बढ़ाने के लिए।

4. तुच्छ, दोषपूर्ण या जल्दबाजी की सिफारिशों के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए।

f) फार्म क्लिनिक

फार्म क्लिनिक किसानों की कृषि समस्याओं की पहचान एवं निदान के लिए और प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए विकसित और विस्तारित एक सुविधा है। प्रसार संस्था द्वारा फार्म क्लिनिक गाँव में अथवा संगठन के मुख्यालय और उप-केंद्रों में खोले जाते हैं जहाँ संबंधित विषय विशेषज्ञ निश्चित स्थान, दिन और समय पर प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चर्चा करते हैं और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक किसान की समस्याओं का समाधान करते हैं।

2. समूह-संपर्क विधियाँ

इस श्रेणी के अंतर्गत, ग्रामीण लोगों या किसानों से एक समूह में संपर्क किया जाता है, जिसमें सामान्यतया 20 से 25 व्यक्ति होते हैं। इन विधियों में लोगों के साथ आमने-सामने का संपर्क तो होता ही है इसके साथ साथ समस्याओं, तकनीकी सुझावों तथा भविष्य में कार्रवाई हेतु पाठ्यक्रम को तय करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

1. परिणाम प्रदर्शन

परिणाम प्रदर्शन अपने विशिष्ट बेहतर परिणाम को दिखाते हुए लोगों को नई तकनीक अथवा नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। प्रदर्शन चयनित व्यक्तियों के खेत या घर में आयोजित किए जाते हैं और उनके पड़ोस के लोगों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक समुदाय में किसी नई तकनीक के हस्तांतरण के लिए एक बहुत प्रभावी तरीका है। प्रदर्शन किसानों को स्वयं नवाचारों को आजमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अथवा यह भी हो सकता है कि स्वयं किसान ही उस नई तकनीक का परीक्षण करें। इसके द्वारा किसी भी जटिल तकनीक के बिना समस्याओं के कारणों और उनके संभावित समाधानों को दिखाया जा सकता है। प्रदर्शन का एक बड़ा फायदा यह है इसके द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि एक नवाचार व्यवहार में कैसे काम करता है।

2. विधि प्रदर्शन

लोगों के एक समूह के सामने एक विधि प्रदर्शन दिया जाता है जिससे यह दिखाया जा सके कि कैसे एक नई तकनीक को अथवा पुरानी तकनीक को ही एक बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है । यह वास्तव में एक कौशल प्रशिक्षण है, जहां किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने पर जोर दिया जाता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें एक समूह का देखना, सुनना, भाग लेना और अभ्यास करना शामिल है जो रूचि और काम को प्रोत्साहित करेगा। विधि प्रदर्शन को कभी-कभी परिणाम प्रदर्शन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है।

3. समूह बैठक

समूह की बैठक लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, लोगों के एक समूह द्वारा कुछ निर्णयों पर पहुंचने की एक विधि है। सामूहिक बैठकों और चर्चा का उद्देश्य सामूहिक निर्णय लेना और समूह सदस्यों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके व्यक्तिगत निर्णय लेने में सुधार करना है। समूह प्रक्रिया लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है और कार्यक्रम कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है। यह लोगों में चुनौती और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित करती है।

4. लघु समूह प्रशिक्षण

लघु समूह प्रशिक्षण सीखने की उचित स्थिति बनाकर उन लोगों के समूह को विशिष्ट कौशल प्रदान करने की एक तकनीक है, जिन्हें उन कौशलों की आवश्यकता होती है। यह प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक प्रभावी तरीका है।

5. फील्ड दिवस या किसान दिवस

फ़ील्ड दिवस या किसान दिवस लोगों को यह दिखाने का एक तरीका है कि वास्तव में खेतों अथवा कृषि क्षेत्र में किसी तकनीक को लागू करके किस प्रकार लाभ लिया जाता है। एक फील्ड डे या किसान दिवस एक अनुसंधान फार्म या एक किसान के खेत या घर में आयोजित किया जा सकता है। यदि प्रतिभागियों की संख्या अधिक है, तो उन्हें प्रत्येक 20 से 25 व्यक्तियों के छोटे समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो एक के बाद एक उस क्षेत्र का दौरा करेंगे।

6. अध्ययन दौरा

अध्ययन दौरे में इच्छुक व्यक्तियों के एक समूह का एक या एक से अधिक प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा घर या घर से बाहर अथवा खेत में महत्वपूर्ण सुधारों हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य आगंतुकों को यह दिखाने है कि किसी भी नई तकनीक से और क्या हासिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में किसानों से भेंट के साथ साथ अनुसंधान संस्थानों का दौरा भी हो सकता है जोकि जिले के भीतर, जिले के बाहर या राज्य के बाहर भी आयोजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय पर्यटन के कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय मेला, विश्व मेला इत्यादि के साथ अध्ययन दौरे को भी समन्वित किया जा सकता है।

3. व्यापक विधियाँ

एक प्रसार कार्यकर्ता को नई जानकारी प्रसारित करने और इसका उपयोग करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना पड़ता है। यह बड़े पैमाने पर संपर्क विधियों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। नई कृषि तकनीक से लोगों को जल्दी अवगत कराने के लिए ये तरीके अधिक उपयोगी हैं।

a) फार्म प्रकाशन

फार्म प्रकाशन, प्रसार संस्था द्वारा मुद्रित रूप में तैयार किए गए प्रकाशनों का एक वर्ग होता है, जिसमें खेत और घर के सुधार से संबंधित जानकारी होती है। फार्म प्रकाशन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे पत्रक, फ़ोल्डर, बुलेटिन, समाचार पत्र और पत्रिका। फार्म प्रकाशनों का उपयोग अकेले या अन्य विस्तार विधियों के साथ किया जा सकता है।

- **पत्रक**

यह छोटे आकार के कागज का एक एकल मुद्रित पत्रक है, जिसमें किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी होती है। इसे आवश्यकतानुसार बनाया जाता है। यह आम तौर पर मुफ्त में वितरित किया जाता है।

- **फोल्डर**

यह बड़े आकार के कागज का एक ही मुद्रित पत्रक है, जो एक या दो बार मुड़ा हुआ है, और किसी विशेष विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी देता है। इसे आवश्यकतानुसार मुद्रित किया जाता है। यह भी आम तौर पर मुफ्त में वितरित किया जाता है।

- **बुलेटिन**

यह एक मुद्रित बाध्य पुस्तिका है, जिसमें किसी भी विषय के बारे में व्यापक जानकारी होती है। इसे आवश्यकतानुसार बनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिनों की थोड़ी बहुत कीमत रखी जा सकती है।

- **समाचार पत्रिका**

यह एक अच्छी गुणवत्ता के पेपर में एक लघु समाचार पत्र है, जिसमें किसी भी संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी होती है। इसका प्रकाशन एक निश्चित अवधि में किया जाता है। यह सामान्यतया मुफ्त में वितरित की जाती है।

- **पत्रिका**

ये आवधिक हैं, जिसमें न केवल किसानों के लिए बल्कि प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए ब्याज के विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी भी होती है। इसमें प्रकाशन की एक निश्चित अवधि है।

फार्म प्रकाशन साक्षर किसानों के लिए बेहद उपयोगी हैं। यहां तक कि अनपढ़ किसान भी अपने परिवार में साक्षर सदस्यों की मदद से उनका उपयोग कर सकते हैं। फार्म प्रकाशनों का उपयोग सभी प्रकार के विस्तार अधिकारियों, इनपुट डीलरों और बैंक कर्मियों और मीडिया-व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग अधिकांश व्यक्तिगत, समूह और जन विधियों में किया जा सकता है।

b) बड़े पैमाने पर बैठक

बड़े दर्शकों के लिए एक समय में रोचक और उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए सामूहिक बैठक आयोजित की जाती है। सामूहिक बैठक के लिए दर्शकों का आकार कुछ सैकड़ों तक हो सकता है, लेकिन मेलों या त्योहारों के समय यह कुछ हजारों में भी हो सकता है।

अधिकांश दर्शकों का बैठक में भाग लेने का एक उद्देश्य है हालांकि कुछ लोग इसमें जिज्ञासावश भी शामिल होते हैं। सामूहिक बैठक एक ढकी हुई या एक खुली जगह में आयोजित की जा सकती है। स्लाइड या फिल्म शो बैठक की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

c) अभियान

अभियान एक गहन शैक्षिक गतिविधि है जो किसी समुदाय को कार्य करने के लिए प्रेरित करने, किसी समस्या को हल करने या महसूस की गई आवश्यकता को तुरंत पूरा करने के लिए चलायी जाती है। एक अभियान की अवधि कुछ दिन, कुछ माह या फिर कुछ वर्ष हो सकती है।

अभियान कम समुदाय को लेकर कुछ गांवों में या एक बड़े समुदाय को शामिल करके पूरे देश में चलाया जा सकता है। कुछ विशेष विषयों (जैसे, पर्यावरण, रोग नियंत्रण आदि) पर अभियान पूरे विश्व में आयोजित किया जा सकता है। एक विषय के लिए अभियान केवल एक बार आयोजित किया जा सकता है, या लक्ष्य तक संतोषजनक रूप से पहुंचने तक वर्ष-दर-वर्ष दोहराया जा सकता है।

d) प्रदर्शनी

एक प्रदर्शनी मॉडल, नमूने, चार्ट, फोटोग्राफ, चित्र, पोस्टर, सूचना आदि का एक क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रदर्शन है जो समुदाय में जागरूकता और रुचि पैदा करता है। यह विधि सभी प्रकार के लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है।

प्रदर्शनी गांव, ब्लॉक, उप-मंडल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जा सकती हैं। यद्यपि एक प्रदर्शनी एक प्रमुख विषय के आसपास आयोजित की जाती है तथापि अन्य संबंधित विषय अथवा मनोरंजन जैसे कुछ असंबंधित विषय भी शामिल हो सकते हैं।

e) समाचार पत्र

समाचार पत्र खुले कागजों का एक गुच्छा होता है जिन्हें मोड़कर साथ रखा जाता है, जिसमें समाचार, विचार, विज्ञापन आदि होते हैं, ये नियमित अंतराल पर बिक्री के लिए रखे जाते हैं, विशेष रूप से दैनिक या साप्ताहिक। समाचार पत्र आमतौर पर एक विशेष प्रकार के कागज पर मुद्रित होते हैं, जिन्हें अखबारी कागज के रूप में जाना जाता है। मुद्रण प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है और आधुनिक तरीकों से मुद्रण में उच्च गति और उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव हो गया है।

f) रेडियो

रेडियो दर्शकों तक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो-माध्यम है। इस माध्यम की पहुँच महानगरों तक है और दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लाखों लोगों के मध्य संचार का उपयुक्त साधन है। कम लागत के ट्रांजिस्टर सेट की उपलब्धता ने रेडियो को ग्रामीण जीवन में गहराई से प्रवेश करने में मदद की है।

निम्न श्रेणियों में से प्रसार कार्यकर्ता को स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष विधि या विधियों का संयोजन चुनना होता है। उदाहरण के लिए, बहुत कम या बिना शिक्षा और कम आय वाले लोग व्यक्तिगत भ्रमण और परिणाम प्रदर्शनों को अच्छे से समझ सकते हैं। जनसंख्या का

अधिक शिक्षित और प्रगतिशील भाग मास मीडिया जैसे खेत प्रकाशनों, प्रदर्शनी, रेडियो और टेलीविजन पर अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के प्रारंभिक चरणों में परिणाम प्रदर्शन आवश्यक है सभी महत्वपूर्ण चरणों में किसान की सहायता करेगा जिससे उनसे होने वाली गलतियों को रोका जा सके और उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके।

अभ्यास प्रश्न 3

प्रश्न: रिक्त स्थान भरिये।

a. ..... छोटे आकार के कागज का एक एकल मुद्रित पत्रक होता है, जिसमें किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी होती है।

b. ..... एक नया अभ्यास अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की एक विधि है जो अपना विशिष्ट बेहतर परिणाम दिखाती है।

c. ..... एक क्रम में मॉडल, नमूने, चार्ट, फोटोग्राफ, चित्र, पोस्टर, सूचना का व्यवस्थित प्रदर्शन है। ।

d. ..... किसान या घर पर किसान या गृहिणी के साथ विस्तार एजेंट द्वारा प्रत्यक्ष, आमने-सामने संपर्क है ।

8.8 सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA)

80 के मध्य में ग्रामीण विकास में भागीदारी की आवश्यकता स्पष्ट हो गई और PRA शब्द का जन्म हुआ। PRA की मूल अवधारणा ग्रामीण लोगों से सीखना है। PRA, RRA का परिष्कृत और विकसित संस्करण है जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। समय समय पर PRA की अवधारणा में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी PRA का मुख्य जोर- "लोगों को पहले रखना" बरकरार है। PRA ज्यादातर भागीदारी के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। PRA की स्थिरता दर स्थानीय लोगों की भागीदारी के कारण अधिक है और स्वामित्व और निरंतरता की भावना PRA को और सफल बनाते हैं। PRA का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को अपना विश्लेषण करने, योजना बनाने और कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। इसमें गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर परियोजना के कर्मचारियों का गाँव के बारे में सीखना शामिल है।

PRA का उद्देश्य ग्रामीणों की योजना बनाने, निर्णय लेने और अपनी स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम उठाने की क्षमता को मजबूत करने में मदद करना है। PRA ग्रामीण लोगों से ग्रामीण जीवन और उनके पर्यावरण को सीखने की एक पद्धति है। इसके लिए शोधकर्ताओं / क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं

को स्थानीय लोगों को अपने स्वयं के विश्लेषण, योजना बनाने और तदनुसार कार्रवाई करने में मदद करने के लिए सूत्रधार के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्थानीय लोग रचनात्मक और सक्षम हैं और अपनी जांच, विश्लेषण और योजना बना सकते हैं। PRA की मूल अवधारणा ग्रामीण लोगों से सीखना है।

PRA की परिभाषाएँ

ग्रामीण सहभागी मूल्यांकन (PRA) ग्रामीणों के साथ बातचीत करने, उन्हें समझने और उनसे सीखने की एक पद्धति है। इसमें सिद्धांतों का एक सेट, संचार की एक प्रक्रिया और संचार की कई विधियाँ शामिल हैं जो ग्रामीणों की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं जिससे कि वो किसी समस्या अथवा किसी चर्चा में अपने सुझाव देने में सक्षम बनें तथा स्वयं का विश्लेषण भी कर सकें।

रॉबर्ट्स चेम्बर्स के अनुसार PRA ग्रामीण लोगों के साथ और उनके द्वारा ग्रामीण जीवन और स्थितियों के बारे में जानने का एक तरीका है। PRA विश्लेषण, योजना और कार्रवाई में विस्तारित होता है। PRA प्रक्रिया में ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

इन परिभाषाओं के संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि PRA एक संवादात्मक प्रक्रिया है, जो लोगों को अपनी समस्याओं और क्षमताओं की स्वयं पहचान करने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। उपयोग की जाने वाली विधियाँ लचीली होती हैं जो सीखने वाले लोगों को सहभागिता और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाने की स्वतंत्रता देती हैं। यदि संक्षेप में कहें तो PRA विधियां अधिक अनुकूलनीय हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों और स्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है और लोगों को उनके ज्ञान और विचारों को शामिल करने के लिए सशक्त बनाने में मदद की जा सकती है।

PRA के कुछ फायदे निम्नलिखित हैं जो इसे एक कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

1**. लक्ष्य समूह की वास्तविक प्राथमिकताओं की पहचान की जाती है**

PRA में, लक्ष्य समूह यानी स्थानीय लोगों से तात्कालिक समस्याओं के बारे में पूछा जाता है, जिनका वे सामना कर रहे हैं। बाहरी लोग स्वयं से इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं बल्कि वे स्थानीय लोगों के साथ समाधान तलाशते हैं जिसमें वे लोग वास्तव में रुचि रखते हैं।

2. **जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन**

PRA स्थानीय लोगों द्वारा की गई विकासात्मक गतिविधियों के प्रबंधन और निष्पादन के साथ आत्मनिर्भर विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इससे स्थानीय लोगों में स्वामित्व और उत्साह की भावना पैदा होती है और इस प्रकार लक्ष्य हासिल करने की दक्षता भी बढ़ती है।

3. स्थानीय विकास कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना

गैर-सरकारी संगठनों, सरकार या अन्य एजेंसियों के स्थानीय विकास कार्यकर्ता, जो विकास परियोजनाओं या कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लोगों की जमीनी स्तर की समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानकर, PRA गतिविधियों में उनकी भागीदारी के माध्यम से प्रेरित होते हैं। PRA स्थानीय श्रमिकों की बेहतर समझ और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है; बदले में प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तरों पर लोग श्रमिकों और समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं।

4. स्थानीय संसाधनों का उपयोग

PRA स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और वे अपने आस-पास मौजूद संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर गतिविधियाँ करते हैं। यह स्थानीय संसाधनों जैसे: मानव शक्ति, समय, भौतिक संसाधनों आदि का पूरा उपयोग करता है।

5. वांछनीय व्यवहार परिवर्तन लाता है

PRA विधियाँ दृश्य आधार प्रदान करके भागीदारी को बढाती हैं, जो विचार प्रक्रिया को उत्तेजित करता है और स्थानीय लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके विचारों की सराहना भी की जाती है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है तथा वे इस प्रक्रिया में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

6. स्वदेशी ज्ञान का उपयोग

प्रत्येक समुदाय में एक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली होती है जिसे वह कार्य अनुभव के माध्यम से प्राप्त करता है और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं को हल करता है। यह ज्ञान समुदाय के स्थानीय लोगों द्वारा गतिविधियों में भाग लेते समय साझा किया जाता है।

8.8.1 PRA की तकनीक

भागीदारी मूल्यांकन के लिए कई विधियां और तकनीकें हैं, जिनका उपयोग परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग क्लाइंट समूह के आकार, स्थान, समय, स्थिति और प्रतिभागियों की अन्य विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, परियोजना संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकों का चयन किया जाता है। अब हम कुछ तकनीकों पर चर्चा करेंगे:

1. मानचित्रण

भौतिक वास्तविकता का चित्रण करने में भागीदारी मानचित्रण सबसे बहुमुखी और शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। कोई भी तकनीक किसी सूचना का चित्रात्मक या प्रतीकात्मक वर्णन है। इसमें रेत, जमीन या कागज पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री जैसे कि लाठी, पत्थर, फूल, घास और अन्य का उपयोग करके नक्शे का निर्माण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वितरण की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है जैसे: जनसंख्या वितरण, जनसांख्यिकीय आँकड़े, बुनियादी ढाँचा, प्राकृतिक संसाधन आदि। इन मानचित्रों की तुलना भौगोलिक मानचित्रों से नहीं की जा सकती है।

2. समय रेखा

समय रेखा समुदाय के इतिहास की प्रमुख घटनाओं की सूची बनाने की एक विधि है। इस पद्धति को एक समुदाय की ऐतिहासिक समय रेखा के रूप में भी जाना जाता है। कार्यकर्ता अथवा शोधकर्ता छोटे समूहों या बुजुर्ग ग्रामीणों के साथ चर्चा के माध्यम से समय रेखा तैयार करता है, जिसमें उनके समाज में अतीत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संदर्भ में चर्चा की जाती है तथा उन घटनाओं का उनके आर्थिक, सामाजिक और कृषि-पारिस्थितिक जीवन पर प्रभाव, को भी दर्शित किया जाता है। मौखिक रूप में पूछी गई इन महत्वपूर्ण घटनाओं को आगे के काम के लिए प्रलेखित किया जा सकता है और यह आगे के काम के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

समय रेखा के रिकॉर्ड में वन इतिहास, रोग, आहार आदि शामिल हो सकते हैं। इन चर्चाओं से बुजुर्गों या किसी अन्य दीर्घकालिक निवासी से पिछली प्रवृत्तियों और पारंपरिक प्रतिक्रियाओं के बारे में, साथ ही साथ वर्तमान समस्याओं को हल करने के संभावित अवसरों के बारे में पूछने का एक अच्छा अवसर मिलता है।

3. समय चार्ट या मौसमी कैलेंडर

मौसमी कैलेंडर एक PRA विधि है जो एक समुदाय के भीतर पूरे वर्ष की गतिविधियों और प्रवृत्तियों के स्वरूप को निर्धारित करती है। इसका उपयोग वर्षा वितरण, खाद्य उपलब्धता, कृषि उत्पादन, आय और व्यय, स्वास्थ्य समस्याओं, श्रम की मांग, ईंधन के लिए लकड़ी की आपूर्ति, बीमारी की घटनाओं, रोजगार के लिए प्रवास, नकदी फसलों, लाइव स्टॉक और कई अन्य तत्वों में समय समय पर हुए परिवर्तन खोजने के लिए किया जा सकता है। मौसमी कैलेंडर का उपयोग इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है कि ग्रामीण अपने समय तथा अपने श्रम को गाँव के भीतर विभिन्न गतिविधियों में कैसे आवंटित करते हैं।

4. संस्थानों के वेन आरेख

संस्थानों के वेन आरेख उन संस्थानों, संगठनों, समूहों या व्यक्तियों को दिखाता है जो गाँव में महत्वपूर्ण हैं, साथ ही या भी कि समुदाय में ग्रामीणों का उनके महत्व के बारे में क्या दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त आरेख यह भी बताता है कि इन समूहों में लिंग और धन के मामले में कौन भाग लेता है। संस्थागत संबंध आरेख यह भी इंगित करता है कि उन संगठनों और समूहों के कितना करीबी सम्बन्ध है।

5. श्रेणीकरण

श्रेणीकरण विधि कई समस्याओं या समाधानों के बीच व्यक्तिगत और समूह प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करती है। यह एक वस्तु के स्थान पर दूसरे को चुनने के कारणों को समझाने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण PRA तकनीक है, जिसका उपयोग विभिन्न गुणों वाले लोगों के मूल्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के चीजों की तुलना करने में किया जाता है। यह वस्तुओं को इस क्रम में रखता है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। कई अन्य PRA तकनीकों की तरह श्रेणीकरण विभिन्न पहलुओं के संबंध में स्थानीय सेटिंग में विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उपयोगी उपकरण है।

श्रेणीकरण का मतलब क्रम में रखना है। लोगों, समस्याओं और अवसरों और चीजों का श्रेणीकरण होता है। ये विधियाँ लोगों से उनकी श्रेणियों, मानदंडों, विकल्पों और प्राथमिकताओं के बारे में जानने के लिए उपयोगी हैं। ये आय या धन जैसी संवेदनशील जानकारी के लिए उपयोगी हैं।

6. आर्थिक श्रेणीकरण और सामाजिक मानचित्र

सापेक्ष आर्थिक स्थिति के हिसाब से घरों को वर्गीकृत करने के लिए आर्थिक श्रेणीकरण का प्रयोग किया जाता है। आजीविका और भेद्यता पर अन्य चर्चाओं में अग्रणी होने और आधारभूत उत्पादन के लिए आर्थिक श्रेणीकरण उपयोगी है, जिसके द्वारा भविष्य के व्यवधानों के प्रभाव को मापा जा सकता है ताकि मुखबिरों के सापेक्ष धन की जांच के लिए एक नमूना फ्रेम प्रदान किया जा सके।

8.9 सारांश

हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में संचार बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम विकास संचार के बारे में बात करते हैं तो यह ग्रामीण और शहरी जनता के बीच सामाजिक संदेश देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली होता है। ग्रामीण लोगों के बीच संदेश के प्रभावी वितरण के लिए विस्तार कार्यकर्ता और अन्य परिवर्तन एजेंटों के द्वारा व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यापक विधियों और PRA तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि किसी नई तकनीक को अपनाने या नए विचार के प्रसार की अधिकतम दर संभव हो सके।

8.10 पारिभाषिक शब्दावली

संचार : संचार मनुष्य के बीच सार्थक बातचीत की एक प्रक्रिया है।

किसान कॉल : किसान कॉल एक किसान या गृहिणी द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के कार्य स्थल पर सूचना और सहायता प्राप्त करने के लिए की गई कॉल है।

अनुकूलक या मिनी किट परीक्षण : अनुकूलक या मिनी-किट परीक्षण का उपयोग किसी नये अनुसंधान की किसानों के परिस्थिति के लिए अनुकूलता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

8.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 3.

प्रश्न: रिक्त स्थान भरिये।

i. पत्रक
ii. परिणाम प्रदर्शन
iii. प्रदर्शनी
iv. खेत और घर का दौरा

8.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Adhikary MM. 2006. Participatory Planning & Project Management in Extension Sciences. Agrotech Publ. Academy.

2. Dahama, O.P., Bhatnagar, O.P.; (1985).Education and Communication for Development, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi. Second edition.

3. Melkote SR. 1991. Communication for Development in the Third World: Theory and Practices. Sage PublIcation.

4. Singh R. 1987. A Text Book of Extension Education. Sahitya Kala Prakashan.

5. Ray GL. 1991. Extension and Communication and Management. Naya Prakashan

8.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. PRA से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइये।

2. विकास संचार से आप क्या समझते हैं? संचार विधियों का वर्गीकरण कीजिए।

इकाई 9 : सतत विकास

9.1 प्रस्तावना
9.2 इकाई के उद्देश्य
9.3 सतत विकास की अवधारणा
9.4 सतत विकास के उद्देश्य
9.5 सतत विकास के लक्ष्य
9.6 सतत विकास के सिद्धान्त
9.7 वैश्विक मुद्दे और सतत विकास से संबंधित चुनौतियां
9.8 सतत विकास के आयाम और तीन स्तंभ मॉडल
9.9 समकालीन परिवेश में सतत विकास का महत्व
9.10 सतत विकास की रणनीतियॉ
9.11 सारांश
9.12 पारिभाषिक शब्दावली
9.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
9.15 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

विद्यार्थियों आईये हम सतत विकास की चर्चा करते हैं और हम सभी मानते हैं कि विकास हमेशा प्रकृति में सार्थक हेाना चाहिए। यह दीर्घकालिक चरित्र की एक प्रक्रिया है यह कहीं भी रूकता नही है हर समय विकास गतिमान रहता है। हम आज 21वीं सदी में हर चीज में आगे बढ रहे हैं चाहे वह विज्ञान हो या प्रद्योगिकीए या कृषि हो या व्यरवसाय या हमारे रोजमर्रा में उपयोग होने वाली वस्तु इस विकास के दौर में हमने बहुत कुछ पाया हैए बहुत प्रगति की है पर इस विकास की प्रक्रिया को आगे पुहचाने के कारण हमने बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैंए और इस कारण से हम अपनी प्रकृति अपने सीमित संसाधनों का दुरूपयोग कर रहे हैं जिस कारण से भविष्य में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पडेगा अतरू हमें सतत विकास के फल प्राप्तह करने के लिए निरंतर प्रयास करना

चाहिए। 1987 की शुरूआत में हमारा आम भविष्य (our common future) नामक एक रिपोर्ट में ब्रुन्डलैंड कमीशन ने विकास के रूप में स्थायी विकास को परिभाषित कियाए जो भविष्य् की पीढियों को अपनी जरूरते को पूरा करने की क्षमता समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इसके साथ ही सतत विकास के कार्य केा संचालित रकने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्थानीय अधिकारियों, नागरिक समूहों और व्यक्तियों द्वारा व्यापक प्रयास दुनिया भर में किए जा रहे हैं, ताकी हमारी जरूरते भी पूरी हो सके हमारी आने वाली पीढ़ी भी खुश रहे। सतत विकास पर एक विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्संवर्ग में आयोजित किया गया था। जिसके परिणामस्वहरूप जोहान्सशवर्ग योजना का कार्यान्वयन हुआ और संयुक्त राष्ट्र जिसमें विभिन्न राष्ट्र जैसे संयुक्त राष्ट्र सहस्रब्दी घोषणा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंयशन सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था।

भारत का संविधान सभी भारतीय नागरिकों, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। जीवन के अधिकार को अनुच्छेद 21 में स्वच्छ वातावरण, आजीविका का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। साथ ही, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ,सामाजिक और अर्थिक न्याय सहित विवरणात्मक न्याय सुनिश्चित करते हैं, इसलिए राज्येां का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करें।

इस संदर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी का कथन उद्धत करना चाहेगें जिसमें उन्होने सतत विकास के लिए पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया था तथा 1972 में स्टाकहोम ने संयुक्त राष्ट्र में मानव पर्यावरण सम्मेलन में कहा था कि गरीबी को हटाना दुनिया के लिए एक पर्यावरणीय रणनीति के लक्ष्य का एक अभिन्न अंग है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण पर खास ध्यान देना होगा। अगर हमारा आस पास का वातवरण सही रहेगा तो मानव का भी सही विकास होगा।

9.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढने के बाद आप सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को समझ पाएंगें।

- सतत विकास को समझने की सकल्पना
- सतत विकास के लक्ष्य और उद्देश्य, विकास में सतत विकास की भूमिका तथा विभिन्न रणनीतियाँ।

9.3 सतत विकास की अवधारणा

जब पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने अपनी 1987 की रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होने सतत विकास की परिभाषा तैयार करके पर्यावरण और विकास के लक्ष्यों के बीच संघर्ष की समस्या को हल करने की कोशिश की । सतत विकास की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषा ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट से मिलती है जो इस प्रकार है ''सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान (लोगों) की जरूरतों को पूरा करता है तथा भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता भी रखता है।'' दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान में लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर रही हैं ताकि हमारी अभी की पीढी अच्छे से आगे बढ से जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम अपने सीमित संसांधनों का सही से उपयोग करें और अत्याधिक तथा अनावश्यक उपयोग ना करें ताकि हम अपनी आने वाली पीढी को भी वो सारे संसाधन विरासत में दे सके जिसे हम भी आज के समय में उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए सही तरीका है उन्हें सुरक्षित रखे , ताकी हमारे बच्चे भी आनन्द उठा सकें। यह व्यापक रूप से स्वीकृत मानक परिभाषा यू एन वर्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा अपने अतिम दस्तावेज में दी गई है जिसे हम ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट (1987) के रूप में जानते हैं ।

विकास शब्द का उपयोग आमतौर पर विकास की प्रगति को दर्शाने के लिए किया जाता है । हालाँकि यह शब्द , विशेष रूप से पिछली दो शताब्दियों में, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में आर्थिक विकास का पर्याय बन गया है । इस परिभाषा ने विकास लक्ष्येां को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए राष्ट्रों के बीच एक चूहा दौड़ बनाई है, जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं । ये लक्ष्य अक्सर पर्यावरण के संरक्षण या निर्वाह के विचार के विरोधाभासी हेाते हैं । मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को फिर से बनाने के लिए यू एन जैसे विश्व संगठनों ने एक सतत विकास को कायम रखने हेतु अभियान शुरू किया है। स्थायी विकास शब्द पहली 1972 में स्टाकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गढा गया था। सतत विकास पर लेखन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा ''हमारा आम भविष्य'' शीर्षक से प्रकाशन में है। इसके अलावा 1992 में रियो डि जेनेरियों में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, 170 देशों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए सतत विकास पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए ।

ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट में निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार से हैं

1. विभाजित विकास
2. विकास की गुणवत्ता को बदलना

3. नौकरी, भोजन, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता के संदर्भ में सभी की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना।

4. एक स्थायी जनसंख्या सुनिश्चित करना।

5. सं्साधन आधार को सुरक्षित करना और बढाना।

6. ऐसी प्रौद्योगिकी व भवन निर्माण का आविष्कार करना जो कम नुकसानदायक हो।

7. सही निर्णय लेलने में पर्यावरण और अर्थशास्त्र का प्रबंधन।

9.4 सतत विकास का लक्ष्य

विद्यार्थियों हम आप को बता दे कि सतत विकास का लक्ष्य है हमारी आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आवश्कयताओं को संतुलित करना , जिसमें आज और कल की आने वाली पीढीयों के लिए समृद्धि की अनुमति मिलती है। सतत विकास में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की अधिक खपत से बचते हुए संयुक्त रूप से संबोधित करके एक स्वस्थ समुदाय को विकसित करने और प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक, एकीकृत दृष्टिकोण शामिल हैं।

सतत विकास हमें अपने संसाधन आधार का संरक्षण करने को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें हम उन तरीकों को धीरे धीरे बदलते हैं। जिससे हम विकसित बनते हैं और हम जिन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं, उसमें भी बदलाव लाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुॅचे। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हमारी बढती हुई जनसंख्या भी सतत तरीके से बढ़े ताकि सतत विकास प्रक्रिया में बढती हुई जनसंख्या का बोझ बीच में ना आये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आर्थिक विकास को समर्थन दिया जाना चाहिए और विकासशील देशों का विकसित राष्ट्रों के बराबर गुणवत्ता वाले विकास की अनुमति दी जानी चाहिए। सतत विकास में सामाजिक प्रगति और समानता, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थिर आर्थिक विकास शामिल है। स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का अधिकार सभी को है, पर इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम इस बात पर ध्यान दे कि कैसे हम इन लक्ष्यों को पा सकते हैं।

9.5 सतत विकास के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठन, सहायता संगठन और यहाँ तक कि सरकार जैसे वैश्विक संगठन निरंतर विकास के प्रयासों को प्रयोजित कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतत विकास के लक्ष्यों को दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महसूस किया जाए।

इन निकायों द्वारा निर्धारित कुछ अन्य सबसे महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य है

1. दुनिया भर में गरीबी का उन्मूलन:- ये संगठन कम विकसित और कम आय वाले देशों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जहाँ गरीबी मौजूद है। ये संगठन दुनिया भर में गरीबी को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है, जैसे - स्कूलों में बच्चो को स्वयं प्रदान करना, उन्हें पका हुआ भोजन देना, नकद हस्तातंरण करना , जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्याख्या कराना व सहायता देना, सामाजिक बीमा और श्रम बाजार सक्रिय जैसे - कौशल प्रशिक्षण देना, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी सब्सिडी, बेरोजगारी बीमा, विकलांगता पेंशन, कार्यक्रमों का विस्तार करना ताकि सभी लोग अच्छे से अपना जीवन चला सकें और एक अच्छी जीवन शैली जी सकें।

2. अच्छे स्वास्थ्य और कल्पयाण को बढावा देना:- सतत विकास का लाभ जो जीवन के प्रत्येक चरण में सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य औश्र कल्याण सुनिश्चित करना चाहता है। इस प्रकार सतत विकास स्वास्थ्य वर्धन, विकास व अनुसंधान का समर्थन करता है जिससे वह हर देश को ताकत व क्षमता देता है कि वे बेहतर स्वास्थ्य प्रंधन कर सके ताकि आने वाली विमारियों को रोका जा सके तथा बीमारियों के होने पर कम खतरा हो।

3. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान:- सभी कामकाजी राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय संगठनों ने यह माना है कि बच्चे जो समय से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए सही कदम उठाना ताकि वे अपनी शिक्षा चालू रख सके, इस बात को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय को ठोस कदम व कार्य करना चाहिए ताकि भविष्य में शिक्षा में सतत विकास हो सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि सबको समान व समावेशी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके और लम्बे समय तक सीखने का अवसर मिल सके लोगों को।

4. स्वच्छ जल और स्वच्छता का प्रावधान:- जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो साफ पानी व स्वच्छता शीर्ष स्थान पर अते हैं यानी इनकी प्राथमितता सबसे अधिक है। पानी मनुष्य और हमारे ग्रह पृथ्वी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह लक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि हम विभिन्न बिन्दुओं पर ध्यान दे जैसे - स्व्च्छता, पीने योग्य पानी और जल संसाधनों का रख रखाव कैसे करें ताकि आने वाली पीढी भी सफ पानी व स्वच्छ वातावरण देख सके। आज हमने पानी को बहुत प्रदूषित कर दिया है और हमारा पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, जल्द ही हैं अपने पीने के प्राकृतिक श्रोतों का सही से रख रखाव करना होगा, नहीं तो धरती से पानी बिल्कुल गायब हो जायेगा।

5. मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण का समर्थन करना और नवाचार को प्रेरित करना:- यह लक्ष्य सतत विकास के तीन पहलुओं को ध्यान में रखता है औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचा और नवाचार । बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर उद्यम और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। औद्योगिकीकरण से समाज का आर्थिक विकास होता है, इससे नौकरी के अवसर मिलते हैं जिससे परिणाम स्वरूप बेरोजगारी व गरीबी कम होती है। नवाचार से औद्योगिक क्षेत्रों की तकनीकी क्षमताओं को बढावा मिलता है और नवीन कौशल के विकास को गति प्रदान करता है।

6. **सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच को सक्षम करना:-** अधिकांश स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा औद्योगिकीकरण, शिक्षा, बल आपूर्ति और स्वास्थ्य में प्रगति और जलवायु परिवर्तन से लडने के माध्यम से गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सतत विकास मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास व विस्तार पर केन्द्रित है, जैसे सूर्य, पवन , जन विद्युत, तरल और ठोस जैव ईधन, बायोगैस और भूतापीय। ऊर्जा के ये अक्षय स्त्रोत वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं और ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए आदर्श हैं।

7. लैगिक समानता हासिल करना: पिछले कुछ दशकों में, लैगिक समानता और महिला सशक्तीकरण दीर्घकालिक विकास के लिए ज्यादातर सरकारों के लिए एक मुद्दा रहे हैं। इससे यह फायदा हुआ है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की पहुँच में सुधार हुआ है, बाल विवाह के प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली हैं, और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बड़ी जीत हासिल की है, और साथ ही साथ मातृ स्वास्थ्य में भी बडी अच्छी उपलब्धि देखने को मिली है। यद्यपि इस मील के पत्थर तक पहुँचने के लिए अभी ओर समय लगेंगा फिर भी कई संगठन अपना पूरा प्रयास कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि वो जो संसाधन उपयोग में ला रहे हैं उनसे उनके सपने साकार हो जाए।

इन सतत विकास के लक्ष्यों के अलावा दूसरे भी कुछ लक्ष्य हैं जो विभिन्न निकायों ;ठवकपमेद्ध ने बतलाया है जैसे सभ्य नौकरिया और आर्थिक विकास, स्थायी शहरों और समुदायों का विकास, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर मंथन, कैसे सही तरीके से हमारे संसाधनों की खपत हो तथा उनका उत्पादन हो।

9.7 सतत विकास के सिद्धांत

आइये अब हम चर्चा करेंगे कि सतत विकास को पाने के पीछे क्या सिद्धांत है, जिन्हें हमें ध्यान में रखना हो जिससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और साथ ही साथ मानव जाति का भी भला हो। इसके लिए नीचे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, आइये उन पर रोशनी डालते हैं।

1. पर्यावरण और आर्थिक एकता

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से बहुत निकट से सम्बंधित हैं और दोनों में यह परस्पर मेल सतत विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न आर्थिक उपकरण और नीतियां स्थायी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं अथवा कम से कम संसाधनों के पर्यावरण के प्रति जागरूक उपयोग को बढ़ावा दे सकती हैं। पर्यावरण और अर्थवयवस्था का एकीकरण गरीब देशों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना अमीर लोगों के लिए, क्योंकि अगर उत्पादन माँडल आर्थिक और पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हैं तो तुलनात्मक उत्पादन लाभों का बेहतर संतुलन हो सकता है। कुछ पारंपरिक आर्थिक संकेतक भी उस मात्रा का आंकलन करने में सहायता कर सकते हैं जिस पर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण निर्भर हैं। इसके उदाहरण हैं: जैसे सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। वैश्विक संकेतक के अंतर्गत हमारा मानव विकास सूचकांक जैसे सामाजिक पहलुओं को दर्शाते हैं जिसमें दीर्घायु शिक्षा और आय शामिल हैं, इसके अलावा पर्यावरण संकेतक के अंदर आते हैं जैसे पानी की गुणवत्ता और भूमि उपयोग।

2. शक्षिक विविधता का रखरखाव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

यह बात सत्य है कि जैविक विविधता को संरक्षित करके ही हम सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और जीवन समर्थन प्रणालियों को बाँए रख सकते हैं और दुनिया भर की प्रणालियों और पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग स्थायी रूप से कर सकते हैं। हमारे जीवन को सुंदर ढंग से चालाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करें और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करके रखें। इसके अतिरिक्त हमें स्वच्छ व प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग करना चाहिए और पुन: उपयोग तथा रिसाक्लिंग को प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि हम गैर नवीकरणीय संसाधनों का जीवन बढ़ा सकें। यहाँ एक बात और बता दें कि राज्य स्तर पर नये दृष्टिकोणों की पर्याप्त जानकारी और ज्ञान के आधार पर और उचित कानूनी और संस्थागत साधनों के आधार पर संसाधनों के विकास और संरक्षण को एकीकृत करना चाहिए।

3. एहतियात, रोकथाम और मूल्यांकन

सावधानी, रोकथाम और मूल्यांकन वास्तविक स्थायी विकास के लिए शुरुवाती बिंदु हैं, इसलिए इन तीनों को हर विकास परियोजना की योजना और कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। योजनाकारों और निर्णय लेने वालों को अपनी परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में बताना और उनेहं ठीक प्रकार से नियमित करना चाहिए।

4. सहयोग, साझेदारी तथा भागीदारी

स्थायी विकास प्राप्त करना एक सामूहिक जिम्मेदारी बन गयी है जिसे मानव स्तर की सभी गतिविधियों पर कार्यवाही के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। स्थलीय, जलीय तथा समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी प्रबंधन के लिए सभी का सही निर्णय लेना तथा सहयोग आवश्यक है। सभी देशों की सरकारों को अपने देश के पर्यावरण और सुरक्षा के साथ संगत आर्थिक विकास नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुवात करके अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें कृषि के लिए पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और उस पर निर्भर आबादी के जीने के तरीकों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें गैर सरकारी संगठनों और विकेन्द्रीकृत या स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे सभी विकास और पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियों में अधिक से अधिक भूमिका निभा सकें। पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना निधि का निर्माण निश्चित रूप से विचार करने योग्य है।

5. शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता

पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को प्राप्त करना न केवल तकनीकी और आर्थिक मामलों पर निर्भर करता है बल्कि विचारों, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। व्यक्तियों और समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक है ताकि हम सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। सभी को अपने पर्यावरण के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, इसकी आवश्यकताओं तथा सीमाओं को जानना चाहिए और तदनुसार अपनी आदतों और व्यवहार को बदलना चाहिए।

सभी देशों को पर्यावरणीय मामलों और सतत विकास पर अपने क्षेत्र को बेहतर शिक्षित, सूचना से परिपूर्ण और संवेदनशील बनाने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पारिस्थितिक और पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं को स्कूल कार्यक्रमों में बताना चाहिए, आम जनता की जागरूकता को व्यापक जन अभियानों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है जैसे मीडिया के माध्यम से स्थानीय समुदायों में हरित परियोजनाओं को बढ़ाया जा सकता है। संसाधन प्रबंधन और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किये जा सकते हैं। अत: शिक्षा, प्रशिक्षण तथा आम जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।

आइये आगे बढ़ने से पूरब कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।

अभ्यास प्रश्न 1.

1) सतत विकास से आप क्या समझते हैं?
2) आप किस क्षेत्र में रहते हैं? क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा आर्थिक स्तर पर सतत विकास हो रहा है? विस्तार से बताएं।

9.7 वैश्विक मुद्दे और सतत विकास से सम्बंधित चुनौतियां

आइये अब हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो वैश्विक तथा सतत विकास से सम्बंधित हैं और देखते हैं कि हमारे सामने वैश्विक स्तर पर सतत विकास से सम्बंधित क्या क्या चुनौतियां हैं।

i. **जैव विविधता हानि को बताना :** वैश्विक जैव विविधता रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता संरक्षण के कई प्रयासों के बावजूद इस दिशा में कुछ खास कार्य नहीं हो पाया और अभी भी जैव विविधता हानि हो रही है। इसके अलावा संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि के के बावजूद अधिकांश संकेतकों के अनुसार जैव विविधता कि स्थिति में गिरावट जारी है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य अपनी इच्छापूर्ति तथा आराम के लिए जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है इससे हमारी अनमोल धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है और वह लगातार कम होती जा रही है। इसके बचाव हेतु हमें कड़े कदम उठाने होंगे और जैव विविधता की प्रचुरता वाले क्षेत्रों को गलत प्रयोग से बचाना होगा।

ii. **गरीबी और पर्यावरण :** गरीबी और पर्यावरण क्षय अंतर – सम्बंधित हैं तथा इनसे यह पता लगता है कि सतत विकास के करीब पहुँचाने के लिए कई तरीकों से समस्याओं को समझने की आवश्यकता है ना कि केवल एक पर्यावरणविद या अर्थशास्त्री या परिप्रेक्ष्य को।

iii. **जनसंख्या :** बढ़ती हुई जनसँख्या सतत विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। 21 वीं सदी के शुरुवात में ही पृथ्वी की आबादी ६ बिलियन पहुँच गयी है और अगले 50 वर्षों में 10 से 11 बिलियन पहुँचाने की उम्मीद है। बुनियादी चुनौतियों में मुख्य रूप से पीने के पानी की कमी और कादय उत्पादन हेतु कृषि योग्य भूमि की कमी आते हैं। इन समयाओं से निबटने के लिए हमें अपनी जनसँख्या पर नियंत्रण करना होगा जिससे हमारी प्रथ्वी पर अधिक बोझ ना पड़े और हमें भविष्य में हर आधारभूत वस्तु मिल सके।

iv. **विकास के मुद्दों पर गैर सरकारी संगठन की भूमिका :**गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी संगठन हैं, जहाँ सरकारें काम नही कर रही हैं या नहीं कर सकती हैं वहाँ पर ये संगठन लोगों की मदद या पर्यावरण व अन्य मुद्दों पर कार्य करते हैं। हालाँकि अतीत में धनी राष्ट्रों के कुछ गैर सरकारी संगठनों ने कुछ विकासशील देशों में बदनामी, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने, विदेश नीति में बदलाव करने आदि कार्यों के कारण अपनी छवि धूमिल की है।हाल ही में कुछ

नये गैर सरकारी संगठनों ने सामना रूप से भागीदारी और जमीनी स्तर पर उन्मुख होना शुरू कर दिया है ताकि वे जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर सकें तथा उन्हें सक्षम बना सकें जिससे वे अपनी मदद खुद कर सकें।

v. **पीने के पानी की कमी :** दुनिया के कई क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी स्थायी विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है। यह अपेक्षित है कि, विकास की वर्तमान दर पर, प्रत्येक दूसरा व्यक्ति वर्ष 2025 तक पानी की कमी से पीड़ित होगा।

vi. **ऊर्जा सुरक्षा-** ऊर्जा सुरक्षा अमीर और उभरते राष्ट्रों के लिए समान रूप से बढ़ती चिंता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा ने कई युद्धों को जन्म दिया है तथा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं, और कठपुतली सरकारों और तानाशाही को उखाड़ फेंका है। जैसे-जैसे वैश्विक वित्तीय संकट बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ती है, कई राष्ट्र और कंपनियां अन्य विकल्पों में निवेश करने की कोशिश कर रही हैं।

vii. **पर्यावरण :** पर्यावरण का मुद्दा भी एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा है। मनुष्य एक स्थायी और स्वस्थ वातावरण पर निर्भर करता है, और फिर भी हमने पर्यावरण को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाया है।

viii. **गरीबी :** गरीबी एक और बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया की लगभग २५% आबादी प्रति दिन 1USD से कम पर रहती है। ऐसा क्यों है? क्या गरीब लोगों को उनकी हालात के लिए दोषी ठहराना सही है? क्या वे आलसी थे, गलत निर्णय लेते थे, और अपनी दुर्दशा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं? उनकी सरकारों का क्या? क्या उन्होंने कोई ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो सफल विकास को नुकसान पहुंचाती हैं? गरीबी के गहरे और अधिक वैश्विक कारणों की चर्चा अक्सर कम होती है।

ix. **मानव स्वास्थ्य :** यह भी सतत विकास में एक बाधा है। कई मामलों में, विकासशील देशों में होने वाली मौतों को टाला जा सकता है। मानवता को आने वाले वर्षों में बीमारियों के खिलाफ संघर्ष के लिए अधिक ध्यान और धन का निर्देशन करना चाहिए। सरकार का उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को दो-तिहाई तक तथा युवा माताओं की मृत्यु दर को 75% तक कम करना होना चाहिए।

9.8 सतत विकास के आयाम और तीन स्तंभ मॉडल

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि सतत विकास पर्यावरणीय आयाम को लेकर सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रसार है। व्याख्या पूर्वाग्रहों से बचने के लिए 3-स्तंभ मॉडल का प्रस्तावित किया गया है जिसके निम्न तीन भाग हैं: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय।

1) पर्यावरणीय स्थिरता

पर्यावरणीय स्थिरता यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि पर्यावरण के साथ परस्पर प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण को प्राकृतिक रूप में रखने के विचार के साथ आगे बढ़ाया जाए। एक पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रणाली को एक स्थिर संसाधन आधार बनाए रखना चाहिए, नवीकरणीय संसाधन प्रणालियों या पर्यावरण सिंक कार्यों के अति-दोहन से बचना चाहिए, और गैर-नवीकरणीय संसाधनों को केवल उस हद तक कम करना चाहिए, जब निवेश पर्याप्त विकल्प में किया जाता है। इसमें जैव विविधता, वायुमंडलीय स्थिरता और अन्य पारिस्थितिक तंत्र कार्यों का रखरखाव शामिल है, जिन्हें आर्थिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। पारिस्थितिक आयाम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से सभी को संदर्भित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे भविष्य में उपलब्ध हैं। हालांकि, इसमें परिदृश्य, आवास, जैव विविधता, साथ ही पीने के पानी और हवा की गुणवत्ता जैसे संरक्षण भी शामिल हैं। स्थिरता का अर्थ है कि मानव गतिविधि प्रकृति के संसाधनों का उपयोग केवल उस हद तक करती है जिस पर वे स्वाभाविक रूप से फिर से भर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से, पर्यावरणीय गिरावट का दीर्घकालिक परिणाम मानव जीवन को बनाए रखने में असमर्थता है। पर्यावरण मानव जाति की जीवन समर्थन प्रणाली है और इसमें वह सब कुछ शामिल है जिससे हम अपने अस्तित्व के लिए भरोसा करते हैं। इसमें हवा, धातु, पानी, चट्टान और अन्य जीवित जीव शामिल हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता में निम्न तत्व शामिल हैं:

- जलवायु परिवर्तन
- वायु प्रदुषण
- ओजोन का क्रमिक ह्रास
- महासागर
- मीठे पानी
- वन्यजीव
- मिट्टी
- भूमि उपयोग
- बेकार पदार्थ
- रेडियोधर्मिता
- ध्वनि प्रदूषण

- प्रकाश प्रदूषण

2) **आर्थिक:** एक आर्थिक रूप से स्थायी प्रणाली को माल और बाहरी ऋण का उत्पादन करने और अत्यधिक असंतुलन से बचने में सक्षम होना चाहिए जो कृषि या औद्योगिक उत्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं। आर्थिक आयाम संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र की व्यवहार्यता के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवहार्यता में योगदान से संबंधित है। कुशल कृषि संरचनाएँ, उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ और साथ ही फार्म हाउसों के लिए आय स्रोतों का विविधीकरण इस आयाम के महत्वपूर्ण तत्व हैं। संसाधन उपयोग की दक्षता ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवहार्यता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। सतत विकास लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में अधिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए यह तर्क दिया गया है कि कम से कम संसाधनों के उपयोग से अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इस तत्व के भीतर नवाचार की काफी आवश्यकता है, उत्पादों को कीमत के अलावा अन्य तत्वों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने की है।

आर्थिक स्थिरता के तत्वों में निम्न शामिल हैं;

- ऊर्जा
- परिवहन
- बेकार
- रोजगार
- निवेश; प्रतियोगिता और स्थिरता
- शिक्षा और कौशल
- व्यापार और उद्योग
- व्यापार
- पर्यटन

3) **सामाजिक:** सामाजिक रूप से स्थायी प्रणाली बनने के लिए समाज को एकसमान वितरण, सामाजिक सेवाओं जैसे: स्वास्थ्य और शिक्षा, लिंग समानता, राजनीतिक उत्तरदायित्व और भागीदारी को प्राप्त करना होगा। कृषि उत्पादन के तरीकों के बारे में समान अवसरों और समाज की नैतिक चिंताओं के मुद्दों को भी स्थायी कृषि के सामाजिक आयाम से संबंधित माना जा

सकता है। एक मजबूत, विविध और संपन्न सामाजिक संरचना स्थिरता का एक प्रमुख तत्व है। सतत विकास के इस तत्व का लक्ष्य सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक समावेश और लोगों के सशक्तिकरण की भावना है। यह उन स्थानों पर सार्थक सुधार करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य के लिए परिवर्तन को आकार देने में एक प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है।

सामाजिक स्थिरता स्तंभ के भीतर प्रमुख तत्व निम्न हैं:

- स्वास्थ्य
- गरीबी
- समुदाय
- आवास
- यात्रा
- अपराध
- मनोरंजन
- खपत
- खाद्य सुरक्षा

9.9 समकालीन परिवेश में सतत विकास का महत्व

सतत विकास एक कठिन विषय है, क्योंकि इसमें चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस विषय की तकनीकी और जटिलता के कारण, इसके महत्व को आसानी से समझने में सक्षम होने के लिए इसके महत्व को समग्र रूप से जांचना सबसे अच्छा है। जनसंख्या स्थायी विकास अभियान चलाने वाला मुख्य कारक है। इसलिए, सतत विकास के महत्व को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है:

1. मानव की आवश्यक जरूरतों को पूरा करता है

जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है कि लोगों को सीमित जीवन के लिए आवश्यक भोजन, आश्रय और पानी से वंछित होना पड़ेगा। इन बुनियादी जरूरतों का पर्याप्त प्रावधान लगभग पूरी तरह से बुनियादी ढांचे पर टिका हुआ है जो उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम है।

2. कृषि की आवश्यकता

बढ़ती जनसंख्या का मतलब है कि कृषि को पकड़ना होगा। 3 अरब से अधिक लोगों को खिलाने के तरीके ढूंढना चौंका देने वाला हो सकता है। यदि भविष्य में इसी तरह की अस्थिर खेती, रोपण, सिंचाई, छिड़काव और कटाई की तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो ये आर्थिक रूप से बोझ साबित हो सकते हैं। सतत विकास मृदा की अखंडता को बनाए रखते हुए उच्च पैदावार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कृषि तकनीकों और फसल रोटेशन जैसे टिकाऊ कृषि विधियों पर केंद्रित है, जो एक बड़ी आबादी के लिए भोजन का उत्पादन करता है।

3. जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन

सतत विकास प्रयोगों से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। सतत विकास प्रयोगों में तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोतों के उपयोग को कम करना है। ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन स्रोत अस्थिर हैं क्योंकि वे भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे और ग्रीनहाउस गैसों के फैलाव के लिए जिम्मेदार हैं।

4. वित्तीय स्थिरता

सतत विकास प्रयोगों में दुनिया भर में आर्थिक रूप से स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। विकासशील देश जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति देने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय रूपों का लाभ उठा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास से, ये देश जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकियों के आधार पर परिमित नौकरियों के विपरीत स्थायी रोजगार बना सकते हैं।

सतत विकास के उदाहरण

सतत विकास के निम्न उदाहरण हैं:

- **वायु ऊर्जा**

वायु या पवन ऊर्जा, पवन टरबाइन या पवन चक्कियों के उपयोग से हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, जिसका अर्थ है कि यह कभी समाप्त नहीं होती है और इसका उपयोग ग्रिड में ऊर्जा को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

- **सौर ऊर्जा**

यह सौर पैनलों का उपयोग करके सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। यह बिल्कुल मुफ्त है और इसकी आपूर्ति अनंत है। ये कारक इसे उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बनाते हैं और यह प्रकृति के लिए अच्छा है क्योंकि यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान नहीं करता है।

- **हरित क्षेत्र**

हरित क्षेत्र वे स्थान हैं जहां पौधों और जानवरों को पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। पार्क भी हरे भरे स्थानों की श्रेणी में आते हैं। हरित क्षेत्र भी जलवायु और वायु की गुणवत्ता को विनियमित करने में मदद करते हैं, नदियों को प्रदूषण से बचाते हैं तथा ऊर्जा के उपयोग को कम करते हैं।

- **फसल का चक्रिकरण**

फसल का चक्रीकरण मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रोगों और कीड़ों पर नियंत्रण करने में बहुत उपयोगी है। फसल का चक्रीकरण कई मायनों में फायदेमंद है; सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रसायन मुक्त है। इसका मतलब है कि इस खेती के अभ्यास का उपयोग आपकी मिट्टी की अखंडता को बनाए रखता है, जिससे यह एक सतत विकास अभ्यास बन जाता है।

9.10 सतत विकास की रणनीतियाँ

सतत विकास प्राप्त करने के लिए कई संभावित रणनीतियाँ उपयोगी हो सकती हैं:

1. इको-फ्रेंडली ईंधन - ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा का उत्सर्जन करता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को जोड़ता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सीएनजी और एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये ईंधन स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

2. नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग- भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते धूप, पानी और पवन ऊर्जा से संपन्न है। ये प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त हैं। इस प्रकार, विभिन्न तकनीकों को रोजगार देकर और वर्षा जल संचयन के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह स्थायी आर्थिक विकास में मदद करेगा।

3. **पुनर्नवीनीकरण उत्पाद-** अखबारों, पुरानी बोतलों, प्रयुक्त बैटरी जैसी घरेलू अपशिष्ट सामग्री; आदि को संचित किया जाना चाहिए और जैव-अपघट्य और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। जैव अपघटित अपशिष्ट वे अपशिष्ट हैं जिन्हें विघटित किया जा सकता है और उनका उपयोग जैविक खेती के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है। प्लास्टिक, आदि जैसे गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को पुनर्नवीनीकरण करके फिर से उपयोग किया जाना चाहिए। पॉलीथिन बैग का उपयोग बंद किया जाना चाहिए।

4**. बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग-** विद्युत एक संसाधन है जो सभी घरों में उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा संसाधन है, जो पहले से ही कम आपूर्ति में है और अगर हम इसका उपयोग

विवेकपूर्ण तरीके से शुरू नहीं करते हैं तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह उपलब्ध नहीं हो सकता। अत: इस संसाधन का कुशल उपयोग अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

1) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए .....और.....के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2) फसल का .....मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रोगों और कीड़ों पर नियंत्रण करने में बहुत उपयोगी है।
3) .....वे स्थान हैं जहां पौधों और जानवरों को पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है।
4) .....का अर्थ है कि लोगों को सीमित जीवन के लिए आवश्यक भोजन, आश्रय और पानी से वंछित होना पड़ेगा।

9.11 सारांश

सतत विकास एक नजरिया, सोच और कार्य करने का तरीका है ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। यह केवल नीतियों के बारे में नहीं है- इसे समाज द्वारा बड़े स्तर पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक हर दिन कई विकल्प चुनता है, साथ ही साथ बड़े राजनीतिक और आर्थिक निर्णय जो कई को प्रभावित करते हैं। यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय क्षय उन आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक है जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। वर्तमान पीढ़ियों के कारण भविष्य की पीढ़ियों का नुकसान होता है क्योंकि वर्तमान पीढ़ी उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का रास्ता नही दे रही है। बहुत जरूरत है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें। हम स्थायी विकास में सुधार केवल तभी कर सकते हैं जब इसमें नागरिकों और हितधारकों को शामिल किया जाएगा। अंततः सोच ही वास्तविकता बन जाएगी, अगर हर कोई एक ऐसे समाज में योगदान देता है जहां आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण किया जाता है जो हमारी खुद की और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर हो जाए।

9.12 पारिभाषिक शब्दावली

- सतत विकास : सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान (लोगों) की जरूरतों को पूरा करता है तथा भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता भी रखता है।

- हरित क्षेत्र : हरित क्षेत्र वे स्थान हैं जहां पौधों और जानवरों को पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है।

9.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 2.

प्रश्न : रिक्त स्थान भरिये।

1) सीएनजी, एलपीजी
2) चक्रीकरण
3) हरित क्षेत्र
4) जनसंख्या विस्फोट

9.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ICSU, ISSC. (2015). Review of Sustainable Development Goals: The Science Perspective. Paris: International Council for Science.
- Jackson, T. and L. Michaelis 2003 "Policies for Sustainable Development: A Report to

the Sustainable Development Commission" , UK

- Meera Mehrishi et al. (2011). Sustainable Development in India: Stocktaking in the run up to Rio+20. New Delhi: Ministry of Environment and Forests, Government of India & TERI.

9.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. आप स्थायी विकास से क्या समझते हैं और एसडी के उद्देश्य, उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं।

2. उदाहरणों के साथ सतत विकास के तीन आयामों का वर्णन करें।

3. सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से समझाइये।

इकाई 10 : लिंग और विकास

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 लिंग और लिंग की अवधारणा
10.4 लिंग भेदभाव
10.5 भारत में लैंगिक भेदभाव
10.6 लिंग भेदभाव का समाधान
10.7 आज के समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका
10.8 विकास में महिलाओं का महत्व
10.9 पुरूषत्व व नारीत्व की अवधारणा
10.10 महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
10.11 महिलाओं के सवैधानिक अधिकार
10.12 सारांश
10.13 पारिभाषिक शब्दावली
10.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
10.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10.16 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

लिंग, जिसे हम सबसे संकीर्ण अर्थ में कह सकते हैं समाज द्वारा निर्मित महिलाओं व पुरूषों में समानता। 1970 के दशक में अमेरिकी और अंग्रेजी नारीवादियों (Feminists) ने लिंग और लिंग संबंध शब्दों का उपयोगकरना शुरू कर दिया था। इसलिए संक्रमण सामाजिक संबंधों के बीच के अंतर के अध्ययन से किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिंग शब्द को अंग्रेजी बोलने वाले और लैटिन अमेरिकी देशों में 1980 के दशक की शुरूवात में और सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों

के भीतर एक उल्लेखनीय गति से विकसित करना था , लिंग उपयोग को काहिरा सम्मेलन (1994) और बीजिंग सम्मेलन (1995) जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के उत्तराधिकार के धारण से सुगम बनाया गया, जिसके दौरान निश्चित रूप से इस शब्द की स्थापना हुई।

10.2 उद्देश्य

- इस इकाई को पढने के बाद आप लिंग के संबंध में निम्नलिखित बातों को समझ पाएगें।
- लिंग का वर्णन कैसे किया जाता है और यह सेक्स (Sex) से कैसे अलग है तथा लिंग भेदभाव क्या है।
- बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका और विकसित समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है।
- महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न भारतीय सरकारी कार्यक्रम।

10.3 लिंग और लिंग की अवधारणा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार लिंग को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं :- लिंग महिलाओं और पुरूषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को संदर्भित करता है, जैसे मानदंड, भूमिका और महिलाओं और पुरूषों के बीच का संबंध। यह अलग अलग समाज में भिन्न रूप से परिभाषित होता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे बदला भी जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंग का अर्थ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं और महिलाओं और पुरूषों से जुडे अवसरों से है। स्त्री या पुरूष होने का अर्थ क्या है, इसकी सामाजिक परिभाषाएँ संस्कृतियों में बदलती रहती है और समय के साथ साथ हम इसमें बदलाव भी देख सकते हैं।

जब हम लिंग के बारे में बात करते हैं तो लिंग और लिंग के बीच का अंतर करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश बुद्धिजिवियों ने इनके बीच के अंतर को स्पष्ट तस्वीर नहीं दी है। अत: सैक्स को हम जैविक रूप से परिभाषित कर सकते हैं तथा हम यह भी कह सकते हैं, आनुवांशिक रूप से पुरूषों और महिलाओं के बीच का अंतर, तथा उनकी प्रजनन क्षमताओं या क्षमता के अनुसार होता है।

10.4 लिंग भेदभाव

जब हम लिंग भेदभाव के बारे में बात करते हैं, तो यह भेदभाव का वह प्रकार है जो व्यक्ति के लिंग पर आधारित होता है। आमतौर पर महिलाओं को उनकी शिक्षा , व्यवसाय, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक प्रभाओं में पुरूषों की तुलना में अलग और असमान व्यवहार किया जाता है। दुनियाभर में लिंग भेदभाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश। अत: ये एक प्रकार का सामान्य रूप से मिलने वाला भेदभाव है। बडे खेद की बात है कि आज भी 21 वीं सदी में भारत में अलग घर में लडका हो तो खूब उत्सव बनाये जाते हैं, और अगर लडकी हो तो ये एक सामान्य से अधिक कुछ नहीं। भारत में आज भी लडके के लिये इतना प्यार है कि , बेटियों को जन्म से पहले ही कोख में मार दिया जाता है और लडकी की परवरिश भी भारतीय समाज में आज भी कई जगहों में भी बोझ समझ कर की जाती है, उससे बच्पन से ही भेदभाव किया जाता है जो जीवन पर्यन्त चलता है। हमारे भरतीय धार्मिक समाज की यह विडंबना है कि नारी को देवी की तरह पूजते हैं पर वास्तव में उस की खुद की पहचान एक इंसान के रूप में भी मुश्किल से दिखती है। लोग देवियों को साज सज्जा के साथ पूजते हैं और वहीं दूसरी ओर लडकियों का शोषण करते हैं। वैश्विक लैंगिक पैमाने पर भारत को लगभग 101 वां स्थान मिला है और यह स्थिति बेहतर होने के अपेक्षा और बद से बत्तर होती जा रही है। हम आपको यह बता दें कि , भारत की आजादी के बाद नीति निर्मताओं का ध्यान आकर्षित करने वाले मुद्दों में से एक था लैंगिग मुद्दे और चिंताएं। भारत देश के लिए अब लैंगिग समानता और न्याय मुद्दों ने नई आर्थिक नीति धारणाओं और लिंग संबंधों के बीच इंटरफेस के सदर्भ में महत्व जोडा है। यह भी देखने में आया है कि गरीबी और मानव दुखों को मिमटाने के लिए लैंगिग न्याय सम्य देश की रणनीति का हिस्सा बन गया है। हमारे देश के नीति निर्माताओं का मानना है कि अगर लैंगिग असमानता को कम करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं और इसके लिय महिलाओं को समानता का अधिकार देना होगा, इस क्षेत्र व दिशा में काफी बहस भी चल रही है। आगे हम यह कह सकते हैं कि लिंग एक सामान्य शब्द है जहॉ पर लिंग भेदभाव केवल महिलाओं में होता व देखा जाता है। लैंगिक भेदभाव जैविक रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन यह सामाजिक रूप से निर्धारित होता है और आपके व हमारे प्रयासों से भेदभाव को बदला जा सकता है।हमारे देश में महिलाओं की आबादी लगभग 50 प्रतिशत है लेकिन सार्वजनिक जीवन के अधिकार को स्वीकार करना और उनकी क्षमता को जानना महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए आवश्यक है।

10.5 भारत में लैंगिक भेदभाव

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या की भीषण बुराइयॉं यह साबित करती है कि महिलाओं के प्रति हमारे समाज का क्या दृष्टिकोण है। हमारे संविधान में पुरूष और महिलाओं के लिये समान अधिकार का प्रावधान है और समाज में महिलाओं स्थान भी समान रूप से दर्शाता है इसके विपरीत अभी भी बहुत सी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित है, जिनसे उनकी स्थिति तथा परिवेश में सुधार हेाता। लिंग असमानता के मुख्य कारण है हमारे पांरपरिक मूल्य प्रणाली,साक्षरता का निम्न स्तर, अधिक घर की जिम्मेदारी, जागरूकता की कमी, उचित मार्गदर्शन की कमी , महिलाओं का एक जगह तक सिमित रहना,आत्मविश्वास में कमी, परिवार से सहारा न मिलना और विज्ञान में उन्नति तथा प्रौद्योगिकी आदि कारण जिम्मेदार है। आगे हम आपको बताते है कि लिंग असमानता के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हैं?

(क) गरीबी : भारतमें 30 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और उस में भी 70 प्रतिशत महिलाऍं हैं। भारत में महिलाओं की गरीबी का सीधा संबंध बहुत से कारणों पर है जैसे आर्थिक अवसरों का अभाव, अपने निर्णय ना लाने का मौका, ऋण , भूमि स्वामित्व और विरासत सहित आर्थिक संसाधनों तक पहुचने में कमी, हसे अलावा शिक्षा और सहायता सेवाओं तक पहुच में कमी। आज भी आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है और पुरूषों को अभी भी केक का बडा हिस्सा प्राप्त है। इस प्रकार गरीबी हमारे पिहसत्तात्मक समाज में लैंगिक भेदभाव की जड में है ।

(ख) निरक्षता : अभी भी दुनिया के कई देश निरक्षता के स्तर में काफी नीचे हैं,और इसमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि लडकियों का पिछडापन लैंगिक भेदभाव का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसारमहिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी , और पुरूषों की 82.14 प्रतिशत थी। अंतनिर्हित सोच यह थी कि महिलाओं को शिक्षित करने का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वे केवल अपनेपति और परिवार की सेवा करेंगी ,तो उन की शिक्षा पर खर्च करना व्यर्थ है।

(ग) रोजगार की सुविधाओं का अभाव : ऐसा माना जाता है कि महिलाए नई आर्थिक और पुरानी घरेलू भूमिकाओं के बीच संघर्ष हल करने में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में, ज्यातर औरतें घर के कामों में समय बिताती हैं। घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण महिलाऍं बाहर नहीं निकल पाती जिससे वह कई अवसरों से वंचित रह जाती हे घर के भीतर आज भी

अधिकार और दायित्व समान रूप से वितरित नहीं हें। संपत्ति पर पुरूषों का तथा घर के रख रखाव , बच्चों के लालन पालन में बिताया गया समय अक्सर महिलाओं में डि-स्किलिंग, दीर्घकालिक श्रम संपर्कों की समाप्ति का परिणाम होता है। इस प्रकार बेरोजगारी के कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही है और पुरूष समकक्ष पर उनकी आर्थिक निर्भरता ही लैंगिक असामना का कारण है।

(घ) सामाजिक रिति रिवाज, विश्वास और व्यवहार : महिलाएं सामाजिक रीति-रिवाजों, मानयताओं और प्रथाओं से मुक्त नहीं हो पा रही है, पारंपरिक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली महिलाओं की भूमिकाओं को ज्यातर घरेलू क्षेत्र तक सीमित करती है। हमारे समाज में पुरूषों को परिवार के प्रमुख प्रदाता और रक्षक के रूप में मानाजाता है, जबकि महिलाओं को केवल सहायक भूमिका निभाने के रूप में माना है। प्रारम्भ से ही हम देख रहे हैं कि हमारा समाज पुरूष प्रदान है जहॉ पर महिलाओं का स्तर बराबरी का नहीं है आज भी हमारे समाज में बेंटोंके लिए बरीयता और बेटी के प्रति अरूचि कई जगहों पर बनी हुई है, इस प्रकार महिला विरोधी सामाजिक पूर्वाग्रह हमारे समाज में लैंगिक असमानता का मुख्य कारण है। आज भी हमारे भारतीय परिवार में इस प्रकार की धारणा है कि बेटी होना एक अनावश्यक वित्तीय बोझ है, उसे पढाना लिखाना बेकार है, बाद में उसे शादी करके अन्य घर जाना है। यही से देख सकते हैं कि माता पिता की यह रूढिवादी मान्यता लैगिंक असमानता के लिए जिम्मेदार है।

(ड) सामाजिक दृष्टिकोण : विद्यार्थियों हम यह जानते हैं कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और सुधारकों ने महिलाओं के प्रति सम्मान और सम्मान को बहाल करने के लिए सभी सामाजिक बाधाओं के खिलाफ अपना धर्मयुद्ध किया, लेकिन मनोवृत्ति संबंधी असमानताएँ अभी भी हमारे ग्रामीण जनता को शिकार बनाए हुई है। आज हम हर क्षेत्र में कई आगे बढ गए हैं,चाहे वो सामाजिक प्रगती हो या तकनीकी, इसके बावजूद भी हमारे समाज में महिलाएं अभी भी शोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा और सामाजिक कुरूतियों का शिकार हो रही हैं। हमारे समाज में यह धारणा हे कि महिलाएं चार दीवारी तक ही सीमित होनी चाहिए,शायद लैंगिक असमानता का मुख्य कारण यह भी है ।परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें अपने भविष्य के बारे में नहीं विचार करना चाहिए। पितृसत्तात्मक समाज में पुरूषों को बहुत अधिक आजादी व बडा दर्जा दिया जाता है।आज भी कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं कि पुरूषों को अच्छा स्वास्थ्य व पोषण मिलना चाहिये, उन्हें पौष्टिक भोजन मिलना चाहिये क्योंकि वे कमा रहे हैं और महिलाओं को घर में सब का हो जाने के बाद अपने बारे में सोचना चाहिए। इस तरह का सामाजिक रवैया भी लैंगिक भेदभाव की समस्या पैदा कने के लिए अनूकूल है।

(च) महिलाओं में जागरूकता का अभाव : अधिकांश महिलाएँ अपने मूल अधिकारों और क्षमताओं से अनिभिज्ञ हैं । उन्हें इस बात का भी ज्ञात नहीं है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ताकतें उन्हें कैसे प्रभावित करती है । वे सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को परिवार के लिए स्वीकार कर लेती हैं, जिस कारण से हमारे परिवार और समाज में उनकी अज्ञानता और अनभिज्ञता बडे पैमाने पर बनी रहती है।

10.6 भेदभाव के लिए समाधान

आज के परिवेश में हम यह देख सकते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए और लिंग भेदभाव को रेकने के लिए बहुत से कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा बहुत सी सामजिक गतिविधिया भी चलाई जा रही है ताकी लैंगिक भेदभाव कम हो सके । लिंग भेदभाव समस्या को हल करने के लिए कुछ कारक बहुत ही उपयोगी है, जिनकी चर्चा हम करगें ।

1. शिक्षा :- शिक्षा एक इंसान में कौशल को विकसित करती है, ज्ञान प्रदान करती है, हमारे सोचने के तरीके में बदलाव लाती है और आत्मविश्वास में सुधार करती है। बेहतर शिक्षा से हम रोजगार पा सकते हैं और अपनी आय को बढा सकते हैं । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपनी लडकियों को शिक्षित करें ताकी महिलाओं का सतत विकास हो सके और लैंगिक भेदभाव को खत्म कर सकें । अत: हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक हथियार है जिससे हम लैंगिक भेदभाव की समस्या से निपट सकते हैं एक बात और गौर करने की है कि केवल महिलाओं को ही नहीं समाज को भी बराबर शिक्षित करना होगा ताकी सकारात्मक परिणाम आ सके ।

2. रोजगार :- रोजगार से आमदनी बढती है और महिलाएँ जब रेाजगार करती है तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो होता ही है, समाज में भी मान सम्मान होता है । इसके अलावा परिवार के सदस्यों द्वारा उनको महत्व मिलता है तथा निर्णय लेने , और घर के हर काम में उनकी भागीदारी को भी समझा जाता है । अत: हम कह सकते हैं कि रोजगार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देता है और यह लैंगिक असमानता को भी दूर करता है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता :- हमने अपने समाज में यह पाया है कि ज्यादातर,युवा उम्र में महिलाएँ अपने पिता पर निर्भर रहती है , मध्य आयु में वे अपने पति पर और बडी उम्र में वे अपने बच्चों पर निर्भर रहती है । इस प्रकार में महिला अपनी आजीविका के लिए किसी ना किसी पर निर्भर रहती है इसलिए आर्थिक पहलुओं में स्वतंत्र होना महिलाओं के विकास के लिए अनिवार्य है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को गुलामी की स्थिति से मुक्त करेगी और उन में आत्मविश्वास को बढाएगी । महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी राष्ट्रीय आर्थिक विकास में मदद करती है ।

4. सशक्तिकरण :- बेहतर कानून, शिक्षा और रोजगार की मदद से हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं तथा समाज में महिलाओं को पुरूष के समान ला सकते हैं जिससे लैंगिक भेदभाव कम किया जा सकता है। पुरूष को महिलाओं में भी सभी क्षमताएँ होती हैं और अगर महिला अपनी क्षमताका सही उपयोग करे तो वो भी आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर रहेंगी, तथा अपने जीवन को सही बना सकती है।

5. आत्मविश्वास :- लम्बे समय तक महिलाएँ पुरूष के अधीन दबी रही, अपनी बात को भी घर वालों के आगे रखने से कतराती थी, और ये कम आत्मविश्वास विशेष रूप से बेरोजगार व अशिक्षित महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर महिलाओं को एक सम्मानित जीवन व्यवतीत करना है तो उन्हें अपने खिलाफ होने वाले सभी अत्याचारों से लडना होगा, चाहे अत्याचार घर पर हो या समाज में।

6. निर्णय लेना :- अक्सर ये देखा गया है कि परिवार के साथ साथ समाज में भी महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को नकार दिया जाता है। इस कारण से महिलाओं में आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है और वे घर व बाहर अपनी बात नहीं रख पाती है। इसलिए लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति के साथ सशक्त होना चाहिए।

आईये आगे बढने से पहले इन प्रश्नों को हल करें :

अभ्यास प्रश्न 1.

1. आप लिंग से क्या समझते हैं और सैक्स (Sex) के साथ अंतर कैसे करेंगें ?
2. भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है और इसके क्या कारण हैं ?
3. लिंग भेद समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है ?

10.7 वर्तमान समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका

हम ऊपर इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि लिंग क्या है और लिंग सैक्स से कैसे अलग है तथा लिंग भेदभाव क्या है ? आइये आगे हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान समाज में महिलाओं की क्या बदलती भूमिका है और विकास प्रक्रिया में वे कैसे अपना योगदान दे रही है ? जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के मुकाबले आज महिलाएँ काफी आगे हैं हर क्षेत्र में वे पुरूषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज महिलाएँ पहले की तरह सीमित नहीं हैं, उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है और वे हर अवसर का फायदा उठा रही है। घर की जिम्मेदारी हो या बाहर का काम, हर

कार्य में महिलाएँ दक्ष हैं तथा उनकी प्रबंधकीय दक्षता (Maregerial Skill) पुरूषों से भी बेहतर हैं । महिलाएँ अब स्कूल में पढाने तक ही सीमित नहीं हैं, अब वे राजनीति, व्यावसायिक नौकरी हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग (Banking), कानूनी क्षेत्र में तथा हर बडे कार्य में अपना योगदान दे रही हैं और ये साबित करके दिखा दिया कि वे भी किसी से कम नहीं बस उन्हें एक बेहतर अवसर चाहिए । इसके साथ साथ एक दुखद पहलू यह भी है कि अगर महिलाएँ उन्नति की ओर बढी है तो उनके खिलाफ अपराध भी उसी तेजी से बढे हैं, जैसे बलात्कार, एसिड फेंकने की घटनाएँ, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग (Honour Killing), जबरन बैश्यावृत्ति । ये सब इस बात की ओर इशारा करते है कि भले ही महिलाएँ आगे बढी हो पर भेदभाव अभी भी समाज में अपना पाव पसारे हैं । अच्छा आप लोगों ने मशहूर अभिनेता आमिर खान का बहुचर्चित धारावाहिक ''सत्यमेव जयते'' देखा होगा जिस में उन्होनें महिलाओं पर होने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डाला और समाज को यह संदेश भी दिया की इतनी प्रगति होने के बाद इतने कानून होने के बाद भी आज भी महिलाएँ क्यों किंसा की शिकार हैं ? आप भी इस बारे में सोचियेगा और हल खोजने की कोशिश करें । जब हम बडे परिपेक्ष में बात करते हैं तो यह देखा गया है कि समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका में कुछ बुनियादी बदलाव के बावजूद, महिलाओं के लिए समाज का नजरिया अभी तक नहीं बदला है । नतीजतन, महिलाओं को विभिन्न देशों में रसोई से लेकर की-बोर्ड तक नुकसान से जूझना पड़ता है । जैसा की संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने भी कहा है कि कोई भी विकासीय रणनीति समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती जब तक हम महिलाओं और पुरूषों के साथ एक समान व्यवहार करेंगें। अपनी उद्यमशीलता की भूमिका के अलावा महिलाएँ, कृषि गतिविधियों, हस्तशिल्प, ग्रामीण कला और शिल्प में भी अपना योगदान दे रही हैं । इसके अलावा बहुत से कारण भी हैं जो महिलाओं कि उन्नति में बाधा डाल रहे हैं जैसे सही आवास की सुविधा ना होना, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी, सही तकनीक का ना हेाना जिससे शारिरिक व मानसिक थकान को कम किया जा सके । हिलेरी क्लिंटन, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम मिहला ने इस बात पर जोर दिया कि ''जब महिलाओं को सही अवसर दिया जाये जैसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राजनीतिक भागीदारी और कानूनी अधिकार, ऐसे अवसरों से महिलाएँ खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकती है और यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी क्षमता का एहसास हो इससे वे अपने परिवार, समुदाय को राष्ट्र को ऊपर उठा सकती हैं । महिलाओं के विरूद्ध स्थूल रूप से कम प्रतिनिधत्व और महिलाओं के प्रति निम्न सोच कई रोजगार के क्षेत्रों में जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका और कानूनी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण, शिक्षा, बच्चों की देखभाल के लिए मदद पर ध्यान केन्द्र करने की आवश्यकता है । इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, ऋण की सुविधा नया रोजगार खोलने के लिए, अच्छी व बेहतर कल्याणकारी योजनाओं, कानूनी साध्यता, बेहतर सुरक्षा के उपायों

पर ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं के शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी कमिया आ रही है उन्हें भी दूर करने की आवश्यकता है । अत: हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की क्षमताओं में निवेश करना उन्हें सशक्त बनाना आर्थिक विकास और समग्र विकास को आगे बढाने का सबसे अच्छा तरीका है । भारतीय राजनीतिक प्रणाली की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं की स्थिति व अधिकारों की बात होती है और यह विभिन्न संवैधानिक प्रावधानो में परिलक्षित होती है लेकिन ये सब होने के बाद भी लिंग कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। एक बात और गौर करने की है कि विवाह, तलाक, रखरखाव और विरासत से संबंधित कानून अभी भी पूर्णरूप से प्रभावी नहीं है, इसलिए उनमें हो रही समस्याओं को दूर करना आवश्यक है । इसलिए यह जरूरी है कि महिलाओं के प्रति जो कानून बनाये गये हैं या तो उनमें सुधार हो, और वे प्रभावी ढंग से लागू हो तथा उनका पालन हो, जिससे महिलाएं जिन समस्याओं से जूझ रही है, उनका सही ढंग व सही समय पर निदान हो सके।

चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर रोशनी डाली जाए :

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में हर 1000 पुरूषों पर 940 महिलाएँ हैं।
- पुरूषों की साक्षरता 82.14 % है, जबकी महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 65.46% है ।
- मार्च 2011 के अंत तक , कुल जमा राशि का 21 प्रतिशत, जिसमें कुल जमा राशि का केवल 12% महिलाओं द्वारा रखा गया है , अब इस प्रतिशत में बढोत्तरी हेा सकती है।
- इसी तरह , महिलाओं ने 2011 में बैंकों से कुल छोटे ऋण का केवल 18 प्रतिशत का लाभ उठाया है।
- भारत में महिलाओं का औपचारिक रोजगार लगभग 25 प्रतिशत है, जबकि 84 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ कृषि उत्पादन में लगी रहती है।

अत: संकीर्ण कल्याणकारी उपायों से व्यापक आधारित विकास के लिए एक बदलाव होना चाहिए । इसके अलावा लिंग विशिष्ट नीतियॉ जिसमें नई योजनाओ, गतिविधियों और बेहतर संसाधनों की बात हो, ऐसी नीतियॉ महिलाओं के लिए मददगार हो सकती है , और उनके प्रति हो रह अन्याय व अपराध में कमी को रोकने में भी मदद कर सकती है लेकिन जो भी लिंग भेदभाव हो रहा है व तभी दूर हो सकता है, जब शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं में सकारात्मक कार्यवाही हो तथा महिलाओं को किसी भी अवसरों से वंचित ना रखा जाये । इसके अलावा उनकी क्षमताओं के

अनुसार उन्हें उनका कार्य क्षेत्र चुनने का मौका मिले तथा उनके अंदर जो भी उर हैं उसे सही ढंग से दूर किया जाये।

10.8 विकास में महिलाओं का महत्व

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति सभी विकासात्मक प्रक्रियाओं में एजेंट और लाभार्थी दोनों के रूप में महिलाओं के दृष्टिकोण की मुख्यधारा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्रणालियों पर जोर देती हो और अब समय आ गया है कि पुरूषवादी विचारधारा से हटकर महिलाओं पर केन्द्रित योजना को प्रकाश में लाए और पूरे क्षेत्र और वर्ग में महिलाओ के सच्चे सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को यर्थात रूप में लाए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कर सकते है और हमें करना चाहिए लेकिन हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक ढॉचें के लिंग एकीकरण और संवर्धन के लिए विकास प्रक्रिया में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता हेाती है जिसमें बड़े सरकारी शैक्षणिक संस्थान, प्रमुख तकनीकी संस्थान, स्वैच्छिक एजेंसियां, नीति निर्माता और स्वंय महिलाऍं शामिल हैं।

महिलाओं ने अपनी सही दशा व मुक्ति की यात्रा के लिए कई मील के पत्थर तय किए हैं लेकिन आज भी महिलाओं को समाज में अपनी सही भूमिका के लिए सकारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। अपनी सही पहचान समाज के आगे रखने और अपने अधिकारों की मांग करने का काम अभी भी लंबा और अत्याचारपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमें शुरूवात अभी से करनी होगी ताकी महिलाओं का कल व भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। इस बात से हम बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते कि कुल आबादी का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है और सार्वजनिक जीवन में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यह एक कटु सत्य है कि आज भी अधिकतर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामकाज का प्रमुख भार महिलाओं को उठाना पडता है इसलिए उनकी प्राथमिक भूमिका को अक्सर समाज द्वारा एक गृहिणी के रूप में देखा जाता है।

यदि महिला आबादी राजनीतिक सशक्तिकरण से बाहर रहती है तो लोकतंत्र के प्रधान लक्ष्यों में, ''लोगों द्वारा और लोगों के लिए'' को बेहतर ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता है। समाज में महिलाओं की अधीनता, उनका निम्न स्तर राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए एक संरचनात्मक बाधा का काम करता है और यह बाधा महिलाओं के हर वर्ग व समुदाय में देखने को मिलता है।

आगे हम यह बता दे कि महिलाओं के अधिकारों का समाज द्वारा स्वीकार करना और उनकी क्षमता को मानना महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए आवश्यक है। महिलाओं को अपनी

क्षमताओं का एहसास होना चाहिए जो उनकी आत्म छवि को मजबूत करेगा और जीवन में कदम उठाने के लिए आत्मविश्वास के साथ उन्हें बढावा देगा। राजनीतिक सशक्तिकरण केवल चुपचाप भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसके इसमें रहकर नीतियॉ बनाने, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने व साझा करने का काम है और महिलाओं को अपने आप को इस तरह से सशक्त होना होगा। भारतीय समाज केा पुरूषवाद के साथ विरासत में मिला हे, लेकिन अब समाज ने महिलाओं के महत्व को महसूस करना शुरू कर दिया है और महिला सशक्तिकरण ने महिलाओं को यकीनन सशक्त किया है जिससे वह स्वयं का विकास व मार्गदर्शन कर रही हैं।

10.9 मर्द और स्त्री की अवधारणा

आइये अब हम अगले विषय पर चर्चा करते हैं उससे पहले मर्दाना और स्त्री के बीच के मतभेदों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

- पुरूषत्व :- एक ऐसा समाज जिसमें भावनात्मक लैंगिक भूमिकाएँ अलग होती हैं पुरूषों को मुखर, कठिन (tough) और भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा महिलाओं को जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान कंद्रित करना चाहिए।
- नारीत्व :- एक ऐसा समाज जिसमें भावनात्मक लिंग भूमिकाएँ ओवरलैप होती है : दोनों पुरूषों और महिलाओं को मामूली, कोमल और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित माना जाता है।

यह कह सकते हैं कि नारीवाद और पुरूषत्व लिंग पहचान वर्णन कर सकते हैं। यह उस बात की ओर अंकित करता है जिसके द्वारा लोग खुद को पुरूष या स्त्री के रूप में देखते हैं या यह बताता है कि समाज की परिभाषा एक पुरूष या महिला होने की क्या है। नारीत्व व पुरूषत्व को जैविक के बजाय सामाजिक रूप से परिभाषित किया है। हमारा समाज यह तय करता है कि उदाहरण के तौर पर पुरूष या महिला होने का अर्थ क्या है जैसे विभिन्न मानवीय विशेषताए :- निष्क्रिय, आक्रामक होना, बहादुर होना, डरफोक होना या भावुक होना। हमारा समाज इन विशेषताओं से लिंग भेद में अंतर करता है जैसे आक्रामक व बहादुर होना पुरूष या मर्दाना पहचान के साथ जुडा है जबकि महिला हया स्त्री की पहचान के रूप में निष्क्रिय, डरोक और भावनात्मक पहलू जुडे हैं।

सामाजिक मनोवैज्ञानिक ''हॉफस्टेड'' के अनुसार, ''पुरूषत्व को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, जिसमें सामाजिक लैंगिक भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से भिन्न हैं : पुरूषों को मुखर (Assertive) , कठिन परिस्थितियों में टिके रहने वाले और भौतिक सफलता पर केन्द्रित माना जाता है, और महिलाओं के

लिए माना जाता है कि उन्हें जीवन की गुणवतता के साथ अधिक विनम्र, कोमल और चिंतित होना चाहिए । अत: हम कह सकते हैं कि लिंग को हम महिलाओं व पुरूषों की समाज में विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं । उदाहरण के तौर पर लिंग की सही भूमिका के तौर पर महिलाओं का घरेलू काम काज सम्भालना और पुरूषों का बाहर का काम काज देखना । अत: हम कह सकते है कि नारीत्व व पुरूषत्व को हम उनके सामाजिक कार्यों से अलग कर सकते हैं, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में नारी व पुरूष के कार्य बराबर हैं, नारी भी वे सभी कार्य सही ढंग से निभा रही है जो पुरूष कर रहे हैं, इसलिए उन में भेद करना सही नहीं है ।

विद्यार्थियों हमने अभी तक समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका के बारे में चर्चा की, और देखा कि कैसे महिलाएँ विकास के सभी क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है और वह अपनी पारपंरिक भूमिका से बाहर आ रही हैं और विकास के सभी क्षेत्रों में भाग ले रही हैं । हमने नारीत्व व पुरूषत्व की अवधारणा में भी प्रकाश डाला है। अब हम अपने अगले भाग में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेगें और महिलाओं के लिए क्या संवैधानिक अधिकार है, इस पर भी बात करेंगें।

10.10 महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धान्त अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles) में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है , बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव को अपनाने का अधिकार भी देता है । महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के लिए एक ऐसे विवरण के निर्माण से है जहॉ वे अपने निजी लाभों के साथ साथ समाज में रहकर अपने निर्णय ले सके । महिलाओं को सशक्त करने का अर्थ है उन्हें अधिक जागरूक रूप में विकसित करना, जहॉ पर वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, आर्थिक रूप से उत्पादन क्षमता करने वाली हो, स्वतन्त्र रूप तथा बुद्धिमत्ता से अपने फैसले ले सके जो उन्हें प्रभावित करता हो ।

महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष [UNDFW] में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा में निम्नलिखित कारक शामिल हैं :

- लिंग संबंधों के ज्ञान और समझ को प्राप्त करना और इन संबंधों को बदलने का तरीका ।

- आत्म मूल्य कीभावनाको अपने अंदर विकसित करना, अपने में दृढ विश्वास बनाये रखना तथा किसी के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार। चलिये अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व योजनाओं की चर्चा करते हैं जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है।
- ''ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास''
- 1980 के दशक की शुरूवात में, भारत सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ICDS) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास (DWCRA) का शुभारम्भ किया। DWCAR कार्यक्रम को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के उप घटक और ग्रामीण विकास विभाग की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रक्षेपण किया गया था जिसमें, UNICEF ने भी अपना योगदान दिया था ताकी महिलाओं को गरीबी से ऊपर उठा सके और उनके लिये नये मजबूत कार्यक्रम बन सके। यह कार्यक्रम इस उददेश्य से भी चलाया गया था ताकि गरीब परिवारों की महिलाओं की जीविका व आय को बढाया जा सके ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके तथा समाज में उनकी भागीदारी को सक्षम बनाया जा सके। DWCRA का प्राथमिक जोर गॉव स्तर पर 15 से 20 महिलाओं के समुहों के गठन पर था जिससे की विभिन्न सेवाओं का वितरण हो सके जैसे कि स्वरोजगार के लिए ऋण , कौशल प्रशिक्षण, आधारभूत सरंचना आदि सहायता उन्हें मिल सके। इसके अलावा कार्यक्रम का उददेश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल, पोषण और स्वच्छता की बुनियादी सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करना था ।01.04.1999 को इस कार्यक्रम को स्वर्णजयंति ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के साथ मिला दिया गया है।
- **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम** : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDR) भारत सरकार द्वारा 1978 के दौरान शुरू किया गया था और 1980 में यह लागू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को भी विकसित करना था ताकि उनके जीवन यापन में सुधार हो सके। (IRDP) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख साधन है, और इसे 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर धन साझा किया जाता है।
- **स्वर्णजयंति ग्रामस्वरोजगार योजना(SGSY)** :- स्वर्णजयंति ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को एक नए स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत प्रभाव में आया। पहले के कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (TRYSEM) ग्रामीण क्षेत्रों में मिहलाओं व बच्चों का विकास

(DWCRA) गंगा कल्याण योजना (GKY) और साथ ही साथ लाख कुओं की योजना (MWS) ये सारी योजनाओं को SGSY में मिला दिया गया है और अब ये संचालन में नहीं हैं। इस येाजना का मुख्य उददेश्य गरीबी रेखा से ऊपर के सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को जुडाव प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें स्वंय सहायता समूहों में संगठित करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना, उनकी क्षमता निर्माण में मदद करना, बैंक से नये रोजगार के लिए ऋण देना और सरकार की तरफ से नये रोजगार व स्वयं सहायता समुहों को ऋण में छूट देना ताकि वे अपनी आय के साधनों को बढा सकें। इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख गतिविधियों को चयन के माध्यम से संगठित किया जाता है जो कि इस बात पर आधारित होते हैं कि लोगों में क्या कौशल व योग्यता है तथा संसाधनों की उपलब्धता कितनी है और बाजार में उसकी उपलब्धता कितनी हैं ।यह योजना एक प्रक्रिया दृष्टिकोण अपनाती है और गरीबों की क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करती है ।

- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम (MGNREGA)** :- यह केन्द्र सरकार के द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजना है, इस योजना को 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया था । इस अधिनियम का उददेश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गांरटी युक्त मजदरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का माहौल तैयार करना । इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढाने के उददेश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्धकौशल पूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य , चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हो ना हो ।
- **महिला ई हाट :** यह महिला और बालविकास मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों स्वंय साहयक समूहों और गैर सरकारी संगठनों को समर्थन देने के लिए और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए एक सीधा ऑनलाइन विपणन मंच है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के 'डिजिटलइंडिया' (Digital India) पहल का एक हिस्सा है। महिलाएं www.mahilaeharat-rmk.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती है और व्यापक बाजार में अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकती है ।
- **बेटी बचाओं ,बेटी पढाओं :** हमारे देश के राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात में काफी अंतर है । अगर जिला स्तर पर बात करें तो 640 जिलों में से 429 जिलों ने गिरता लिंग अनुभव किया है । 22 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने

पानीपत में जब बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना का आयोजन किया तब तीन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरूआत की गयी पहला था – कन्याभ्रूण हत्या की रोकथाम, दूसर – कन्याओं की सुरक्षा व समृद्धि , तीसरा – बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक संयुक्त पहल है। एक वाक्य में कहे तो बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना का सबसे बडा उददेश्य लेागों की मानसिकता में बदलाव लाना, पितृसत्ता को खत्म करना व महिला सुरक्षा एवं नारी सशक्तिकरण है।

- **वन स्टॉपसेंटर योजना :** लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में इसे जाना जाता है, इस योजना को 1 अप्रैल 2015 को 'निर्भया' फंड के साथ लागू किया गया था। वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ एकीकृत एकछत के नीचे हिंसा की शिकार महिलाओं को आश्रय ,पुलिस डेस्क, कानूनी सलाह, चिकित्सा सेवा और अन्य परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया है। इसका ओल –फ्री हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया गया,181 जिसमें आप तुरंत बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं ।
- **कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास :** इस योजना का उददेश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनकरूप से स्थित आवासों की उपलब्धता को बढावा देना है, जहॉ पर उनके बच्चों के लिए दिन में देखभाल की सुविधा हो, चाहे व शहरी इलाका हो, या अर्ध-शहरी या यहॉ तक ग्रामीण क्षेत्र हो जहॉ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।
- **स्वधार गृह :** कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वधार योजना शुरू की गई थी। यह योजना उन महिलाओं / लडकियों को आश्रय, भोजन, वस्त्र और देखभाल प्रदान करती है जो जरूरतमंद हैं। लाभार्थियों में उनके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा छोडी हुई विधवा महिलाएं, जेल से रिहा होने वाली महिला कैदी, जिनका परिवार उन्हें अपनाना नहीं चाहता, प्राकृतिक आपदाओं से बचने वाली महिलाएं, आतंकवादी/चरमपंथी हिंसा की शिकार महिला आदि शामिल हैं।
- **महिलाओं के लिए प्रशिखण और रेाजगार कार्यक्रम का समर्थन :** इस योजना का उददेश्य महिलाओं को रेाजगार देना और महिलाओं को स्वरोजगार / उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रदान करना है। एक विशेष परियोजना 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है जो इस

बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का कार्य है। इनमें विभिन्न कार्य क्षेत्र आने हें जैसे कृषि , बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढाई, जरी कम्प्यूटर और आईटी का प्रशिक्षण है। इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देना,उन्हें पर्यटन उनके व्यक्तित्व को निखारना, ताकी वे कोई भी साक्षात्मकार देने में सक्षम बने।

- **राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) :** 1993 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महिला केाष की स्थापना की गई थी, जिसका उददेश्य विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में गरीब व महिलाओं को कर्ज या उधार (Credit) देना तथा उनकी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना था। fRMK के तहत माइक्रोफाइनेंस सेवाओं को गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढाने के मकसद से आजीविका गतिविधियों, आवास की जरूरतों , परिवार की जरूरतों आदि के लिए एक ग्राहक अनुकूल और परेशानी युक्त ऋण तंत्र के माध्यम से प्रदान किया जाता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फंड के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह गरीब महिलाओं को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) :** इसको गर्भवती और स्तरपान कराने वाली महिलाओं के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया था , जिसका उददेश्य आंशिक रूप से प्रसव और प्रसव के दौरान होने वाली परेशानियों की भरपाई करना है और साथ ही साथ शिशुओं के लिए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना और अच्छे पोषण और भोजन प्रथाओं को बढावा देना भी है।
- **नई रोशनी :-** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012-13 में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम नई रोशनी शुरू की। यह कार्यक्रम पूरे देश में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी और सरकारी संस्थानों की मदद से चलाया जाता है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम,स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत , वित्तीय साक्षरता , जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए वकालत जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं।

  विद्यार्थियों हमने महिलाओ के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की है, यह बहुत महतवपूर्ण है कि महिलाओं को इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकी वे अपनी सुरक्षा व विकास के बारे में सही कदम उठा सके। अब हम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा करेंगें।

10.11 महिला और संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान की गारंटी है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन विंडबना यह है कि आधी आबादी अपने कानूनी अधिकारेां से अनजान हैं। इस अध्याय में हम भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करेगें। आज भारत में महिलाएँ शिक्षा, खेल, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति , सेवा क्षेत्रों , विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अपना दमखम दिखा रही हैं, तथा उन्होनें ये सिद्ध कर दिया कि अगर समान अवसर दिया जाय तो वो भी पुरूषों से कम नहीं। भारत का संविधान न केवल महिलाओं केा समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्यों को यह भी अधिकार देता है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों केा अपनाने के लिए, तथा महिलाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे प्रयासों में उनका साथ दें। इसके अलावा हमारा संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 16(39(ए), 39(बी), 39(सी) और 42 इस संबंध में विशिष्ट महत्व के हैं। जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला की वही भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का गर्भपात हो जाता है , तब भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा।

- दहेज प्रताडना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निबटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उनको ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताडना से बचने के लिए 1986 में आई पी सी की धारा 498 ए का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताडित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है।
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 यह अधिनियम यौन शोषण के लिए होने वाली तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया कानून है। दूसरे शब्दों में, यह महिलाओं और लडकियों में वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से तस्करी को रोकने का प्रावधान है।
- मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 :- यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ, 1975 और 2002 में इसमें संसोधन किया गया। इस अधिनियम का उददेश्य अवैध गर्भपात और परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की घटना को कम करना है।

- कोई भी महिला अपने हिस्से की पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है। महिला उस संपत्ति से बच्चों की देखभाल भी कर सकती है। महिलाओं को अपने पिता के घर या अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डी वी ऐक्ट (डोमेस्टि वॉयलेंस ऐक्ट (घरेलू हिंसा) का प्रावधान किया है।
- समान वेतन का अधिकार :- समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- काम पर हुए उत्पीडन के खिलाफ अधिकार :- काम पर हुए यौन उत्पीडन अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीडन के खिलफ शिकयत दर्ज करने का पूरा अधिकार है।
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (नेषेध) अधिनियम, 1986 :- विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकडों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 :- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार की एक वैधानिक निकाय है, जिसे जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। NCW भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है और उनसे जुडे मुद्दों और चिंताओं के लिये एक आवाज प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करनाहै।
- पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम 1994 :- भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है । इस अधिनियम से प्रसव निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 'पीएनडीटी'एक्ट 1994, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांचपर पांबदी है। ऐसे में अल्ट्रासांउड या अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले जोडे या कराने वाले डाक्टर , लैब कर्मी को तीन से पॉच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने के सजा का प्रावधान है।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) :- यह भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है। इनमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो नशेडी व्यक्ति के साथ संबंध में है और किसी भी तरह की हिंसा की शिकार महिला चाहें वो शारीरिक हो, यौन हिंसा, मानसिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा को शामिल किया गया है।

- बाल विवाह अधिनियम , 2006 का निषेध:- बाल विवाह निषेधअधिनियम को 2007 से प्रभावी किया गया। यह अधिनियम बाल विवाह को एक विवाह के रूप में पारिभाषित करता है जहॉ दूल्हा या दुल्हन, कम उम्र के हेाते हें, अर्थात, दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम है या लडका 21 साल से छोटा है।
- इसके अलावा पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार दिये गये हैं :- महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। हम महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जा रहा हो, उस जज को चाहिए कि वह महिला से पूछें कि उसे पुलिस हिरासत में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं झेलना पडा।
- महिलाओं को पिता और पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लडकी के पिता ने खुद बनाई संपत्ति वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद प्रापर्टी में लडकी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, जितना लडके को और उनकी मॉ को। शादी के बाद भी महिला का यह अधिकार बना रहता है।

अत: हम कह सकते हैं कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए इन और अन्य कानूनों को जानना आवश्यक है। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो आप घर पर, कार्यस्थल पर या समाज में आपके साथ हुए किसी भी अन्याय के खिलाफ लड सकते हैं।

आइये इस इकाई के निष्कर्ष पर जाने से पहले हन प्रश्नों को हल करें।

अभ्यास प्रश्न 2

1. रिक्त स्थान भरें

a. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) भारत सरकार द्वारा ------वर्ष में शुरू किया गया था।

b. राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना ---- वर्ष में की गई थी।

c. बेटी बचाओं, बेटी पढाओं की शुरूआत ----वर्ष में हुई थी।

d. -------कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

e. -------- कार्यक्रमकिसी भी ग्रामीण घर के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

2. निम्नलिखित का मिलान करें।

a. दहेज प्रतिषेध अधिनियम	1. 1995
b. मातृत्व लाभ (संशोधन)	2. 1990
c. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम	3. 1956
d. समान पारिश्रमिक अधिनियम	4. 1961
e. अनैतिक आवागमन (रोकथाम)	5. 1976
f. हिंदू विवाह अधिनियम	6. 2017

10.12 निष्कर्ष

अंत में यही कहेगें कि एक राष्ट्र या समाज , महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास प्राप्त नहीं कर सकता है यदि हम लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हैं तेा महिलाएं परिवार, राष्ट्र और पूरे विश्व को विकसित कर सकती है तथ अपनी क्षमता, कौशल व ज्ञान से समाज व विश्व को आगे ले जा सकती है। केवल कानून बनाना और उन्हें लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक जागृति और जनसाधारण की मानसिकता के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता भी जरूरी है, ताकि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो और महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए जिससे वे अपने भविष्य को बना सके। अब समय आ गया है जब महिलाओं को खुद को सशक्त बनाना चाहिए, इसके लिए लैंगिक भेदभाव को दूर करना होगा ताकी सही तरीके से महिला सशक्तिकरण हो सके। इसके साथ ही महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि उनके कानून व अधिकार क्या है, कैसे उनका उपयोग करना है तथा महिलाओं को अपन हक के लिए भी खुद लड़ना चाहिए तथा दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आधी आबादी यानि महिलाओं की सच्चे अर्थों में प्रगति हो तो समाज में व्याप्त कुरूतिया व बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा। इस युग में हमारे पास आर्दश वाक्य होना चाहिए – ''शिक्षित महिला, शिक्षित भारत''।

10.13 पारिभाषिक शब्दावली

- इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) : इसको गर्भवती और स्तहरपान कराने वाली महिलाओं के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया।
- नई रोशनी : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012-13 में अल्पससंख्य क महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

10.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 2

1. रिक्त स्थान भरें।

a. 1978
b. 1993
c. 22 जनवरी 2015
d. एस जी एस वाई (SGSY)
e. मनरेगा

2. सही मिलान कीजिए।

a. 4
b. 6
c. 2
d. 5
e. 3
f. 1

10.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- बनर्जी, ए 2013 महिलाओं की स्थिति और लैंगिक भेदभाव भारत में : एक राज्यवार विश्लेषण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की पत्रिका vol-3 अंक 12 पेज : 12-21 .
- भवसती, दास 2009 , 21 वीं सदी के लिए विकास की चिंताओं में लिंग संबंधी मुद्दे रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
- नवलनितु, शर्मा 2013 महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, कानूनी संरक्षण तथा कानूनी और न्यायिक पहलू रीगल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- बर्टा एस्टेव वोलास्ट 2004 ''लैगिक भेदभाव और विकास : भारत से सिद्धान्त और साक्ष्य'' लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स और राजनीति विज्ञान।

10.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन करें तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा करें।

2. भारत में लैंगिक भेदभाव को समझाइये, और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, समाधान भी बताएं ।